मेन्स आंसर राइटिंग

संग्रह

दिसंबर 2025

अनुक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर–1 ..... **3**

- इतिहास 3
- भूगोल 9
- भारतीय विरासत और संस्कृति 11
- भारतीय समाज 15

सामान्य अध्ययन पेपर–2 ..... **21**

- राजनीति और शासन 21
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध 30

सामान्य अध्ययन पेपर–3 ..... **41**

- अर्थव्यवस्था 41
- जैव विविधता और पर्यावरण 49
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 51
- आपदा प्रबंधन 56

सामान्य अध्ययन पेपर–4 ..... **60**

- केस स्टडी 60
- सैद्धांतिक प्रश्न 75

निबंध **88**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-1

इतिहास

प्रश्न : "चुनौती केवल उपनिवेशकालीन अवशेषों को हटाने की नहीं है बल्कि नई बौद्धिक निर्भरताओं के निर्माण से बचने की भी है।" शिक्षा के वि-उपनिवेशीकरण पर चल रहे विवाद के संदर्भ में विश्लेषण कीजिये कि भारत किस प्रकार स्वदेशी संवेदनाओं तथा वैज्ञानिक-सामयिक आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- वि-उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- मुख्य भाग में यह स्पष्ट कीजिये कि कौन-से अवशेष अब भी बने हुए हैं और बौद्धिक निर्भरताओं के नए रूप क्या हैं।
- बताइये कि स्वदेशी लोकाचार और वैज्ञानिक-सामयिक आधुनिकता के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है।
- उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

वि-उपनिवेशीकरण केवल पाठ्यक्रम में पारंपरिक ग्रंथों या स्वदेशी विषयों को शामिल करना मात्र नहीं है। यह शिक्षा की **ज्ञान-मीमांसीय आधारभूमि** को नए सिरे से गढ़ने की प्रक्रिया है, जिसमें **भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप, भारतीय दृष्टि से और वैज्ञानिक अनुशासन के साथ ज्ञान का निर्माण** किया जाता है।

- आज **वैश्वीकरण और डिजिटल प्रभुत्व नए दबाव उत्पन्न कर** रहे हैं, जो यह दर्शाते हैं कि उपनिवेशवाद-उन्मूलन का उद्देश्य केवल अतीत की त्रुटियों को सुधारना नहीं, बल्कि **भारत-केंद्रित आधुनिक ज्ञान-प्रणाली** का निर्माण करना भी होना चाहिये।

मुख्य भाग:

आज की शिक्षा प्रणाली में विद्यमान औपनिवेशिक अवशेष:

- **भाषायी पदानुक्रम:** अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यालयों को श्रेष्ठ माना जाता है, जो अक्सर रोज़गार, सामाजिक प्रतिष्ठा और उच्च शिक्षा तक पहुँच को निर्धारित करते हैं।
  - यह एक **दास मानसिकता** उत्पन्न करता है, जिसमें कई माता-पिता अपने बच्चों को मातृभाषा की सहजता के बावजूद **अंग्रेज़ी माध्यम** में पढ़ाने के लिये मजबूर महसूस करते हैं।
  - उदाहरण के लिये जो छात्र **क्षेत्रीय भाषा के बोर्ड में अच्छे अंक** प्राप्त करता है, वह अक्सर **राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ा हुआ महसूस** करता है, क्योंकि अधिकांश कोचिंग, अध्ययन सामग्री और मूल्यांकन प्रणाली **अंग्रेज़ी पर आधारित** होती हैं।
- **स्वदेशी ज्ञान की तुलना में पश्चिमी दृष्टिकोण को प्राथमिकता देने वाला पाठ्यक्रम:** सामाजिक विज्ञान में अक्सर **पश्चिमी विचारकों,** जैसे– डुर्कहाइम, वेबर, एडम स्मिथ, जॉन लॉक पर अधिक निर्भरता होती है, जबकि **भारतीय विचारक,** जैसे– कौटिल्य, बसावा या सावित्रीबाई फुले को केवल कुछ चुनिंदा अध्यायों तक सीमित रखा जाता है।
  - भारत की गणित में प्रगति (आर्यभट्ट), खगोलशास्त्र (वराहमिहिर), राजनीति शास्त्र (अर्थशास्त्र) और चिकित्सा (आयुर्वेद) को अक्सर "सांस्कृतिक धरोहर" के रूप में पढ़ाया जाता है, न कि स्वतंत्र ज्ञान प्रणाली के रूप में।
  - उदाहरण के लिये **अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तकें** अक्सर **केंसियन और नव-उदारवादी (नीओलिबरल) दृष्टिकोण** को विस्तार से पढ़ाती हैं, जबकि **स्वदेशी विचारों,** जैसे– स्वदेशी अर्थशास्त्र, गांधीवादी ट्रस्टीशिप या अर्थशास्त्र में राजनीतिक अर्थव्यवस्था (अर्थशास्त्र के संदर्भ में) पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।
- **याद करने और लिखित/प्रशासनिक कौशल पर केंद्रित मूल्यांकन:** परीक्षाओं में क्रिएटिविटी के बजाय याद करने पर, पूछताछ के बजाय अनुरूपता पर ज़ोर दिया जाता है और वास्तविक समस्याओं को हल करने के बजाय तय पाठ्यक्रम में दक्षता को सफलता मानती हैं।
  - हालाँकि NEP 2020 लगातार मूल्यांकन को बढ़ावा दे रहा है, फिर भी **महत्त्वपूर्ण अंतराल** अब भी मौजूद हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **अकादमिक मान्यता के लिये पश्चिमी विश्वविद्यालयों पर अधिक निर्भरता:** औपनिवेशिक वर्षों ने भारतीयों को यह सिखाया कि **पश्चिमी संस्थान "अच्छे ज्ञान" के अंतिम निर्णयकर्त्ता** हैं। विदेशी डिग्री अब भी **उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा** का प्रतीक मानी जाती है। इसके अलावा कई भारतीय शोधपत्र **वैधता के लिये पश्चिमी जर्नल्स** का अनुसरण करते हैं।
  - उदाहरण के तौर पर, नीतिनिर्माता भारत-विशिष्ट समस्याओं पर भी भारतीय विश्वविद्यालयों के शोध की बजाय हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड के शोध को उद्धृत करना अधिक प्राथमिकता देते हैं।

नई प्रकार की बौद्धिक निर्भरताएँ जिनसे बचना आवश्यक है

- **स्थानीय अनुकूलन के बिना पश्चिमी शिक्षण मॉडल पर निर्भरता:** MOOCs, लिबरल आर्ट्स संरचनाएँ, क्षमता-आधारित शिक्षा और क्रेडिट सिस्टम जैसे सुधार अक्सर **केवल वैश्विक ट्रेंड के कारण अपनाए जाते हैं।** इन्हें बिना स्थानीय आवश्यकताओं को अनुकूलित किये लागू करने से **सार्थक सुधार के बजाय केवल सतही अनुकरण** होता है।
  - भारतीय कक्षाएँ अक्सर **पश्चिमी "प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षा"** का अनुकरण करती हैं, लेकिन इसके लिये आवश्यक **संरचना और शिक्षक प्रशिक्षण** प्रदान नहीं किया जाता।
  - साथ ही लिबरल आर्ट्स मॉडल **स्थानीय ज्ञान परंपराओं,** जैसे– न्याय तर्कशास्त्र, क्षेत्रीय साहित्य और स्वदेशी विज्ञान को नज़रअंदाज़ कर देता है।
  - **उदाहरणत:** विश्वविद्यालय अमेरिकी शैली की चार-वर्षीय स्नातक प्रणाली का अनुकरण करते हैं, लेकिन इसके लिये इंटर्नशिप, मेंटरिंग सिस्टम या अकादमिक सलाहकार उपलब्ध नहीं कराते, जिससे इसकी प्रभावशीलता घट जाती है।
- **वैश्विक तकनीकी प्लेटफॉर्म और एल्गोरिद्मिक नियंत्रण पर निर्भरता:** बड़ी तकनीकी कंपनियाँ (Google, YouTube, Meta, OpenAI, Coursera आदि) यह तय करती हैं कि छात्र **क्या देखें, खोजें और अध्ययन करें**, जिससे उनके सोचने के तरीके पर प्रभाव पड़ता है। इससे **डिजिटल निर्भरता** उत्पन्न होती है, जिसमें भारत का बौद्धिक परिदृश्य **विदेशी एल्गोरिद्म द्वारा आकारित** होता है।
  - उदाहरण के लिये, यदि हम किसी वैश्विक AI मॉडल से "धर्म," "राग," या "न्याय" के बारे में पूछते हैं, तो यह अक्सर सरल या विकृत व्याख्या देता है, क्योंकि इसके प्रशिक्षण डेटा में भारतीय स्रोतों की कमी होती है।
- **वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग का अविचारपूर्वक पालन करने का जोखिम:** विश्वविद्यालयों द्वारा वैश्विक रैंकिंग सिस्टम को अंधाधुंध अपनाना उन्हें उन मापदंडों का पीछा करने के लिये प्रेरित करता है, जो पश्चिमी दृष्टिकोण से तैयार किये गए हैं।
  - **रैंकिंग की होड़** महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों से संसाधनों को स्थानांतरित कर सकती है, जैसे– **शिक्षक विकास, समावेशी शिक्षा के लिये अवसंरचना और स्थानीय संदर्भ में नवाचार।**
    - सच्ची शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिये वैश्विक पहचान और स्थानीय प्रासंगिकता के बीच संतुलन आवश्यक है।

भारत कैसे सांस्कृतिक जड़ों और आधुनिक वैज्ञानिक सोच के बीच संतुलन बना सकता है

- **सांस्कृतिक जड़ों और सांस्कृतिक आदर्शों को सुदृढ़ करने हेतु:**
  - भारतीय ज्ञान प्रणालियों (IKS), जैसे– आयुर्वेद, न्याय, अर्थशास्त्र, गणित, खगोलशास्त्र और पर्यावरणीय नैतिकता को NEP 2020 के अनुसार स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करना।
  - भारतीय भाषाओं को केवल संचार के साधन के रूप में नहीं बल्कि ज्ञान सृजन के माध्यम के रूप में पुनरुज्जीवित करना। इससे विचारों को प्राकृतिक रूप से व्यवहार्य ज्ञान में परिवर्तित किया जा सकता है।
  - पाठ्यक्रम में स्थानीय इतिहास, क्षेत्रीय बौद्धिक परंपराओं और सामुदायिक ज्ञान को शामिल करना, ताकि समृद्ध सभ्यतात्मक परंपरा को प्रदर्शित किया जा सके।
  - सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना, जैसे– बहुलतावाद, जिज्ञासा (अन्विक्षिकी) और समग्र/संपूर्ण शिक्षा।
- **वैज्ञानिक-सामयिक आधुनिकता को सुदृढ़ करना:** छात्रों में प्रश्न करने की आदत, साक्ष्य-आधारित तर्क और निष्पक्ष सहकर्मी समीक्षा को बढ़ावा देना, ताकि वे अनुमानों की बजाय तथ्यों पर भरोसा करना सीखें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उदाहरणत: **जलवायु विज्ञान को वास्तविक डेटा विश्लेषण के माध्यम से पढ़ाना** या **छात्रों को कक्षा में सरल प्रयोग डिज़ाइन करने के लिये मार्गदर्शन करना**, वैज्ञानिक सोच को **सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय जीवंत अनुभव** बनाता है।

- **STEM अवसंरचना को सुदृढ़ करना:** अच्छी तरह से सुसज्जित स्कूल प्रयोगशालाएँ, युवा नवप्रवर्तकों के लिये उपलब्ध अनुसंधान अनुदान या विश्वविद्यालय स्तर के इन्क्यूबेशन सेंटर ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जहाँ विचार नवाचार में बदल सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और वैक्सीन विकास** जैसे क्षेत्रों में भारत की सफलताएँ दर्शाती हैं कि ऐसे **पर्यावरण तथा प्रणालीगत ढाँचे** वैश्विक स्तर पर परिणाम दे सकते हैं।
- **भारत को ज्ञान-सृजक के रूप में:** नई प्रकार की निर्भरताओं से बचने के लिये भारत को केवल **ज्ञान का उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता** बनना चाहिये।
  - **ग्लोबल साउथ के मानक स्थापित करना:** पश्चिमी रैंकिंग को पीछे छोड़ते हुए भारत को ग्लोबल साउथ के लिये ऐसे मापदंड विकसित करने में नेतृत्व करना चाहिये, जो केवल उद्धरणों पर नहीं बल्कि वास्तविक विकासात्मक प्रभाव पर केंद्रित हों।
  - **अंतर-विषयक केंद्र:** ऐसे केंद्र स्थापित करना जहाँ संस्कृत विद्वान और कंप्यूटर वैज्ञानिक सहयोग करें (जैसे– IITs में कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स)। पाणिनि की व्याकरण प्रणाली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) के लिये अत्यंत प्रासंगिक है।
  - **"ग्लोकल" शोध एजेंडे:** ऐसे शोध को वित्तपोषित करना जो स्थानीय समस्याओं (जैसे– पराली जलाना, कुपोषण) का समाधान वैश्विक तकनीकों का उपयोग करके करना, बजाय इसके कि केवल पश्चिमी जर्नल्स में प्रकाशित होने के लिये विषयों का अनुसंधान किया जाए।

निष्कर्ष

शिक्षा का वि-उपनिवेशीकरण एक परिवर्तनकारी, सजावटी नहीं, प्रयास है। इसके लिये आयातित ज्ञान ढाँचे से हटकर ऐसा ढाँचा बनाना आवश्यक है जो बौद्धिक रूप से **भारतीय और वैज्ञानिक दृष्टि से वैश्विक** हो। सांस्कृतिक जड़ों और वैज्ञानिक-सामयिक आधुनिकता के मिश्रण के माध्यम से, भारत ऐसा पारिस्थितिक तंत्र तैयार कर सकता है जो आत्मविश्वासी, रचनात्मक और आलोचनात्मक रूप से जागरूक नागरिकों का निर्माण करे, जो न तो औपनिवेशिक प्रभावों के अधीन हों और न ही उभरती वैश्विक निर्भरताओं के।

प्रश्न : भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग से परे जाकर सामाजिक परिवर्तन के एक सशक्त साधन के रूप में भी कार्य किया। विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- संक्षेप में बताइये कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मात्र राजनीतिक स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य गहन सामाजिक परिवर्तन भी था।
- भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन - राजनीतिक स्वतंत्रता की खोज और सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली साधन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिये तर्क प्रस्तुत कीजिये।
- यह बताते हुए निष्कर्ष लिखिये कि इस आंदोलन ने एक समावेशी, लोकतांत्रिक और सामाजिक रूप से जागरूक भारतीय राष्ट्र की नींव रखी।

परिचय:

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन केवल औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष नहीं था, बल्कि एक व्यापक जुड़ाव भी था, जिसका लक्ष्य भारतीय समाज को परिवर्तित करना था। स्वराज की मांग के साथ-साथ, इसने गहराई से जमी हुई सामाजिक असमानताओं को संबोधित किया और एक नैतिक एवं सामाजिक रूप से पुनर्जीवित राष्ट्र के निर्माण का लक्ष्य रखा।

- उदाहरण के लिये, **गांधीजी के असहयोग आंदोलन (1920–22)** ने **खादी, जन समर्थन और अस्पृश्यता के विरुद्ध अभियान के माध्यम से सामाजिक सुधार** के साथ औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष को जोड़ा, जो आंदोलन के परिवर्तनकारी सामाजिक स्वरूप को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन- राजनीतिक स्वतंत्रता की खोज

- **संवैधानिक सुधार और प्रतिनिधित्व:** "नरमपंथी चरण" (1885–1905) के दौरान विधायी परिषदों में भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने और प्रशासन में भारतीयों को उनकी ही शासन-व्यवस्था में आह्वान करने के लिये नागरिक सेवाओं के **भारतीयकरण** की माँग की गई।
- **स्वराज (स्व-शासन):** वर्ष **1905 के बंगाल विभाजन** के बाद, **"चरमपंथियों" ने लक्ष्य को स्वराज में बदल** दिया। इसका अर्थ ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर प्रशासनिक स्वायत्तता था, जो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के समान था।
- **नागरिक स्वतंत्रताओं का दावा:** यह आंदोलन दमनकारी कानूनों (**जैसे- रॉलेट एक्ट और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट**) के विरुद्ध एक निरंतर संघर्ष था। इसने भाषण, सभा और प्रेस की स्वतंत्रता के राजनीतिक अधिकार की मांग की—जो आधुनिक लोकतंत्र की आधारशिला हैं।
- **पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वतंत्रता):** वर्ष 1929 तक, **कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने आधिकारिक रूप से पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया**, जिसमें ब्रिटिश संप्रभुता के पूर्ण अंत एवं एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की मांग की गई।

सामाजिक परिवर्तन के एक शक्तिशाली साधन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन

- **सामाजिक सुधार एक अभिन्न घटक के रूप में**
  - **सामाजिक बुराईयों का उन्मूलन: राजा राम मोहन राय** जैसे नेताओं द्वारा **सती प्रथा, बाल विवाह के विरुद्ध और विधवा पुनर्विवाह** के लिये सुधारवादी प्रयासों ने एक सुधारवादी राष्ट्रीय चेतना की प्रारंभिक नींव रखी।
  - **जाति और सामाजिक समानता:** आंदोलन ने समतावादी विचारों के प्रसार के माध्यम से जाति पदानुक्रम को चुनौती दी। **अस्पृश्यता के विरुद्ध गांधीवादी अभियानों** और जन आंदोलनों में दलितों को शामिल करने से सामाजिक भागीदारी व्यापक हुई।
  - **महिलाओं का उत्थान: असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलनों** में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने उनकी सार्वजनिक भूमिका को पुनर्परिभाषित किया, जिससे लैंगिक समानता एवं राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा मिला।
- **सांस्कृतिक और वैचारिक परिवर्तन**
  - **राष्ट्रीय पहचान का निर्माण:** आंदोलन ने **देशी प्रेस, राष्ट्रवादी साहित्य और खादी एवं राष्ट्रीय ध्वज जैसे प्रतीकों के माध्यम से एक साझा राष्ट्रीय पहचान** को बढ़ावा दिया।
  - **राजनीति का लोकतंत्रीकरण:** जन समर्थन, सत्याग्रह और रचनात्मक कार्यक्रमों ने भागीदारी, अनुशासन एवं अहिंसा के मूल्यों का संचार किया।
- **आर्थिक और शैक्षिक आयाम**
  - **स्वदेशी और आत्मनिर्भरता: स्वदेशी उद्योगों** का प्रचार आर्थिक आत्मनिर्भरता और श्रम की गरिमा के उद्देश्य से था।
  - **शैक्षिक सुधार: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया** जैसे राष्ट्रीय संस्थानों ने आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा दिया।
- **पंथनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव**
  - आंदोलन ने **"सर्व धर्म समभाव"** की भावना को संस्थागत बनाया। मौलाना आज़ाद एवं गांधी जैसे नेताओं ने ब्रिटिश "फूट डालो और शासन करो" नीति का सामना एक **मिश्रित संस्कृति (गंगा-जमुनी तहजीब)** को बढ़ावा देकर किया, जिससे धर्मनिरपेक्षता भविष्य के गणराज्य की एक आधारशिला बनी।
- **श्रमिक और किसान अधिकार**
  - आंदोलन ने अभिजात वर्ग और जनता के बीच के विभाजन को समाप्त किया। वर्ष 1920 में **अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC)** और **अखिल भारतीय किसान सभा** के गठन ने निष्पक्ष मज़दूरी एवं भूमि अधिकारों के संघर्ष को राष्ट्रीय एजेंडे में एकीकृत किया, जिससे सामंत शोषण को चुनौती मिली।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **जनजातीय एकीकरण और गरिमा:**
  - **मुंडा उलगुलान** और **रम्पा विद्रोह** जैसे जनजातीय विद्रोहों को साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष के रूप में मान्यता दी गई।
  - इसने **"जल, जंगल, ज़मीन" अधिकारों** की भावना को बढ़ावा दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जनजातीय पहचान राष्ट्रीय ढाँचे के भीतर संरक्षित रहे।

निष्कर्ष

इस प्रकार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने सामाजिक परिवर्तन के एक व्यापक परियोजना के रूप में कार्य किया, **जिसका लक्ष्य न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता, बल्कि सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक नवीनीकरण और नैतिक पुनर्जनन भी था, जिसने एक लोकतांत्रिक एवं समावेशी भारत की नींव रखी।**

प्रश्न : औपनिवेशिक भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद तथा स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने में स्वदेशी आंदोलन की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:
- स्वदेशी आंदोलन का उल्लेख करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- चर्चा कीजिये कि इसने आर्थिक राष्ट्रवाद को किस प्रकार सुदृढ़ किया।
- इसने स्वदेशी उद्योगों को किस प्रकार आकार दिया, तर्क दीजिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में हुई थी, जिसका उद्देश्य **स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देकर ब्रिटिश आर्थिक प्रभुत्व का प्रतिरोध** करना था। इसने राजनीतिक विरोध से **आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन** को चिह्नित किया। इस आंदोलन ने **औपनिवेशिक भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद की नींव** रखी।

आर्थिक राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन देने में भूमिका

- **विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार:** स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयों को **ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं,** विशेष रूप से वस्त्रों को अस्वीकार करने के लिये सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया, जो स्वदेशी उद्योगों के पतन के बाद भारतीय बाज़ारों में भर गए थे।
  - **विदेशी वस्त्रों की सार्वजनिक होलियाँ जलाकर** केवल विदेशी वस्तुओं को नष्ट नहीं किया गया, बल्कि वे **औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध प्रतीकात्मक प्रतिरोध का माध्यम** भी बनीं। इस प्रकार इन प्रतीकात्मक कृत्यों ने औपनिवेशिक आयात पर निर्भरता को कम करने का प्रयास किया तथा ब्रिटिश शासन की उस आर्थिक आधारशिला को चुनौती दी जो भारतीय बाज़ारों में विदेशी वस्तुओं की खपत पर टिकी हुई थी।
    - **स्वदेशी वस्तुओं** (भारतीय वस्तुओं) **को खरीदना एक देशभक्ति का कर्त्तव्य** बन गया।
- **राष्ट्रीय कर्त्तव्य के रूप में स्वदेशी वस्तुओं का अंगीकरण:** स्वदेशी का विचार **आर्थिक पहलुओं से परे एक नैतिक और देशभक्तिपूर्ण दायित्व** बन गया।
  - **बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और रवींद्रनाथ टैगोर** जैसे नेताओं ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को राष्ट्रीय आत्मसम्मान से जोड़ा, जिससे रोज़मर्रा की खपत राजनीतिक भागीदारी के एक कार्य में परिवर्तित हो गई।
- **औपनिवेशिक आर्थिक शोषण के प्रति जागरूकता:** इस आंदोलन ने औपनिवेशिक शोषण की समझ को लोकप्रिय बनाया विशेषत: दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित 'धन-निकास सिद्धांत' के माध्यम से।
  - **अखबारों, पर्चों और सार्वजनिक सभाओं** के माध्यम से जनता यह समझने लगी कि किस प्रकार ब्रिटिश नीतियाँ कच्चे माल के दोहन और स्थानीय उद्योगों के दमन के माध्यम से भारत को निर्धन बना रही थीं।
- **जन-आंदोलन और सामाजिक सहभागिता:** स्वदेशी अभियान ने **महिलाओं, छात्रों और शहरी मध्यम वर्ग सहित** समाज के व्यापक वर्गों को **आर्थिक प्रतिरोध में संगठित** किया।
  - **महिलाओं ने** खादी की कताई करके घरेलू स्तर पर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देकर और विदेशी दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन आयोजित करके आंदोलन में भाग लिया, जबकि छात्रों

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

ने सरकारी संस्थानों का बहिष्कार किया, जिससे आर्थिक राष्ट्रवाद एक सीमित अभिजात वर्ग का विचार न रहकर एक जन-आधारित आंदोलन बन गया।

स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने में भूमिका

- **हथकरघा, खादी और लघु उद्योगों का पुनरुत्थान:** स्वदेशी आंदोलन ने पारंपरिक शिल्पों और ग्राम उद्योगों को पुनर्जीवित किया, जो औपनिवेशिक औद्योगिक नीतियों के तहत पतन का शिकार हो गए थे।
  - खादी आर्थिक साधन के साथ-साथ प्रतीकात्मक माध्यम बनी, जिसने ग्रामीण रोज़गार को बढ़ावा दिया तथा स्वदेशी श्रम की गरिमा को पुनर्स्थापित किया।
    - इस पुनरुद्धार से **ग्रामीण आजीविकाओं को सुरक्षित रखने में सहायता** मिली तथा आयातित निर्मित वस्तुओं पर निर्भरता कम हुई।
  - स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की स्मृति में **प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस** मनाया जाता है।
- **स्वदेशी उद्यमों और संस्थानों का विकास:** इस आंदोलन ने **बंगाल केमिकल्स, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी** और कई स्वदेशी बैंकों एवं बीमा कंपनियों जैसे भारतीय स्वामित्व वाले उद्यमों की स्थापना को प्रेरित किया।
  - इसके अलावा, जमशेदजी टाटा ने वर्ष **1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (TISCO) की स्थापना** की। यह भारतीय औद्योगिक शक्ति और तकनीकी क्षमता का प्रतीक बन गई।
  - इन संस्थानों का उद्देश्य **आत्मनिर्भर औद्योगिक क्षमता का निर्माण** करना और **देश के भीतर पूंजी को बनाए रखकर ब्रिटिश आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती** देना था।
- **तकनीकी शिक्षा और उद्यमिता को प्रोत्साहन:** स्वदेशी उद्योगों को चलाने में सक्षम **कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिये तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा** पर ज़ोर दिया गया।
  - शैक्षणिक संस्थानों ने **वैज्ञानिक शिक्षा, उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित** किया, जिससे औपनिवेशिक नियंत्रण से स्वतंत्र एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई।
  - उदाहरण के लिये, स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित **राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (1906)** ने राष्ट्रीय, तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया, जिससे आत्मनिर्भर एवं आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की नींव रखी जा सके।
- **भविष्य की औद्योगिक नीति की नींव:** स्वदेशी के आदर्शों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाद के आर्थिक चिंतन को गहनता से प्रभावित किया।
  - **महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू** जैसे नेताओं ने आत्मनिर्भरता, राज्य के नेतृत्व वाले विकास एवं संतुलित औद्योगिक विकास पर केंद्रित स्वतंत्रता-उपरांत औद्योगिक नीतियों को आकार देने के लिये इसके सिद्धांतों का उपयोग किया।

आंदोलन की सीमाएँ

- **मूल्य असमानता: स्वदेशी वस्तुएँ (जैसे खादी)** प्रायः बड़े पैमाने पर उत्पादित ब्रिटिश सामानों की तुलना में **अधिक महँगी और कम परिष्कृत** होती थीं, जिससे **सबसे गरीब किसानों के लिये उन्हें खरीदना मुश्किल** हो जाता था।
- **राज्य के समर्थन का अभाव:** यूरोपीय देशों के विपरीत, **औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय उद्योगों को संरक्षणात्मक शुल्क प्रदान नहीं किये।** परिणामस्वरूप स्वदेशी उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्द्धा के प्रति सुभेद्य हो गए।

निष्कर्ष:

स्वदेशी आंदोलन ने **आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उद्यम को बढ़ावा देकर आर्थिक प्रतिरोध को एक व्यापक राष्ट्रवादी शक्ति में परिवर्तित कर दिया।** स्वदेशी उद्यमिता के माध्यम से इसने भारत के भावी आर्थिक राष्ट्रवाद और औद्योगिक विकास की वैचारिक एवं संस्थागत नींव स्थापित की।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भूगोल

प्रश्न : क्रायोस्फीयर (हिममंडल) में होने वाले परिवर्तनों, विशेष रूप से हिमालयी ग्लेशियरों के तीव्र विगलन से, भारत में नदी तंत्रों, आपदा जोखिमों तथा दीर्घकालिक जल सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- अपने उत्तर की शुरुआत प्रमुख शब्दों की परिभाषा देकर कीजिये।
- मुख्य भाग में यह स्पष्ट कीजिये कि क्रायोस्फीयर में होने वाले परिवर्तन किस प्रकार नदी तंत्र, आपदा जोखिम तथा दीर्घकालिक जल सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।
- प्रभाव को न्यूनतम करने के उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिये।

परिचय:

क्रायोस्फीयर पृथ्वी के जमे हुए घटकों जैसे हिमनद, हिमावरण (बर्फ की परत) और **हिम-छत्रक** से मिलकर बना होता है। हिमालयी हिमनद, जिन्हें **'तीसरा ध्रुव'** कहा जाता है, ध्रुवों के बाहर सबसे बड़े हिम भंडार को संजोए हुए हैं और **सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र** जैसी प्रमुख नदियों को जल प्रदान करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनदों का तीव्र विगलन नदी प्रवाह को बाधित कर रहा है, आपदा जोखिम को बढ़ा रहा है तथा भारत की दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिये गंभीर चुनौती उत्पन्न कर रहा है।

मुख्य भाग:

नदी प्रणालियों पर प्रभाव

- **नदी प्रवाह के बदले हुए पैटर्न:** अल्पकाल में हिमनदों के विगलन से नदियों में जल प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे ग्रीष्मकाल में अधिक प्रवाह देखने को मिलता है।
  - दीर्घकाल में निरंतर हिमनद क्षरण के कारण हिमनदों का द्रव्यमान घटता है, जिससे विशेषकर शुष्क ऋतुओं में आधार प्रवाह में कमी आती है।
  - ICIMOD के अध्ययनों के अनुसार, **कई हिमालयी नदी बेसिनों में मध्य शताब्दी तक जल उपलब्धता अपने चरम पर पहुँच सकती है, जिसके बाद इसमें गिरावट आने की संभावना है।**
- **जल उपलब्धता में मौसमी असंतुलन:** हिमनद-आधारित नदियाँ परंपरागत रूप से पूरे वर्ष (सदानीरा) प्रवाह सुनिश्चित करती थीं। बर्फ और हिम के भंडारण में कमी से यह संतुलनकारी क्षमता कमज़ोर होती जा रही है, जिससे नदियाँ अधिक वर्षा-निर्भर और अनियमित हो रही हैं।
- **अवसाद भार में वृद्धि एवं नदी चैनल की अस्थिरता:** हिमनदों के पीछे हटने पर उनके द्वारा छोड़े गए **ढीले मलबे (मोरीन)** की बड़ी मात्रा शेष रह जाती है।
  - तीव्र हिमनद विगलन के कारण यह अवसाद नदी प्रणालियों तक पहुँच जाता है, परिणामस्वरूप नदी तल में गाद (सिल्टेशन) का जमाव बढ़ जाता है।
  - इससे नदियों की जल वहन क्षमता घटती है, **नदी मार्गों का बार-बार स्थानांतरण होता** है तथा डाउनस्ट्रीम तटबंधों के टूटने का जोखिम बढ़ जाता है।

आपदा जोखिम में वृद्धि

- **हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOFs):** पीछे हटते हिमनद ढीले मोरीनों द्वारा अवरुद्ध अस्थिर हिमनदीय झीलों का निर्माण करते हैं। इनके आकस्मिक टूटने से डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आती है।
  - **उदाहरण:** उत्तराखंड में **वर्ष 2021 की चमोली आपदा** तथा वर्ष 2023 में सिक्किम की GLOF घटना ने यह स्पष्ट किया कि हिमनदों का ध्वंस और पिघला हुआ जल आकस्मिक बाढ़ को उत्प्रेरित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **आकस्मिक बाढ़ और भूस्खलन की बढ़ती आवृत्ति:** अधिक हिमनद विगलन के साथ तीव्र वर्षा का संयोजन ढालों की अस्थिरता को बढ़ाता है।
  - **हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम** जैसे हिमालयी राज्यों में **बादल फटने तथा भूस्खलनों की घटनाओं** में वृद्धि देखी गई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **पर्माफ्रॉस्ट विगलन एवं संरचनात्मक अस्थिरता:** उच्च ऊँचाइयों पर स्थित **पर्माफ्रॉस्ट (स्थायी रूप से जमी हुई भूमि) पर्वतीय ढालों को एक प्रकार के 'गोंद' की तरह बाँधकर रखता है।** इसके क्षरण से, अधिक वर्षा न होने पर भी, शैल-प्रपात (रॉकफॉल) और विशाल भूस्खलन की घटनाएँ होने लगती हैं, जिससे उच्च हिमालयी क्षेत्रों की अवसंरचना तथा ट्रेकिंग मार्ग जोखिम में पड़ जाते हैं।
  - **लाहौल-स्पीति क्षेत्र के उच्च ऊँचाई वाले भागों में बार-बार होने वाले शैल-प्रपातों** को प्राय: तापमान वृद्धि से उत्पन्न ढाल अस्थिरता से जोड़ा जाता है।
- **अवसंरचना के लिये खतरा:** नाजुक पर्वतीय भू-भाग में स्थित **सड़कें, जलविद्युत परियोजनाएँ और बस्तियाँ** क्रायोस्फेरिक अस्थिरता के कारण बढ़ते जोखिम का सामना कर रही हैं।

दीर्घकालिक जल सुरक्षा पर प्रभाव

- **पेयजल और सिंचाई पर दबाव:** लगभग **600 मिलियन लोग** प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिमालयी नदी प्रणालियों पर निर्भर हैं।
  - दीर्घकाल में हिमनदों से मिलने वाले जल में कमी से उत्तरी भारत में शहरी जल आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था पर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।
- **खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव:** इंडो-गंगा के मैदानों में कृषि निरंतर नदी प्रवाह पर निर्भर करती है। जल उपलब्धता में अस्थिरता से फसल उत्पादकता घट सकती है तथा भूजल पर निर्भरता बढ़ सकती है।
- **जलविद्युत में अनिश्चितता:** अल्पकाल में बढ़ा हुआ नदी प्रवाह विद्युत उत्पादन को बढ़ा सकता है, किंतु दीर्घकाल में प्रवाह में कमी और अवसाद भार की वृद्धि परियोजनाओं की व्यवहार्यता तथा सुरक्षा को प्रभावित करती है।
- **सीमा पार जल संबंधी चिंताएँ:** हिमालयी नदियाँ सीमा पार प्रकृति की हैं। नदी प्रवाह में परिवर्तन से पड़ोसी देशों के साथ भारत की जल कूटनीति से जुड़ी चुनौतियाँ और तीव्र हो सकती हैं।

प्रभाव को न्यूनतम करने के उपाय:

- उपग्रह मानचित्रण, द्रव्यमान-संतुलन अध्ययनों तथा **ISRO एवं ICIMOD** जैसी संस्थाओं के माध्यम से **हिमनद निगरानी और अनुसंधान** को सुदृढ़ किया जाएँ, ताकि क्रायोस्फीयर से संबंधित वास्तविक समय का डेटा उपलब्ध हो सके।
- **हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOFs), हिमस्खलन और आकस्मिक बाढ़** के लिये, विशेषकर संवेदनशील हिमालयी राज्यों में, प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ विकसित की जाएँ।
- वहन क्षमता और आपदा-जोखिम क्षेत्र आकलन के आधार पर जलविद्युत तथा सड़क परियोजनाओं को विनियमित कर **जलवायु-सहिष्णु अवसंरचना** को बढ़ावा दिया जाएँ।
- ऊपरी–निचले प्रवाह क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं में संतुलन स्थापित करने तथा मौसमी जल क्षरण को कम करने के लिये एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन अपनाया जाएँ।
- हिमनद-आधारित बेसिनों में **सूक्ष्म सिंचाई, वर्षा जल संचयन और मांग-पक्ष प्रबंधन** के माध्यम से जल उपयोग दक्षता बढ़ाई जाएँ।
- सीमा पार नदियों पर **डेटा साझाकरण, आपदा तैयारी और दीर्घकालिक जल सुरक्षा** के लिये **क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़** किया जाएँ।

निष्कर्ष:

हिमालयी हिमनदों का पीछे हटना नदी प्रणालियों को स्थिर अवस्था से अत्यधिक परिवर्तनशील अवस्था में परिवर्तित कर रहा है, जिससे आपदा जोखिम बढ़ रहे हैं और दीर्घकालिक जल सुरक्षा कमज़ोर हो रही है। इस चुनौती से निपटने के लिये **एकीकृत पर्वतीय शासन, सुदृढ़ हिमनद निगरानी, GLOFs के लिये प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ, जलवायु-सहिष्णु अवसंरचना तथा सतत जल प्रबंधन** की आवश्यकता है। आज अनुकूलन रणनीतियों को मज़बूत करना भारत के **पारिस्थितिक संतुलन, आजीविकाओं और भविष्य की जल सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिये अत्यंत आवश्यक है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारतीय विरासत और संस्कृति

प्रश्न : पारंपरिक भारतीय संस्कृति की नींव रखने में गुप्त काल के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। इसे किस हद तक 'स्वर्ण युग' माना जा सकता है? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- गुप्त काल का संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर लेखन की शुरुआत कीजिये।
- पारंपरिक भारतीय संस्कृति को आकार देने में इस काल के महत्त्व पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- 'स्वर्ण युग' की उपमा दिये जाने के पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय :

गुप्त काल भारतीय इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। इसे प्राय: पारंपरिक युग कहा जाता है, क्योंकि इसी दौर में कला, साहित्य, धर्म और प्रशासन से संबंधित वे मानक स्थापित हुए, जिन्होंने आगे आने वाली शताब्दियों तक भारतीय सभ्यता की रूपरेखा निर्धारित की।

मुख्य भाग:

पारंपरिक भारतीय संस्कृति को आकार देने में महत्त्व:

- **कला और स्थापत्य कला का सुदृढ़ीकरण**
  - **मंदिर स्थापत्य कला:** यह काल शिलाखंडों को तराशकर बनाए गए मंदिरों के संरचनात्मक शैलकृत मंदिरों में परिवर्तन का काल था।
    - **देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर** प्रारंभिक **नागर शैली** का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसमें शिखर और गर्भगृह जैसे उन अवयवों को समायोजित किया गया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में मानक बन गए।
  - **मूर्तिकला: सारनाथ और मथुरा शैलियों** में **आध्यात्मिक शांति, आदर्श अनुग्रह के सौंदर्यशास्त्र और सहजता** को प्रधानता दी गई, जो पूर्ववर्ती गांधार शैली के यथार्थवाद से भिन्न थी।
  - **चित्रकला: अजंता और बाघ के भित्तिचित्र** अभिव्यक्ति, रंग-संयोजन और सूक्ष्मता की निपुणता को दर्शाते हैं।
    - रंगों और परिष्कृत छायांकन तकनीकों के प्रयोग ने **श्रीलंका एवं दक्षिण-पूर्व एशिया तक की कलात्मक शैलियों को प्रभावित** किया।
- **साहित्यिक और भाषायी उत्कर्ष:**
  - **संस्कृत भाषा का प्रभुत्व:** संस्कृत प्रशासन, साहित्य और आभिजात्य संस्कृति की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई, जिसने **पूर्ववर्ती भाषायी प्रवृत्तियों का स्थान** ले लिया।
  - **पारंपरिक साहित्य:** यह **कालिदास का काल** था, जिनकी कृतियों, जैसे– **'अभिज्ञानशाकुंतलम्' और 'मेघदूतम्'** ने संस्कृत साहित्य के लिये स्वर्णिम मानक स्थापित किये।
- **वैज्ञानिक और बौद्धिक प्रगति**
  - **गणित और खगोल विज्ञान में प्रगति:** इस काल के दौरान गणित और खगोल विज्ञान में आर्यभट ने पृथ्वी के घूर्णन और π के सटीक मान जैसे विशिष्ट निष्कर्ष दिये।
    - **वराहमिहिर की 'बृहत् संहिता'** खगोल, मौसम, स्थापत्य कला और प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित एक विश्वकोशीय मार्गदर्शिका के रूप में प्रतिष्ठित हुई।
  - **धातुकर्म: दिल्ली का लौह स्तंभ,** जो एक सहस्राब्दी से भी अधिक समय से संक्षारण के प्रति अपने प्रतिरोध के लिये उल्लेखनीय है, गुप्तकालीन धातुकर्म के परिष्कार का प्रमाण है।
- **धार्मिक समन्वय**
  - इस काल में बौद्ध धर्म को मिलने वाले राजकीय संरक्षण में लगातार ह्रास हुआ तथा **पौराणिक हिंदू धर्म**, विशेषकर **वैष्णववाद और शैववाद का उदय** हुआ।
  - अवतारों की अवधारणा के लोकप्रिय होने से स्थानीय पंथों को व्यापक ब्राह्मणवादी कार्यढाँचे में एकीकृत करने का अवसर मिला, जिससे एक अधिक एकीकृत हिंदू धार्मिक पहचान का उदय हुआ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

'स्वर्ण युग' कहे जाने के पक्ष में तर्क

- **आर्थिक समृद्धि:** गुप्त शासकों के शासनकाल में जारी की गई बड़ी संख्या में स्वर्ण-मुद्राएँ, विशेष रूप से अभिजात वर्ग के बीच, दीर्घ-दूरी व्यापार और आर्थिक सुगमता का संकेत देती हैं।
- **राजनीतिक स्थिरता:** समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन ने राजनीतिक एकीकरण का वातावरण निर्मित किया, जिसे कभी-कभी **पैक्स गुप्त के रूप में भी वर्णित** किया जाता है। इस स्थिरता ने आर्थिक और सांस्कृतिक प्रसार को प्रोत्साहित किया।
- **सांस्कृतिक गौरव:** भारत की वैश्विक बौद्धिक प्रतिष्ठा बढ़ी। **नालंदा विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों ने चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया से छात्रों और भिक्षुओं को आकर्षित किया,** जिससे शिक्षा के केंद्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। नालंदा जैसे शिक्षण केंद्र चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के विद्वानों को आकृष्ट करते थे, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा ज्ञान-केंद्र के रूप में बढ़ी।

'स्वर्ण युग' कहे जाने के विरुद्ध तर्क (सामाजिक यथार्थ)

- **सामंतवाद का विकास:** ब्राह्मणों और अधिकारियों को दिये गए भूमि-अनुदानों ने **राजस्व, प्रशासन एवं न्यायाधिकारों का स्थानांतरण** किया, जिससे केंद्रीय सत्ता का क्षरण व सामंतवादी कार्यढाँचे का उद्भव हुआ।
  - इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ और सामंती संरचनाओं की नींव पड़ी, जिससे केंद्रीय नियंत्रण कमज़ोर हो गया।
- **सामाजिक असमानताएँ:**
  - **जाति व्यवस्था:** वर्ण-व्यवस्था अधिक कठोर होती गई।
  - **महिलाओं की स्थिति:** महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, अल्पायु विवाह का प्रचलन बढ़ा और **सती प्रथा के सबसे पुराने अभिलेखीय साक्ष्य इसी काल में** मिलते हैं।
  - **किसान वर्ग:** कृषक वर्ग पर कर-भार अधिक था।

निष्कर्ष

गुप्त काल निस्संदेह एक **सांस्कृतिक स्वर्णिम युग** था, जिसने कलात्मक शब्दावली, धार्मिक कार्यढाँचे, साहित्यिक प्रतिभा एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान किये, जिन्होंने सदियों तक भारतीय सभ्यता की दिशा निर्धारित की। फिर भी, यह **उत्कर्ष पूरे समाज में समान रूप से अनुभव नहीं किया गया।** सांस्कृतिक उपलब्धियों के **समानांतर सामाजिक विषमता, सामंतवादी प्रवृत्तियाँ और लैंगिक व जाति के स्तर पर असमानताएँ** भी सुदृढ़ होती गईं।

प्रश्न : पाल व चोल काल की कांस्य मूर्तिकला परंपराओं की तुलना कीजिये। ये कलागत भिन्नताएँ दोनों साम्राज्यों के सामाजिक-धार्मिक परिवेशों के अंतर को किस प्रकार प्रतिबिंबित करती हैं? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- काल का उल्लेख कीजिये और उनकी मूर्तिकला परंपरा का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- मुख्य भाग में सौंदर्यशास्त्रीय शैली, तकनीक और सामाजिक-धार्मिक संदर्भ के आधार पर दोनों की तुलना कीजिये।
- निष्कर्ष में उनकी विशिष्ट और अद्वितीय प्रकृति को रेखांकित कीजिये।

परिचय:

पाल (8वीं–12वीं शताब्दी ई.) और चोल (9वीं–13वीं शताब्दी ई.) साम्राज्यों ने भारत की दो सबसे परिष्कृत कांस्य मूर्तिकला परंपराओं का पोषण किया। जहाँ दोनों ने प्राचीन शास्त्रीय शैलियों से प्रेरणा ली, उनके शैलीगत चयन, विषय तथा तकनीक में महत्त्वपूर्ण अंतर था। ये अंतर उनके विभिन्न धार्मिक परिवेश, संरक्षक नेटवर्क एवं सांस्कृतिक भौगोलिक स्थितियों में निहित थे।

मुख्य भाग

रूप और सौंदर्य शैली

- **पाल कांस्य मूर्तियाँ:** इनकी **लंबी, दुबली आकृति और शांत चेहरे** उनकी विशेषता हैं। ये मूर्तियाँ **शांत, ध्यानमग्न मुद्रा** में दिखाई देती हैं, जो नालंदा, विक्रमशिला तथा ओदंतपुरी के **सामाजिक और भिक्षु-परंपरागत परिवेश** को दर्शाती हैं।
  - वस्त्राभूषण का चित्रण सूक्ष्म एवं रेखीय है और आभूषणों की सजावट पूर्वी भारतीय कला शब्दावली से प्रेरित है।
  - **उदाहरण के लिये अवलोकितेश्वर, तारा और मंजुश्री की कांस्य मूर्तियाँ।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **चोल कांस्य मूर्तियाँ:** चोल मूर्तियाँ सटीक, जीवंत आकृति और गतिशील मुद्राओं **(त्रिभंग, नटराज मुद्रा)** के लिये प्रसिद्ध हैं। इनका मुख्य ध्यान गति, जीवंतता तथा लयबद्ध सुंदरता पर केंद्रित है।
  - शिव नटराज की मूर्तियाँ तरलता, शारीरिक सटीकता और आदर्शीकृत मानव रूप को प्रदर्शित करती हैं।

तकनीक और शिल्प कौशल

- **पाल:** ये **लॉस्ट-वैक्स तकनीक** हेतु प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनमें **जटिल प्रतीकात्मकता और वज्रयान बौद्ध धर्म के लिये आवश्यक प्रतीकात्मक विशेषताओं** पर विशेष ध्यान दिया गया है।
  - पाल कलाकारों ने उच्च-टिन कांस्य का उपयोग किया, जिससे इन मूर्तियों में **विशिष्ट गहरी चमक उत्पन्न** होती थी।
  - **उदाहरण के लिये भूमि-स्पर्श मुद्रा में बैठे बुद्ध पाल काल के गहरे रंगीन फिनिश का एक विशिष्ट** उदाहरण हैं।
- **चोल: इन्होंने 'सिरे पेरद्यू' (लॉस्ट-वैक्स) तकनीक को बेमिसाल** निपुणता के साथ परिष्कृत किया। चोलों ने खोखले ढाले हुए, पोर्टेबल काँसे की मूर्तियाँ बनाईं, जिनका उपयोग मंदिर के जुलूसों में होता था और यह कला का सार्वजनिक अनुष्ठानों के साथ एकीकरण दर्शाता है।

सामाजिक-धार्मिक संदर्भ

- **पाल: महायान-वज्रयान बौद्ध धर्म** के संरक्षक के रूप में पाल शासकों ने विद्वानों और मठों की संस्कृति को बढ़ावा दिया। उनकी मूर्तियाँ मुख्य रूप से मठों, विद्वानों तथा धार्मिक अनुष्ठानों में लगे साधकों के लिये बनाई जाती थीं, इसलिये इनमें ध्यानमय एवं गूढ़ प्रतीकात्मक चित्रण दिखाई देता है।
  - **उदाहरण के लिये** काँसे की मूर्तियाँ, जैसे– **मंजुश्री और मैत्रेय** मुख्य रूप से मठों के **मंदिरों और तांत्रिक अनुष्ठानों** (ध्यान, मंडल दान तथा सुरक्षा संबंधी कर्मकांड) के लिये बनाई जाती थीं।
- **चोल: गहराई से मंदिर-केंद्रित, भक्ति-प्रधान समाज।** शाही संरक्षण ने शैव और वैष्णव भक्ति को बढ़ावा दिया इसलिये काँसे की मूर्तियाँ **उत्सवों (जुलूसों)** के लिये बनाई **जाती थीं,** जिससे देवता तथा भक्त के बीच निकटता एवं संवाद संभव हो सके।
  - **उदाहरण के लिये चोल शासन व्यवस्था मंदिर-केंद्रित और भक्ति-प्रेरित** थी।
  - **विष्णु और पार्वती की उत्सव मूर्तियाँ मंदिर पूजा और सार्वजनिक पर्वों** (जैसे जुलूस तथा अरुद्र/प्रदोष अनुष्ठान) के लिये निर्मित की जाती थीं।

निष्कर्ष

पाल और चोल कांस्य परंपराएँ, यद्यपि साझा भारतीय कलात्मक विरासत में निहित थीं, फिर भी अलग-अलग धार्मिक और सांस्कृतिक दिशाओं में विकसित हुईं। **पाल शैली बौद्ध बौद्धिक परंपरा तथा अनुष्ठानवाद को अभिव्यक्त करती है, जबकि चोल सौंदर्यशास्त्र सार्वजनिक भक्ति, आनुष्ठानिक गतिशीलता एवं मंदिर-केंद्रित धार्मिकता को दर्शाता है।** ये दोनों मिलकर मध्यकालीन भारतीय आध्यात्मिकता व शिल्प कौशल का एक समृद्ध स्वरूप प्रस्तुत करती हैं।

प्रश्न : प्रारंभिक ऐतिहासिक भारत की सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था को चुनौती देने में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। क्रांतिकारी आंदोलनों की तुलना में ये किस हद तक सुधारवादी प्रवृत्ति के प्रतीक थे? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- अपने उत्तर की भूमिका में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उद्भव की व्याख्या कीजिये।
- मुख्य भाग में यह स्पष्ट कीजिये कि इन धर्मों ने किस प्रकार तत्कालीन सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था को चुनौती दी।
- तर्क प्रस्तुत कीजिये कि ये धर्म सुधारवादी क्यों थे।
- उनके क्रांतिकारी विचार और सुधारात्मक कार्यों के समन्वय को दर्शाने वाले प्रमुख तर्क दीजिये।
- उचित निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिये।

परिचय

बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उद्भव प्रारंभिक ऐतिहासिक भारत में वैदिक व्यवस्था के भीतर बढ़ते **कर्मकांड, सामाजिक स्तरीकरण तथा पुरोहित प्रभुत्व** की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। विद्यमान सामाजिक

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

ढाँचे को पूरी तरह समाप्त करने के स्थान पर, इन धर्मों ने **नैतिक आचरण, वैराग्य तथा आध्यात्मिक समानता** को केंद्र में रखकर उसमें सुधार लाने का प्रयास किया।

मुख्य भाग:

सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था को चुनौती देने में बौद्ध और जैन धर्म की भूमिका:

- **कर्मकांड और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती:** दोनों धर्मों ने वैदिक यज्ञों की सर्वोच्चता और ब्राह्मण पुरोहितों की मध्यस्थ भूमिका को अस्वीकार किया।
  - कर्म (व्यक्तिगत प्रयास), **नैतिक आचरण** और ध्यान पर बल देकर इन्होंने **धार्मिक आचरण को कर्मकांड से मुक्त किया।**
  - **उदाहरण: ब्रह्मजाल सुत्त** में बुद्ध द्वारा पशुबलि और निरर्थक कर्मकांडों की आलोचना की।
- **धर्म की नैतिक एवं आचारगत पुनर्व्याख्या:** बौद्ध धर्म ने **अष्टांगिक मार्ग** का प्रतिपादन किया, जबकि **जैन धर्म ने अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद** पर विशेष बल दिया।
  - जटिल अनुष्ठानों के स्थान पर सरल नैतिक आचार संहिता के माध्यम से धर्म को जनसुलभ बनाया गया।
  - **उदाहरण:** जैन धर्म की अहिंसा की अवधारणा ने आगे चलकर भारतीय नैतिक परंपराओं को गहराई से प्रभावित किया।
- **सामाजिक पदानुक्रम और जातिगत कठोरता पर प्रश्नचिह्न:** दोनों परंपराओं ने जन्म आधारित आध्यात्मिक पदानुक्रम का विरोध किया और सभी वर्णों के लिये संन्यासिक जीवन का मार्ग उपलब्ध कराया।
  - इन्होंने **महिलाओं, व्यापारियों और निम्न सामाजिक समूहों** को गरिमा तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्रदान की।
  - **उदाहरण:** बौद्ध संघ में **उपालि** जैसे लोगों को शामिल किया गया, जो जन्म से नाई थे तथा श्वेतांबर परंपरा में जैन धर्म ने महिलाओं को भिक्षुणी बनने की अनुमति दी।
- **जनभाषाओं और जनसमूहों तक पहुँच:** शिक्षाओं का प्रचार **पाली, प्राकृत और अर्द्धमगधी** में किया गया, जिससे यह आम जनता के लिये सुलभ हो गई।
  - इससे संस्कृत और अभिजात वर्ग द्वारा नियंत्रित धार्मिक ज्ञान का एकाधिकार कमज़ोर हुआ।

सुधारवादी गतिविधियाँ बनाम क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में उनका स्वरूप:

- **नैतिक-आचारगत सुधार पर केंद्रित, संरचनात्मक उथल-पुथल पर नहीं: बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने सामाजिक या राजनीतिक संस्थाओं को ध्वस्त करने के बजाय,** नैतिक आचरण के माध्यम से व्यक्तिगत आचरण को बदलने का प्रयास किया।
  - इन धर्मों ने गृहस्थ अनुयायियों के लिये **राजतंत्र, निजी संपत्ति या पारिवारिक जीवन** को समाप्त करने की कोई मांग नहीं की।
  - यह दर्शाता है कि इनका रुख **सुधारवादी** था, जिसका उद्देश्य बाहरी सामाजिक क्रांति नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन था।
- **जाति प्रणाली के प्रति सीमित चुनौती:** भले ही उन्होंने **जन्म के आधार पर आध्यात्मिक श्रेष्ठता की धारणा को अस्वीकार किया,** फिर भी उन्होंने जाति प्रणाली को सामाजिक संस्था के रूप में सक्रिय रूप से चुनौती नहीं दी।
  - जहाँ ये धर्म फल-फूल रहे थे, वहाँ समाज में वर्ण व्यवस्था बनी रही।
    - **उदाहरण:** बौद्ध ग्रंथ गृहस्थ समाज में सामाजिक भेदभाव को मान्यता देते हैं, जबकि समानता का प्रमुख ध्यान केवल संघ (संगठित भिक्षु समुदाय) तक ही सीमित है।
- **मौजूदा सत्ता संरचनाओं के साथ संस्थागत समायोजन:** दोनों धर्मों को शासकों और अभिजात वर्ग से संरक्षण मिला, जिससे वे प्रचलित सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था में समाहित हो गए।
  - **उदाहरण: अशोक का बौद्ध धर्म को समर्थन** और जैन धर्म में व्यापारियों का संरक्षण इस तर्क का संकेत देता है कि इनका उद्देश्य सत्ता के साथ टकराव नहीं, बल्कि अनुकूलन था।
  - क्रांतिकारी आंदोलनों में आमतौर पर प्रभुत्व वाली सत्ता संरचनाओं का विरोध किया जाता है, जो यहाँ नहीं था।
- **परिवर्तन की क्रमिक और गैर-संघर्षात्मक पद्धति:** दोनों धर्मों के प्रसार में जन आंदोलन या जबरदस्ती की बजाय **प्रेरणा, संवाद और आदर्श आचरण** पर भरोसा किया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **बुद्ध का मध्य मार्ग और जैन धर्म में तपस्यानुरागात्मक अनुशासन** विकासात्मक परिवर्तन को दर्शाते हैं।
- इस प्रकार की विधियाँ **सुधारवादी आंदोलनों** की विशेषता होती हैं, न कि क्रांतियों की।

- **चयनात्मक सामाजिक समावेशन:** संन्यासिक आदेशों में प्रवेश सभी सामाजिक पृष्ठभूमियों के लिये खुला था, लेकिन त्यागी जीवन को सार्वभौमिक सामाजिक मॉडल के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया।
  - गृहस्थों के लिये परिवार, व्यवसाय और राजतंत्र के कर्त्तव्य वैध बने रहे।
  - इससे **सामाजिक निरंतरता** बनी रही, जबकि आध्यात्मिक आदर्शों में सुधार किया गया।
- **सामाजिक-आर्थिक पुनर्गठन के लिये कोई कार्यक्रम नहीं:** न तो बौद्ध धर्म और न ही जैन धर्म ने संपत्ति का पुनर्वितरण, कृषि संबंधों का पुनर्गठन या राजनीतिक सत्ता का रूपांतरण प्रस्तावित किया।
  - इनकी आलोचना मुख्यत: नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र तक सीमित रही।

क्रांतिकारी विचार और सुधारवादी कार्य का समन्वय:

- **वैचारिक क्रांति बनाम सामाजिक सुधार:** दार्शनिक रूप से, ये **क्रांतिकारी** थे क्योंकि इन्होंने वैदिक अविनाशी सिद्धांत के आधार पर प्रहार किया। एक सृष्टिकर्ता ईश्वर और जन्म आधारित आत्मा की पवित्रता को अस्वीकार करके, इन्होंने **'संज्ञानात्मक क्रांति'** (Cognitive Revolution) की शुरुआत की।
  - हालाँकि सामाजिक रूप से ये **सुधारवादी** रहे क्योंकि इन्होंने समाज को समान करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि मुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिये संघ (संगठित भिक्षु समुदाय) के माध्यम से एक **'निकासी मार्ग'** प्रदान किया।
- **'सुरक्षा वाल्व' प्रभाव:** निचली जातियों और महिलाओं को संन्यासिक आदेशों में शामिल करके, इन्होंने सामाजिक असंतोष के लिये एक आध्यात्मिक मार्ग प्रदान किया।
  - यह वास्तव में विद्यमान सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करने के बजाय उसे स्थिर करने में सहायता करता था, **क्योंकि 'क्रांति' मठ की दीवारों के भीतर सीमित रही।**
- **ब्राह्मण की पुन:परिभाषा, प्रतिस्थापन नहीं:** रोचक रूप से, बुद्ध प्राय: 'ब्राह्मण' शब्द का उपयोग उच्च नैतिक चरित्र वाले व्यक्ति के लिये करते थे (जैसे- **धम्मपद में**)।
  - यह दर्शाता है कि उनका उद्देश्य उच्चतम सामाजिक आदर्श को अपनाकर सुधारना था, न कि उसे पूरी तरह समाप्त करना।
- **लैंगिक संबंधी द्वंद्व:** महिलाओं (भिक्षुणी संघ) को स्वीकार करने में ये क्रांतिकारी थे, फिर भी मठ में भिक्षुणियों पर भिक्षुओं की तुलना में कड़े नियम लागू करके ये सुधारवादी/संरक्षणवादी बने रहे, जो उस समय के पितृसत्तात्मक बंधनों को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने **कर्मकांड, जातिगत कठोरता तथा पुरोहित प्रभुत्व** पर प्रश्न उठाकर **सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था** को महत्त्वपूर्ण रूप से चुनौती दी, लेकिन उन्होंने यह बदलाव अत्यधिक क्रांतिकारी तरीके से नहीं, बल्कि **नैतिक सुधार** के माध्यम से किया। उनका स्थायी प्रभाव **धार्मिक विचारों और नैतिक मूल्यों** को पुन: आकार देने में रहा, जबकि वे प्रारंभिक ऐतिहासिक भारत के व्यापक सामाजिक ढाँचे के भीतर ही कार्य करते रहे।

भारतीय समाज

प्रश्न : "भारतीय शहरीकरण केवल एक जनांकिकीय परिवर्तन नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत परिवर्तन है।" विश्लेषण कीजिये कि यह परिवर्तन किस प्रकार पहचान, सामाजिक संबंधों और स्थानिक असमानताओं को नया रूप दे रहा है? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के शहरी परिवर्तन के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- चर्चा कीजिये कि यह परिवर्तन किस प्रकार पहचानों, सामाजिक संबंधों और स्थानिक असमानताओं को पुनर्गठित कर रहा है, साथ ही प्रत्येक पक्ष के लिये मुख्य तर्क प्रस्तुत कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय

भारत **असाधारण गति से शहरीकरण** कर रहा है और अनुमान है कि **वर्ष 2036 तक 600 मिलियन लोग शहरों में** निवास कर रहे होंगे, जो **कुल जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत** होगा। यह केवल **जनांकिकीय परिवर्तन नहीं** है, बल्कि **पारंपरिक, कृषि-आधारित, संबंध-आधारित सामाजिक** जीवन-व्यवस्था से अधिक औद्योगिक, प्रवाही एवं अधिक **व्यक्तिवादी** सामाजिक संरचना की दिशा में एक गहन सभ्यतागत परिवर्तन है।

- जैसा कि **लुई विर्थ ने** ने कहा है, ***"शहरीकरण/अर्बनिज़्म एक विशिष्ट जीवन-शैली का रूप ले लेता है जिसके माध्यम से शहर सामाजिक मानकों, संबंधों और व्यवहारों को पुनर्परिभाषित करता है।"***

मुख्य भाग:

पहचानों का नया स्वरूप: परंपरा और आधुनिकता का अंतर्संबंध

- **जाति: रीतिगत नियंत्रण से राजनीतिक स्वरूप तक**
  - **अनुष्ठान का कमज़ोर होना:** शहर की गुमनामी (जैसे– भीड़ भरी बसें, कार्यालय कैंटीन) अस्पृश्यता और सामूहिक भोजन जैसी **रीतिगत बाध्यताओं की प्रथा को समाप्त** कर देती है।
  - **पहचान के रूप में लचीलापन:** किंतु जाति लुप्त नहीं होती, बल्कि नए रूप में उभरती है। यह राजनीतिक **लामबंदी और सामाजिक नेटवर्किंग** (जैसे– जाति-आधारित वैवाहिक वेबसाइट और आवासीय सहकारी समितियाँ) का माध्यम बनकर एक साधन के रूप में विकसित होती है।
- **लैंगिक परिप्रेक्ष्य: नए शहरी अवसर और उभरती चुनौतियाँ**
  - **सशक्तीकरण:** शहर महिलाओं को शिक्षा और रोज़गार तक अभिगम्यता प्रदान करते हैं, जिससे **पितृसत्तात्मक नियंत्रण कमज़ोर** होता है।
    - **'कामकाजी महिला'** की पहचान पारंपरिक घरेलू भूमिकाओं को चुनौती देती है।
  - **नई कमज़ोरियाँ:** यह बदलाव **कामकाज और घर का 'दोहरा बोझ' सृजन** करता है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है, जो महिलाओं के **'शहर में प्रवेश के अधिकार'** को सीमित करती है।
- **वर्ग बनाम जाति:**
  - एक **नई वर्ग-आधारित पहचान** उभर रही है, जो प्रायः व्यावसायिक हलकों में जाति को पीछे छोड़ देती है।
  - हालाँकि, कई मामलों में, **वर्ग और जाति एक-दूसरे से ओवरलैप** होते हैं (उदाहरण के लिये, उच्च जातियों और शहरी मध्यम वर्ग के बीच संबंध), जिससे **'जाति-वर्ग' सम्मिश्र संरचना** निर्मित होती है।

सामाजिक संबंधों का रूपांतरण: सामूहिकता से व्यक्तिगत तक

- **परिवार का संकुचन:**
  - संयुक्त परिवारों का स्थान **तीव्रता से एकल और नव-स्थापित परिवार** ले रहे हैं। रिश्तों में भावनात्मकता के स्थान पर अनुबंधीयता बढ़ रही है।
  - वृद्धजनों की देखभाल, जो कभी नैतिक कर्त्तव्य मानी जाती थी, अब औपचारिक संस्थानों (ओल्ड एज होम्स) को सौंपी जाने लगी है, जो पितृत्व-कर्त्तव्यों के मूल्यबोध में परिवर्तन का संकेतक है।
- **पड़ोस (मोहल्ला) की संस्कृति का पतन:**
  - उच्च सामाजिक निकटता और अनौपचारिक नियंत्रण वाला पारंपरिक **'मोहल्ला' जीवन,** अब अपार्टमेंट में रहने की अवैयक्तिकता अर्थात **अनामिक संपर्कों (लिफ्ट परिचित) की संस्कृति** में परिवर्तित होता जा रहा है।
  - सामाजिक पूंजी अब नातेदारी या पड़ोस के बजाय पेशेवर नेटवर्क का प्रमुख स्रोत बन रही है।
- **स्वैच्छिक संघटन:**
  - सामाजिक संबंध जन्म-आधारित संबंधों की अपेक्षा **रुचियों, व्यावसायिक हितों अथवा साझा उद्देश्यों पर आधारित स्वैच्छिक समूहों** (क्लब, यूनियंस, गैर-सरकारी संगठन) की ओर बढ़ रहे हैं, जो एक अधिक मेरिटोक्रेटिक (योग्यता आधारित) सामाजिक व्यवस्था की ओर परिवर्तन को इंगित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

स्थानिक विषमताएँ: 'द्वैध शहर' की संरचना

- **योजना-निर्मित पृथक्करण (गेटेड समुदाय बनाम मलिन बस्तियाँ):**
  - **गेटेड समुदाय:** गेटेड कम्युनिटीज़ **'सफल लोगों के अलगाव' की परिचायक** हैं। ये वैश्वीकृत जीवन-द्वीप हैं जहाँ निजी सुरक्षा, जल और बिजली की सुविधा तो उपलब्ध है, लेकिन नागरिक नेटवर्क से कटे हुए हैं।
  - **झुग्गी-झोपड़ियाँ/अनौपचारिक बस्तियाँ:** इसके विपरीत, शहरी भारत का लगभग 17% से अधिक हिस्सा झुग्गी-झोपड़ियों में रहता है (जनगणना 2011)। **धारावी** जैसी जगहें उस 'सेवा वर्ग' का प्रतिनिधित्व करती हैं जो **शहर को शक्ति** प्रदान करता है, लेकिन उसे **औपचारिक आवास से वंचित** रखा जाता है।
- **यहूदी बस्ती:**
  - चिंताजनक बात यह है कि **भारतीय शहरों में धर्म और जाति के आधार पर आवासीय अलगाव** देखा जा रहा है।
    - अध्ययनों से पता चलता है कि **दलितों और मुसलमानों को प्राय: विशिष्ट बस्तियों में** सीमित कर दिया जाता है, जिससे मुख्यधारा की शैक्षणिक और नागरिक अवसरों तक उनकी अभिगम्यता सीमित हो जाती है।
- **परिधीय संकट:**
  - शहरी विस्तार के परिणामस्वरूप विकसित होने वाला **'पेरि-अर्बन'** क्षेत्र ग्रामीण प्रवासियों को शहर की अर्थव्यवस्था में तो समाहित करता है किंतु उन्हें नगर निगम अधिकारों, आधारभूत सेवाओं और सामाजिक एकीकरण से दूर रखता है।

निष्कर्ष

इस गहन सामाजिक-स्थानिक रूपांतरण को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिये भारत को **'अनियोजित शहरीकरण' से 'समावेशी शहरीकरण'** (SDG 11– सतत शहर एवं संतुलित समुदाय) **की ओर बढ़ने** की आवश्यकता है। इसके लिये ऐसी नागर-योजनाएँ आवश्यक हैं, जो **स्थानिक पृथक्करण की बजाय सामाजिक समेकन** (जैसे– मिश्रित आय आवास) को बढ़ावा दे सकें, ताकि **प्रवासी मज़दूर से लेकर मध्यवर्गीय पेशेवर** तक प्रत्येक व्यक्ति उस **शहर में समान हिस्सेदारी का अधिकार प्राप्त कर सके** जिसके निर्माण में वह अपने श्रम एवं संसाधनों का निरंतर योगदान दे रहा है।

प्रश्न : भारतीय समाज में संयुक्त परिवार व्यवस्था से एकल परिवार और एकल-व्यक्ति परिवारों की ओर एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है। इस परिवर्तन को प्रेरित करने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों की विवेचना कीजिये तथा सामाजिक सुरक्षा और देखभाल प्रणालियों पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- संयुक्त परिवार व्यवस्था से एकल परिवारों की ओर होने वाले परिवर्तन को परिभाषित करते हुए उत्तर लेखन की शुरुआत कीजिये।
- उन कारणों का परीक्षण कीजिये, जिनके कारण यह परिवर्तन हो रहे हैं।
- सामाजिक सुरक्षा और देखभाल प्रणाली पर इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारतीय समाज **संयुक्त परिवार की संरचनाओं से एकल और एकल-व्यक्ति परिवारों** की ओर एक क्रमिक परिवर्तन का साक्षी है। यह परिवर्तन आधुनिकीकरण, शहरीकरण और जनांकिकीय वृद्धावस्था के साथ होने वाले गहन जनांकिकीय, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाता है।

- **वर्ष 2001 और 2011** के बीच, भारत में **एकल परिवार प्रमुख परिवार प्रारूप के रूप में उभरे हैं**, जिसका हिस्सा **51.7% (19.31 करोड़ परिवारों में से 9.98 करोड़) से बढ़कर 52.1% (24.88 करोड़ परिवारों में से 12.97 करोड़)** हो गया, जो संयुक्त परिवार की संरचनाओं से दूर एक स्थिर परिवर्तन को रेखांकित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक

- **सामाजिक कारक:**
  - **शहरीकरण और प्रवास:** जनगणना 2011 के अनुसार, 45 करोड़ से अधिक आंतरिक प्रवासी मौजूद हैं, जिनमें से कई काम और शिक्षा के लिये स्थानांतरित होते हैं, जिससे परिवार विखंडित होते हैं।
  - **परिवर्तित लैंगिक भूमिकाएँ:** राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019–21) से पता चलता है कि **महिला शिक्षा और कार्यबल भागीदारी** में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे संयुक्त परिवार समर्थन पर निर्भरता कम हुई है।
  - **जनांकिकीय परिवर्तन:** घटती प्रजनन दर (**कुल प्रजनन दर 2.0, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5**) परिवार के आकार को कम करती है, जिससे संयुक्त परिवार कम व्यवहार्य हो जाते हैं।
- **आर्थिक कारक:**
  - **कृषि से सेवा अर्थव्यवस्था में बदलाव:** गैर-कृषि रोज़गार परिवार-आधारित व्यवसायों पर गतिशीलता को प्राथमिकता देता है।
  - **आवास की कमी:** शहरी आवास की कमी और उच्च किराया लागत एकल परिवारों को पक्षधर बनाती है।
  - **आय का व्यक्तिकरण:** वेतन-आधारित रोज़गार रिश्तेदारों के बीच आर्थिक अंतर्निर्भरता को कमज़ोर करता है।
- **सांस्कृतिक कारक:**
  - **व्यक्तिवाद का उदय:** विवाह में विलंब, **अकेले रहने और तलाक** की बढ़ती स्वीकार्यता।
  - **वैश्वीकरण:** मीडिया एक्सपोजर एवं उपभोक्ता संस्कृति निजता और स्वायत्तता को बढ़ावा देती है।
  - **पितृसत्तात्मक प्राधिकार का क्षरण:** युवाओं और महिलाओं के लिये निर्णय लेने की अधिक स्वायत्तता।

सामाजिक सुरक्षा और देखभाल प्रणालियों पर प्रभाव

- **औपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों पर बढ़ता बोझ:** संयुक्त परिवारों में गिरावट ने पारंपरिक समर्थन तंत्रों को कमज़ोर कर दिया है, जिससे **राज्य के नेतृत्व वाली सामाजिक सुरक्षा** जैसे **वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और कल्याणकारी योजनाओं** पर निर्भरता बढ़ी है, विशेष रूप से वृद्ध एवं एकल-व्यक्ति परिवारों के लिये।
- **वृद्ध देखभाल की कमी:** बढ़ती वृद्ध आबादी और कम परिवार के देखभालकर्त्ताओं के साथ, **संस्थागत एवं समुदाय-आधारित वृद्ध देखभाल**, जिसमें डे-केयर सेंटर, असिस्टेड लिविंग सुविधाएँ तथा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल हैं, की मांग में वृद्धि है।
- **बच्चों के देखभाल और देखभाल सेवाओं पर दबाव:** कामकाजी माता-पिता वाले एकल परिवार **क्रेच, आँगनवाड़ी और निजी बाल देखभाल** पर अधिक निर्भर हैं, जिससे प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं विकास अवसंरचना पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
- **देखभाल असमानताओं में वृद्धि:** गुणवत्तापूर्ण देखभाल तक पहुँच आय पर निर्भर होती जा रही है, जिससे उन लोगों के बीच असमानताएँ उत्पन्न होती हैं जो निजी सेवाओं का खर्च उठा सकते हैं और जो कम संसाधन वाली सार्वजनिक प्रणालियों पर निर्भर हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक अलगाव की चिंताएँ:** एकल-व्यक्ति परिवार और वृद्ध जोड़े **अकेलेपन, अवसाद तथा सामाजिक अलगाव** के उच्च जोखिम का सामना करते हैं, जिसके लिये मज़बूत मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं एवं समुदाय संलग्नता पहलों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

हालाँकि एकल और एकल-व्यक्ति परिवारों की ओर परिवर्तन सामाजिक-आर्थिक प्रगति का प्रतीक है, यह पारंपरिक देखभाल नेटवर्क को कमज़ोर करता है। तेज़ी से बदलते समाज में समावेशी और गरिमापूर्ण सामाजिक समर्थन सुनिश्चित करने के लिये **भारत को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा समुदाय-आधारित देखभाल प्रणालियों को सुदृढ़** करने की आवश्यकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : समकालीन भारतीय समाज में संचार के स्वरूप, जन-संगठन (मोबिलाइज़ेशन) तथा पहचान-निर्माण की प्रक्रियाओं को सोशल मीडिया ने किस प्रकार रूपांतरित किया है, चर्चा कीजिये? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- सोशल मीडिया के प्रभाव को उजागर करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- समकालीन भारतीय समाज में सोशल मीडिया द्वारा किये गए परिवर्तनों पर चर्चा कीजिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सोशल मीडिया समकालीन भारतीय समाज को आकार देने वाली सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक है। स्मार्टफोन के व्यापक एक्सेस और किफायती इंटरनेट के कारण डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लोगों के संवाद करने, संगठित होने और सामाजिक पहचान गढ़ने के तरीकों को मूलत: रूपांतरित कर दिया है। **राजनीतिक सहभागिता से लेकर सांस्कृतिक अभिव्यक्ति** तक सोशल मीडिया ने **भारत में सार्वजनिक विमर्श और सामाजिक संपर्क की प्रकृति को पुनर्परिभाषित** किया है।

संप्रेषण के पैटर्न में परिवर्तन:

- **अभिव्यक्ति का लोकतंत्रीकरण:** X (Twitter), Instagram और YouTube जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने साधारण नागरिकों को मीडिया संस्थानों या राजनीतिक अभिजात वर्ग जैसे पारंपरिक मध्यस्थों के बिना अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हुआ है तथा उपेक्षित समूह की आवाज़ों को अधिक प्रतिध्वनि मिली है।
  - इससे **सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार** हुआ है तथा **उपेक्षित समूह की आवाज़ों को अधिक प्रतिध्वनि** मिली है।
- **त्वरित और इंटरैक्टिव संचार:** अब सूचना वास्तविक समय में प्रसारित होती है, जिससे चुनाव, विरोध प्रदर्शन या आपदा जैसी घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रियाएँ संभव हो पाती हैं।
- शशि थरूर जैसे राजनेता 'Instagram Live' और 'X Spaces' के माध्यम से युवाओं के प्रश्नों का सीधे उत्तर देते हैं, जिससे **राजनीतिक प्रक्रिया संस्थागत के बजाय व्यक्तिगत प्रतीत** होने लगती है।
  - **नेताओं और नागरिकों के बीच दोतरफा संचार** ने एकतरफा सूचना प्रवाह का स्थान ले लिया है।
  - **शशि थरूर जैसे राजनेता युवाओं के सवालों का सीधे जवाब देने के लिये इंस्टाग्राम लाइव और एक्स स्पेसेस का** इस्तेमाल करते हैं, जिससे राजनीतिक प्रक्रिया संस्थागत होने के बजाय व्यक्तिगत प्रतीत होती है।
- **वैकल्पिक मीडिया क्षेत्रों का उदय:** स्वतंत्र पत्रकार, इन्फ्लूएंसर्स और नागरिक संवाददाताओं का भी उदय हुआ है, जो मुख्यधारा के नैरेटिव को चुनौती देते हुए सूचना के स्रोतों में विविधता लाते हैं। हालाँकि कभी-कभी इसकी कीमत विश्वसनीयता एवं सत्यापन के स्तर पर चुकानी पड़ती है।
  - **नीतीश राजपूत** जैसे रचनाकार जटिल नीतिगत मुद्दों को सरल बनाने के लिये रचनात्मक अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं, जिससे डिजिटल-प्रथम पीढ़ी के लिये एक नई **एड्यूटेनमेंट श्रेणी का निर्माण** होता है।

संगठन और सामूहिक कार्रवाई में परिवर्तन:

- **डिजिटल लामबंदी और सक्रियता:** सोशल मीडिया विरोध प्रदर्शनों, अभियानों और सामाजिक आंदोलनों जैसे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों, किसानों के विरोध प्रदर्शनों एवं महिला अधिकार अभियानों को संगठित करने का एक प्रमुख साधन बन गया है।
  - **हैशटैग और ऑनलाइन अभियान विभिन्न क्षेत्रों में तीव्रता से समर्थन जुटाने में सहायता** करते हैं।
  - **#JusticeForNirbhaya और #JusticeForSSR आंदोलनों** ने दिखाया कि डिजिटल शोक किस प्रकार शीघ्र ही सड़क पर उतरने वाले विरोध-प्रदर्शनों में परिवर्तित हो सकता है।
- **भागीदारी की बाधाओं में कमी:** जो वर्ग पहले औपचारिक राजनीतिक प्रक्रियाओं से बाहर थे— जैसे: युवा, महिलाएँ और उपेक्षित समुदाय, न्यूनतम संसाधनों के साथ सक्रियता में शामिल हो सकते हैं।
- **विचारों और प्रति-विमर्श का तीव्र प्रसार:** जहाँ एक ओर सोशल मीडिया संगठन को सक्षम बनाता है, वहीं दूसरी ओर यह

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रति-कथाओं, गलत सूचना और ध्रुवीकरण का भी तेज़ी से प्रसार करता है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है।

- **व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी** की परिघटना— जिसमें अप्रमाणित स्वास्थ्य या राजनीतिक दावे का संचार होता है, ने सरकार को सामाजिक अशांति रोकने हेतु तथ्य-जाँच इकाइयाँ स्थापित करने के लिये विवश किया है।

पहचान निर्माण में परिवर्तन:

- **डिजिटल पहचान का निर्माण:** सोशल मीडिया व्यक्तियों को भाषा, विचारधारा, पेशे, जाति, लिंग या क्षेत्रीय संबद्धता के आधार पर पहचान बनाने में सहायता करता है, जिससे स्व-धारणा और दूसरों के प्रति धारणा दोनों में परिवर्तन आता है।
- **सामूहिक पहचानों का सुदृढ़ीकरण:** ऑनलाइन प्लेटफॉर्म समूह की पहचानों (राजनीतिक, धार्मिक या सांस्कृतिक) को सुदृढ़ करते हैं, प्राय: ऐसे इको-चैंबर्स बनाते हैं जो समूह के भीतर एकजुटता को मज़बूत करते हैं, लेकिन सामाजिक सामंजस्य को कमज़ोर करते हैं।
  - यह **प्रवृत्ति स्प्लिंटरनेट** के उदय से और भी गहरी हो गई है, जहाँ राज्य-संचालित नियंत्रणों एवं सेंसरशिप— जैसे कि **चीन की ग्रेट फायरवॉल** के कारण खंडित डिजिटल स्पेस उभरते हैं, जो अंतर-सांस्कृतिक संवाद को सीमित करते हैं तथा संकुचित विश्वदृष्टियों को मज़बूत करते हैं।
- **परंपरा और आधुनिकता का सामंजस्य:** डिजिटल क्षेत्र ऐसे मंच बन गए हैं, जहाँ पारंपरिक मानदंडों पर सवाल उठाए जाते हैं और उनकी पुनर्व्याख्या की जाती है, विशेष रूप से युवाओं एवं महिलाओं द्वारा, जिससे सामाजिक मूल्यों एवं आकांक्षाओं का विकास होता है।

निष्कर्ष:

सोशल मीडिया ने सहभागिता का विस्तार करते हुए और सार्वजनिक विमर्श को नया रूप देकर समकालीन भारत में **संचार, संगठन और पहचान को मूल रूप से रूपांतरित** कर दिया है। हालाँकि, इसकी **परिवर्तनकारी शक्ति को ज़िम्मेदार शासन, डिजिटल साक्षरता और नैतिक प्रतिबद्धता के साथ संतुलित करना आवश्यक है** ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह समाज को खंडित करने के बजाय लोकतंत्र को मज़बूत करे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-2

राजनीति और शासन

प्रश्न : "पंथनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल धर्म और राज्य के पृथक्करण के संदर्भ में नहीं है, बल्कि राज्य का सभी धर्मों के साथ न्यायपूर्ण और संतुलित रूप से सैद्धांतिक संलग्नता है।" हाल के नीति-विवादों के आलोक में इस कथन पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारतीय पंथनिरपेक्षता के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- 'संलग्नता बनाम पृथक्करण' (Engagement vs Separation) के रूप में भारतीय पंथनिरपेक्षता की प्रमुख विशेषताओं पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- इससे संबंधित समकालीन नीतिगत विवादों को रेखांकित कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

यह कथन भारतीय पंथनिरपेक्षता की उस विशिष्ट प्रकृति को रेखांकित करता है जिसे राजनीतिक सिद्धांतकार राजीव भार्गव **'प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस'** अर्थात् **'सैद्धांतिक पृथक्करण'** कहते हैं। **पंथनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल** (उदाहरण: अमेरिका) जहाँ **'चर्च और स्टेट (राज्य) के बीच पृथक्करण'** की कठोर दीवार की परिकल्पना करता है, वहीं भारतीय संविधान एक सक्रिय संलग्नता को अनिवार्य बनाता है।

- राज्य **धार्मिक बहुलता का सम्मान** करते हुए **समानता, न्याय और गरिमा** जैसे महत्त्वपूर्ण **सामाजिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिये हस्तक्षेप** करता है, **न कि निष्क्रिय दूरी बनाए रखता है।**

मुख्य भाग:

भारतीय पंथनिरपेक्षता: संलग्नता बनाम पृथक्करण

पश्चिमी मॉडल में राज्य और धर्म परस्पर पृथक् क्षेत्रों में कार्य करते हैं। भारत में राज्य धर्म के साथ निम्न रूपों में संलग्न होता है:

- **सामाजिक कुरीतियों का सुधार:** अस्पृश्यता (अनुच्छेद 17) या धार्मिक व्यक्तिगत विधियों के भीतर लैंगिक भेदभाव जैसी प्रथाओं का उन्मूलन करना।
- **संस्थागत प्रबंधन:** धार्मिक संस्थाओं के पंथनिरपेक्ष पहलुओं (वित्तीय/प्रशासनिक) का नियमन (अनुच्छेद 25(2)(a)) करना।
- **समानता सुनिश्चित करना:** अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को भेदभाव रहित सहायता प्रदान करना (अनुच्छेद 30)।

प्रमुख हालिया नीतिगत विवाद

- **समान नागरिक संहिता (UCC) पर विवाद**
  - **प्रसंग: अनुच्छेद 44** राज्य को समान नागरिक संहिता (UCC) सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। हाल ही में, **उत्तराखंड जैसे राज्यों ने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू** करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
  - **सिद्धांत आधारित संलग्नता:** समर्थकों का तर्क है कि लैंगिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिये राज्य को **धार्मिक आस्था को सामाजिक प्रथाओं (विवाह, उत्तराधिकार) से अलग करने के लिये हस्तक्षेप (अनुच्छेद 14)** करना चाहिये।
  - **आलोचना:** विरोधियों का तर्क है कि यह संलग्नता **अंतरात्मा की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) का उल्लंघन** करती है तथा राज्य विविध सांस्कृतिक प्रथाओं में **आंतरिक सुधार के स्थान पर समानता थोपने का प्रयास** कर रहा है।
- **मंदिरों का राज्य प्रबंधन (HR और CE अधिनियम)**
  - **प्रसंग:** विभिन्न राज्य सरकारें (जैसे– तमिलनाडु, कर्नाटक) हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती **(HR & CE) अधिनियमों** के माध्यम से **हिंदू मंदिरों के वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों को नियंत्रित** करती हैं।
  - **सिद्धांत आधारित संलग्नता:** इसका औचित्य **सार्वजनिक धन के कुप्रबंधन को रोकना** तथा **सभी जातियों के लिये समान प्रवेश** (सामाजिक सुधार) उपलब्ध कराना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **आलोचना:** आलोचकों का तर्क है कि यह कार्य **चयनात्मक** है, क्योंकि **मस्जिदों या चर्चों पर इसी प्रकार का नियंत्रण शायद ही कभी** किया जाता है, जिससे समदूरी के सिद्धांत पर प्रश्न उठता है।

आवश्यक धार्मिक प्रथाएँ (हिजाब और तीन तलाक)

- **तीन तलाक (शायरा बानो मामला):** सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल **तीन तलाक को अमान्य** घोषित कर दिया।
  - यह राज्य द्वारा (न्यायपालिका के माध्यम से) धार्मिक हठधर्मिता के ऊपर **व्यक्तिगत गरिमा को प्राथमिकता** देने का स्पष्ट उदाहरण था।
- **हिजाब विवाद:** कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि **हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा (ERP) नहीं** है।
  - **निहितार्थ:** यह सार्वजनिक व्यवस्था नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर राज्य को शैक्षणिक संस्थानों जैसे (स्कूलों) **पंथनिरपेक्ष क्षेत्रों में धार्मिक पोशाक को विनियमित करने की राज्य की शक्ति** को बरकरार रखता है तथा इस बात को पुष्ट करता है कि **धार्मिक स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं** है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)

- **प्रसंग:** CAA पड़ोसी देशों से आए उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है परंतु मुसलमानों को इससे बाहर रखता है।
- **विवाद:**
  - **सरकार का रुख:** यह उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिये एक **सकारात्मक प्रयास** (सकारात्मक कार्रवाई) है।
  - **आलोचना:** आलोचकों का तर्क है कि यह **नागरिकता के लिये धर्म को एक मानदंड के रूप में प्रस्तुत करके पंथनिरपेक्षता की मूल संरचना का उल्लंघन** करता है तथा राज्य को सिद्धांतबद्ध संलग्नता से धार्मिक बहिष्कार की ओर स्थानांतरित करता है।

वक्फ (संशोधन) विवाद

- **प्रसंग: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025** के लागू होने से धार्मिक न्यासों पर राज्य के नियंत्रण की सीमा पर विवाद छिड़ गया है।
- **सैद्धांतिक संलग्नता:** सरकार का तर्क है कि **पारदर्शिता** सुनिश्चित करने, **भूमि कुप्रबंधन को रोकने** और **महिलाओं (लैंगिक न्याय)** को शामिल करने के लिये **वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना आवश्यक** है।
- **आलोचना:** आलोचकों का तर्क है कि संलग्नता के बजाय यह नियंत्रण **अत्यधिक हस्तक्षेप** है।
  - उनका तर्क है कि इस्लामी संस्थाओं के प्रशासन में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना **अनुच्छेद 26** (धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता) का उल्लंघन है और **आंतरिक धार्मिक प्रशासन पर राज्य की इच्छा को थोपते हुए सिद्धांतबद्ध दूरी का उल्लंघन** करता है।

निष्कर्ष:

पंथनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल 'लाइव एंड लेट लाइव' अर्थात् एक निष्क्रिय "जियो और जीने दो" रणनीति नहीं है, बल्कि यह एक **गतिशील, हस्तक्षेपकारी परियोजना** है जिसका उद्देश्य एक **पारंपरिक समाज को एक आधुनिक, समतावादी समाज में बदलना** है। हालाँकि, इस मॉडल की सफलता के लिये यह **संलग्नता पूरी तरह से सिद्धांत-आधारित** होना चाहिये, जो **राजनीतिक स्वार्थ के बजाय संवैधानिक नैतिकता द्वारा निर्देशित हो।**

प्रश्न : यद्यपि डिजिटल शासन पहलों का उद्देश्य उत्तरदायी तथा पारदर्शी शासन व्यवस्था का निर्माण करना है, परंतु इनसे अनेक बार विद्यमान सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को बढ़ाने का जोखिम भी उत्पन्न होता है। भारत द्वारा प्रवर्तित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) की पृष्ठभूमि में इस विरोधाभास का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- DPI के तीव्र विस्तार और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं में निहित इसके विरोधाभास का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- मुख्य भाग में डिजिटल पहल के सकारात्मक पहलुओं के साथ-साथ विरोधाभासों और कारणों का विवरण दीजिये।
- विरोधाभासों को दूर करने के उपाय सुझाइये।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

भारत की तेज़ी से बढ़ती डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)—जो **आधार, UPI, CoWIN, DigiLocker** जैसे प्लेटफॉर्मों पर आधारित है—को पारदर्शिता बढ़ाने और सेवा वितरण में सुधार के लिये सराहा गया है। ओपन और इंटरऑपरेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य का उद्देश्य कल्याणकारी सेवाओं तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाना है।

- हाल ही में **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** ने आधिकारिक रूप से **UPI** को लेन-देन की मात्रा के आधार पर **रीयल-टाइम डिजिटल भुगतान में विश्व का अग्रणी सिस्टम** घोषित किया है।

मुख्य भाग:

भारत में DPI का विरोधाभास

- **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)** को **डिजिटल-डिफॉल्ट शासन के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने, लीकेज कम करने** और सेवा वितरण में सुधार करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है।
- हालाँकि भारत की **गहरी सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ** - **आय, जाति, लिंग, शिक्षा और क्षेत्र के मामले में** - डिजिटल टूल्स और **अवसरों तक असमान पहुँच** बनाती हैं।
- इसके परिणामस्वरूप, **सशक्तीकरण और समावेशन** के उद्देश्य से विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म कभी-कभी **अनपेक्षित रूप से उन व्यक्तियों** को हाशिये पर धकेल देते हैं या वंचित कर देते हैं जिनके पास आवश्यक उपकरण, इंटरनेट कनेक्टिविटी या पर्याप्त डिजिटल साक्षरता नहीं होती।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) शासन को कैसे बेहतर बनाता है -सकारात्मक पक्ष

- **लीकेज और भ्रष्टाचार में कमी:** आधार-आधारित **डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)** यह सुनिश्चित करता है कि **LPG (पहल/PAHAL) और पेंशन जैसी सब्सिडी सीधे लाभार्थियों तक पहुँचे,** जिससे मध्यस्थों की भूमिका समाप्त होती है और फर्जी/डुप्लिकेट खातों पर अंकुश लगती है।
- **सेवा वितरण की दक्षता और गति में सुधार:** कोविन (CoWIN) जैसे प्लेटफॉर्म ने COVID-19 के दौरान **रीयल-टाइम वैक्सीन पंजीकरण, स्लॉट आवंटन और प्रमाणन** की सुविधा प्रदान की, जिससे बड़े पैमाने पर डिजिटल समन्वय की क्षमता प्रदर्शित हुई।
- **वित्तीय समावेशन और औपचारिकीकरण को बढ़ावा:** UPI, **जन धन योजना** और **ई-केवाईसी** के संयोजन ने करोड़ों लोगों को डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल किया है, जिससे छोटे विक्रेता और कामगार **सस्ती और त्वरित लेन-देन** का लाभ उठा सकते हैं।
- **प्रशासनिक पारदर्शिता और रिकॉर्ड-कीपिंग को सुदृढ़ बनाना: डिजीलॉकर (DigiLocker)** स्कूल प्रमाणपत्र, लाइसेंस तथा सरकारी दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप में सुरक्षित करता है, जिससे कागज-पत्र की आवश्यकता कम होती है और दस्तावेज़ों में छेड़छाड़ की संभावना घटती है।
- **गतिशीलता और नागरिक सुविधा में सुधार: FASTag** जैसे सिस्टम टोल भुगतान को स्वचालित बनाते हैं और इंतजार के समय को कम करते हैं, जिससे यह दिखाया जाता है कि DPI **दैनिक प्रशासनिक सेवाओं और नागरिक अनुभव को बेहतर बनाने** में कैसे मदद करता है।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) असमानताओं को कैसे बढ़ा सकता है — नकारात्मक पक्ष

- **डिजिटल विभाजन से बहिष्कार में वृद्धि:** स्मार्टफोन, इंटरनेट और बिजली जैसी सुविधाओं में असमानता, विशेषकर ग्रामीण, आदिवासी और निम्न-आय वाले परिवारों में, **DPI प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने की क्षमता को सीमित** कर देती है।
- **प्रमाणीकरण और पहुँच की समस्याएँ:** आधार बायोमेट्रिक असंगतियाँ, नेटवर्क बाधाएँ या फिंगरप्रिंट संबंधी समस्याओं के कारण अक्सर बुजुर्ग, श्रमिक और दिव्यांग व्यक्ति **राशन या पेंशन जैसी सुविधाओं से वंचित** रह जाते हैं।
- **कम डिजिटल साक्षरता व लैंगिक अंतर:** महिलाएँ, बुजुर्ग तथा अनौपचारिक श्रमिक अक्सर डिजिटल सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिये आवश्यक कौशल से वंचित रहते हैं, जिससे मौजूदा सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएँ और गहरी होती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **भाषा और इंटरफेस संबंधी चुनौतियाँ:** कई DPI प्लेटफॉर्म स्थानीय भाषाओं में पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हैं और कम साक्षरता वाले उपयोगकर्त्ताओं के लिये जटिल हैं, जिससे समाज के बड़े वर्ग इन **सेवाओं तक पहुँच से वंचित** रह जाते है।
- **प्लेटफॉर्म पर निर्भरता से नई बहिष्कृतियाँ:** निजी ऐप्स, ई-वॉलेट और OTP आधारित सेवाओं पर निर्भरता उन लोगों को **बहिष्कृत** कर सकती है जिनके पास स्मार्टफोन, स्थिर नेटवर्क कनेक्शन या डिजिटल पहचान नहीं है।
- **डेटा संरक्षण और निजता संबंधी चुनौतियाँ:** कम जागरूकता और अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के चलते वे संवेदनशील नागरिक, जिनके पास अपने डेटा की सुरक्षा या दुरुपयोग के खिलाफ शिकायत करने के साधन नहीं हैं, असमान रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

DPI को समावेशी बनाने और असमानताओं को कम करने के उपाय

- **सर्वसामान्य डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश:** ग्रामीण, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में **भारतनेट और राज्य स्तरीय फाइबर मिशनों** के माध्यम से लास्ट-माइल ब्रॉडबैंड, 4G/5G नेटवर्क और स्थिर विद्युत सेवा की सुविधा को विस्तारित करना।
- **सहायक डिजिटल पहुँच मॉडल को बढ़ावा देना:** जो नागरिक उपकरण या डिजिटल साक्षरता से वंचित हैं, उनके लिये **कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs), पंचायत डिजिटल कियोस्क और सामुदायिक स्वयंसेवकों** को सशक्त बनाकर डिजिटल सेवाओं का मार्गदर्शन उपलब्ध कराना।
- **लक्षित अभियान के माध्यम से डिजिटल साक्षरता में सुधार:** महिलाओं, बुजुर्गों, दलित/आदिवासी समुदायों और प्रवासी श्रमिकों के लिये **विशेष कार्यक्रम** संचालित करना, जिसमें स्कूल, स्वयं सहायता समूह (SHGs) तथा आँगनवाड़ी नेटवर्क का उपयोग किया जाए।
- **बहुभाषी और सुलभ यूज़र इंटरफेस तैयार करना:** ऐप्स तथा पोर्टल्स को क्षेत्रीय भाषाओं में डिजाइन करना, जिसमें वॉइस-नेविगेशन, बड़े आइकॉन और दिव्यांगों के अनुकूल सुविधाएँ शामिल हों।
- **डेटा सुरक्षा और शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाना:** संवेदनशील समूहों के अधिकारों की रक्षा के लिये मज़बूत गोपनीयता उपाय, पारदर्शी एल्गोरिदम और त्वरित शिकायत निवारण प्रणाली लागू की जानी चाहिये, जिससे वे अनुचित वंचना या लाभ न मिलने की स्थिति में आपत्ति दर्ज कर सकें।
- **वहनीय डिजिटल पहुँच को प्रोत्साहित करना:** कम आय वाले लोगों के लिये **सब्सिडी वाले स्मार्टफोन, सार्वजनिक वाई-फाई क्षेत्र और सस्ते डेटा पैक** प्रदान करके आर्थिक बाधाओं को कम किया जा सकता है।
- **स्थानीय संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना:** फ्रंटलाइन वर्कर्स, पंचायत कर्मचारियों और कल्याण अधिकारियों को **डिजिटल उपकरणों और प्लेटफॉर्म का प्रशिक्षण** प्रदान करके अंतिम छोर तक **सुविधाजनक और प्रभावी सेवा वितरण** सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:

भारत का **DPI-आधारित शासन मॉडल SDG 9** (उद्योग, नवाचार, बुनियादी सुविधाएँ) और **SDG 16** (सशक्त संस्थाएँ) के साथ सुमेलित है, क्योंकि यह पारदर्शिता तथा कुशल सेवा वितरण को बढ़ावा देता है। हालाँकि यदि **कनेक्टिविटी, साक्षरता, किफायती पहुँच एवं संस्थागत क्षमता** के अंतर को कम नहीं किया गया, तो यह **SDG 10** (असमानताओं में कमी) को कमज़ोर कर सकता है। इसलिये वास्तव में समावेशी DPI के लिये **मज़बूत डिजिटल सिस्टम के साथ सहायक पहुँच, सुरक्षा उपाय व मानव-केंद्रित डिज़ाइन** का संयोजन आवश्यक है।

प्रश्न : "कार्यपालिका का प्रभुत्व प्रायः शासन में संस्थागत नियंत्रण और संतुलन को कमज़ोर कर देता है।" चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- शक्ति पृथक्करण का उल्लेख करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- स्पष्ट कीजिये कि कार्यपालिका का प्रभुत्व संस्थागत नियंत्रणों और संतुलन को किस प्रकार कमज़ोर करता है।
- इस समस्या के निवारण के उपाय प्रस्तावित कीजिये।
- तदनुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

संवैधानिक लोकतंत्र में, **सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने के लिये शक्तियों का पृथक्करण** तथा **संस्थागत नियंत्रण एवं संतुलन आवश्यक** हैं। हालाँकि, व्यवहार में राजनीतिक बहुमत, प्रशासन पर नियंत्रण व अध्यादेश स्थापित करने की शक्तियों द्वारा संचालित **कार्यपालिका का प्रभुत्व** प्राय: अन्य संस्थानों की स्वायत्तता एवं प्रभावशीलता को कमज़ोर करता है, जिससे लोकतांत्रिक शासन के लिये चिंताएँ बढ़ जाती हैं।

मुख्य भाग:

कार्यकारी प्रभुत्व किस प्रकार नियंत्रण और संतुलन को कमज़ोर करता है:

- **संसदीय निगरानी का कमज़ोर होना: अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों का बार-बार प्रयोग** (उदाहरण के लिये, ***डी.सी. वधवा बनाम बिहार राज्य, 1987*** मामले में पुन:-प्रख्यापन की प्रवृत्ति को असंवैधानिक ठहराया गया) विधायी परीक्षण से बचने का माध्यम बन जाता है।
  - महत्त्वपूर्ण विधेयकों को कभी-कभी धन विधेयक के रूप में पारित किया जाता है, जिससे राज्यसभा द्वारा उनकी जाँच सीमित (उदाहरण के लिये, आधार अधिनियम विवाद) हो जाती है।
- **स्वतंत्र संस्थानों पर प्रभाव:** नियुक्तियों तथा स्थानांतरणों पर कार्यपालिका का नियंत्रण अन्वेषण अभिकरणों जैसी संस्थाओं की स्वायत्तता को प्रभावित करता है।
  - **CBI और ED** जैसे अभिकरणों के चयनात्मक प्रयोग के आरोप उनके राजनीतिकरण को लेकर चिंताएँ उत्पन्न करते हैं। कई राज्यों द्वारा CBI को दी गयी सामान्य सहमति वापस लिया जाना इसी असंतोष को दर्शाता है।
- **संघीय नियंत्रणों का क्षरण: उपकर और अधिभार** जैसे राजकोषीय साधनों के माध्यम से केंद्रीकरण से राज्यों के विभाज्य करों में हिस्सेदारी कम हो जाती है।
  - भारत में **उपकर और अधिभार में काफी वृद्धि** हुई है, जो केंद्रीय राजस्व का एक बड़ा, गैर-साझा करने योग्य हिस्सा बन गया है, जो **महामारी से पहले लगभग 10% से बढ़कर सत्र 2021-22 तक 20% से अधिक हो गया है।**
- **न्यायिक स्वतंत्रता पर दबाव:** कॉलेजियम प्रणाली के तहत न्यायिक नियुक्तियों में विलंब और असहमति ने कार्यपालिका-न्यायपालिका संबंधों में तनाव उत्पन्न कर दिया है।
  - दिसंबर 2025 तक, **भारत के उच्च न्यायालयों में 297 से अधिक रिक्तियाँ** हैं।

शासन में नियंत्रण और संतुलन को सुदृढ़ करना:

- **संसदीय निगरानी को सुदृढ़ करना:** विधेयकों को विभाग-संबंधी स्थायी समितियों को अधिकाधिक संदर्भित करना अनिवार्य किया जाना चाहिये, जिससे विशेषज्ञ परीक्षण तथा द्विदलीय विमर्श सुनिश्चित हो सके।
- **स्वतंत्र संस्थाओं की स्वायत्तता सुनिश्चित करना:** अन्वेषण अभिकरणों को **कार्यकाल की सुरक्षा और कार्यात्मक स्वतंत्रता** प्रदान की जानी चाहिये, जैसा कि **विनीत नारायण मामले में प्रतिपादित** किया गया था।
- **न्यायिक स्वतंत्रता का संरक्षण:** रचनात्मक कार्यपालिका-न्यायपालिका सहयोग के माध्यम से **समयबद्ध न्यायिक नियुक्तियों** को सुनिश्चित करना चाहिये।
  - न्यायिक निर्णयों का सम्मान किया जाना चाहिये और चयनात्मक अनुपालन से बचना चाहिये।
  - न्यायाधिकरण सुधारों को ***मद्रास बार एसोसिएशन*** के निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप तर्कसंगत बनाया जाना चाहिये।
- **संघवाद को सुदृढ़ बनाना: उपकरों और अधिभारों** पर अत्यधिक निर्भरता कम की जानी चाहिये, जिससे राज्यों को पूर्वानुमानित राजकोषीय अंतरण सुनिश्चित हो सके।
  - अंतर-राज्य परिषद जैसे संस्थागत मंचों के माध्यम से **सहकारी और प्रतिस्पर्द्धी संघवाद को प्रोत्साहित** किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

यद्यपि एक सशक्त कार्यपालिका प्रशासनिक दक्षता को बढ़ा सकती है, किंतु अत्यधिक प्रभुत्व संस्थागत नियंत्रण एवं संतुलन को कमज़ोर करने का जोखिम उत्पन्न करता है। **संवैधानिक नैतिकता की रक्षा के लिये विधायिकाओं को सशक्त** करना, **पर्यवेक्षणकारी संस्थाओं की स्वायत्तता** सुनिश्चित करना तथा **न्यायिक स्वतंत्रता का सम्मान** करना लोकतांत्रिक शासन की निरंतरता हेतु अनिवार्य है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : जहाँ एक ओर नागरिक समाज संगठन लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी पारदर्शिता तथा जवाबदेही को लेकर भी चिंताएँ उभरकर सामने आई हैं। भारतीय संदर्भ में इस विरोधाभास का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत CSOs की परिभाषा से कीजिये।
- मुख्य भाग में CSOs की भूमिका का संक्षेप में उल्लेख कीजिये।
- इसके बाद, CSOs के शासन से संबंधित चिंताओं पर चर्चा कीजिये।
- संतुलन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस पर सुझाव दीजिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

नागरिक समाज संगठन वे गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी एवं स्वैच्छिक समूह होते हैं—जिनमें NGOs, परोपकारी संस्थाएँ, अधिकार समर्थक समूह तथा समुदाय-आधारित संगठन शामिल हैं जो राज्य और नागरिकों के बीच सेतु की भूमिका निभाते हैं। भारत में **लोकतंत्र**, **सामाजिक न्याय** और **जवाबदेही** को बढ़ावा देने में नागरिक समाज संगठनों की ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

- हालाँकि प्रहरी की भूमिका निभाने के साथ-साथ उनकी **पारदर्शिता, वित्तपोषण और जवाबदेही** को लेकर चिंताएँ भी बढ़ती जा रही हैं, जिससे एक जटिल विरोधाभास उत्पन्न होता है।

मुख्य भाग:

लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में नागरिक समाज की भूमिका

- **जवाबदेही और अधिकार संरक्षण को मज़बूत करना:** नागरिक समाज संगठन भ्रष्टाचार, मानवाधिकार हनन और शासन में विफलताओं को उजागर करने में महत्त्वपूर्ण रहे हैं।
  - नागरिक समाज द्वारा संचालित **RTI आंदोलन** ने वर्ष 2005 में RTI अधिनियम के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जो देश के प्रमुख पारदर्शिता कानूनों में से एक हैं।
- **नागरिक सहभागिता और समावेशन को बढ़ावा देना: भारत में 3 मिलियन से अधिक पंजीकृत NGOs** हैं, जिनमें से कई स्थानीय स्तर पर कार्य करते हुए **महिलाओं, दलितों, जनजातीय समुदायों और अनौपचारिक श्रमिकों** जैसे हाशिये पर रहने वाले समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  - ये संगठन नागरिकों और राज्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, जिससे सहभागी शासन सुनिश्चित होता है।
- **लोकतांत्रिक संवाद को सुदृढ़ बनाना: सार्वजनिक हित याचिकाओं (PILs), सामाजिक ऑडिट (जैसे, MGNREGA में) तथा नीति समर्थन** के माध्यम से नागरिक समाज संगठन सूचित सार्वजनिक बहस एवं नीति सुधार में योगदान देते हैं और अक्सर स्थानीय स्तर पर शासन में मौजूद कमियों को दूर करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, नागरिक समाज संगठनों द्वारा दायर PILs ने **पर्यावरण संरक्षण (वेल्लोर सिटीज़न्स वेलफेयर फोरम केस) और खाद्य सुरक्षा** से संबंधित मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप सुनिश्चित किया, जिससे अधिकार आधारित शासन को मज़बूती मिली।

CSO की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर चिंताएँ:

- **'लेखा अस्पष्टता' और अस्पष्ट वित्तीय प्रकटीकरण:** कई CSO मानकीकृत वित्तीय रिपोर्टिंग में कठिनाइयों का सामना करते हैं, जिससे 'पारदर्शिता घाटा' उत्पन्न होता है, जहाँ जटिल परियोजना चक्रों में निधियों का पता लगाना कठिन हो जाता है।
  - हालाँकि **FCRA 2023 संशोधन** ने विस्तृत संपत्ति प्रकटीकरण अनिवार्य किया है, वर्ष 2025 के एक विश्लेषण के अनुसार कई छोटे CSO के पास डिजिटल ढाँचा नहीं है जिससे वे अनुपालन कर सकें और यह वित्तीय अनियमितताओं को छिपाने का अवसर प्रदान कर सकता है।
- **अस्थिर आंतरिक शासन और निरीक्षण:** कई CSO आंतरिक ऑडिट तंत्र की कमी और संरचित नेतृत्व जवाबदेही के अभाव से जूझते हैं, जिससे अनजाने में उनकी संचालन क्षमता तथा विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।
  - उदाहरण के लिये, **एमनेस्टी इंटरनेशनल** के भारत संचालन को **FCRA अनुपालन** और वित्तीय प्रकटीकरण मार्गों पर जटिल कानूनी विवादों के बाद निलंबित किया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह बेहतर शासन की प्रणालीगत आवश्यकता को उजागर करता है, क्योंकि हाल के आँकड़े दिखाते हैं कि वर्ष 2011 से अब तक लगभग 20,000 NGOs प्रशासनिक और रिपोर्टिंग त्रुटियों के कारण अपने लाइसेंस खो चुके हैं।

- **वैचारिक पक्षपात और चयनात्मक समर्थन की धारणा:** CSO के हस्तक्षेप में तटस्थता की कथित कमी प्राय: चयनात्मक सक्रियता के आरोप उत्पन्न करती है, जो सार्वजनिक राय को ध्रुवीकृत कर सकती है और संस्थागत विश्वास को कमज़ोर कर सकती है।
  - इस तरह के तनाव नागरिक समाज में 'विश्वसनीयता अंतर' को उजागर करते हैं।

हालाँकि नियमन आवश्यक है, **अत्यधिक प्रतिबंध और लाइसेंस का बार-बार निलंबन लोकतांत्रिक क्षेत्र को संकुचित कर सकता है,** जिससे समर्थन कार्य, असहमति तथा जन-आधारित सक्रियता प्रभावित होती है।

- जहाँ सरकार ने इस कार्रवाई को अनुपालन कारणों से उचित ठहराया, वहीं कई नागरिक समाज के सदस्यों ने इसे **नागरिक क्षेत्र के संकुचन का संकेत माना।**

लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही का संतुलन

- **स्व-नियमन और नैतिक शासन को सुदृढ़ बनाना:** नागरिक समाज संगठन (CSOs) को पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिंग, समय-समय पर स्वतंत्र ऑडिट और फंडिंग स्रोतों का स्पष्ट प्रकटीकरण संस्थागत रूप से अपनाना चाहिये।
  - आंतरिक आचार संहिता, हित संघर्ष नीतियाँ और शिकायत निवारण तंत्र अपनाने से बाह्य दबाव के बिना उनकी विश्वसनीयता तथा सार्वजनिक विश्वास बढ़ाया जा सकता है।
- **आनुपातिक और मनमाने नियमन से बचना:** FCRA को नियमबद्ध और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाना चाहिये, ताकि इसकी अनुपालन आवश्यकताएँ असहमति को दबाने या चयनात्मक कार्रवाई के साधन न बनें।
  - नियमन का उद्देश्य नियंत्रण नहीं बल्कि जवाबदेही होना चाहिये, जैसा कि **संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(c)** में प्रदत्त अधिकारों में निहित है।
- **सहयोगी शासन मॉडल को बढ़ावा देना:** सरकारी संस्थाओं और CSOs के बीच रचनात्मक सहभागिता नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन में सुधार कर सकती है।
  - **स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण** जैसे क्षेत्रों में साझेदारी राज्य को स्थानीय स्तर की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के साथ-साथ निरीक्षण तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायता करती है।
- **संवाद और परामर्श को संस्थागत बनाना: नीति परामर्श, हितधारक मंच तथा सामाजिक ऑडिट** जैसे नियमित परामर्श तंत्र अविश्वास को कम कर सकते हैं और नागरिक समाज के सुझावों को शासन में शामिल कर सकते हैं, बिना राज्य के अधिकार को कमज़ोर किये।
- **CSOs की क्षमता निर्माण और पेशेवर विशेषज्ञता बढ़ाना:** प्रशिक्षण और मान्यता के माध्यम से CSO की प्रबंधकीय, वित्तीय तथा कानूनी क्षमताओं को बढ़ाना उनकी प्रभावशीलता को सुधार सकता है, शासन संबंधी त्रुटियों को कम कर सकता है और सार्वजनिक विश्वास को मज़बूत कर सकता है।
- **नागरिक क्षेत्र तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण:** एक स्वस्थ लोकतंत्र में असहमति, बहस और समर्थन के लिये स्थान होना आवश्यक है। शांतिपूर्ण आलोचना और समर्थन को अपराध मानने से रोकना लोकतांत्रिक मज़बूती तथा सामाजिक नवाचार के लिये अनिवार्य है।
- **न्यायिक निगरानी को सुदृढ़ बनाना:** एक स्वतंत्र न्यायपालिका राज्य के नियमन और नागरिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कार्यकारी कार्रवाइयों की समीक्षा करती है तथा संवैधानिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करती है।

निष्कर्ष:

नागरिक समाज भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे की एक आधारशिला बना हुआ है, जो सुधार के लिये न केवल चेतना बल्कि उत्प्रेरक का भी कार्य करता है। इसकी वैधता बनाए रखने और लोकतांत्रिक शासन को मज़बूत करने के लिये स्वायत्तता को कमज़ोर किये बिना पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : "न्यायिक सक्रियता लोकतांत्रिक शासन के लिये एक सुरक्षा-कवच भी है और एक चुनौती भी।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- लोकतांत्रिक शासन के लिये न्यायिक सक्रियता के महत्त्व को रेखांकित करते हुए उत्तर लेखन की शुरुआत कीजिये।
- न्यायिक सक्रियता किस प्रकार एक सुरक्षा-कवच के रूप में कार्य करती है, इस पर चर्चा कीजिये।
- उल्लेख कीजिये कि यह लोकतांत्रिक शासन के लिये किस प्रकार चुनौती उत्पन्न करता है।
- न्यायिक सक्रियता और लोकतांत्रिक शासन के बीच संतुलन बनाए रखने हेतु उपाय प्रस्तावित कीजिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

भारत में **संवैधानिक मूल्यों, मूल अधिकारों और विधि के शासन** को बनाए रखने के लिये न्यायिक सक्रियता एक शक्तिशाली साधन के रूप में उभरी है। हालाँकि यह कार्यपालिका और विधायिका की विफलताओं के विरुद्ध एक सुरक्षा-कवच के रूप में कार्य करती है, परंतु इसके साथ **न्यायिक अतिचार तथा लोकतांत्रिक संतुलन के क्षरण से जुड़ी चिंताएँ** भी उत्पन्न होती हैं, जो **अनुच्छेद 50 (शक्तियों का पृथक्करण) की भावना को कमज़ोर** कर सकती हैं।

मुख्य भाग:

लोकतांत्रिक शासन की सुरक्षा के रूप में न्यायिक सक्रियता:

- **मूल अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षण:** जब अन्य निकाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में विफल रहे, तब न्यायालयों ने हस्तक्षेप किया।
  - **मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) मामले** में अनुच्छेद 21 का विस्तार करते हुए 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' को निष्पक्षता, तर्कसंगतता एवं उचित प्रक्रिया से जोड़ा गया।
- **विधायी और कार्यकारी शून्यता के प्रति न्यायिक प्रतिक्रिया:** जहाँ कानून अनुपस्थित या अप्रभावी रहे, वहाँ न्यायिक सक्रियता ने शासन संबंधी रिक्तियों की आपूर्ति की है।
  - **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) मामले** में विधि के अभाव में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित किये गए थे।
- **जवाबदेही और विधि के शासन को सशक्त करना:** न्यायालयों ने मनमानी कार्यपालिका कार्रवाई और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई की है।
  - **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)** के मामले ने **मूल संरचना सिद्धांत** को विकसित किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि **संसदीय सर्वोच्चता संवैधानिक लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं करती** है।
- **जनहित याचिकाओं (PIL) के माध्यम से न्याय तक अभिगम्यता का विस्तार:** जनहित याचिका ने उपेक्षित समूहों के लिये **न्यायिक अभिगम्यता का लोकतंत्रीकरण** किया।
  - **हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979)** मामले में विचाराधीन कैदियों के अधिकारों पर चर्चा की गई और इसके परिणामस्वरूप **कारावास सुधारों की शुरुआत** हुई।
- **पर्यावरण और सामाजिक शासन संबंधी हस्तक्षेप:** न्यायिक सक्रियता ने सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया है।
  - **एम.सी. मेहता मामले** के परिणामस्वरूप प्रदूषण नियंत्रण मानदंड, वाहन उत्सर्जन मानक और ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन का संरक्षण लागू हुआ।

लोकतांत्रिक शासन के लिये एक चुनौती के रूप में न्यायिक सक्रियता:

- **कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्रों में न्यायिक हस्तक्षेप:** न्यायालय कई बार **विस्तृत नीतिगत निर्देश** जारी करते हैं, जिससे **शक्तियों के पृथक्करण की परिभाषा अस्पष्ट** हो जाती है।
  - **कॉमन कॉज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018** में निष्क्रिय इच्छामृत्यु और 'लिविंग विल्स' को वैध ठहराना तथा कार्यपालिका योजनाओं की निरंतर निगरानी ने 'न्यायिक शासन' की बहस को जन्म दिया।
- **लोकतांत्रिक जवाबदेही का क्षरण:** न्यायाधीश निर्वाचित नहीं होते हैं तथा विधायकों और कार्यपालिका के विपरीत सीधे जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- न्यायिक हस्तक्षेप की अधिकता निर्वाचित प्रतिनिधियों के जनादेश को कमज़ोर कर सकती है।
- उदाहरण के लिये, वर्ष 2024 में, **भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया,** जो राजनीतिक दलों को गुप्त दान की अनुमति देती थी।
  - यह **जवाबदेही बनाम हस्तक्षेप की बहस का एक सूक्ष्म उदाहरण** प्रस्तुत करता है।

- **संस्थागत क्षमता और विशेषज्ञता की सीमाएँ:** न्यायालयों में जटिल नीतियों को तैयार करने या उनकी निगरानी करने के लिये तकनीकी विशेषज्ञता की कमी हो सकती है।
  - उदाहरण: **डिविजनल मैनेजर (अरावली गोल्फ कोर्स बनाम चंदर हास, 2008)** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं इस प्रवृत्ति के खिलाफ चेतावनी दी थी, यह देखते हुए कि न्यायाधीशों को विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये, क्योंकि **उनमें शासन की तकनीकी जानकारी का अभाव** होता है।
- **नीति निर्माण में असंगति और अनिश्चितता:** बार-बार जारी होने वाले न्यायिक निर्देश दीर्घकालिक शासन-योजना में अनिश्चितता उत्पन्न कर सकते हैं।
  - NJAC निर्णय (2015) ने न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा तो की, परंतु व्यवहार्य वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तुत किये बिना विधायी सुधार को अवरुद्ध करने के लिये इसकी आलोचना भी हुई।
- **न्यायिक लोकलुभावनवाद का खतरा:** PIL क्षेत्राधिकार के विस्तार से कभी-कभी निरर्थक याचिकाएँ और मीडिया-प्रेरित हस्तक्षेप बढ़े हैं, जिससे न्यायालयों का ध्यान उनके मूल न्यायिक कार्यों से विचलित होता है।

न्यायिक सक्रियता और लोकतांत्रिक शासन के बीच संतुलन बनाए रखने के उपाय:

- **स्पष्ट मानकों द्वारा निर्देशित न्यायिक संयम:** न्यायालयों को केवल अधिकारों के उल्लंघन या शासन में शून्यता के मामलों में ही हस्तक्षेप करना चाहिये, जिसमें आवश्यकता एवं आनुपातिकता को लागू किया जाना चाहिये।
  - **भारत के विधि आयोग** ने तदर्थ न्यायिक नीति निर्माण को रोकने के लिये निरंतरता एवं संयम पर ज़ोर दिया है।
- **जनहित याचिका तंत्र में सुधार:** जनहित याचिकाओं की **कड़ी जाँच से दुरुपयोग और न्यायिक लोकलुभावनवाद पर अंकुश** लगाया जा सकता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश और विधि आयोग की टिप्पणियाँ **न्याय तक अभिगम्यता एवं संस्थागत सीमाओं के बीच संतुलन** बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।
- **कार्यपालिका की जवाबदेही को मज़बूत करना:** प्रभावी शिकायत निवारण और विनियामक प्रवर्तन न्यायिक हस्तक्षेप को कम कर सकता है।
  - **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग** ने शासनगत विफलताओं की रोकथाम हेतु एक सुदृढ़ **जवाबदेही ढाँचे की अनुशंसा** की।
- **न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता बढ़ाना:** न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए भारत को एक सुधारित **NJAC की आवश्यकता** है, जो **कॉलेजियम प्रणाली के भीतर अधिक पारदर्शिता** की आवश्यकता को स्वीकार करे।
- **संस्थागत संवाद और विधायी प्रतिक्रिया में सुधार:** NCRWC द्वारा सुझाए गए अनुसार, मज़बूत **संसदीय स्थायी समितियाँ** नीतिगत कमियों को शीघ्र ही दूर कर सकती हैं तथा न्यायिक कानून निर्माण को कम कर सकती हैं।

निष्कर्ष

न्यायिक सक्रियता लोकतांत्रिक सुरक्षा कवच होने के साथ-साथ एक संरचनात्मक चुनौती भी है। इसकी वैधता आवश्यकता, समानुपातिकता और संवैधानिक उद्देश्य पर निर्भर करती है। एक संतुलित दृष्टिकोण, जिसमें न्यायालय निर्वाचित संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र का सम्मान करते हुए अधिकारों एवं संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिये हस्तक्षेप करते हैं, भारत में लोकतांत्रिक शासन को बनाए रखने के लिये अनिवार्य है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रश्न : ''भारत का उत्थान केवल शक्ति-प्रदर्शन पर निर्भर नहीं करता बल्कि वैश्विक व्यवस्था के लिये मानक और नियम तय करने की उसकी क्षमता पर भी आधारित है। प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा जलवायु से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नियम-निर्माण को आकार देने में भारत की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत की विदेश नीति सिद्धांत के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- प्रमुख उदाहरणों के साथ प्रौद्योगिकी, व्यापार और जलवायु पर वैश्विक नियमों को आकार देने की भारत की क्षमता का विश्लेषण कीजिये।
- मानदंड-निर्धारण की सीमाओं पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

उपरोक्त कथन **भारत की विदेश नीति में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन** को दर्शाता है जिसके अंतर्गत **भारत नियम-पालक राष्ट्र से नियम-निर्माता राष्ट्र की दिशा में अग्रसर** है। जहाँ **शक्ति प्रक्षेपण (हार्ड पावर: सैन्य, अर्थव्यवस्था)** किसी राष्ट्र के महत्त्व को निर्धारित करता है, **वहीं मानक-निर्धारण (सॉफ्ट/स्मार्ट पावर)** उसके प्रभाव को निर्धारित करता है।

- चूँकि **भारत** स्वयं को **विश्वबंधु** (विश्व का मित्र) की भूमिका में स्थापित करता है, इसलिये **प्रौद्योगिकी व्यापार तथा जलवायु-शासन से संबद्ध नियमों को संस्थागत रूप** देना बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के लिये निर्णायक हो जाता है।

मुख्य भाग:

प्रौद्योगिकी: 'इंडिया स्टैक' मॉडल का निर्यात

- **वैश्विक मानदंड के रूप में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI):**
  - **मानक:** भारत बंद स्वामित्ववादी प्रणालियों के बजाय ओपन-सोर्स, इंटरऑपरेबल और स्केलेबल सार्वजनिक वस्तुओं **(आधार, यूपीआई, कोविन)** को बढ़ावा देता है।
  - **सफलता: नई दिल्ली में हुए G20** सम्मेलन में औपचारिक रूप से DPI को वित्तीय समावेशन के एक साधन के रूप में मान्यता दी गई।
    - **सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और फ्राँस** जैसे देशों ने भारत के UPI को अपनाया है या उसके साथ एकीकृत किया है, जिससे वैश्विक डिजिटल भुगतान के लिये एक मानक स्थापित हुआ है।
  - **डेटा गवर्नेंस:** अपने **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के माध्यम से** भारत **डेटा सॉवरेनिटी की अनुशंसा** कर रहा है, जिसमें डिजिटल डेटा का वास्तविक स्वामित्व और नियंत्रण उन नागरिकों के पास रहे, जो उसे उत्पन्न करते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डेटा से संबद्ध निर्णय केवल विदेशी निगमों के हितों द्वारा संचालित न हों बल्कि **नागरिकों की गरिमा, अधिकारों और स्वायत्तता का संरक्षण तथा सशक्तीकरण** हो।
  - **AI विनियमन: कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी (GPAI)** के प्रमुख अध्यक्ष के रूप में भारत **ज़िम्मेदार AI की अनुशंसा** करता है, जो नवाचार एवं सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करता है तथा **पश्चिमी AI एकाधिकार के विरुद्ध ग्लोबल साउथ की चिंताओं का प्रतिनिधित्व** करता है।

व्यापार: ग्लोबल साउथ की आवाज़

- **विश्व व्यापार संगठन में सुधार:** भारत **खाद्य सुरक्षा के लिये सार्वजनिक भंडारण पर स्थायी शांति खंड के लिये सक्रिय रूप से प्रयास** कर रहा है तथा **पश्चिमी कृषि सब्सिडी को चुनौती** दे रहा है।
  - भारत ने यह मानक स्थापित किया है कि **गरीबों के लिये खाद्य सुरक्षा किसी कठोर व्यापार सिद्धांत से अधिक महत्त्वपूर्ण** है।
- **गैर-टैरिफ बाधाओं का मुकाबला:** भारत **हरित संरक्षणवाद** (जैसे– यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र या CBAM) **के खिलाफ विरोध का नेतृत्व** कर रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इन उपायों को भेदभावपूर्ण बताकर भारत यह सिद्ध कर रहा है कि **जलवायु लक्ष्य विकासशील देशों के लिये व्यापार-अवरोध नहीं बनने चाहिये।**

- **अफ्रीकी संघ का समूह में प्रवेश: अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने** के लिये प्रयासरत रहकर भारत ने वैश्विक आर्थिक शासन को संरचनात्मक रूप से परिवर्तित कर इसे अधिक समावेशी बनाया है तथा मानदंड को **G7-नेतृत्व वाले एजेंडे से बदलकर ग्लोबल साउथ नेतृत्व वाले एजेंडे में परिवर्तित** कर दिया है।

जलवायु: पीड़ित की भूमिका से समाधान-प्रदाता तक

- **संस्थागत नेतृत्व:**
  - **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA):** भारत ने पहले संधि-आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की, जिसका मुख्यालय **भारत (गुरुग्राम)** में है।
    - इस पहल ने यह वैश्विक मानक स्थापित किया कि सौर ऊर्जा उष्णकटिबंधीय विश्व के लिये एक साझा वैश्विक संपदा है।
  - **आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI):** आपदा-सहिष्णु अवसंरचना के वैश्विक मानक स्थापित कर भारत छोटे द्वीपीय तथा संवेदनशील देशों के लिये निर्णायक समर्थन उपलब्ध करा रहा है।
- **जीवनशैली आधारित जलवायु रणनीति: मिशन LiFE (पर्यावरण हेतु जीवनशैली)** के माध्यम से भारत ने **संयुक्त राष्ट्र में एक व्यवहार-आधारित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया,** जो सरकारी नीतियों के साथ-साथ **नागरिकों के पर्यावरण-अनुकूल आचरण पर बल** देता है।
- **सामान्य किंतु विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR):** भारत लगातार सफलतापूर्वक इस मानदंड को सुदृढ़ करता रहा है कि विकसित देशों को अपने ऐतिहासिक उत्सर्जन के लिये भुगतान करना होगा, जिससे COP शिखर सम्मेलनों में इस सिद्धांत को कमज़ोर होने से रोका जा सके।

समालोचनात्मक विश्लेषण: मानदंड-निर्धारण की सीमाएँ

बाधा	विश्लेषण
कठोर शक्ति अंतर	मानदंड-निर्धारण प्राय: विनिर्माण क्षमता के आधार पर होता है। सौर ऊर्जा उपकरणों और **एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रीडिएंट्स (API) के लिये चीन पर भारत की निर्भरता व्यापार एवं जलवायु वार्त्ताओं में उसकी सौदाकारी शक्ति को कमज़ोर** करती है।
घरेलू विरोधाभास	वैश्विक स्तर पर खुली डिजिटल सीमाओं की अनुशंसा करने के बावजूद भारत में बार-बार इंटरनेट प्रतिबंध किये जाते हैं, जिसके बारे में आलोचकों का तर्क है कि इससे डिजिटल-लोकतंत्र में भारत की नेतृत्व-भूमिका पर प्रश्न खड़े होते हैं।
संरक्षणवादी छवि	भारत द्वारा **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से बाहर निकलने का निर्णय** तथा बार-बार टैरिफ वृद्धि के कारण इसे **संरक्षणवादी करार** दिया गया है, जिससे वियतनाम जैसे देशों की तुलना में मुक्त व्यापार नियमों के निर्माण में इसकी विश्वसनीयता कम हो गई है।
संसाधनों की कमी	ISA जैसी पहलों के लिये अफ्रीका/एशिया में परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। चीन के **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) की तुलना में भारत की वित्तीय क्षमता सीमित** है, जिससे इसके मानदंडों का दायरा सीमित हो जाता है।

निष्कर्ष

भारत सफलतापूर्वक एक **संतुलनकर्त्ता** से आगे बढ़कर वैश्विक व्यवस्था में एक **सेतु-निर्माता** के रूप में उभर रहा है। **DPI** और **सौर गठबंधन में इसकी सफलता** यह सिद्ध करती है कि यह वैश्विक सार्वजनिक लाभ उत्पन्न कर सकता है। वैश्विक नियम-निर्माता बनने का मार्ग इस बात पर निर्भर करता है कि भारत ऐसे मानक प्रस्तुत करे, जो पश्चिमी अथवा चीनी विकल्पों की तुलना में अधिक शीघ्र एवं अधिक न्यायपूर्ण समृद्धि प्रदान कर सकें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : "विकसित हो रही बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के प्रति भारत का दृष्टिकोण बहु-संरेखण तथा रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है। चीन के उदय से उत्पन्न चुनौतियों से निपटते हुए भारत के मूल राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में इस दृष्टिकोण की प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिये।" (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- विकसित हो रही बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- मुख्य भाग में इस दृष्टिकोण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये।
- इस दृष्टिकोण की कुछ सीमाओं का उल्लेख कीजिये।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था उस वैश्विक प्रणाली को कहते हैं जिसमें शक्ति एक या दो देशों के बजाय कई प्रमुख देशों में वितरित होती है। इसके मुख्य लक्षणों में **आर्थिक और तकनीकी शक्ति का वितरण, मुद्दा-आधारित गठबंधन और सख्त गुटों का कम होना** शामिल है, जिससे देशों को साझेदारियों में अधिक लचीलापन प्राप्त होता है।

- उदाहरण के लिये भारत, जापान, यूरोपीय संघ (EU) और आसियान (ASEAN) जैसी **मध्यम शक्तियों** का उदय, जो **चीन तथा अमेरिका के बीच संतुलन** बनाती हैं एवं इसके लिये क्वाड (Quad) व मिनी-लेटरल (Mini-lateral) जैसे मंचों का उपयोग करती हैं, इस **लचीले, बहु-केंद्रित शक्ति ढाँचे** को दर्शाता है।

मुख्य भाग:

भारत के मुख्य राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने में इस दृष्टिकोण की प्रभावशीलता:

- **चीन की सैन्य असमानता को संतुलित करने के लिये रक्षा साझेदारियाँ:** भारत के सैन्य आधुनिकीकरण और निवारक क्षमता को **विविध रणनीतिक साझेदारियों** से महत्त्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुआ है।
  - उदाहरण के लिये **2020 के गलवान संघर्ष के बाद** अमेरिका ने भारत को **ठंडे मौसम के उपकरण और खुफिया जानकारी** की आपूर्ति तेज़ कर दी, जो संकट के समय बहु-संरेखण की **व्यावहारिक उपयोगिता** को दर्शाता है।
  - भारत द्वारा **फ्राँस से राफेल जेट, अमेरिका से MH-60R हेलीकॉप्टर और इज़राइल से UAV** का अधिग्रहण चीन के सैन्य आधुनिकीकरण के संतुलन में योगदान देता है।
- **भारतीय महासागर की सुरक्षा के लिये समुद्री साझेदारियाँ:** चीन की बढ़ती नौसैनिक पहुँच, जो **भारतीय महासागर में PLAN पनडुब्बियों की उपस्थिति और जिबूती में द्वि-उपयोग सुविधाओं** से स्पष्ट है, ने समुद्री संतुलन बनाए रखना आवश्यक बना दिया है।
  - भारत के **जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्राँस, अमेरिका और सिंगापुर** के साथ लॉजिस्टिक्स समझौते नौसैनिक अड्डों तक पारस्परिक पहुँच की अनुमति देते हैं, जिससे **संचालनात्मक पहुँच बढ़ती है।**
  - उदाहरण के लिये भारत ने **इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ अंडमान सागर में संयुक्त गश्त** की है, ताकि अवैध गतिविधियों को रोका जा सके और **चीन के बढ़ते जहाज़ों के शोध की गतिविधियों** को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच क्षेत्रीय स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।
- **चीन-संबंधित संस्थाओं में चयनात्मक लाभ हेतु भागीदारी:** भारत **BRICS, SCO और AIIB** जैसे मंचों के साथ जुड़ा रहता है, जहाँ चीन का प्रभाव है, लेकिन भारत **विकास संबंधी लाभ** प्राप्त करता है।
  - **AIIB के माध्यम से** भारत ने **बुनियादी ढाँचे और ऊर्जा परियोजनाओं** के लिये वित्त पोषण सुनिश्चित किया है और यह इसके **सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक** बन गया है।
  - **BRICS के भीतर** भारत ने **वित्तीय संरचना में सुधार और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना सहयोग** के लिये सफलतापूर्वक प्रयास किये, जिससे समूह के भीतर चीन के प्रभुत्व को संतुलित करने में मदद मिली।
  - उदाहरण के लिये **LAC संकट के बाद भी भारत द्वारा कई BRICS मंत्रिस्तरीय बैठकें आयोजित करना** यह दर्शाता है कि यह **अलगाव नहीं बल्कि संतुलित जुड़ाव** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **रणनीतिक स्वतंत्रता के लिये कूटनीति:** रूस के साथ संबंध बनाए रखना, ताकि **चीन-रूस के गठबंधन द्वारा घेरने** की स्थिति से बचा जा सके और यह सुनिश्चित करना कि **स्पेयर पार्ट्स, ऊर्जा और तकनीक** तक पहुँच बनी रहे, विशेष रूप से तब जब रूस चीन की ओर झुक रहा हो।
  - **S-400 वायु रक्षा प्रणाली**, जिसकी वैश्विक प्रतिबंधों के बावजूद भारत को आपूर्ति की गई, **भारत की स्वायत्तता-प्रधान खरीद नीति** को दर्शाती है।
  - यूक्रेन संकट पर **संयुक्त राष्ट्र में नई दिल्ली की लगातार तटस्थता** ने रूस के साथ संबंध बनाए रखते हुए **पश्चिमी साझेदारों के साथ रिश्तों को नुकसान पहुँचाए बिना** सफल कूटनीतिक संतुलन का उदाहरण प्रस्तुत किया।
- **जलवायु, तकनीक और स्वास्थ्य कूटनीति:** भारत की **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन तथा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) कूटनीति** में भूमिका चीन से स्वतंत्र वैश्विक नेतृत्व को बढ़ावा देती है।
  - उदाहरण के लिये **G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन (2023)**, जिसे **भू-राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच भी सर्वसम्मति से अपनाया गया**, ने भारत की **चीन सहित जटिल शक्ति प्रतिद्वंद्विताओं में कुशल कूटनीतिक संतुलन बनाने की क्षमता** को प्रदर्शित किया।

सीमाएँ और संरचनात्मक बाधाएँ

- **स्थायी सैन्य असमानता:** चीन का रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट से **तीन गुना से अधिक** है।
  - **नवीन साझेदारियों के बावजूद** LAC अस्थिर बना हुआ है, जो वर्ष 2020 के बाद **PLA की बार-बार की अतिक्रमण गतिविधियों** से स्पष्ट है।
- **व्यापार असंतुलन और आपूर्ति शृंखला की संवेदनशीलता:** 70% से अधिक **फार्मास्यूटिकल API** और बड़ी मात्रा में **इलेक्ट्रॉनिक्स व सौर घटक** अभी भी चीन से आयात किये जाते हैं। यह भारत की **सौदेबाज़ी की शक्ति** को सीमित करता है।
  - केवल चीन ही वर्ष 2024-25 में भारत के कुल $283 बिलियन व्यापार घाटे का लगभग 35% के लिये ज़िम्मेदार था।
- **भारत के प्रयासों के बावजूद पड़ोसी क्षेत्रों में प्रभाव:** चीन **चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)** और **J-35 लड़ाकू जेट जैसे रक्षा समझौतों** के माध्यम से पाकिस्तान में मज़बूत स्थिति बनाए हुए है।
  - चीन ने **श्रीलंका में हंबनटोटा पोर्ट** का अधिग्रहण किया। इसके अलावा **म्याँमार के रखाइन राज्य में क्यौकप्यु डीप-सी पोर्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** के तहत **चीन-म्याँमार आर्थिक गलियारे (CMEC)** का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
  - इस "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" रणनीति का मकसद भारत को घेरना है, जिसमें कम राजनीतिक शर्तों के साथ आर्थिक मदद दी जाती है, जिससे बीजिंग क्षेत्रीय देशों के लिये एक आकर्षक पार्टनर बन जाता है।
- **रूस-चीन संबंध भारत के विकल्पों को सीमित करता है:** रूस और चीन के गहरे जुड़ाव से भारत की **रूस को स्वतंत्र शक्ति केंद्र के रूप में उपयोग करने की क्षमता** कम हो जाती है।

सीमाओं और संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के उपाय

- **सैन्य विषमता को संबोधित करना**
  - **केंद्रित रक्षा आधुनिकीकरण:** उच्च-प्रभाव वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देना, **ISR क्षमता, ड्रोन, वायु रक्षा, साइबर युद्ध और सटीक लंबी दूरी के स्ट्राइक सिस्टम को सशक्त बनाना।**
  - 3–5 वर्ष के **"महत्वपूर्ण क्षमता तेज़ी योजना"** के माध्यम से रुकी हुई खरीद को तेज़ करना।
  - **घरेलू रक्षा उत्पादन बढ़ाना: iDEX और मेक-इन-इंडिया** ईकोसिस्टम का विस्तार करके **तोपखाना, UAVs, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष-आधारित निगरानी उपकरण** का उत्पादन करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **रक्षा अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स को शामिल करने हेतु प्रोत्साहन देना**, साथ ही उनके लिये **सुनिश्चित खरीद अनुबंध** प्रदान करना।

- **पड़ोसी देशों में चीन के प्रभाव का मुकाबला करना**
  - उच्च-दृश्यता और त्वरित प्रभाव वाले प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना।
  - **नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में ऊर्जा ग्रिड, डिजिटल पेमेंट, सीमा-पार रेल** और स्वास्थ्य अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करना।
  - समय पर परियोजना पूरा करने के लिये Gati-Shakti और PM-DevINE फ्रेमवर्क का उपयोग करना।

- **सांस्कृतिक और लोगों के बीच कूटनीति को मज़बूत करना**
  - छात्रवृत्ति, बौद्ध सर्किट प्रचार और मेडिकल टूरिज़्म पैकेज बढ़ाना।
  - **भारतीय तकनीक (UPI, CoWIN, आधार जैसे समाधान)** को चीन के डिजिटल ईकोसिस्टम के विकल्प के रूप में सॉफ्ट पावर के रूप में बढ़ावा देना।

- **रूस-चीन अभिसरण का प्रबंधन**
  - **रक्षा के अलावा रूस के साथ जुड़ाव को विविध बनाना:** आर्कटिक ऊर्जा, **न्यूक्लियर पावर, कोकिंग कोयला और फार्मास्यूटिकल्स** में सहयोग बढ़ाना, जो भारत की ताकत है।
  - **घरेलू रक्षा स्पेयर उत्पादन बढ़ाना: "मेक-इन-इंडिया"** और लाइसेंसिंग समझौतों के तहत स्पेयर का सह-उत्पादन करके रूस पर निर्भरता कम करना।

निष्कर्ष:

भारत की **बहु-संरेखण और रणनीतिक स्वायत्तता की नीति** अभी भी व्यवहार्य है, लेकिन इसकी **प्रभावशीलता संरचनात्मक अंतराल को सुधारने** पर निर्भर करती है। **घरेलू क्षमताओं को मज़बूत करना, विश्वसनीय क्षेत्रीय साझेदारियाँ बनाना, सैन्य आधुनिकीकरण तेज़ करना तथा चीन पर आर्थिक निर्भरता कम करना** दीर्घकालीन रणनीतिक प्रतिस्पर्द्धा बनाए रखने के मुख्य स्तंभ हैं।

प्रश्न : "बदलती वैश्विक भू-राजनीति के बीच भारत और रूस के संबंध निरंतर विकसित हो रहे हैं।" समकालीन भारत-रूस संबंधों के रणनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक आयामों का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- यूक्रेन संघर्ष के बाद हाल ही में लिये गए संतुलित रुख पर प्रकाश डालते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- भारत-रूस संबंधों के आयामों की व्याख्या करते हुए उनके महत्त्व का विश्लेषण कीजिये।
- उन समस्याओं का उल्लेख कीजिये, जो अभी भी बनी हुई हैं।
- ऐसे उपाय प्रस्तावित कीजिये जिनसे भारत-रूस संबंधों को और मज़बूत किया जा सके।
- तदनुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत-रूस संबंध दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास पर आधारित हैं, लेकिन **यूक्रेन संघर्ष के बाद बदलती वैश्विक भू-राजनीति के मद्देनज़र इन्हें नए सिरे से परिभाषित** किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में बदलाव के बावजूद भारत और रूस **रणनीतिक, आर्थिक एवं भू-राजनीतिक क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप से सहयोग** करना जारी रखे हुए हैं। यह संबंध **भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की आकांक्षा** को दर्शाता है, न कि गठबंधन की।

मुख्य भाग:

रणनीतिक आयाम:

- **रक्षा साझेदारी:** भारत के लगभग **60-70% पुराने सैन्य प्लेटफॉर्म रूसी मूल के** हैं, जो पुर्ज़ों, रखरखाव और उन्नयन में निरंतर सहयोग सुनिश्चित करते हैं।
- **उन्नत रक्षा प्रणालियाँ:** बाह्य दबावों के बावजूद भारत द्वारा **S-400 ट्रायंफ वायु रक्षा प्रणाली का अधिग्रहण** पारस्परिक रणनीतिक विश्वास को रेखांकित करता है।
- **संयुक्त उत्पादन: ब्रह्मोस मिसाइल** जैसी परियोजनाएँ अमेरिकी सौदों के विपरीत क्रेता-विक्रेता संबंध के बजाय सह-विकास को दर्शाती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **परमाणु ऊर्जा सहयोग:** रूस **कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना में एक प्रमुख भागीदार** है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान दे रहा है।

आर्थिक आयाम:

- **द्विपक्षीय व्यापार:** द्विपक्षीय व्यापार में तेज़ी से वृद्धि हुई है और वित्त **वर्ष 2024-25 में यह रिकॉर्ड 68.7 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया** है।
- **ऊर्जा व्यापार में वृद्धि:** रूस **भारत के शीर्ष कच्चे तेल आपूर्तिकर्त्ताओं में से एक** बनकर उभरा है। वित्त वर्ष 2020 में कुल **तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी** मात्र 1.7% थी, जो **सत्र 2023-24 में बढ़कर 40% हो गई** और अब यह भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्त्ता है।
- **कनेक्टिविटी पहल: अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC)** का उद्देश्य भारत और यूरेशिया के बीच माल ढुलाई के समय को कम करना है।
  - **चेन्नई** और **व्लादिवोस्तोक (रूस)** के बीच **पूर्वी समुद्री गलियारे** के हालिया शुभारंभ ने **शिपिंग टाइम और लागत को कम करके भारत-रूस व्यापार को बढ़ावा** दिया है।
- **मुद्रा निपटान के प्रयास:** प्रतिबंधों से उत्पन्न बाधाओं से बचने के लिये **रुपये-रूबल व्यापार तंत्र की संभावनाओं का अन्वेषण** किया जा रहा है।

भू-राजनीतिक आयाम

- **बहुध्रुवीय अभिसरण:** दोनों देश **बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था** और वैश्विक संस्थानों में सुधार का समर्थन करते हैं।
- **बहुपक्षीय मंच: BRICS, SCO और RIC** में सहयोग से भारत के राजनयिक क्षेत्र में विस्तार होता है।

बदलती वैश्विक भू-राजनीति के बीच मतभेद के प्रमुख क्षेत्र:

- **आर्थिक असमानता:** भारत का **रूस से आयात सत्र 2024-25 में लगभग 64 अरब डॉलर तक** पहुँच गया, जबकि इसका **निर्यात 5 अरब डॉलर से कम रहा,** जिससे एक भारी, अस्थिर व्यापार घाटा उत्पन्न हो गया।
- **लेन-देन में बाधाएँ: SWIFT प्रणाली** पर पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रुपये–रूबल भुगतान व्यवस्था अनियमित हो गयी है, जिससे अरबों रुपये 'फँसे' हुए हैं और निपटान में विलंब हो रहा है।
- **रूस-चीन रणनीतिक अभिसरण: चीन के साथ रूस की 'असीमित' सैन्य एवं तकनीकी साझेदारी** भारत के लिये चिंता का विषय है, विशेषकर तब जब भारत–चीन सीमा तनाव बना हुआ है।
- **समुद्री प्रभाव:** उत्तरी समुद्री मार्ग में रूस की रुचि और चीन के साथ आर्कटिक सहयोग, भारत के हिंद-प्रशांत क्षेत्र एवं क्वाड पर केंद्रित दृष्टिकोण के विपरीत है।

भारत-रूस संबंधों को सुदृढ़ करने के प्रमुख उपाय

- **रणनीतिक एवं रक्षा सहयोग का विस्तार: भारत और रूस को संयुक्त उत्पादन, प्रौद्योगिकी अंतरण एवं दीर्घकालिक रख-रखाव** साझेदारी के माध्यम से रक्षा संबंधों को सुदृढ़ करना जारी रखना चाहिये।
  - ब्रह्मोस एयरोस्पेस जैसी **मेक इन इंडिया से जुड़ी संयुक्त उद्यमों का विस्तार** करने से रणनीतिक विश्वास को बनाए रखते हुए भारत की आयात पर निर्भरता कम हो सकती है।
  - **तेल से परे ऊर्जा साझेदारी का विस्तार:** ऊर्जा सहयोग को कच्चे तेल के व्यापार से आगे बढ़कर **प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा** को भी शामिल करना होगा।
    - दीर्घकालिक **LNG अनुबंध, आर्कटिक ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग** और **कुडनकुलम में परमाणु रिएक्टरों का विस्तार** स्थिर एवं विविध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है।
- **व्यापार और आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करना: भारत को फार्मास्यूटिकल्स, IT सेवाओं, चाय, वस्त्र और कृषि उत्पादों** के लिये अधिक बाजार अभिगम्यता सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिये। **भारत-यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) मुक्त व्यापार समझौते** का शीघ्र समापन व्यापार वृद्धि को संस्थागत रूप देने तथा असंतुलन को दूर करने में सहायक हो सकता है।
- **कनेक्टिविटी और भुगतान तंत्र में सुधार: रुपये-रूबल व्यापार, वोस्त्रो एकाउंट्स और डिजिटल सेटलमेंट्स** जैसे वैकल्पिक भुगतान तंत्र को सुदृढ़ करने से प्रतिबंधों से संबंधित

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

व्यवधानों को कम किया जा सकता है तथा द्विपक्षीय व्यापार में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है।

निष्कर्ष:

आज भारत-रूस संबंध **व्यावहारिकता, निरंतरता और रणनीतिक स्वायत्तता से निर्देशित हो रहे हैं।** वैश्विक भू-राजनीति नई चुनौतियाँ पेश करती है, लेकिन **रक्षा, ऊर्जा और बहुपक्षीय मंचों पर निरंतर जुड़ाव** यह सुनिश्चित करता है कि साझेदारी प्रासंगिक एवं सुदृढ़ बनी रहे।

प्रश्न : "अफ्रीका के साथ भारत की भागीदारी एकजुटता से आगे बढ़कर रणनीतिक साझेदारी की दिशा में बढ़ रही है।" समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत और अफ्रीका के बीच लंबे ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए उत्तर लेखन की शुरुआत कीजिये।
- पहले दोनों देशों के बीच विकसित हो रही साझेदारी की व्याख्या कीजिये, तत्पश्चात संबंधों में बाधा उत्पन्न करने वाले प्रतिबंधों का परीक्षण कीजिये।
- संबंधों को मज़बूत करने के उपाय प्रस्तावित कीजिये।
- तदनुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत-अफ्रीका संबंध ऐतिहासिक रूप से उपनिवेशवाद-विरोधी एकजुटता, दक्षिण-दक्षिण सहयोग और नैतिक कूटनीति पर आधारित रहे हैं। हालाँकि हाल के दशकों में, इस संबंध ने **तीव्रता से रणनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक आयाम** प्राप्त कर लिये हैं, **जो प्रतीकात्मकता से वास्तविकता की ओर संक्रमण** का संकेत देते हैं।

मुख्य भाग:

विकसित होती रणनीतिक साझेदारी

- **वैचारिक एकजुटता से हित-आधारित सहयोग की ओर परिवर्तन:** यद्यपि भारत की अफ्रीका नीति उपनिवेशवाद-विरोधी एकजुटता पर आधारित है, लेकिन आज यह **ऊर्जा सुरक्षा, बाज़ार अभिगम्यता, समुद्री स्थिरता और ग्लोबल साउथ के नेतृत्व** से प्रेरित है, जो एक स्पष्ट रणनीतिक पुनर्संतुलन को दर्शाता है।
- **व्यापार और निवेश संबंधों का तीव्र विस्तार:** वित्त वर्ष 2022-23 में **अफ्रीका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 9.26% बढ़कर लगभग 100 अरब डॉलर तक पहुँच गया,** जिससे भारत अफ्रीका का **तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** बन गया है, जिसमें ऊर्जा, दूरसंचार, बैंकिंग एवं विनिर्माण में निवेश बढ़ रहा है।
- **विकास वित्त और क्षमता निर्माण का रणनीतिक उपयोग:** भारत की क्रेडिट लाइनें अफ्रीका में अधोसंरचना, कृषि और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समर्थन करती हैं, जिससे एकतरफा सहायता के बजाय दीर्घकालिक आर्थिक एवं राजनीतिक संबंध बनते हैं।
  - उदाहरण के लिये, भारत ने **कोनाक्री जल आपूर्ति परियोजना के लिये गिनी गणराज्य को 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण रेखा (LOC) की पेशकश** की।
- **रक्षा और समुद्री सहयोग को गहन करना:** पश्चिमी हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, प्रशिक्षण, जलवैज्ञानिक सर्वेक्षण और समुद्री डकैती विरोधी अभियान नैतिक कूटनीति से परे सुरक्षा हितों के अभिसरण को दर्शाते हैं।
  - **अफ्रीका-भारत प्रमुख समुद्री सहयोग समझौता (AIKEYME)** जिसमें कई अफ्रीकी नौसेनाएँ शामिल हैं, हिंद महासागर में अंतर-संचालनीयता और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देता है।
- **भू-राजनीतिक अभिसरण और बहुपक्षीय समन्वय: अफ्रीकी संघ की G20 सदस्यता (2023) के लिये भारत का समर्थन और वैश्विक शासन में अफ्रीका की सहभागिता के लिये अनुशंसा** गठबंधन निर्माण एवं रणनीतिक संरेखण को रेखांकित करती है।

साझेदारी की पूर्ण क्षमता को सीमित करने वाली बाधाएँ

- **वस्तु-प्रधान व्यापार संरचना:** भारत के **अफ्रीका से आयात का लगभग 60% कच्चे पेट्रोलियम, सोना और कोयले तक सीमित** (एक्ज़िम बैंक ऑफ इंडिया, 2023) है, जिसमें नाइजीरिया, अंगोला तथा दक्षिण अफ्रीका प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- ITC ट्रेड मैप- 2024 के अनुसार, अफ्रीका को भारत के निर्यात में **फार्मास्यूटिकल्स (12.6%), ऑटोमोबाइल व उसके घटक (10.4%)** और **परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद (9.2%) का वर्चस्व है।**
- हालाँकि **स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और डिजिटल गवर्नेंस** जैसी उच्च मूल्य वाली सेवा निर्यात में प्रबल क्षमता होने के बावजूद उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है।

- **रणनीतिक उद्देश्य और कार्यान्वयन क्षमता के बीच अंतर: लाइन ऑफ क्रेडिट परियोजनाओं** में विलंब, धीमी क्रियान्वयन प्रक्रिया और प्रक्रियात्मक अड़चनें एक विश्वसनीय दीर्घकालिक भागीदार के रूप में भारत की विश्वसनीयता को कमज़ोर करती हैं (उदाहरण के लिये, गिनी में कोनाक्री जल आपूर्ति)।
- **चीन की BRI से असममित प्रतिस्पर्द्धा:** बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन की विशाल वित्तीय क्षमता, तीव्र कार्यान्वयन और समन्वित वित्तपोषण मॉडल प्राय: भारत के परामर्श-आधारित लेकिन संसाधन-सीमित दृष्टिकोण पर भारी पड़ते हैं।
  - उदाहरण के लिये, चीन ने **रेलवे, बंदरगाहों, राजमार्गों, बिजली संयंत्रों और औद्योगिक पार्कों में भारी निवेश** किया है, जैसे कि **अदीस अबाबा-जिबूती रेलवे, मोम्बासा-नैरोबी स्टैंडर्ड गेज रेलवे।**
- **सीमित निजी क्षेत्र और लघु एवं मध्यम उद्यम भागीदारी:** अफ्रीका के साथ भारत की भागीदारी बहुत हद तक राज्य-संचालित बनी हुई है, जिसमें उच्च रसद लागत, कमज़ोर व्यापार वित्त और नियामक जोखिमों के कारण निजी निवेश कम है।
  - **केन्या, तंज़ानिया और इथियोपिया जैसे देशों में सस्ती जेनेरिक दवाओं की मज़बूत मांग** के बावजूद, भारतीय फार्मा कंपनियों की अधिकांश भागीदारी स्थानीय विनिर्माण या **दीर्घकालिक निवेश के बजाय निर्यात तक ही सीमित** है।
- **अफ्रीका भर में चयनात्मक और असमान सहभागिता: नाइजीरिया (तेल और गैस), मोज़ाम्बिक (ऊर्जा और खनन)** जैसे संसाधन-समृद्ध या भू-राजनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण देशों पर ध्यान केंद्रित करने से भारत की अभिगम्यता एवं दीर्घकालिक सद्भावना के अखिल अफ्रीकी चरित्र को कमज़ोर करने का जोखिम है।

संबंधों को और मज़बूत करने के उपाय

- **व्यापार में वस्तुओं से परे विविधता लाना:** भारत को फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, डिजिटल सेवाएँ, कृषि-प्रसंस्करण और नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों जैसे मूल्य-वर्द्धित निर्यात को बढ़ावा देकर वस्तु-प्रधान व्यापार संरचना से आगे बढ़ना होगा।
- **कार्यान्वयन क्षमता और परियोजना वितरण को मज़बूत करना:** ऋण लाइनों (LOC) और परियोजना निष्पादन में विलंब को दूर करने के लिये, भारत को समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाइयाँ स्थापित करनी चाहिये, अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना चाहिये तथा **EXIM बैंक, कार्यान्वयन एजेंसियों एवं अफ्रीकी सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाना चाहिये।**
- **गुणवत्ता और संवहनीयता के माध्यम से चीन से प्रतिस्पर्द्धा: चीन के पैमाने की नकल करने के बजाय** भारत को **पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और स्थानीय समावेशन पर आधारित परियोजनाओं पर ध्यान** देना चाहिये।
  - **एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC)** जैसे प्लेटफॉर्मों का लाभ उठाकर सतत और जन-केंद्रित विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- **निजी क्षेत्र और लघु एवं मध्यम उद्यमों की भागीदारी बढ़ाना:** भारत को अफ्रीकी बाज़ारों के लिये **निर्यात ऋण, जोखिम बीमा और बाज़ार संबंधी जानकारी तक अभिगम्यता में सुधार** करके निजी क्षेत्र तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिये।
  - **ECGC समर्थन, मिश्रित वित्त और PPP मॉडल** जैसे तंत्रों को मज़बूत करने से भारतीय फर्मों को अफ्रीका भर में विनिर्माण एवं सेवा संचालन स्थापित करने में सहायता मिल सकती है।
- **चयनित क्षेत्रों से आगे सहभागिता का विस्तार:** संसाधन-समृद्ध देशों पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिये भारत को **पश्चिम**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

और मध्य अफ्रीका की अपेक्षाकृत कम जुड़ी हुई अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भी अपने संबंधों का विस्तार करना चाहिये।

- स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, डिजिटल गवर्नेंस और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट सहयोग से दीर्घकालिक सद्भावना बनाने तथा अखिल अफ्रीकी स्तर पर भारत की उपस्थिति को मज़बूत करने में सहायता मिल सकती है।

- **सॉफ्ट पावर और विकास साझेदारी का लाभ उठाना:** भारत लोगों के बीच संबंधों को गहरा करने के लिये क्षमता निर्माण, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (UPI, आधार जैसे प्लेटफॉर्म), स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा में अपनी क्षमता का और अधिक लाभ उठा सकता है।
  - छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का विस्तार करने से भारत की छवि एक वाणिज्यिक भागीदार के बजाय एक विकास भागीदार के रूप में मज़बूत होगी।

निष्कर्ष:

अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी स्पष्ट रूप से एकजुटता आधारित कूटनीति से **विकसित होकर बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी में परिणत** हो गई है। हालाँकि यह बदलाव अभी भी एकसमान नहीं है, **रणनीतिक मंशा सशक्त है लेकिन विविधीकरण की कमी, क्रियान्वयन की चुनौतियाँ और बाह्य प्रतिस्पर्द्धा इसकी पूर्ण क्षमता को सीमित करती हैं।** इसकी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिये गहन आर्थिक एकीकरण, परियोजनाओं का तीव्र क्रियान्वयन, निजी क्षेत्र की मज़बूत भागीदारी और अफ्रीकी महाद्वीप पर निरंतर क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।

प्रश्न : पूर्वी यूरोप तथा पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों ने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संरचनाओं की सीमाओं को उजागर किया है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये कि ये घटनाक्रम वैश्विक स्थिरता तथा भारत के रणनीतिक हितों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की भूमिका हालिया संघर्षों को रेखांकित करते हुए प्रस्तुत कीजिये।
- मुख्य भाग में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना की सीमाओं और उनके प्रभावों पर चर्चा कीजिये।
- भारत के रणनीतिक हितों पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिये तथा भारत के हितों की सुरक्षा हेतु उपाय सुझाइये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

पूर्वी यूरोप (रूस-यूक्रेन युद्ध) और पश्चिम एशिया (जैसे इज़रायल-हमास संघर्ष तथा व्यापक क्षेत्रीय तनाव) में लंबे समय से जारी संघर्षों ने संयुक्त राष्ट्र तथा सामूहिक सुरक्षा तंत्र जैसी **वैश्विक सुरक्षा संरचनाओं** की गंभीर कमज़ोरियों को उजागर किया है।

- कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद इन संघर्षों का जारी रहना यह दर्शाता है कि बड़े युद्धों को रोकने या उनका समाधान करने में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियाँ सीमित हैं। इनके वैश्विक प्रभाव **आर्थिक, रणनीतिक और सुरक्षा क्षेत्रों** तक व्यापक रूप से फैल रहे हैं।

मुख्य भाग:

मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना की सीमाएँ – वैश्विक स्थिरता पर प्रभाव

- **पारंपरिक सुरक्षा ढाँचों का क्षरण: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं की बड़े पैमाने के संघर्षों को प्रभावी ढंग से रोकने या समाप्त करने में असमर्थता उनकी सीमित प्रवर्तन क्षमता को दर्शाती है।
  - प्रमुख शक्तियों के बीच बढ़ता तनाव इन ढाँचों पर विश्वास को और कमज़ोर करता है।
  - **'क्षेत्रीय अखंडता'** और **'संप्रभुता' (संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2)** जैसे सिद्धांतों का **चयनात्मक रूप से अनुप्रयोग** किया जा रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इसके अतिरिक्त **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)** के निर्णयों को लागू कराने में असमर्थता वैश्विक स्तर पर किसी प्रभावी **'प्रवर्तन तंत्र'** के अभाव को और अधिक उजागर करती है।

- **रणनीतिक ध्रुवीकरण और प्रतिस्पर्द्धा:** यूक्रेन संकट ने **नाटो** और **रूस** के बीच विभाजन को और गहरा कर दिया है, **जबकि पश्चिम एशिया के तनावों में प्राय: बाह्य शक्तियाँ (अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, ईरान और खाड़ी देश) शामिल रहती हैं।** इससे परस्पर अतिव्यापी संघर्ष क्षेत्र बनते हैं और सुरक्षा वातावरण अधिक खंडित हो जाता है।
- **आर्थिक व्यवधान और वैश्विक जोखिम:** संघर्षों के कारण ऊर्जा तथा खाद्य आपूर्ति शृंखलाएँ बाधित हुई हैं, जिससे **मुद्रास्फीतिक दबाव बढ़े हैं और वैश्विक स्तर पर आर्थिक वृद्धि धीमी हुई है।** भू-राजनीतिक जोखिम बाज़ारों और आपूर्ति शृंखलाओं में अनिश्चितता के प्रमुख कारक बने हुए हैं।
  - उदाहरण के लिये, **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** अपने कमज़ोर विवाद निपटान तंत्र के कारण निर्यात प्रतिबंधों को रोकने या व्यापार नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में असमर्थ रहा है, जबकि **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** की वित्तीय सहायता, यद्यपि स्थिरीकरण प्रदान करती है, ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति में व्यवधान जैसे आपूर्ति-पक्षीय आघातों का समाधान नहीं कर पाती। इससे मुद्रास्फीति और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- **क्षेत्रीय प्रसार प्रभाव और अस्थिरता:** किसी एक क्षेत्र में होने वाला सशस्त्र संघर्ष दूरगामी और संक्रामक प्रभाव उत्पन्न करता है, जिससे पड़ोसी देश तथा गठबंधन प्रभावित होते हैं, हथियारों की प्रतिस्पर्द्धा तीव्र होती है तथा विभिन्न महाद्वीपों में कूटनीतिक प्रयास अधिक जटिल हो जाते हैं।
  - रूस–यूक्रेन संघर्ष ने पूर्वी यूरोप से बाहर भी महत्त्वपूर्ण प्रसार प्रभाव उत्पन्न किये हैं।
  - इससे नाटो के विस्तार को बल मिला है, जहाँ फिनलैंड (और स्वीडन) ने सदस्यता की मांग की है, जिससे पूरे यूरोप में हथियारों के संग्रह और सैन्य सुदृढ़ीकरण में वृद्धि हुई है।
- **परमाणु खतरे की राजनीति:** परमाणु वाक्यांशों का सामान्यीकरण **(विशेष रूप से पूर्वी यूरोप में) ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) व्यवस्था को कमज़ोर कर दिया है,** जिससे अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को परमाणु निरोधक की खोज करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है।

भारत के रणनीतिक हितों पर प्रभाव:

- **रणनीतिक स्वायत्तता का संतुलन:** भारत की **पारंपरिक गुटनिरपेक्षता और रणनीतिक स्वायत्तता** की नीति की परीक्षा तब होती है, जब वह पश्चिमी तथा गैर-पश्चिमी शक्तियों दोनों के साथ संबंध बनाए रखने का प्रयास करता है।
  - उदाहरण के लिये, **रूस–यूक्रेन घटनाक्रम** पर भारत की संतुलित प्रतिक्रिया को कई बार अन्य पक्षों की आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिससे कूटनीतिक संतुलन और अधिक जटिल हो गया है।
- **ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा:** भारत की ऊर्जा सुरक्षा काफी हद तक **पश्चिम एशिया** से स्थिर आपूर्ति पर निर्भर करती है।
  - इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का व्यवधान आयात लागत बढ़ा सकता है, मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकता है और प्रतिद्वंद्वी पक्षों के बीच भारत के कूटनीतिक संतुलन को तनावपूर्ण बना सकता है।
- **प्रवासी भारतीय और सुरक्षा संबंधी पहलू:** पश्चिम एशियाई देशों में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता भारत के सामाजिक-आर्थिक हितों, विशेषकर विप्रेषण के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाती है।
  - संघर्ष की स्थिति में उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है और निकासी व कल्याण संबंधी उपायों की आवश्यकता पड़ती है।
  - उदाहरणस्वरूप, **इज़रायल-हमास संघर्ष (2023)** के दौरान भारत ने भारतीय नागरिकों की निकासी के लिये **ऑपरेशन अजय** शुरू किया, जो यह दर्शाता है कि क्षेत्रीय संघर्ष किस प्रकार तुरंत भारतीय प्रवासियों की संवेदनशीलता बढ़ा देते हैं।
- **व्यापार और संपर्क पहल:** क्षेत्रीय अस्थिरता के चलते **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)** जैसी संपर्क एवं आर्थिक गलियारों से जुड़ी भारत की पहल प्रभावित हो सकती

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव व्यापार प्रवाह और निवेशकों के विश्वास पर पड़ता है।

- **आतंकवाद-रोधी और सुरक्षा सहयोग:** निरंतर बनी रहने वाली अस्थिरता पश्चिम एशियाई देशों के साथ आतंकवाद-रोधी सहयोग को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इस क्षेत्र में भारत खुफिया जानकारी साझा करने तथा संयुक्त प्रयासों को बढ़ाने पर विशेष ज़ोर देता रहा है।

वैश्विक संघर्षों के बीच भारत अपने हितों को कैसे सुरक्षित कर सकता है:

- **रणनीतिक स्वायत्तता और मुद्दा-आधारित गठबंधनों का अनुसरण:** भारत को बहुध्रुवीय विश्व में अनुकूलन बनाए रखने के लिये कठोर गठबंधनों से बचते हुए विभिन्न शक्ति केंद्रों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने चाहिये।
- **ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला की अनुकूलन क्षमता को सुदृढ़ करना: ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण,** रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का विस्तार और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना बाह्य आघातों के प्रति संवेदनशीलता को कम करता है।
- **कूटनीतिक और बहुपक्षीय सहभागिता को सशक्त बनाना: G20, क्वाड, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और ब्रिक्स** जैसे मंचों में सक्रिय भागीदारी से भारत वैश्विक मानदंडों को आकार दे सकता है तथा संघर्ष के बजाय संवाद को प्रोत्साहित कर सकता है।
- **प्रवासी भारतीयों और समुद्री हितों की सुरक्षा:** समुद्री सुरक्षा, निकासी क्षमताओं और कूटनीतिक संपर्क को मज़बूत करना विदेशों में भारतीय नागरिकों तथा व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार को बढ़ावा देना:** भारत को संयुक्त राष्ट्र सुधारों का समर्थन जारी रखना चाहिये, ताकि वैश्विक संस्थाएँ **अधिक प्रतिनिधिक, विश्वसनीय और संघर्ष समाधान** में सक्षम बन सकें।

निष्कर्ष:

पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष वर्तमान वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था की नाज़ुकता को उजागर करते हैं। भारत के लिये अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा हेतु **रणनीतिक स्वायत्तता, विविधीकृत साझेदारियाँ और सक्रिय कूटनीति** अपनाना आवश्यक है, ताकि वह निरंतर अधिक अस्थिर होते अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में प्रभावी रूप से मार्गदर्शन कर सकें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-3

अर्थव्यवस्था

प्रश्न : "भारत की उर्वरक नीति को उत्पाद-आधारित सब्सिडी से परिणाम-आधारित पोषक तत्त्व प्रबंधन की ओर एक प्रतिमान परिवर्तन की आवश्यकता है।" नैनो-उर्वरकों और परिशुद्ध कृषि की उभरती भूमिका के संदर्भ में इस पर विवेचना कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- मौजूदा उर्वरक नीति और उसकी कमियों के संबंध संक्षिप्त में परिचय दीजिये।
- मुख्य भाग में बताइये कि नीति अप्रभावी क्यों है, सुधार की ज़रूरत क्यों है और नैनो उर्वरक एवं सटीक खेती की क्या भूमिका है।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत की उर्वरक नीति परंपरागत रूप से **उत्पाद आधारित सब्सिडी** पर आधारित रही है। इससे उर्वरक की कीमतें तो कम हुईं, लेकिन **पोषक तत्त्वों के संतुलित उपयोग में विकृति** आई, जिसके कारण **यूरिया का अत्यधिक प्रयोग, मिट्टी में पोषण असंतुलन और कृषि उत्पादन में कमी** हुई।

- इस संदर्भ में **नैनो-उर्वरक और सटीक कृषि तकनीकें** पोषक तत्त्वों के उपयोग की क्षमता बढ़ाकर एवं **परिणाम-आधारित पोषण प्रबंधन प्रणाली** को सुदृढ़ करके कृषि में परिवर्तनकारी संभावनाएँ प्रस्तुत करती हैं।

मुख्य भाग:

उत्पाद-आधारित सब्सिडी अब प्रभावी क्यों नहीं रही ?

- **एक समान आवेदन, भारत की कृषि-जलवायु विविधता की अनदेखी करते हुए:**
  - भारत के **15 कृषि-जलवायु क्षेत्र स्थल-विशेष पोषण प्रबंधन की मांग** करते हैं, लेकिन वर्तमान प्रणाली **आवश्यकतानुसार आवेदन के बजाय मात्रा-आधारित उपयोग** को बढ़ावा देती है। मौजूदा नीति **उपयोग को प्रोत्साहित करती है, पोषक तत्त्व के परिणामों को नहीं।**
  - **अत्यधिक नाइट्रोजन उपयोग को बढ़ावा:** उर्वरक की मात्रा (मुख्यत: यूरिया) से जुड़ी सब्सिडी ने **NPK के असंतुलित उपयोग** को बढ़ावा **(N:P:K ≈ 6.9:2.4:1 जबकि संतुलित अनुपात 4:2:1 होना चाहिये) दिया है।** वर्तमान नीति **उपयोग को बढ़ावा देती है, पोषक तत्त्व के परिणामों को नहीं।**
- **मिट्टी में पोषक तत्त्वों की खनन और मृदा स्वास्थ्य में गिरावट:**
  - असंतुलित उर्वरक उपयोग से मृदा में **ज़िंक, सल्फर, बोरॉन और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्त्वों** की कमी बढ़ रही है।
  - मिट्टी में जैविक पदार्थ की कमी, सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी और उत्पादन में ठहराव यह दर्शाते हैं कि सार्वजनिक रूप से सभी जगह समान उर्वरक उपयोग से लाभ कम हो रहे हैं।
  - लीकेज, भटकाव और असक्षमता सुधारों (जैसे- उर्वरकों के लिये DBT) के बावजूद बनी हुई हैं।
- **उच्च राजकोषीय बोझ और बाज़ार में विकृति:**
  - जब वैश्विक उर्वरक की कीमतें बढ़ती हैं, तो सब्सिडी **स्वचालित रूप से बढ़ जाती है**, जिससे राष्ट्रीय वित्त पर भारी दबाव पड़ता है।
  - उदाहरण के लिये, भारतीय सरकार ने **वित्त वर्ष 2025-26 में उर्वरक सब्सिडी हेतु ₹1.84 ट्रिलियन** आवंटित किये हैं।
  - यह नीति **बायो-फर्टिलाइज़र, कस्टमाइज्ड उर्वरक, कोटेड उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्त्व मिश्रण** में निजी क्षेत्र के नवाचार को प्रोत्साहित नहीं करती।

परिणाम-आधारित पोषक तत्त्व प्रबंधन की आवश्यकता

- **मूल्यांकन को मात्रा से दक्षता पर केंद्रित करता है:**
  - **परिणाम-आधारित पोषण प्रबंधन (RBNM) पोषक तत्त्व उपयोग दक्षता (NUE)** बढ़ाता है, यह सुनिश्चित

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

करके कि उर्वरक **सही मात्रा में, सही समय पर और सही तरीके से** लगाया जाए।

- यह परिवर्तन **वैश्विक 4R पोषण प्रबंधन ढाँचे** (उर्वरक के लिये सही स्रोत, सही दर, सही समय और सही स्थान) के अनुरूप है।

- **मिट्टी की सेहत के क्षरण को सीधे संबोधित करता है:**
  - यह **साइट-स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट (SSNM), फसल-विशिष्ट सिफारिशें** और **मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड आधारित उर्वरक आवेदन** को बढ़ावा देता है।
  - यह **मृदा परीक्षण, फसल-विशेष आवश्यकताओं और वास्तविक समय निदान को एकीकृत करता** है, जिससे **किसान सर्वत्र समान खुराक की बजाय वैज्ञानिक पोषण अनुप्रयोग अपनाने के लिये प्रोत्साहित** होते हैं।
- **पर्यावरणीय बाह्य प्रभाव को कम करता है:**
  - यह प्रणाली **नाइट्रेट लीचिंग, यूट्रोफिकेशन, अमोनिया उत्सर्जन और भूजल प्रदूषण** जैसी पर्यावरणीय समस्याओं को घटाती है।
  - इसके अलावा यह भारत को **पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं की दिशा में आगे बढ़ने** में मदद करती है और कृषि के **कार्बन पदचिह्न को कम** करती है।
- **बेहतर उत्पादकता के माध्यम किसानों की आय में सुधार होता है:**
  - संतुलित पोषण इनपुट के अपव्यय को कम करता है और फसल की प्रतिक्रिया दर को बेहतर बनाता है, जिससे उच्च उपज एवं बेहतर इनपुट-आउटपुट दक्षता सुनिश्चित होती है।
  - RBNM छोटे किसानों के लिये विशेष रूप से **मार्जिन और लाभप्रदता** को काफी बढ़ा सकता है।
- **उर्वरक उद्योग में इनोवेशन के लिये जगह बनाता है:**
  - चूँकि **सब्सिडी उत्पाद के बजाय प्रदर्शन से जुड़ी होगी**, RBNM कंपनियों को बायोफर्टिलाइजर्स, कोटेड उर्वरक, नैनो-फॉर्मूलेशन आदि में नवाचार करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
  - यह भारत के उर्वरक पारिस्थितिकी तंत्र को मात्रा-आधारित उत्पादन से **विज्ञान-आधारित पोषण समाधान** की ओर बदल देता है।

पैराडाइम शिफ्ट को सक्षम बनाने में नैनो-उर्वरकों की भूमिका

- **नैनो-स्तरीय वितरण से पोषक तत्त्वों की उपयोग दक्षता बढ़ाना**
  - नैनो-उर्वरक जैसे **नैनो यूरिया और नैनो DAP का सतह-क्षेत्र** से आयतन अनुपात अत्यधिक उच्च होता है, जिससे पौधों की पत्तियों द्वारा पोषक तत्त्वों को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित किया जा सकता है।
  - यह **पोषक तत्त्व उपयोग दक्षता (NUE)** को बढ़ाता है और **रासायनिक उर्वरकों के बड़े पैमाने पर** उपयोग से **परिणाम-उन्मुख पोषण अनुप्रयोग की ओर बदलाव** का समर्थन करता है।
- **उपज से समझौता किये बिना उर्वरक की मात्रा में कमी:**
  - नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर की एक बोतल 45 किलोग्राम यूरिया की बोरी का स्थान ले सकती है, जिससे परिवहन, भंडारण और उपयोग की लागत में कमी आती है।
  - यह परिणाम-आधारित पोषक तत्त्व प्रबंधन के अनुरूप है, क्योंकि इसमें **सब्सिडी को खरीदी गई मात्रा के बजाय फसल** के प्रदर्शन और पोषक तत्त्व दक्षता से जोड़ा जाता है।
- **लीचिंग, रनऑफ और वाष्पीकरण से होने वाले नुकसान को कम करता है:**
  - पारंपरिक उर्वरकों में अक्सर नाइट्रोजन के वाष्पीकरण, भूजल में लीचिंग और सतही बहाव के कारण पोषक तत्त्वों की हानि होती है।
  - नैनो-उर्वरक इन हानियों को काफी हद तक कम कर देते हैं, क्योंकि पोषक तत्त्व सीधे पौधों की चयापचय प्रक्रियाओं तक पहुँचाए जाते हैं, जिससे प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होता है और पर्यावरणीय क्षति न्यूनतम रहती है।
- **जलवायु-अनुकूल कृषि का समर्थन करता है:**
  - नैनो-उर्वरक अतिरिक्त नाइट्रोजन के उपयोग को कम करके नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) के उत्सर्जन को घटाते हैं, जो सबसे शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों में से एक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है और अधिक हरित एवं सतत कृषि प्रणाली को समर्थन देता है।

- **मृदा स्वास्थ्य में सुधार और रासायनिक भार में कमी**
  - भारी मात्रा में उपयोग किये जाने वाले रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करके नैनो-फॉर्मूलेशन मृदा को अधिक स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं।
  - कम रासायनिक भार से सूक्ष्मजीवों की सक्रियता और मृदा कार्बनिक कार्बन के स्तर में सुधार होता है।

पैराडाइम शिफ्ट को सक्षम बनाने में प्रिसीजन एग्रीकल्चर की भूमिका

- **डिजिटल और स्मार्ट टूल्स का उपयोग:**
  - रिमोट सेंसिंग, GIS और सैटेलाइट आधारित निगरानी बड़े कृषि क्षेत्रों में **पोषक तत्त्वों की कमी** एवं **फसल की वृद्धि** पर नज़र रखने में मदद करती है।
  - IoT से जुड़े मृदा सेंसर (Soil Sensor) नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैशियम, pH और जैविक कार्बन से संबंधित **रीयल-टाइम डेटा** प्रदान करते हैं।
- **सटीक आपूर्ति तंत्र:**
  - ड्रोन आधारित छिड़काव, GPS-निर्देशित उर्वरक लगाने वाले उपकरण और वैरिएबल रेट तकनीक (VRT) उर्वरकों को सटीक रूप से लगाने की सुविधा देते हैं।
  - नैनो-उर्वरक परिशुद्ध कृषि (PA) के साथ पूरी तरह एकीकृत होते हैं क्योंकि इन्हें माइक्रो-डोज़ और लक्षित छिड़काव की आवश्यकता होती है, जिससे लीकिंग तथा वाष्पीकरण के कारण होने वाली हानि कम होती है।
- **साइट-स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट (SSNM):**
  - परिशुद्ध कृषि (PA) मृदा परीक्षण, भौगोलिक मानचित्रण, IoT सेंसर और ड्रोन से प्राप्त डेटा का उपयोग करके **मृदा में विविधता, नमी, पोषक तत्त्वों का स्तर एवं फसल की स्थिति** का आकलन करता है।
  - इससे किसान **केवल आवश्यक स्थान पर और केवल आवश्यक मात्रा में** उर्वरक का प्रयोग कर पाते हैं, जिससे नुकसान कम होता है।
- **परिणाम-आधारित नीति ढाँचा को सक्षम बनाना:**
  - परिशुद्ध कृषि (PA) **मापन योग्य डेटा** उत्पन्न करता है, जिससे सरकार सब्सिडी को ऐसे परिणामों की ओर ले जा सकती है जो **मापनीय हों**, जैसे- प्रति हेक्टेयर कम उर्वरक की खपत, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार आदि।
  - यह **न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में परफॉर्मेंस-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) शैली** के लिये आवश्यक **निगरानी और सत्यापन** की सुविधा भी प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

मृदा स्वास्थ्य को बहाल करने, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने और दीर्घकालिक कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये **परिणाम-आधारित न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट** की ओर बदलाव अत्यंत आवश्यक है। नैनो-उर्वरक तथा परिशुद्ध कृषि उपकरण लक्षित और मापन योग्य आवेदन के माध्यम से पोषक तत्त्वों के उपयोग की दक्षता को काफी बढ़ा सकते हैं। इन नवाचारों को नीति में शामिल करना भारत को वैज्ञानिक, कुशल एवं सतत उर्वरक प्रणाली बनाने में मदद कर सकता है, जो आत्मनिर्भर भारत व जलवायु-प्रतिरोधी कृषि के लक्ष्यों के अनुरूप हो।

प्रश्न : बढ़ती वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के परिप्रेक्ष्य में भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता मुद्रास्फीति, बाह्य क्षेत्र की संवेदनशीलताओं एवं पूंजी प्रवाहों के विवेकपूर्ण प्रबंधन पर निर्भर करती है। इस संदर्भ में नीतिगत संतुलनों की विवेचना कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- वैश्विक आर्थिक अस्थिरता का उल्लेख करते हुए उत्तर लेखन की शुरुआत कीजिये।
- व्यापक आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करने वाले समझौतों पर चर्चा कीजिये।
- बढ़ती वैश्विक आर्थिक अस्थिरता को कम करने के उपाय प्रस्तावित कीजिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

हाल के वर्षों में, **रूस-यूक्रेन संघर्ष, कोविड-19 के बाद आपूर्ति शृंखला में व्यवधान** और **अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सक्रिय मौद्रिक सख्ती जैसे वैश्विक झटकों ने आर्थिक अस्थिरता को बढ़ा दिया है।

- इस संदर्भ में, **भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता** की परीक्षा **मुद्रास्फीति, बाह्य क्षेत्र की कमज़ोरियों और अस्थिर पूंजी** प्रवाह को एक साथ प्रबंधित करने की आवश्यकता से होती है, जिसमें विकास, स्थिरता एवं नीतिगत विश्वसनीयता के बीच कठिन समझौता करना शामिल है।

मुख्य भाग:

व्यापक आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करने वाले नीतिगत समझौते

- **मुद्रास्फीति नियंत्रण बनाम विकास समर्थन: RBI के मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण कार्यढाँचे (4% ± 2%)** के लिये **कीमतों में वृद्धि होने पर मौद्रिक सख्ती की आवश्यकता** होती है, जैसा कि **खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति के प्रत्युत्तर में वर्ष 2022-24 की ब्याज दरों में वृद्धि के दौरान (RBI, मौद्रिक नीति रिपोर्ट)** देखा गया।
  - हालाँकि, **उच्च ब्याज दरें** उधार लेने की लागत को बढ़ाती हैं, जिससे **निवेश और उपभोग, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) में मंदी** आ सकती है।
    - इस प्रकार क्रय शक्ति की रक्षा के लिये मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना **प्रायः अल्पकालिक विकास की कीमत पर** होता है।
- **बाह्य क्षेत्र की स्थिरता बनाम विनिमय दर लोच: अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा ब्याज दरों में सख्ती,** जैसे वैश्विक झटके **पूंजी के बहिर्वाह और रुपये के अवमूल्यन का कारण** बनते हैं।
  - **RBI द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार** (वर्ष 2024 में USD 640 बिलियन से अधिक) के **माध्यम से किया गया हस्तक्षेप अस्थिरता को नियंत्रित करने में सहायक** होता है (RBI आँकड़े), किंतु **अत्यधिक हस्तक्षेप से भंडार क्षरण का जोखिम** रहता है।
  - **रुपये के अवमूल्यन की अनुमति देने से निर्यात को समर्थन** मिलता है, परंतु इससे विशेषकर तेल के मामले में आयातित मुद्रास्फीति बढ़ती है।
- **पूंजी प्रवाह प्रबंधन बनाम वित्तीय खुलापन:** भारत को अपने **चालू खाता घाटे (CAD) के वित्तपोषण के लिये पूंजी प्रवाह से लाभ** होता है, जो हाल के वर्षों में **GDP के लगभग 1-2% के आसपास** रहा है।
  - हालाँकि, अस्थिर पोर्टफोलियो प्रवाह बाज़ारों को अस्थिर कर सकता है, जैसा कि **'टेपर टैंट्रम' जैसी घटनाओं के दौरान** देखा गया है।
  - यहाँ नीतिगत समझौता **निवेशक विश्वास बनाए रखने तथा आकस्मिक बहिर्गमन को कम करने हेतु मैक्रो-प्रूडेंशियल उपायों के उपयोग** के बीच निहित है।
  - इसके साथ ही, व्यापक स्थिरता और निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने के लिये **राजकोषीय समेकन आवश्यक** है। फिर भी वैश्विक मंदी के दौर में **मांग को समर्थन देने हेतु विस्तारवादी राजकोषीय नीति की आवश्यकता** होती है, जैसा कि **महामारी के बाद पूंजीगत व्यय में वृद्धि से स्पष्ट** है।
    - यह **ऋण-स्थिरता तथा संवृद्धि समर्थन के बीच एक और संतुलन** बनाना पड़ता है।

भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता पर वैश्विक प्रभावों को कम करने के उपाय

- **मुद्रास्फीति प्रबंधन को मज़बूत बनाना:** केवल ब्याज दरों पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिये मौद्रिक नीति के साथ-साथ **राजकोषीय उपकरणों (बफर स्टॉक, खाद्य/ईंधन पर कैलिब्रेटेड आयात शुल्क)** का उपयोग किया जाना चाहिये।
  - **खाद्य मुद्रास्फीति की अस्थिरता** को कम करने के लिये कृषि आपूर्ति शृंखलाओं और भंडारण में सुधार किया जाना चाहिये।
- **निर्यात विविधीकरण को प्रोत्साहन:** बाज़ारों और वस्तुओं पर निर्भरता कम करने के लिये **निर्यात विविधीकरण (वस्तुओं और सेवाओं)** को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - **ऊर्जा विविधीकरण,** नवीकरणीय ऊर्जा और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के माध्यम से तेल की निर्भरता को कम किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **पूंजी प्रवाह की अस्थिरता का प्रबंधन:** अस्थिर पोर्टफोलियो प्रवाह की तुलना में **स्थिर दीर्घकालिक पूंजी प्रवाह (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, संप्रभु निधि)** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - प्रतिचक्रीय पूंजी बफर और अत्यधिक अल्पकालिक उधार पर सीमा जैसे **व्यापक विवेकपूर्ण उपायों का उपयोग** किया जाना चाहिये।
  - अचानक होने वाले उलटफेर से बचने के लिये पूंजी खाते का क्रमिक और सुनियोजित उदारीकरण आवश्यक है।
- **विनिमय दर जोखिम न्यूनीकरण: बाज़ार द्वारा निर्धारित विनिमय दर की** अनुमति दी जानी चाहिये तथा **RBI का हस्तक्षेप केवल अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिये हो,** न कि निश्चित स्तरों की रक्षा के लिये।
  - कंपनियों को बाह्य झटकों से बचाने के लिये घरेलू **मुद्रा डेरिवेटिव और हेजिंग बाज़ारों को मज़बूत** किया जाना चाहिये।
- **राजकोषीय और संस्थागत समन्वय:** विकास को बढ़ावा देने वाले पूंजीगत व्यय की रक्षा करते हुए एक विश्वसनीय **मध्यम अवधि के राजकोषीय समेकन मार्ग को बनाए रखना आवश्यक** है।
  - **निवेशकों की अपेक्षाओं को स्थिर करने के लिये डेटा पारदर्शिता** और संचार को मज़बूत किया जाना चाहिये।
- **रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना: सीमा पार व्यापार निपटान, द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्था तथा ऊर्जा और वस्तु आयात के बिलिंग** में भारतीय रुपये के उपयोग का विस्तार किया जाना चाहिये।
  - इससे **अमेरिकी डॉलर जैसी मज़बूत मुद्राओं पर निर्भरता कम होगी,** मुद्रास्फीति पर विनिमय दर का प्रभाव कम होगा तथा **वैश्विक वित्तीय संकटों के प्रति भारत की समुत्थानशीलता** बढ़ेगी।

निष्कर्ष:

वैश्विक स्तर पर अनिश्चित आर्थिक वातावरण में भारत बाह्य प्रसार प्रभावों से पूर्णत: बच नहीं सकता, किंतु **समुत्थानशीलता तथा नीतिगत विवेक के माध्यम से उनका प्रबंधन** अवश्य कर सकता है।

मुद्रास्फीति नियंत्रण, बाह्य क्षेत्र बफरों तथा पूंजी प्रवाह प्रबंधन का एक संतुलित मिश्रण, मज़बूत संस्थानों और स्पष्ट नीतिगत संप्रेषण के साथ संवृद्धि की गति बनाए रखते हुए व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में निर्णायक होगा।

प्रश्न : खाद्य प्रसंस्करण और कृषि-आधारित उद्योग भारत को कृषि-निर्भर अर्थव्यवस्था से विनिर्माण-नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की वर्तमान स्थिति को रेखांकित करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- मुख्य भाग में तर्क दीजिये कि यह क्षेत्र आर्थिक विकास के लिये क्यों महत्त्वपूर्ण है।
- इसकी संभावनाओं को बाधित करने वाली चुनौतियों को सूचीबद्ध कीजिये।
- इन चुनौतियों से निपटने के लिये उपाय प्रस्तावित कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत का लगभग 45% कार्यबल कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद **(GDP) में इसका योगदान मात्र 18%** है, जो कम उत्पादकता और अप्रत्यक्ष बेरोज़गारी को दर्शाता है। इसके विपरीत, विनिर्माण क्षेत्र, विशेष रूप से **खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योग,** अतिरिक्त श्रम को समायोजित करने, मूल्य संवर्द्धन को बढ़ाने एवं संरचनात्मक परिवर्तन को गति देने का एक महत्त्वपूर्ण मार्ग प्रदान करते हैं।

- इस क्षेत्र को मज़बूत करने से कृषि और उद्योग के बीच के अंतराल को न्यूनतम किया जा सकता है, जिससे भारत को विनिर्माण-आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होने में सहायता मिलेगी।

मुख्य भाग:

संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तन को गति देने में खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योगों की भूमिका

- **किसानों के लिये मूल्य-वर्द्धन और आय वृद्धि:** खाद्य प्रसंस्करण से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान (ICAR के अनुसार

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सालाना ₹92,000 करोड़ का अनुमानित नुकसान) को कम किया जा सकता है, क्योंकि इससे शीघ्र नष्ट होने वाली उपज को उच्च मूल्य वाले उत्पादों में परिवर्तित किया जा सकता है।

- उदाहरण: **आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र** में टमाटर प्रसंस्करण इकाइयों ने **संविदा कृषि तथा सुनिश्चित खरीद के माध्यम से किसानों की आय को स्थिर** किया है।

- **कृषि से परे रोज़गार सृजन:** कृषि-प्रसंस्करण श्रम-प्रधान है तथा भंडारण, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और विपणन में ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त श्रम को रोज़गार प्रदान कर सकता है।
  - खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र **संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार का 12.41% योगदान** देता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं युवाओं के रोज़गार की प्रबल संभावना है।
- **विनिर्माण उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा:** प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात **(तैयार भोजन, समुद्री उत्पाद, डेयरी उत्पाद)** कच्चे कृषि उत्पादों के निर्यात की तुलना में तेज़ी से बढ़ रहा है।
  - खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिये **उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) और PM-FME** जैसी योजनाएँ MSME को मूल्य-वर्द्धित उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित कर रही हैं।
- **ग्रामीण औद्योगीकरण और आपूर्ति शृंखलाओं को मज़बूत बनाना:** फूड पार्क, शीत शृंखलाओं (कोल्ड चेन) और कृषि-लॉजिस्टिक्स का विकास किसानों को बाज़ारों से जोड़ता है और मध्यवर्तियों की भूमिका को कम करता है।
  - **मेगा फूड पार्क्स** क्लस्टर-आधारित औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जो **कृषि उत्पादों को वैश्विक बाज़ारों तक पहुँचाते हैं।**
- **संबद्ध क्षेत्रों और नवाचार के लिये उत्प्रेरक:** खाद्य प्रसंस्करण के विकास से **पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज, परिवहन और कृषि-तकनीक समाधानों की मांग को बढ़ावा** मिलता है।
  - खाद्य प्रसंस्करण, ट्रेसबिलिटी और कृषि मशीनीकरण के क्षेत्र में शुरू किये गए उद्यम कृषि के तकनीकी उन्नयन में सहयोग करते हैं।

परिवर्तनकारी क्षमता को सीमित करने वाली निरंतर चुनौतियाँ

- **अपर्याप्त अधोसंरचना और कोल्ड-चेन की कमियाँ:** अपर्याप्त भंडारण, लॉजिस्टिक्स और परिवहन सुविधाएँ फसल कटाई के बाद भारी नुकसान का कारण बनती हैं तथा पैमाने की दक्षता को सीमित करती हैं।
  - उदाहरण के लिये, **भारत में केवल 10% नाशवान वस्तुओं को ही कोल्ड चेन में संग्रहित** किया जाता है।
- **खंडित आपूर्ति शृंखलाएँ और लघु कृषि क्षेत्र: लघु भू-जोत एवं किसान-उद्योग के बीच कमज़ोर संबंध** लगातार गुणवत्ता और बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं।
  - **86% से अधिक किसान लघु और सीमांत किसान** हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण के लिये उपयुक्त गुणवत्ता एवं मात्रा सुनिश्चित करना कठिन है।
- **वित्त और प्रौद्योगिकी तक सीमित अभिगम्यता:** लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण संबंधी बाधाओं, पुरानी मशीनरी और आधुनिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण में कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
  - कृषि मशीनों का उपयोग चीन और ब्राज़ील की तुलना में लगभग **40-45% कम** है।
- **नियामक और नीतिगत अड़चनें:** जटिल नियम, विभिन्न राज्य नीतियाँ और अनुपालन संबंधी बोझ निजी निवेश को हतोत्साहित करते हैं।
- **कौशल और क्षमता संबंधी बाधाएँ:** खाद्य प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण और पैकेजिंग में कुशल जनशक्ति की कमी उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता को कम करती है।

खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योगों की पूरी क्षमता को उजागर करने के उपाय

- **भौतिक अवसंरचना और कोल्ड चेन को मज़बूत करना:** फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने तथा विशेष रूप से शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के मामले में खेत से बाज़ार तक निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने के लिये एकीकृत **कोल्ड-चेन नेटवर्क, गोदामों और लॉजिस्टिक्स पार्कों का विस्तार** किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **ऋण और वित्तीय सहायता तक अभिगम्यता बढ़ाना:** प्रसंस्करण इकाइयों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये **लक्षित योजनाओं, ऋण गारंटी और ब्याज सब्सिडी के माध्यम से लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) तथा किसान उत्पादक संगठनों (FPO)** के लिये किफायती ऋण तक अभिगम्यता में सुधार किया जाना चाहिये।
- **प्रौद्योगिकी का अंगीकरण और नवाचार को बढ़ावा देना:** दक्षता व गुणवत्ता मानकों में सुधार के लिये सब्सिडी, प्रौद्योगिकी अंतरण एवं सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से **आधुनिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों, स्वचालन और खाद्य-ग्रेड पैकेजिंग** के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **कृषि-उद्योग संबंधों को मज़बूत करना:** किसानों को सीधे प्रोसेसरों से जोड़ने और आपूर्ति शृंखला के विखंडन को कम करने के लिये **अनुबंध कृषि, क्लस्टर-आधारित खाद्य पार्क एवं एकत्रीकरण मॉडल को बढ़ावा** दिया जाना चाहिये।
- **नियामक कार्यढाँचों को सरल बनाना और नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित करना: लाइसेंसिंग आवश्यकताओं** को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिये, **खाद्य सुरक्षा मानकों में सामंजस्य स्थापित** करना चाहिये तथा दीर्घकालिक निजी निवेश को आकर्षित करने के लिये पूर्वानुमानित नीतियों को सुनिश्चित करना चाहिये।
- **कौशल विकास और कार्यबल प्रशिक्षण:** प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी पहलों के तहत **खाद्य प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण, कोल्ड-चेन प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स** में विशिष्ट कौशल कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिये।
- **निर्यात उन्मुखीकरण और वैश्विक मानकों को बढ़ावा देना: अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों (HACCP, कोडेक्स)** के अनुपालन का समर्थन करना चाहिये तथा वैश्विक खाद्य बाज़ारों में भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने के लिये निर्यात अधोसंरचना को मज़बूत करना चाहिये।

निष्कर्ष:

सतत विकास लक्ष्य— SDG2 (**भुखमरी से मुक्ति**) को प्राप्त करने तथा भारत के संरचनात्मक परिवर्तन को गति देने के लिये **खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योगों को सुदृढ़ करना आवश्यक** है। मूल्य-वर्द्धन, निर्यात और ग्रामीण रोज़गार को बढ़ावा देकर, यह क्षेत्र वर्ष 2030 तक **कृषि निर्यात में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के भारत के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक** हो सकता है। एक सुदृढ़, समावेशी एवं प्रौद्योगिकी-आधारित कृषि-औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र सतत और लचीले आर्थिक विकास के लिये केंद्रीय भूमिका निभाएगा।

प्रश्न : राजकोषीय समेकन और विकास को प्रोत्साहन प्रायः भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिये एक नीतिगत दुविधा उत्पन्न करते हैं। भारत किस प्रकार राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखते हुए अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता के साथ संतुलन स्थापित कर सकता है, इस पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत हाल के राजकोषीय प्रबंधन के रुझानों के संदर्भ के साथ कीजिये।
- मुख्य भाग में नीतिगत दुविधा को संक्षेप में स्पष्ट करते हुए यह तर्क प्रस्तुत कीजिये कि राजकोषीय अनुशासन क्यों अनिवार्य है।
- इसके पश्चात सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता की चर्चा कीजिये ।
- दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिये उपयुक्त उपाय सुझाएँ।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत के समक्ष राजकोषीय समेकन और विकासोन्मुखी व्यय के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती है। **केंद्रीय बजट 2025-26** में **राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.4% तक कम करने का लक्ष्य** रखा गया है।

- राजस्व और प्राथमिक घाटे में यह गिरावट बेहतर राजकोषीय अनुशासन को दर्शाती है। साथ ही निरंतर सार्वजनिक निवेश और वर्ष **2030-31 तक सार्वजनिक ऋण को GDP के लगभग 50% तक कम करने की योजना** का उद्देश्य दीर्घकालिक विकास तथा स्थिरता को समर्थन देना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

नीतिगत दुविधा

- **विकास की अनिवार्यता:** भारत को अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का समुचित उपयोग करने के लिये 7–8% की निरंतर आर्थिक वृद्धि की आवश्यकता है। इसके लिये अवसंरचना (विशेषकर लॉजिस्टिक्स) तथा सामाजिक क्षेत्रों (स्वास्थ्य और शिक्षा) में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक व्यय अनिवार्य है।
- **राजकोषीय बाध्यता:** अत्यधिक व्यय से उच्च **राजकोषीय घाटा** उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित समस्याएँ सामने आ सकती हैं—
  - **क्राउडिंग आउट:** सरकार द्वारा अधिक उधारी लेने से निजी क्षेत्र के लिये ब्याज दरें बढ़ जाती हैं।
  - **मुद्रास्फीति:** आपूर्ति-पक्ष में समान वृद्धि के बिना धन आपूर्ति बढ़ने से महँगाई का दबाव बढ़ता है।
  - **ऋण स्थिरता पर खतरा:** 'ऋण-जाल' की स्थिति, जहाँ सरकारी राजस्व का बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान में ही खर्च हो जाता है

राजकोषीय अनुशासन क्यों आवश्यक है:

- **समष्टि-आर्थिक स्थिरता:** उच्च राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ाता है, ब्याज दरों में वृद्धि करता है तथा **निजी निवेश के लिये संसाधनों** की उपलब्धता को सीमित करता है। (क्राउडिंग आउट)।
- **निवेशक विश्वास एवं क्रेडिट रेटिंग:** राजकोषीय अनुशासन वैश्विक निवेशकों और रेटिंग एजेंसियों के बीच भारत की विश्वसनीयता को सुदृढ़ करता है, जिससे स्थिर पूंजी प्रवाह आकर्षित होता है तथा ऋण की लागत घटती है।
  - उदाहरणस्वरूप, 2024 में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की संप्रभु रेटिंग आउटलुक को 'स्थिर' से बढ़ाकर 'सकारात्मक' किया।
  - एक पूर्वानुमेय राजकोषीय मार्ग भारत के आर्थिक प्रबंधन में विश्वास को मज़बूत करता है।
- **अंतर-पीढ़ीगत न्याय:** अत्यधिक ऋण से आज का वित्तीय बोझ भविष्य की पीढ़ियों पर स्थानांतरित हो जाता है। सार्वजनिक ऋण में कमी से समय के साथ न्यायसंगत और सतत विकास सुनिश्चित होता है।

सार्वजनिक निवेश क्यों महत्त्वपूर्ण है ?

- **अवसंरचना-आधारित विकास:** सड़कों, रेल, बंदरगाहों और डिजिटल अवसंरचना पर सार्वजनिक पूंजीगत व्यय का **उच्च गुणक प्रभाव** होता है।
  - पूंजीगत व्यय का आर्थिक प्रभाव अत्यधिक व्यापक होता है। निवेश किये गए प्रत्येक **₹1 से अर्थव्यवस्था में ₹2.5 से ₹3.5 तक** का अतिरिक्त उत्पादन संभव है, जो न केवल विकास को गति देता है बल्कि निजी क्षेत्र के निवेश के लिये भी अनुकूल अवसर पैदा करता है।
- **समावेशी विकास के लिये सामाजिक क्षेत्र में निवेश:** स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सामाजिक सुरक्षा में निवेश मानव पूंजी को सुधारता है, असमानता को कम करता है तथा दीर्घकालिक उत्पादकता का समर्थन करता है।
  - यह व्यय सतत विकास लक्ष्यों **SDG 1 (गरीबी उन्मूलन), SDG 3 (स्वास्थ्य), SDG 4 (शिक्षा) और SDG 10 (असमानता में कमी)** के अनुरूप है।
- **राज्य की प्रत्यावर्ती भूमिका:** आर्थिक मंदी के दौरान सरकारी व्यय मांग और रोज़गार को स्थिर बनाए रखता है।
  - COVID-19 के बाद की राजकोषीय सहायता ने विकास को गति देने में सहायता की, यह दर्शाते हुए कि संकट के समय सार्वजनिक व्यय एक **आर्थिक आघात अवशोषक तंत्र** के रूप में अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता है।

विकास आवश्यकताओं के साथ वित्तीय अनुशासन का संतुलन

- **व्यय की गुणवत्ता को प्राथमिकता देना:** राजस्व-केंद्रित सब्सिडी से **उत्पादक पूंजीगत व्यय** की ओर बदलाव बेहतर विकास परिणाम सुनिश्चित करता है।
- **राजस्व सृजन को बढ़ाना:** GST में सुधार, अनुपालन को सुदृढ़ करना और अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देना **कर आधार** का विस्तार करता है, जिससे **कर दर बढ़ाए बिना राजस्व में वृद्धि** की जा सकती है।
- **संपत्ति का मुद्रीकरण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):** कम उपयोग किये जा रहे सार्वजनिक संसाधनों का **मुद्रीकरण** और PPP के माध्यम से निजी पूंजी का उपयोग करने से **अत्यधिक वित्तीय बोझ के बिना अवसंरचना** को वित्तपोषित किया जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **लक्षित और प्रभावी सब्सिडी: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** और प्रौद्योगिकी-आधारित लक्षित वितरण प्रणालियों ने न केवल वित्तीय 'लीकेज' को न्यूनतम किया है, बल्कि प्रशासनिक दक्षता में भी वृद्धि की है, जिससे **उत्पादक निवेश के लिये वित्तीय स्थान** तैयार होता है।
- **मध्यम अवधि के वित्तीय ढाँचे:** FRBM समीक्षा समिति द्वारा सुझाए गए **पारदर्शी और विश्वसनीय मध्यम अवधि के वित्तीय रोडमैप** का पालन करने से **संकलन तथा विकास आवश्यकताओं** के बीच संतुलन बनाए रखना संभव होता है।

निष्कर्ष:

भारत की चुनौती **राजकोषीय अनुशासन और विकास** में से किसी एक को चुनने की नहीं, बल्कि **स्मार्ट सार्वजनिक व्यय तथा कुशल संसाधन प्रबंधन** के माध्यम से दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने की है। **दीर्घकालिक नियोजन और संरचनात्मक सुधारों** से प्रेरित यह दृष्टिकोण ही समावेशी आर्थिक भविष्य सुनिश्चित करने की कुंजी है।

जैव विविधता और पर्यावरण

प्रश्न : आर्थिक नीति निर्माण में पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को कम महत्त्व दिया जाता है, जिससे विकास और संधारणीयता दोनों ही कमज़ोर हो रहे हैं। नीतिगत निर्णय-प्रक्रिया में पारिस्थितिक तंत्र मूल्यांकन को एकीकृत करने के भारत के प्रयासों का आकलन कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की संक्षिप्त जानकारी देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- पारिस्थितिक तंत्र मूल्यांकन को एकीकृत करने के भारत के प्रयासों के आकलन पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- महत्त्वपूर्ण अंतरालों और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये।
- भारत को मात्र अंकेक्षण से आगे बढ़ते हुए उत्तरदायित्व की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिये, इसके लिये उपाय प्रस्तावित कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं (प्रकृति द्वारा प्रदान किये जाने वाले लाभ, जैसे– कार्बन अवशोषण, जलशोधन और परागण) को प्राय: **नि:शुल्क सार्वजनिक वस्तुओं के रूप** में माना जाता है।

- आर्थिक नीति निर्माण में उनके **अवमूल्यन के कारण सामूहिक संसाधनों का क्षय** होता है, जहाँ अल्पकालिक विकासात्मक लाभ, जैसे– राजमार्ग निर्माण को दीर्घकालिक संधारणीयता से अधिक प्राथमिकता दी जाती है और अंतत: भविष्य के विकास हेतु आवश्यक संसाधन-आधार और भी कमज़ोर हो जाता है।

मुख्य भाग:

पारिस्थितिक तंत्र मूल्यांकन को एकीकृत करने के भारत के प्रयास:

- **प्राकृतिक पूंजी लेखांकन का संस्थागतकरण**
  - **EnviStats इंडिया:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) अब वार्षिक EnviStats रिपोर्ट जारी करता है।
    - ये सकल घरेलू उत्पाद के साथ-साथ मृदा, जल और जैव विविधता जैसी प्राकृतिक संपदाओं की निगरानी करने के लिये **SEEA (पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन प्रणाली) कार्यढाँचे का पालन** करते हैं।
  - **NCAVES परियोजना:** भारत उन पाँच देशों में से एक है, जो यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर **प्राकृतिक पूंजी लेखांकन और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन (NCAVES) परियोजना** को क्रियान्वित कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य **हरित GDP के समतुल्य का सृजन** करना है।
    - यह दृष्टिकोण विकास को किसी भी मूल्य पर प्राप्त करने के बजाय संसाधन-क्षय को समायोजित विकास की ओर ले जाता है।
- **पारिस्थितिक राजकोषीय अंतरण (EFT):** भारत संरक्षण के लिये राज्यों को भुगतान करने की दुनिया की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक का संचालन करता है।
  - **वित्त आयोग (FC) पुरस्कार: 15वें वित्त आयोग** ने अपने कर अंतरण फॉर्मूले में **वन और पारिस्थितिकी को 10% भार** दिया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इससे राज्यों को वनों का दोहन न करने से होने वाली **राजकोषीय अक्षमता (राजस्व की हानि)** की भरपाई करके वन आवरण बनाए रखने के लिये प्रोत्साहन मिलता है।

- **नियामक मूल्यांकन:**
  - **वन परिवर्तन लागत: वन (संरक्षण) अधिनियम** के तहत वन भूमि का परिवर्तन करने वाली किसी भी उपयोगकर्त्ता एजेंसी (उद्योग/सरकार) को नष्ट हुए वन का **निवल वर्तमान मूल्य (NPV)** चुकाना होता है।
- **उप-राष्ट्रीय एवं स्थानीय सफलताएँ (पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के लिये भुगतान— PES)**
  - **पालमपुर मॉडल (हिमाचल प्रदेश):** एक अग्रणी उदाहरण जहाँ **पालमपुर नगरपरिषद** जलग्रहण क्षेत्र की सुरक्षा के लिये अपस्ट्रीम **ग्राम वन विकास सोसाइटी को भुगतान** करती है।

महत्त्वपूर्ण अंतराल और चुनौतियाँ

- **मूल्यांकन बनाम वास्तविक मूल्य निर्धारण: बड़े उद्योगों द्वारा** एन.पी.वी. **को प्राय:** एक निवारक के बजाय मात्र **व्यापार करने की लागत के रूप में माना जाता है।**
  - यह मूल्यांकन अभी भी प्राचीन वनों के विनाश को रोकने के लिये काफी कम है (उदाहरण के लिये, **हसदेव अरंड** कोयला खनन)।
- **हरित बनाम हरित का अंतर्विरोध:** नवीकरणीय ऊर्जा (सौर पार्क, जलविद्युत) के लिये भारत का प्रयास प्राय: पारिस्थितिक तंत्र के मूल्यांकन को नज़रअंदाज़ कर देता है।
  - उदाहरण के लिये, राजस्थान में बड़े सौर पार्कों द्वारा **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आवास** को खतरा उत्पन्न करना इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार एक हरित लक्ष्य (जलवायु) दूसरे लक्ष्य (जैव विविधता) को कमज़ोर कर सकता है।
- **EFT में कार्यान्वयन घाटा:** अध्ययनों से पता चलता है कि **राज्यों को पारिस्थितिक राजकोषीय अंतरण** प्राप्त होता है, लेकिन इस धन को वानिकी या पर्यावरण पुनर्स्थापन में विशेष रूप से पुनर्निवेशित करने के बजाय प्राय: सामान्य बजट में समाहित कर दिया जाता है।
- **पद्धतिगत जटिलता:** परागण अथवा बाढ़-नियंत्रण जैसी कल्पित मूल्य निर्धारण सेवाओं के **उचित राष्ट्रीय मूल्यांकन के लिये कोई मानकीकृत पद्धति नहीं** है। **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) में मूल्यांकन प्राय: असंगत रूप से** किया जाता है।

विकास को संवहनीयता के साथ सही मायने में संरेखित करने के लिये, भारत को **लेखा से जवाबदेही** की ओर बढ़ना होगा: **सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने हेतु आवश्यक सुधार**

- **हरित लेखांकन का मानकीकरण:** एनविस्टेट्स को एक सांख्यिकीय अभ्यास से नीतिगत उपकरण में बदला जाना चाहिये। राष्ट्रीय बजट के वक्तव्यों में आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ प्राकृतिक पूंजी के क्षरण का उल्लेख अनिवार्य होना चाहिये।
- **राष्ट्रीय PES कार्यढाँचा: पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के लिये भुगतान (PES)** के लिये एक राष्ट्रीय नीति को औपचारिक रूप दिया जाना चाहिये, ताकि पालमपुर जैसे और अधिक मॉडलों को प्रोत्साहित किया जा सके, विशेष रूप से नदी घाटियों (जैसे– निचले शहरों द्वारा ऊपरी क्षेत्र के किसानों को भुगतान) के लिये।
- **पर्यावरण प्रभाव आकलन में सुधार:** पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में अनिवार्य **लागत-लाभ विश्लेषण** शामिल होना चाहिये, जो पारिस्थितिक तंत्र की हानि का आकलन करता हो तथा यह सुनिश्चित करता हो कि परियोजनाओं को केवल तभी मंज़ूरी दी जाए जब सार्वजनिक लाभ वास्तव में पारिस्थितिक लागत से अधिक हो।

निष्कर्ष:

भारत ने **15वें वित्त आयोग और पर्यावरण-सांख्यिकी** के माध्यम से **पारिस्थितिक तंत्र के मूल्यांकन के लिये आधारभूत संरचना** तैयार कर ली है। हालाँकि, **वास्तविक संधारणीयता** के लिये **इन मूल्यों को असंवहनीय परियोजनाओं पर प्रभावी रूप से रोक** लगाने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि **प्रकृति का मूल्यांकन करने से आगे बढ़कर आर्थिक विकल्पों को प्रकृति की वास्तविक महत्ता के अनुरूप संचालित** किया जाए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रश्न : एक मज़बूत डीप-टेक औद्योगिक आधार के बिना भारत के लिये अग्रणी तकनीकों को दिशा देने के बजाय केवल उनका उपयोग करने वाला देश बनकर रह जाने का जोखिम है। अंतरिक्ष तकनीक, चिकित्सा-तकनीक और स्वच्छ तकनीक में डीप-टेक अनुसंधान के व्यावसायीकरण की भारत की क्षमता का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- डीप-टेक के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- भारत की अंतरिक्ष तकनीक, चिकित्सकीय तकनीक तथा स्वच्छ तकनीक के क्षेत्रों में डीप-टेक को व्यावसायिक रूप देने की क्षमता का विश्लेषण कीजिये।
- स्पष्ट कीजिये कि भारत के समक्ष केवल उपभोक्ता बने रहने के पीछे कौन-सी संरचनात्मक चुनौतियाँ हैं।
- डीप-टेक अनुसंधान के व्यावसायीकरण को मज़बूत करने के उपाय प्रस्तावित कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

डीप-टेक वे तकनीकें हैं, जो गहन वैज्ञानिक अनुसंधान तथा उच्च स्तर की अभियांत्रिकी पर आधारित होती हैं, AI, जीनोमिक्स, रोबोटिक्स और उन्नत पदार्थ विज्ञान। इन **प्रौद्योगिकियों** को स्वयं विकसित करने और उनका औद्योगिक आधार निर्मित किये बिना, भारत स्थायी रूप से इनके **आयात (उपयोग) पर निर्भर** रह सकता है। इससे न केवल **सामरिक स्वायत्तता प्रभावित** होती है, बल्कि **मूल्य-सृजन की क्षमता भी सीमित** रहती है।

मुख्य भाग:

भारत की व्यावसायीकरण क्षमता

- **अंतरिक्ष तकनीक:** उभरता हुआ **निर्माता (उच्च क्षमता) बनने की ओर यह क्षेत्र भारत की सबसे सुदृढ़ व्यावसायीकरण क्षमता** को प्रदर्शित करता है, जो **IN-SPACe के माध्यम से ISRO और निजी क्षेत्र के पृथक्करण द्वारा संचालित** है।
  - **निर्माता बनाम उपयोगकर्त्ता डायनेमिक:**
    - **उपयोगकर्त्ता:** अमेरिका नियंत्रित GPS पर निर्भरता।
    - **निर्माता: NavIC** का विकास, बेहतर क्षेत्रीय सटीकता और रणनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करना।
  - **व्यावसायिक सफलताएँ:**
    - **स्काईरूट एयरोस्पेस: रॉकेट (विक्रम-एस) लॉन्च करने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी** बन गई, जिससे यह सिद्ध हुआ कि निजी उद्योग पहले राज्य द्वारा आयोजित लॉन्च सेवाओं का व्यवसायीकरण कर सकते हैं।
    - **पिक्सल: निर्माता** होने का एक प्रमुख उदाहरण। यह हाल ही में **हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग डेटा के लिये NASA का अनुबंध हासिल करने वाला पहला भारतीय स्टार्टअप** बन गया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि भारतीय IP वैश्विक उच्च-तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।
    - **अग्निकुल कॉसमॉस: 3D-प्रिंटेड सेमी-क्रायोजेनिक इंजन** का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ऑन-डिमांड प्रक्षेपण सेवाओं की ओर अग्रसर।
- **मेड-टेक: मिश्रित क्षमता और विकास अवरोध**
  - यद्यपि भारत **विश्व की फार्मेसी** (जेनेरिक) **है**, यह **उच्च-स्तरीय चिकित्सा उपकरणों** (70-80% आयात निर्भरता) का उपयोगकर्त्ता बना हुआ है।
  - **उपयोगकर्त्ता संजाल:** भारत लगभग **सभी उच्च-स्तरीय इमेजिंग उपकरण (MRI, CT स्कैनर)** GE और सीमेंस जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनियों से आयात करता है।
  - **उभरती हुई निर्माता क्षमताएँ:**
    - **SSI मंत्र:** भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली। इसने **वैश्विक एकाधिकार (दा विंची सिस्टम) के एक सस्ते विकल्प का व्यावसायीकरण** किया और जटिल मेक्ट्रोनिक्स को स्थानीय स्तर पर डिज़ाइन करने की क्षमता का प्रदर्शन किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन:** राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन ने स्टार्टअप्स को सफलतापूर्वक समर्थन दिया है, लेकिन कई स्टार्टअप्स अंतिम चरण की पूंजी (सीरीज B/C फंडिंग) की कमी एवं नियामक बाधाओं के कारण विस्तार करने में असफल रहे हैं।

- **स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी: स्थापना परक उपयोग से निर्माणशीलता की ओर संक्रमण (क्षमता में वृद्धि)** भारत ऐतिहासिक रूप से स्वच्छ तकनीक का उपयोगकर्त्ता रहा है (उदाहरण के लिये, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिये चीन से सोलर पैनल आयात करना)। किंतु अब उत्पादन, शोध तथा स्वदेशी मूल्य शृंखला निर्माण की दिशा में परिवर्तन प्रारंभ हुआ है।
  - **ग्रीन हाइड्रोजन: न्यूट्रेस** और **GreenH** जैसे स्टार्टअप यूरोपीय प्रौद्योगिकी का आयात करने के बजाय उत्पादन लागत को कम करने के लिये स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइज़र प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहे हैं।
  - **बैटरी भंडारण:** यद्यपि PLI योजना विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है, फिर भी भारत में **उन्नत रसायन सेल (ACC)** अनुसंधान एवं विकास में मज़बूत आधार का अभाव है, जिसके कारण यह आयातित लिथियम-आयन IP और कच्चे माल पर निर्भर है।

भारत के लिये उपयोगकर्त्ता बने रहने का जोखिम क्यों (संरचनात्मक चुनौतियाँ)

- **वित्तपोषण अंतराल:** घरेलू जोखिम पूँजी प्राय: त्वरित लाभ वाले क्षेत्रों (फिनटेक/ई-कॉमर्स) को प्राथमिकता देती है जबकि डीप टेक के लिये दीर्घकालिक धैर्यपूर्ण पूँजी (5-10 वर्ष की अवधि) की आवश्यकता होती है।
  - इसके कारण, कई नवाचार प्रारंभिक स्तर पर ही रुक जाते हैं और या विदेशों में पंजीकरण स्थानांतरित (**फ्लिपिंग-वित्तपोषण के लिये अमेरिका/सिंगापुर चले जाते हैं**) कर देते हैं।
- **क्रय-विक्रय की संस्कृति:** कई सरकारी निविदाएँ प्राय: **L1-T (स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकी के साथ सबसे कम लागत)** की तुलना में **L1 (सबसे कम लागत) को प्राथमिकता** देती हैं।
  - पैमाने की कमी के कारण डीप टेक उत्पादों की लागत शुरू में अधिक होती है, जिससे वे बड़े पैमाने पर उत्पादित विदेशी विकल्पों के समक्ष प्रतिस्पर्द्धा खो देते हैं।
- **अनुसंधान एवं विकास पर खर्च:** भारत अपने **सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.7%** अनुसंधान एवं विकास पर खर्च करता है (जबकि **अमेरिका/चीन में यह 2%+** है)। एक प्रौद्योगिकी निर्माता अर्थव्यवस्था के लिये बुनियादी विज्ञान में भारी निवेश की आवश्यकता होती है।

डीप-टेक अनुसंधान के व्यावसायीकरण को सुदृढ़ करने के उपाय:

- **राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति (ड्राफ्ट) को तेज़ी से क्रियान्वित करने की आवश्यकता: डीप टेक के लिये** समर्पित फंड ऑफ फंड्स उपलब्ध कराने और IP व्यवस्था को सरल बनाने के लिये तत्काल कार्यान्वयन की आवश्यकता है।
- **सामरिक खरीद:** रक्षा मंत्रालयों की तरह नागरिक मंत्रालयों में भी **भारतीय क्रय-IDDM** (स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित) **श्रेणियाँ** शुरू की जानी चाहिये।
- **उद्योग-अकादमिक संपर्क:** केवल शोध-प्रकाशनों से आगे बढ़कर पेटेंट आधारित व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - **IIT मद्रास रिसर्च पार्क** एक सफल मॉडल है (अग्निकुल आदि का विकास) जिनका प्रसार आवश्यक है।

निष्कर्ष:

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत निर्माता के रूप में उभर चुका है, किंतु चिकित्सीय उपकरणों तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में आयात-निर्भरता की जड़ता से अभी भी जूझ रहा है। यदि भारत को केवल उपयोगकर्त्ता ही बने रहने की अवस्था से ऊपर उठना है तो भारत को **डीप टेक को न केवल एक व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में, बल्कि एक रणनीतिक बुनियादी अवसंरचना के रूप में** देखना चाहिये तथा इसे धैर्यवान पूँजी और तरजीही बाज़ार अभिगम्यता के साथ समर्थन देना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : CRISPR आधारित जीन थेरेपी केवल एक दशक में ही प्रयोगशाला अनुसंधान से नैदानिक अनुप्रयोग तक पहुँच गई है। इस थेरेपी के पीछे के वैज्ञानिक तंत्र पर चर्चा कीजिये तथा हाल के वैश्विक नैदानिक परिणामों के आधार पर इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- CRISPR-Cas9 तकनीक का संक्षिप्त परिचय दें और उपचारों में इसके महत्त्व को बताइये।
- मुख्य भाग में वैज्ञानिक तंत्र पर चर्चा कीजिये और इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये।
- सीमाओं और चुनौतियों को स्पष्ट रूप से पहचानिये एवं भविष्य में सुधार व विकास के लिये संभावित मार्ग सुझाइये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

खोज के केवल एक दशक में **CRISPR-Cas9 तकनीक** प्रयोगशाला के जीनोम-संपादन उपकरण से विकसित होकर सिकल सेल रोग जैसी आनुवंशिक बीमारियों के लिये क्लिनिकली अनुमोदित उपचार बन गई है।

- **कैसगेवी (Casgevy)** जैसे उपचारों की स्वीकृति आधुनिक चिकित्सा में एक परिवर्तनकारी क्षण है, जो यह दर्शाता है कि **सटीक जीन संपादन रोग पैदा करने वाले म्यूटेशन को उनके जैविक स्रोत पर सुधार या रोक** सकता है।

मुख्य भाग:

CRISPR-आधारित थेरेपी का वैज्ञानिक तंत्र

- CRISPR-Cas9 एक सटीक "आणविक कैंची" की तरह कार्य करता है, जो वैज्ञानिकों को जीवित कोशिका के भीतर विशिष्ट DNA स्ट्रैंड को खोजने और संपादित करने की सुविधा देता है।
  - **टारगेट की पहचान (गाइड):** वैज्ञानिक एक सिंथेटिक गाइड RNA (gRNA) डिज़ाइन करते हैं जो उस खराब/दोषपूर्ण जीन के DNA अनुक्रम से विशेष रूप से सुमेलित है जिसे वे ठीक करना चाहते हैं।
  - **सटीक कटाई (The Scissors):** gRNA Cas9 एंज़ाइम (अणुकीय कैंची) को DNA स्ट्रैंड पर सही स्थान पर निर्देशित करता है, जहाँ Cas9 दोनों DNA स्ट्रैंड को काटने का कार्य करता है।
  - **कोशिकीय मरम्मत सक्रियण (Cellular Repair Activation):** जब DNA में कट आता है, तो कोशिका इसे तुरंत पहचानती है और अपने प्राकृतिक मरम्मत तंत्र (जैसे- **नॉन-होमोलॉगस एंड जॉइनिंग या होमोलॉजी-डायरेक्टेड रिपेयर**) को सक्रिय करके DNA को सही कर देती है।
  - **जीन सुधार (Gene Correction):** इस मरम्मत प्रक्रिया के दौरान, कोशिका या तो दोषपूर्ण जीन को निष्क्रिय कर देती है या वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया स्वस्थ DNA टेम्पलेट जोड़ देती है, जिससे आनुवंशिक त्रुटि स्थायी रूप से सुधर जाती है।

वैश्विक क्लिनिकल परिणामों के आधार पर प्रभावकारिता का मूल्यांकन

- **रक्तविज्ञान (रुधिर) – "सक्रिय उपचार" प्राप्त:** CRISPR-आधारित चिकित्सा, विशेष रूप से **कैसगेवी (Casgevy)**, ने **सिकल सेल डिज़ीज़ (SCD)** और **रक्तांतरण-निर्भर β-थैलेसीमिया (TDT)** दोनों में उल्लेखनीय चिकित्सीय सफलता दिखाई है।
  - SCD (सिकल सेल रोग) परीक्षणों में, 90% से अधिक उपचारित मरीज़ों में **वासो-ऑक्लूसिव संकट (VOCs)** पूरी तरह समाप्त हो गए।
- **हृदय और रक्त वाहिनी रोग: आशाजनक लेकिन सुरक्षा पर निगरानी आवश्यक**
  - **कोलेस्ट्रॉल (VERVE-101):** यह LDL-C (खराब कोलेस्ट्रॉल) को कम करने की क्षमता दिखा चुका है।
  - **परिणाम:** कोलेस्ट्रॉल कम करने में प्रभावी होने के बावजूद, परीक्षणों की सुरक्षा (सुरक्षा संकेत, जैसे उच्च जोखिम वाले हृदय रोगी में प्रतिकूल घटनाएँ) को लेकर समीक्षा की गई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सीमाएँ और चिंताएँ

- **ऑफ-टारगेट प्रभाव:** अनचाहे बदलाव लंबे समय तक सुरक्षा के लिये चिंता का विषय बने हुए हैं।
- **वितरण बाधाएँ:** मस्तिष्क और हृदय जैसे अंगों तक प्रभावी वितरण अभी भी सीमित है।
- **प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएँ:** Cas प्रोटीन प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर सकती है।
- **नैतिक चिंताएँ:** गर्मलाइन संपादन और "डिज़ाइनर बेबी" जैसी संभावनाओं को लेकर भय मौजूद है।

CRISPR-Cas9 तकनीक हेतु भविष्य का मार्ग

- **सुरक्षा ढाँचे को मज़बूत करना:** लंबे समय तक निगरानी, वैश्विक नैतिक दिशा-निर्देश और ऑफ-टारगेट प्रभावों के कड़े मूल्यांकन के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- **वितरण तकनीकों में सुधार:** उन्नत वायरल वेक्टर और लिपिड नैनोपार्टिकल जैसी तकनीकों का उपयोग करके अंग-विशिष्ट एवं प्रभावी जीन एडिटिंग सुनिश्चित करना।
- **सुलभता और वहनीय बनाने पर ध्यान:** सार्वजनिक–निजी भागीदारी, स्तरित मूल्य निर्धारण तथा घरेलू निर्माण क्षमता को बढ़ावा देकर CRISPR थैरेपी को अधिक लोगों तक पहुँचाना।
- **जटिल रोगों पर अनुसंधान निवेश:** CRISPR के उपयोग को एकल-जन्य रोगों से बढ़ाकर कैंसर, तंत्रिका-विकृति तथा मेटाबोलिक जैसे जटिल रोगों तक विस्तारित करना।

निष्कर्ष:

CRISPR उपचारों ने **"एक ही बार में इलाज"** की संभावना उत्पन्न की है, लेकिन इनके पूरे सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिये सुरक्षित तैयारी के तरीके, लागत कम करना और वैश्विक स्तर पर समान रूप से वितरण सुनिश्चित करना आवश्यक है।

प्रश्न : क्वांटम प्रौद्योगिकियों से संगणन, संचार और साइबर सुरक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन की अपेक्षा की जा रही है। इस क्षेत्र में भारत की तैयारी का विश्लेषण कीजिये तथा उन चुनौतियों पर चर्चा कीजिये जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- क्वांटम प्रौद्योगिकियों की क्षमता को रेखांकित करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- मुख्य भाग में, क्वांटम प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की तैयारियों का उल्लेख कीजिये।
- उन चुनौतियों का उल्लेख कीजिये जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

क्वांटम प्रौद्योगिकियाँ **क्वांटम गति में वृद्धि, क्वांटम-सुरक्षित लिंक और अति-सटीक संवेदन जैसी अभूतपूर्व उपलब्धियों को सक्षम बनाकर कंप्यूटिंग, संचार एवं साइबर सुरक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन** ला सकती हैं। भारत ने इसे एक रणनीतिक क्षेत्र के रूप में मान्यता दी है तथा मिशन-मोड क्षमता का निर्माण कर रहा है, लेकिन यह पारिस्थितिकी तंत्र अभी भी प्रारंभिक चरण में है और हार्डवेयर, प्रतिभा एवं तैनाती के मामले में असमान है।

मुख्य भाग:

क्वांटम प्रौद्योगिकी के लिये भारत की तैयारी:

- **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) के तहत मिशन-मोड पहल:** भारत ने क्वांटम इकोसिस्टम के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने तथा उसे व्यापक स्तर पर विकसित करने के लिये कुल **₹6,003.65 करोड़ के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (2023-24 से 2030-31) की शुरुआत** की।
- **अनुसंधान केंद्र और बहु-संस्थागत सहयोग:** NQM के तहत, **चार टी-हब 43 संस्थानों के 152 शोधकर्त्ताओं को** एक साथ लाते हैं, जो प्रौद्योगिकी विकास और मानव संसाधन विकास जैसे विषयों पर एक समन्वित राष्ट्रीय अनुसंधान पाइपलाइन का संकेत देते हैं।
- **क्वांटम संचार और रक्षा सुरक्षा में प्रारंभिक प्रगति:** DRDO और IIT दिल्ली ने 1 किमी. से अधिक क्षेत्र में उलझाव-आधारित मुक्त-स्थान क्वांटम सुरक्षित संचार का प्रदर्शन किया, जो क्वांटम साइबर सुरक्षा एवं भविष्य के क्वांटम नेटवर्क के लिये प्रासंगिक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **अकादमिक जगत और उद्योग के बीच बढ़ते संबंध:** भारतीय संस्थान वैश्विक मंचों से जुड़ रहे हैं तथा केंद्र स्थापित कर रहे हैं— उदाहरण के लिये, **IIT मद्रास, IBM क्वांटम नेटवर्क से जुड़कर** क्वांटम अनुसंधान क्षमता का विस्तार कर रहा है।
- **कौशल विकास और राज्य-स्तरीय पारितंत्र निर्माण:** कौशल पहल और राज्य के नेतृत्व वाले केंद्र उभर रहे हैं। उदाहरण के लिये **आंध्र प्रदेश द्वारा क्वांटम स्किलिंग को बढ़ावा** देना तथा **क्वांटम कंप्यूटिंग केंद्र अथवा पार्क की परिकल्पना के माध्यम से प्रतिभा समूह का निर्माण।**

समाधान की आवश्यकता वाले प्रमुख चुनौतीपूर्ण क्षेत्र:

- **हार्डवेयर की कमी और विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता: फॉल्ट-टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटरों** के निर्माण के लिये क्रायोजेनिक्स, नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स, **निर्माण** और उच्च-शुद्धता **वाली सामग्रियों** की आवश्यकता होती है। इन क्षेत्रों में भारत की घरेलू क्षमता अभी सीमित है, जिससे रणनीतिक निर्भरता का जोखिम उत्पन्न होता है।
- **स्टैक के विभिन्न स्तरों पर प्रतिभा की कमी:** सैद्धांतिक और सॉफ्टवेयर क्षमताओं में भारत की स्थिति मज़बूत है, परंतु क्वांटम हार्डवेयर इंजीनियरिंग, क्रायोजेनिक्स, फोटॉनिक्स, एरर करेक्शन एवं सिस्टम इंटीग्रेशन में कमी बनी हुई है, जिससे प्रयोगशाला से बाज़ार तक उत्पादों के अंतरण में विलंब हो रहा है।
- **अनुसंधान से उत्पाद तक रूपांतरण में विखंडन:** स्टार्ट-अप्स और प्रयोगशालाओं को दीर्घकालिक पेशेंट कैपिटल, टेस्टबेड्स (परीक्षण स्थल), खरीद-नीतियाँ और मानकों की आवश्यकता है, अन्यथा प्रोटोटाइप निम्न प्रौद्योगिकी तत्परता स्तरों पर ही सीमित रह जाते हैं।
- **साइबर सुरक्षा संक्रमण और 'हार्वेस्ट-नाउ-डिक्रिप्ट-लेटर' का जोखिम:** क्वांटम कंप्यूटर व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली पब्लिक-की क्रिप्टोग्राफी को भेद/तोड़ सकते हैं। इसलिये पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (PQC) की ओर संक्रमण तथा चयनित परिदृश्यों में QKD को अपनाने के लिये **सरकार, BFSI और महत्त्वपूर्ण अवसंरचना में समन्वय** के साथ करना आवश्यक है।
- **मानक, अंतर-संचालनीयता और वैश्विक प्रौद्योगिकी-नियामक बाधाएँ:** वैश्विक निर्यात नियंत्रण, मानकों को लेकर होने वाली प्रतिस्पर्द्धा और बौद्धिक संपदा का केंद्रीकरण घटकों तक अभिगम्यता एवं सहयोग को सीमित कर सकता है; भारत को स्वयं को अलग-थलग किये बिना मानक क्षमता एवं विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करने की आवश्यकता है।

आगे की राह:

- **स्वदेशी हार्डवेयर और टेस्टबेड को तीव्र करना:** सुपरकंडक्टिंग/ट्रैप्ड-आयन/फोटोनिक्स मार्गों के लिये मिशन-लिंक्ड राष्ट्रीय टेस्टबेड को वित्त पोषित किया जाना चाहिये, जिसमें रणनीतिक उपयोगकर्त्ताओं के लिये सुनिश्चित खरीद एवं स्टार्ट-अप के लिये साझा सुविधाएँ शामिल हों।
- **एक फुल-स्टैक टैलेंट पाइपलाइन का निर्माण:** M.Tech/PhD फेलोशिप, संयुक्त उद्योग डॉक्टरेट और व्यावहारिक प्रयोगशाला कार्यक्रमों (हार्डवेयर + नियंत्रण + एल्गोरिदम) का विस्तार किया जाना चाहिये, जिसमें रक्षा, दूरसंचार एवं BFSI के लिये लक्षित प्रतिभा ट्रैक शामिल हों।
- **एक राष्ट्रीय क्वांटम-सुरक्षित रोडमैप का अंगीकरण:** महत्त्वपूर्ण प्रणालियों के लिये समयबद्ध तरीके से **PQC में माइग्रेशन,** क्रिप्टो-एजिलिटी जनादेश और QKD के लिये क्षेत्रीय पायलट परियोजनाएँ संचालित की जानी चाहिये, जहाँ यह लागत प्रभावी एवं खतरे के निवारण के अनुरूप हो।
- **उद्योग की भागीदारी और व्यावसायीकरण को सुदृढ़ करना:** चैलेंज ग्रांट्स, नियामक सैंडबॉक्स और PPP मॉडलों के माध्यम से लॉजिस्टिक्स अनुकूलन, औषधि खोज, पावर ग्रिड एवं सुरक्षित नेटवर्क में उपयोग के मामलों का विस्तार किया जाना चाहिये।
- **मानकों में नेतृत्व और विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अग्रणी भूमिका:** वैश्विक निकायों के अनुरूप एक मानक प्रकोष्ठ बनाया जाना चाहिये, अंतर-संचालनीय प्रोटोकॉल को बढ़ावा दिया जाना चाहिये तथा बौद्धिक संपदा की रक्षा करते हुए अत्याधुनिक घटकों एवं ज्ञान तक अभिगम्यता को सक्षम बनाने वाली साझेदारियों का अनुसरण किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निष्कर्ष:

भारत ने **क्वांटम गुणवत्ता प्रबंधन (NQM), राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत विस्तारित हब्स और क्वांटम-सुरक्षित संचार में स्पष्ट प्रगति** के माध्यम से एक मज़बूत रणनीतिक शुरुआत की है, परंतु व्यापक स्तर पर परिनियोजन के लिये **यह पारितंत्र अभी तैयार नहीं** है। **हार्डवेयर संबंधी कमियों को दूर करना, प्रतिभाओं का विकास करना और क्वांटम-सुरक्षित साइबर सुरक्षा परिवर्तन को क्रियान्वित करना** ही यह निर्धारित करेगा कि **भारत प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी** बनता है **या केवल एक अनुवर्ती उपभोक्ता** बना रहता है।

आपदा प्रबंधन

प्रश्न : जलवायु परिवर्तन आपदाओं के लिये जोखिम-गुणक के रूप में कार्य कर रहा है। भारत में आपदा प्रबंधन के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- जलवायु परिवर्तन के कारण और इसकी भूमिका का परिचय देते हुए उत्तर लेखन की शुरुआत कीजिये।
- आपदाओं के लिये जोखिम-गुणक के रूप में जलवायु परिवर्तन की विवेचना कीजिये।
- इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

जलवायु परिवर्तन अब केवल एक **स्वतंत्र पर्यावरणीय समस्या नहीं** रह गई है, बल्कि यह **आपदाओं की आवृत्ति, तीव्रता और प्रभाव को लगातार बढ़ा रही है।** भारत में **बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा, समुद्र स्तर में वृद्धि तथा चरम मौसमी घटनाओं** ने मौजूदा कमज़ोरियों को और बढ़ा दिया है, जिससे **आपदा प्रबंधन एवं विकास के परिणाम जटिल** हो गए हैं।

मुख्य भाग:

आपदाओं के लिये जोखिम गुणक के रूप में जलवायु परिवर्तन की भूमिका:

- **चरम मौसमी घटनाओं में तीव्रता:** IMD के **आँकड़ों** से पता चलता है कि **अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में तेज़ी से वृद्धि** हुई है, जो निरंतर बाढ़ की आवृत्ति में योगदान दे रही है (उदाहरण के लिये, **हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 की बाढ़**)।
  - हीटवेव अधिक गंभीर तथा दीर्घकालिक होती जा रही हैं, वर्ष 2024 को सबसे लंबे हीटवेव कालों में से एक दर्ज किया गया, जिसमें स्वास्थ्य, उत्पादकता तथा जल सुरक्षा प्रभावित हुई।
- **बाढ़ तथा भू-स्खलन जोखिम में वृद्धि:** मानसून प्रतिरूपों में परिवर्तन के कारण अल्प अवधि में अत्यधिक तीव्र वर्षा हो रही है, जिससे शहरी जल-निकासी प्रणालियाँ विफल हो जाती हैं।
  - **NDMA ने जलवायु परिवर्तन को शहरी बाढ़** में वृद्धि के पीछे एक प्रमुख कारक के रूप में उजागर किया है (चेन्नई 2015, बंगलुरु में बार-बार आने वाली बाढ़)।
  - हिमनदों के विगलन और अस्थिर ढलानों के कारण हिमालयी राज्यों में **भूस्खलन का खतरा अधिक** होता है।
- **चक्रवातों और तटीय आपदाओं का प्रवर्द्धन: पर्यावरण मंत्रालय ने अरब सागर में चक्रवाती तूफानों में वृद्धि** की सूचना दी है, जैसे कि **चक्रवात तौकते** और **बिपरजॉय।**
  - समुद्र के स्तर में वृद्धि तथा महासागरों के गर्म होने से तूफानी लहरें और भी तीव्र हो जाती हैं, जिससे तटीय आजीविका एवं अधोसंरचना को खतरा उत्पन्न हो जाता है।
- **सूखा, खाद्य और जल असुरक्षा:** जलवायु परिवर्तनशीलता ने **सूखे जैसी स्थितियों की आवृत्ति बढ़ा दी** है, जिससे वर्षा आधारित कृषि प्रभावित हो रही है।
  - **NITI आयोग (समग्र जल प्रबंधन सूचकांक)** जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले जल संकट की गंभीर स्थिति के बारे में चेतावनी देता है।
- **सामाजिक-आर्थिक कमज़ोरियों का बढ़ना:** जलवायु आपदाएँ गरीबों, प्रवासियों और अनौपचारिक श्रमिकों को असमान रूप से प्रभावित करती हैं, जिससे खतरे **मानवीय संकट में परिणत** हो जाते हैं।
  - **IPCC की AR6 रिपोर्ट** में **दक्षिण एशिया का ऐसे हॉटस्पॉट** के रूप में अभिनिर्धारण किया गया है **जहाँ जलवायु जोखिम, गरीबी तथा उच्च जनसंख्या घनत्व परस्पर संबद्ध हैं।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

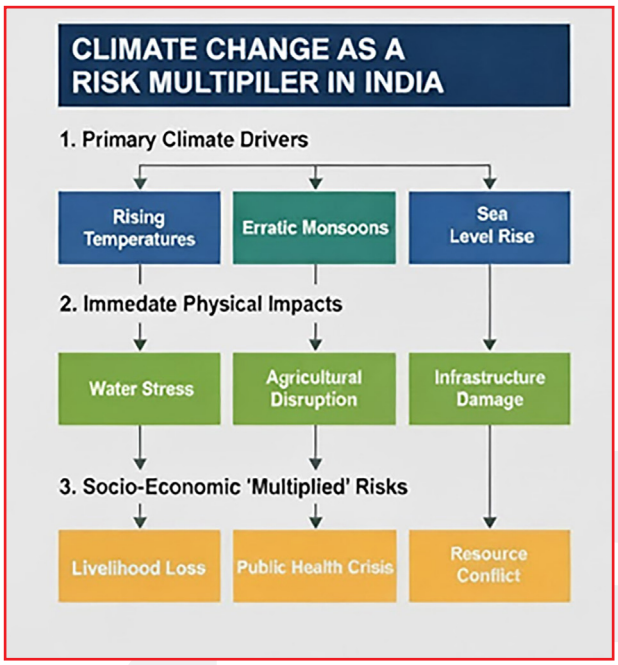

भारत में आपदा प्रबंधन के लिये निहितार्थ

- **प्रतिक्रियात्मक राहत से पूर्वानुमान-आधारित तथा जोखिम-सूचित नियोजन की ओर संक्रमण:** पारंपरिक आपदा प्रबंधन आपदा के बाद राहत और मुआवज़े पर केंद्रित था। जलवायु परिवर्तन के कारण **पूर्वानुमानित और निवारक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक** हो गया है।
  - उदाहरण के लिये, **IMD की प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान प्रणाली** और **NDMA की हीट वेव एक्शन प्लान** (जिसे पहली बार अहमदाबाद में लागू किया गया था) प्रारंभिक चेतावनी, संसाधनों की पूर्व-व्यवस्था एवं सार्वजनिक सलाह जारी करने में सक्षम बनाती है, जिससे हीट वेव के दौरान होने वाली मृत्यु दर में काफी कमी आती है।
  - इसी प्रकार, **पूर्वानुमान-आधारित वित्तपोषण** राज्यों को आपदा आने से पहले कार्रवाई करने की अनुमति देता है, जिससे मानवीय और आर्थिक नुकसान कम होता है।
- **जलवायु-अनुकूल अवसंरचना, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित समाधान:** आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय बाढ़ एवं हीट वेव के प्रभावों से निपटने के लिये AMRUT व स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत **जलवायु-अनुकूल शहरी योजना को बढ़ावा** देता है।
  - भारत की **चक्रवात पूर्व चेतावनी प्रणाली** (IMD + NDMA) ने चक्रवात से होने वाली मौतों को काफी हद तक कम कर दिया है, जैसा कि **चक्रवात फैनी (2019) के दौरान** देखा गया था।
- **पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित दृष्टिकोण: ओडिशा और सुंदरबन** में मैंग्रोव का पुनर्स्थापन तूफानी लहरों के खिलाफ एक प्राकृतिक बफर के रूप में कार्य करता है, जिसे NDMA द्वारा एक लागत प्रभावी समुत्थानशील रणनीति के रूप में मान्यता दी गई है।
- **जलवायु अनुकूलन का आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) ढाँचों के साथ एकीकरण:** भारत की **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (2019) सेंडाई फ्रेमवर्क** के अनुरूप है, जो जलवायु परिवर्तन को आपदा जोखिम गुणक के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता देती है।
  - मंत्रालयों को **जलवायु अनुकूलन को क्षेत्रीय नियोजन में एकीकृत करने के लिये प्रोत्साहित** किया जाता है, जैसे कि जलवायु-अनुकूल कृषि, जल प्रबंधन और तटीय क्षेत्र विनियमन, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सतत विकास एक दूसरे को सुदृढ़ करें।

निष्कर्ष:

जलवायु परिवर्तन भारत में आपदाओं के लिये एक शक्तिशाली जोखिम कारक के रूप में कार्य करता है, जिससे खतरे बढ़ जाते हैं तथा अंतर्निहित कमज़ोरियाँ और भी गंभीर हो जाती हैं। इसलिये **जीवन और आजीविका की रक्षा करते हुए, सतत एवं जोखिम-आधारित विकास के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों— SDG11 (सतत शहर एवं संतुलित समुदाय), SDG 13 (जलवायु परिवर्तन कार्रवाई)** को आगे बढ़ाने के लिये आपदा प्रबंधन को **जलवायु विज्ञान, समुत्थानशक्ति निर्माण तथा समावेशी शासन के साथ सुदृढ़ रूप से एकीकृत** किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : आपदाएँ केवल प्राकृतिक घटनाएँ मात्र नहीं हैं, बल्कि शासन व्यवस्था की विफलताओं का भी परिणाम हैं। इस कथन की भारत में हाल की आपदाओं के संदर्भ में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत हालिया घटनाक्रमों को उजागर करते हुए कीजिये।
- मुख्य भाग में यह तर्क दीजिये कि शासन की विफलता कैसे इन घटनाओं को बढ़ाती है।
- इस मुद्दे को संबोधित करने के लिये उपाय प्रस्तुत कीजिये।
- तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

आपदा प्राय: प्राकृतिक घटनाओं के रूप में देखी जाती हैं, लेकिन वास्तव में उनकी **व्यापकता और प्रभाव** बड़े पैमाने पर **मानव निर्णयों तथा शासन संबंधी विफलताओं** द्वारा आकारित होते हैं। भारत में हालिया आपदाएँ जैसे **शहरी बाढ़, चक्रवात, हीटवेव एवं भूस्खलन** यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि **प्राकृतिक खतरे और कमज़ोर शासन** के बीच एक मज़बूत संबंध है। **असंगत योजना, कमज़ोर क्रियान्वयन और तैयारी की कमी** प्राय: प्राकृतिक घटनाओं को मानवजनित आपदाओं में बदल देती हैं।

मुख्य भाग:

आपदाएँ कैसे शासन की विफलताओं को दर्शाती हैं:

- **खराब शहरी योजना और अवसंरचना की असफलताएँ:** तीव्र और अनियोजित शहरीकरण ने आपदा संवेदनशीलता को बढ़ा दिया है। **चेन्नई (2015 की बाढ़) और बंगलूरू (2022-23 की बाढ़)** जैसे शहरों में भारी बारिश के अलावा, **झीलों, वेटलैंड तथा जल निकासी चैनलों पर अतिक्रमण** ने भी गंभीर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न की है।
  - यह **खराब शहरी शासन और आपदा प्रभाव** के बीच के स्पष्ट संबंध को दर्शाता है।
- **प्रारंभिक चेतावनी और तैयारी प्रणालियों का कमज़ोर कार्यान्वयन:** भारत ने मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणालियों में सुधार किया है, लेकिन **अंतिम स्तर तक पहुँचाने में शासन संबंधी कमियाँ** अभी भी मौजूद हैं।
  - उदाहरण के लिये, **साइक्लोन बिपरजॉय (2023)** और **साइक्लोन अम्फान (2020)** के दौरान प्रारंभिक चेतावनी मौजूद थी, फिर भी **असमान निकासी, आश्रय की कमी तथा कमज़ोर स्थानीय समन्वय** ने कुछ क्षेत्रों में संवेदनशीलता बढ़ा दी।
- **पर्यावरणीय क्षरण और नीति की उपेक्षा:** अनियंत्रित खनन, वनों की कटाई और **पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण** ने आपदाओं को और तीव्र किया है।
  - उदाहरण के लिये, **जोशीमठ भू-धंसाव (2023)** की घटना इस तथ्य का प्रमाण है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) और क्षेत्रीय वहन क्षमता की निरंतर उपेक्षा, क्रमिक पारिस्थितिक असंतुलन को एक भीषण आपदा का रूप दे सकती है।
- **जलवायु परिवर्तन और अपर्याप्त अनुकूलन उपाय: उत्तर भारत में हीटवेव तथा हिमाचल प्रदेश में बाढ़ (2023)** यह दर्शाती है कि **जलवायु परिवर्तन और शासन की विफलताएँ** कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं।
  - हीट एक्शन प्लान और आपदा दिशा-निर्देशों के बावजूद, कमज़ोर क्रियान्वयन तथा स्थानीय स्तर पर तैयारी की कमी **मृत्यु दर एवं आर्थिक नुकसान** को बढ़ा देती है।
- **कमज़ोर संस्थागत समन्वय और प्रतिक्रिया तंत्र:** आपदाएँ प्राय: **केंद्रीय, राज्य और स्थानीय प्राधिकरणों** के बीच के अंतर को उजागर करती हैं। भूस्खलन और आकस्मिक बाढ़ के दौरान **विभाजित ज़िम्मेदारियाँ तथा विलंबित प्रतिक्रिया** यह दर्शाती हैं कि एक **एकीकृत आपदा प्रबंधन प्रणाली** की कमी है।

शासन की विफलताओं को दूर करना: क्या बदलने की आवश्यकता है ?

- **राहत से जोखिम न्यूनीकरण की ओर बदलाव:** आपदा प्रबंधन केवल आपदा के बाद राहत तक सीमित नहीं रहना चाहिये। इसके बजाय, सरकार को **विकास गतिविधियों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करके पूर्व-योजना बनानी चाहिये।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इसमें **भूमि उपयोग की सटीक योजना बनाना, बाढ़ क्षेत्रों या संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण से बचना** और **आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे का विकास** शामिल है।
- **आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025** सही दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

- **स्थानीय सरकार और सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ करना:** आपदाओं के समय **पंचायती राज संस्थाएँ और शहरी स्थानीय निकाय** पहले प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं।
  - उन्हें पर्याप्त **वित्तीय संसाधन, प्रशिक्षण और अधिकार** प्रदान करने से **तैयारी तथा त्वरित प्रतिक्रिया** में सुधार होता है। स्थानीय समुदायों को शामिल करने से **सचेतना बढ़ती है और आपात स्थिति में त्वरित निकासी** सुनिश्चित होती है।
- **प्रारंभिक चेतावनी और संचार प्रणालियों में सुधार:** सटीक और समय पर चेतावनी जीवन बचा सकती है।
  - जानकारी को **मोबाइल अलर्ट, स्थानीय रेडियो, सोशल मीडिया और सामुदायिक स्वयंसेवकों** जैसे विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुँचाया जाना चाहिये, विशेषकर **स्थानीय भाषाओं में**, ताकि अंतिम स्तर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो।
- **बेहतर निर्णय-निर्माण के लिये डेटा और प्रौद्योगिकी का उपयोग:** मौसम, वर्षा और जोखिम क्षेत्रों से प्राप्त **तत्काल जानकारी** प्राधिकरणों को शीघ्र निर्णय लेने में सहायक होती है।
  - **पारदर्शी डेटा साझा करना, आपदा प्रतिक्रिया का नियमित ऑडिट और GIS व सैटेलाइट मैपिंग जैसी तकनीकों का उपयोग** आपदा प्रबंधन प्रयासों की **जवाबदेही तथा प्रभावशीलता** बढ़ा सकता है।

निष्कर्ष:

आपदाएँ केवल प्राकृतिक घटनाएँ नहीं हैं, बल्कि **शासन संबंधी निर्णयों और विकास मार्गों** द्वारा आकारित परिणाम हैं। **सेंडाई फ्रेमवर्क**, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के **'सुरक्षित और आपदा-प्रतिरोधी भारत'** के दृष्टिकोण और **सतत विकास लक्ष्यों (विशेषकर SDG 11 एवं SDG 13)** के अनुरूप, **संस्थाओं को सुदृढ़ करना तथा जोखिम-सूचित योजना को बढ़ावा देना** आवश्यक है। इससे आपदा प्रबंधन को **प्रतिक्रियाशील राहत से सक्रिय अनुकूलन और सतत विकास** की दिशा में ले जाया जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-4

केस स्टडी

प्रश्न : आप एक बाढ़-प्रभावित ज़िले के उप-मंडलीय दंडाधिकारी (SDM) हैं। हाल ही में आई बाढ़ के कारण हज़ारों लोग विस्थापित हो गए हैं। राज्य सरकार ने आपातकालीन राहत कोष भेजा है, जो आवश्यकता की तुलना में काफी कम है। आपको निर्देश दिया गया है कि इस कोष का वितरण आपातकाल एवं संवेदनशीलता के आधार पर कीजिये

किंतु आपके समक्ष निम्नलिखित परिस्थिति है:

1. ग्राम A राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है। स्थानीय विधायक आप पर दबाव डालते हैं कि राहत कोष का बड़ा हिस्सा वहाँ आवंटित किया जाए। वे संकेत करते हैं कि भविष्य का सहयोग आपके निर्णय पर निर्भर करेगा।
2. ग्राम B अत्यधिक प्रभावित है, परंतु वहाँ सड़क संपर्क अत्यंत कमज़ोर है। वहाँ राहत पहुँचाने में अतिरिक्त समय एवं संसाधन लगेंगे।
3. ग्राम C में जनहानि अपेक्षाकृत कम है, परंतु वहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी मज़दूर रहते हैं, जिनके पास आधिकारिक राहत वितरण के लिये आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं।
4. आपका क्षेत्रीय स्टाफ निजी तौर पर यह सुझाव देता है कि आप लॉजिस्टिक्स (वाहन, ईंधन, भोजन आदि) के लिये कुछ धनराशि कोष से ही निकाल लें। आधिकारिक दिशा-निर्देश ऐसा करने की अनुमति नहीं देते, परंतु इन व्ययों के बिना दूरदराज़ के क्षेत्रों में राहत पहुँचने में विलंब होगा।
5. मीडिया यह रिपोर्ट कर रहा है कि प्रशासन धीमा और लापरवाह है, जिससे आप पर अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है।

आपको सीमित संसाधनों का निष्पक्ष, कुशल तथा नैतिक तरीके से उपयोग करते हुए इस राहत कोष को आवंटित करना है, साथ ही राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक सीमाओं और मानवीय सरोकारों के बीच संतुलन भी बनाए रखना है।

प्रश्न:

1. इस स्थिति में निहित प्रमुख नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये।
2. SDM के रूप में अपने लिये उपलब्ध विकल्पों का उल्लेख कीजिये तथा नैतिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन कीजिये।
3. आपका अंतिम कार्यपथ क्या होगा? अपने निर्णय को उपयुक्त तर्कों, नैतिक सिद्धांतों तथा लोक सेवा के मूल्यों का संदर्भ देते हुए न्यायोचित ठहराइये।

परिचय:

यह प्रकरण 'संसाधनों की कमी की स्थिति में वितरणात्मक न्याय' (Distributive Justice under Scarcity) की एक उत्कृष्ट प्रशासनिक दुविधा को दर्शाता है। उप-विभागीय दंडाधिकारी (SDM) के रूप में मूल चुनौती यह है कि सीमित संसाधनों और असीम आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, साथ ही राजनीतिक दबाव, प्रक्रियागत बाधाओं तथा मानवीय आपातकाल का प्रबंधन किया जाए। यह स्थिति अधिकारी की भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सत्यनिष्ठा तथा विधि की भावना के प्रति प्रतिबद्धता की परीक्षा लेती है।

संबद्ध हितधारक

- **राज्य (State):** (SDM/प्रशासन) — विधि का पालन करते हुए जनसेवा का कर्त्तव्य।
- **पीड़ित:**
  - ग्राम A (राजनीतिक रूप से प्रभावशाली)।
  - ग्राम B (दूरस्थ, गंभीर रूप से प्रभावित)।
  - ग्राम C (अवैध प्रवासी, अभिलेखविहीन)।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **राजनीतिक कार्यपालिका (Political Executive):** स्थानीय विधायक (अनुचित प्रभाव डालते हुए)।
- **क्षेत्रीय कर्मचारी (Field Staff):** लॉजिस्टिक सीमाओं का सामना करते हुए।
- **मीडिया (Media):** एक प्रहरी/निगरानीकर्त्ता तथा दबाव समूह की भूमिका में।

1. इस स्थिति में निहित प्रमुख नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये।

- **राजनीतिक तटस्थता बनाम राजनीतिक दबाव (ग्राम A):** विधायक द्वारा ग्राम A को प्राथमिकता देने की मांग निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।
  - विधायक के दबाव में आना 'भविष्य के सहयोग' (कॅरियर-सुरक्षा) को सुनिश्चित कर सकता है, परंतु इससे लोक सेवा के राजनीतिक तटस्थता के मूल्य से समझौता हो सकता है।
  - ज़रूरतमंदों के बजाय प्रभावशाली लोगों को वरीयता देना **'अंत्योदय'** (सर्वप्रथम अंतिम व्यक्ति की सेवा) **के मूल सिद्धांत का उल्लंघन** है।
- **दक्षता बनाम समता (ग्राम B):** ग्राम B तक पहुँचने में संसाधनों की अधिक खपत होती है तथा अधिक समय लगता है। विशुद्ध उपयोगितावादी दृष्टिकोण से (अधिकतम लोगों के लिये अधिकतम लाभ), संसाधनों को दूसरों के लिये संरक्षित करने हेतु ग्राम B को छोड़ देने का तर्क दिया जा सकता है।
  - **जॉन रॉल्स का सिद्धांत 'सबसे वंचित' को प्राथमिकता** देने की अपेक्षा करता है। ग्राम B अत्यधिक प्रभावित है; केवल लॉजिस्टिक संबंधी लागतों के कारण उनकी अनदेखी करना कारगर तो है, लेकिन अनैतिक और अनुचित है।
- **विधि का शाब्दिक अर्थ बनाम विधि की भावना (ग्राम C):** प्रवासियों के पास दस्तावेज़ नहीं हैं। आधिकारिक नियमों के तहत संभवत: अवैध व्यक्तियों को सहायता देने पर रोक है ताकि जानकारी लीक होने से रोका जा सके।
  - दस्तावेज़ों की कमी के कारण भूखे प्रवासियों को सहायता से वंचित करना वेबर के 'लक्ष्य-विस्थापन' (Goal Displacement) सिद्धांत का उदाहरण है, जहाँ **नियम जीवन-रक्षा जैसे लक्ष्य से अधिक महत्त्वपूर्ण** हो जाते हैं।
  - यहाँ नैतिक अनिवार्यता मानवाधिकार है, जो आपदा की स्थिति में प्रशासनिक प्रक्रिया से ऊपर होता है।
- **साधन बनाम लक्ष्य (लॉजिस्टिक्स फंडिंग):** कर्मचारी समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने (उद्दात्त उद्देश्य) हेतु ईंधन/वाहनों (अवैध साधन) के लिये राहत निधि को डायवर्ट करने का सुझाव देते हैं।
  - **कर्त्तव्यपरायण दृष्टिकोण:** इस दृष्टिकोण के अनुसार धन का दुरुपयोग भ्रष्टाचार/अनियमितता है, चाहे उद्देश्य कितना ही नेक क्यों न हो; यह वित्तीय शुचिता का उल्लंघन है।
  - **उद्देश्यपरक दृष्टिकोण:** प्रयोजनवादी दृष्टिकोण के अनुसार यदि धनराशि का उपयोग नहीं किया गया, तो सहायता नहीं पहुँचेगी तथा लोगों की जान जा सकती है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कोई भी तरीका उचित है।
- **जवाबदेही का संकट बनाम मीडिया की धारणा:** मीडिया प्रशासन को धीमा बताती है।
  - मीडिया को संतुष्ट करने के लिये अधिकारी पर दबाव है कि वह ऐसी कार्रवाइयाँ करे, जो तुरंत दिखें और मीडिया में अच्छी तस्वीर जाए। ग्राम A में जल्दी-जल्दी राहत बांटना आसान और कैमरे के लिये आकर्षक है, जबकि ग्राम B तक पहुँचना कठिन, समयसाध्य और कम दिखाई देने वाला कार्य है।
  - यहाँ नैतिक कसौटी यह है कि अधिकारी दिखावे के बजाय कर्त्तव्य पर केंद्रित रहे तथा दबाव में विचलित न हो।

2. SDM के रूप में आपके लिये उपलब्ध विकल्पों का उल्लेख कीजिये तथा नैतिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन कीजिये।

विकल्प 1: सख्त अनुपालन और राजनीतिक सुरक्षा का मार्ग अपनाना।

कार्रवाई: विधायक की इच्छा के अनुसार ग्राम A को मुख्य धनराशि आवंटित करना, लॉजिस्टिक्स संबंधी लागतों के कारण ग्राम B को छोड़ देना और दस्तावेज़ों की कमी के कारण ग्राम C को सहायता से वंचित करना, लॉजिस्टिक्स संबंधी कार्यों के लिये राहत कोष का उपयोग करने के कर्मचारियों के अनुरोध को सख्ती से अस्वीकार करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मूल्यांकन	विश्लेषण
गुण	1. कॅरियर सुरक्षा: कार्यपालिका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है। 2. प्रक्रियात्मक सुरक्षा: निधि के दुरुपयोग या अनधिकृत लाभार्थियों के संबंध में कोई लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं है। 3. गति: सुलभ क्षेत्रों में त्वरित वितरण दृश्यमान मापदंडों को पूरा करता है।
अवगुण	1. निष्पक्षता का उल्लंघन: राजनीतिक दबाव के आगे झुकने से सिविल सेवा की निष्पक्षता कमज़ोर होती है। 2. अपवर्जन त्रुटियाँ: सर्वाधिक कमज़ोर वर्ग (ग्राम B और C) सहायता से वंचित रह जाते हैं, जो 'अंत्योदय' के सिद्धांत के विपरीत है। 3. नैतिक असंगति: मानवीय कर्त्तव्य निभाने में विफल रहने के कारण 'अंतरात्मा के संकट की स्थिति' उत्पन्न होती है।
नैतिक सिद्धांत	विधिवाद (विधि के अक्षरश: पालन पर अड़े रहना) मानवतावाद पर हावी हो जाता है। यह करुणा की विफलता को दर्शाता है।

विकल्प 2: 'उद्देश्य साधन को उचित ठहराता है' दृष्टिकोण

कार्ययोजना: विधायक को पूरी तरह नज़रअंदाज़ करना, ग्राम B तक पहुँचने के लिये ईंधन एवं वाहनों पर अवैध रूप से राहत निधि का उपयोग करना, ग्राम C में बिना किसी दस्तावेज़ के सहायता वितरण करना।

मूल्यांकन	विश्लेषण
गुण	1. सामाजिक न्याय: सहायता सबसे अधिक ज़रूरतमंद और दूरस्थ आबादी तक पहुँचती है। 2. करुणा: प्रशासनिक प्रक्रिया की तुलना में मानव जीवन को प्राथमिकता देता है।
अवगुण	1. वित्तीय अनियमितता: राहत के लिये निर्धारित धन को लॉजिस्टिक्स मद में उपयोग करना तकनीकी रूप से गबन है, जिससे विभागीय जाँच का रास्ता खुलता है। 2. जवाबदेही का अभाव: बिना दस्तावेज़ीकरण के सहायता वितरित करना (भले ही यह नेक उद्देश्य हो) भ्रष्टाचार और रिसाव के लिये खामियाँ उत्पन्न करता है। 3. अवज्ञा: राजनीतिक कार्यपालिका के साथ संघर्ष का जोखिम, जिससे भविष्य के प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो सकते हैं।
नैतिक सिद्धांत	उपयोगितावाद (अधिकतम लोगों के लिये अधिकतम लाभ) लेकिन यह कर्त्तव्यशास्त्र (नियमों/प्रक्रिया का पालन करने का कर्त्तव्य) का उल्लंघन करता है।

विकल्प 3: रचनात्मक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण (चुनी गई कार्यप्रणाली)

कार्रवाई:

1. **ग्राम A (राजनीतिक दबाव):** त्वरित और पारदर्शी आवश्यकता का आकलन करें। धनराशि का आवंटन वास्तविक क्षति के अनुपात में ही करें। विधायक को विनम्रतापूर्वक लेकिन दृढ़ता से सूचित करें कि सख्त केंद्रीय निगरानी के कारण मनमानी धनराशि का आवंटन संभव नहीं है।
2. **ग्राम B (लॉजिस्टिक्स):** अवैध रूप से धन का दुरुपयोग करने के बजाय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके निजी वाहनों/नावों को अधिगृहीत करें। वैकल्पिक रूप से, स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों/CSR पहलों के साथ साझेदारी करके लॉजिस्टिक्स लागत (कर्मचारियों के लिये ईंधन/भोजन) को वहन करें।
3. **ग्राम C (प्रवासी):** अस्थायी पहचान की अनुमति देने के लिये विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करें। स्थानीय बुज़ुर्गों या स्कूल शिक्षकों द्वारा पंचनामा (गवाह बयान) के माध्यम से पहचान सत्यापित करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) के तहत सहायता उन तक पहुँचे, साथ ही लेखापरीक्षा के लिये दस्तावेज़ी रिकॉर्ड बनाए रखें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मूल्यांकन	विश्लेषण
गुण	1. नैतिक सत्यनिष्ठा: वस्तुनिष्ठ आँकड़ों का उपयोग करके राजनीतिक दबाव का विरोध करता है। 2. समावेशिता: यह सुनिश्चित करती है कि ग्राम B और C को नवीन, कानूनी साधनों के माध्यम से सहायता प्राप्त हो। 3. शुचिता: लॉजिस्टिक्स संबंधी खर्चों के लिये दुरुपयोग की बजाय वैकल्पिक धन (NGO/अनुरोध) ढूंढकर वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करती है।
अवगुण	1. अधिक प्रयास: विकल्प 1 की तुलना में इसमें महत्त्वपूर्ण समन्वय और अतिरिक्त काम की आवश्यकता होती है। 2. राजनीतिक तनाव: विधायक भले ही असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन यह निर्णय विधि के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है।
नैतिक सिद्धांत	यह वेबर के तर्कसंगत सिद्धांतों (नियमों) और गांधीवादी आदर्श (सहानुभूति) के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह लोक सेवा में निष्पक्षता का समर्थन करता है।

तीसरा विकल्प नैतिक दृष्टि से सबसे सही और प्रशासनिक रूप से उपयुक्त है। यह निष्पक्षता, दक्षता और नैतिकता के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रश्न की मांग को पूरा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि **प्रक्रिया (नियम) उद्देश्य (राहत)** की शत्रु न बन जाए।

3. आपका अंतिम कार्यपथ क्या होगा? अपने निर्णय को उपयुक्त तर्कों, नैतिक सिद्धांतों तथा लोक सेवा के मूल्यों का संदर्भ देते हुए न्यायोचित ठहराइये।

चरण 1: त्वरित साक्ष्य-आधारित वर्गीकरण (ग्राम A एवं विधायक से संबंधित)

- **कार्यवाही:** मैं तत्काल क्षेत्रीय टीमें तैनात करूँगा ताकि त्वरित आवश्यकता आकलन किया जा सके और ग्रामों को गंभीरता के आधार पर (उच्च/मध्यम/निम्न) वर्गीकृत किया जा सके। धनराशि का आवंटन पूर्णत: इन्हीं वस्तुनिष्ठ आँकड़ों के आधार पर किया जायेगा।
  - मैं विधायक को विनम्रतापूर्वक लेकिन स्पष्ट रूप से अवगत कराऊँगा कि राहत वितरण केंद्रीय ऑडिट के अधीन है और इसे क्षति-आँकड़ों के अनुरूप ही किया जा सकता है।
- **औचित्य:** यह **नोलन के वस्तुनिष्ठता सिद्धांत का समर्थन** करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि **निर्णय योग्यता के आधार पर लिये जाएँ, न कि पक्षपात के आधार पर। यह कर्त्तव्यपरायणता** (कर्त्तव्य-आधारित नैतिकता: **Deontology**) के अनुरूप है, जहाँ मेरा प्राथमिक कर्त्तव्य संविधान और विधि के शासन के प्रति है, न कि राजनीतिक कार्यपालिका के व्यक्तिगत हितों के प्रति।

चरण 2: नवीन संसाधन संचयन (ग्राम B और लॉजिस्टिक्स संबंधी समस्याओं का समाधान)

- **कार्यवाही:** अवैध रूप से धन के दुरुपयोग के बिना लॉजिस्टिक्स संकट को हल करने के लिये मैं **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 और 65** लागू करूँगा, जो बचाव के लिये निजी वाहनों एवं नौकाओं को अधिगृहीत करने की अनुमति देती है।
  - इसके साथ-साथ, स्थानीय **गैर-सरकारी संगठनों** एवं **नागरिक समाज संगठनों** के साथ साझेदारी कर **फील्ड स्टाफ के लिये ईंधन एवं भोजन की व्यवस्था** कराई जायेगी।
- **औचित्य:** यह दृष्टिकोण **जॉन रॉल्स के विभेद सिद्धांत (Difference Principle) के अनुरूप है,** जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उच्च लागत के बावजूद सबसे कम सुविधा प्राप्त (दूरस्थ ग्राम B) को प्राथमिकता मिले। धन के हस्तांतरण के बजाय कानूनी प्रावधानों (DM अधिनियम) का उपयोग **शासन में सत्यनिष्ठा** और वित्तीय शुद्धता को बनाए रखता है।

चरण 3: करुणामय प्रशासनिक दृष्टिकोण (ग्राम C और प्रवासी श्रमिक)

- **कार्यवाही:** मैं बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासी श्रमिकों के लिये एक **'अस्थायी लाभार्थी सूची'** को स्वीकृति प्रदान करूँगा।
  - उनकी पहचान तथा क्षति का सत्यापन स्थानीय वृद्ध जनों, आशा कार्यकर्त्ताओं अथवा विद्यालय शिक्षकों द्वारा हस्ताक्षरित पंचनामा (साक्ष्य-विवरण) के माध्यम से किया जायेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

पारदर्शी ऑडिट ट्रेल सुनिश्चित करने हेतु इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्ड भी किया जायेगा।

- **औचित्य:** यह **गांधीजी के आदर्श वाक्य और अंत्योदय** के सिद्धांत का पालन करता है, जिसके अनुसार सबसे कमज़ोर वर्ग की सेवा पहले की जानी चाहिये। यह प्रशासनिक औपचारिकता (लालफीताशाही) पर **मानवाधिकारों (अनुच्छेद 21 - जीवन का अधिकार) को प्राथमिकता** देता है और कागज़ी कार्रवाई की कमी के कारण प्रवासियों को नज़रअंदाज़ करने के बजाय उन्हें स्वयं में एक लक्ष्य (**कांट की निरपेक्ष अनिवार्यता**) **के रूप में मानता** है।

चरण 4: मीडिया और कर्मचारी प्रबंधन

- **कार्यवाही:** मैं प्रतिदिन शाम को प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करूँगा जिसमें उन ग्रामों के संबंध में तथ्यात्मक आँकड़े प्रस्तुत किये जायेंगे जहाँ तक पहुँचना संभव हो सका है और वितरित की गई धनराशि के बारे में जानकारी दी जाएगी।
  - मैं अपने फील्ड स्टाफ को यह भी आश्वासन दूँगा कि मैं पंचनामा निर्णय की पूरी प्रशासनिक ज़िम्मेदारी लेता हूँ, जिससे वे भविष्य में किसी भी प्रकार की पूछताछ के डर के बिना काम कर सकें।
- **औचित्य:** पारदर्शिता अफवाहों का निवारण करती है और **जवाबदेही की नैतिक मांग को पूरा** करती है। अधीनस्थों की सुरक्षा करना **भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नेतृत्व का प्रदर्शन** करता है, जिससे निर्णय लेने के भय से उत्पन्न प्रशासनिक गतिरोध को रोका जा सकता है।

निष्कर्ष:

संसाधनों की कमी वाले संकट में, **नैतिक मार्ग करुणा और वैधता के बीच संतुलन बनाए रखने तथा निष्पक्ष एवं पारदर्शी कार्रवाई के माध्यम से राजनीतिक दबाव का विरोध करने में निहित है।** प्रक्रियात्मक अखंडता को बनाए रखते हुए सबसे कमज़ोर लोगों को प्राथमिकता देकर SDM न्याय और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित करता है। यह दृष्टिकोण **सच्ची सार्वजनिक सेवा को दर्शाता है जहाँ नियम मानवता की सेवा करते हैं, न कि उसका स्थान लेते हैं।**

प्रश्न : आपने हाल ही में एक अर्द्ध-शहरी ज़िले के ज़िलाधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है, जहाँ प्रशासन को प्राय: अतिक्रमण विवादों और बढ़ती जन-अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद आप देखते हैं कि आपके एक कनिष्ठ अधिकारी राघव, जो उप-मंडल अधिकारी (SDM) हैं, सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हो गये हैं। वे नियमित रूप से निरीक्षणों, जन-संपर्कों और प्रवर्तन कार्यवाहियों से संबंधित अपडेट पोस्ट करते हैं और स्वयं को एक ऊर्जावान व सक्रिय अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

हालाँकि आप धीरे-धीरे देखते हैं कि उनकी पोस्ट्स में प्राय: औचक निरीक्षणों के वीडियो, उनके पीछे तनाव में खड़े कनिष्ठ कर्मचारियों की तस्वीरें तथा दुकानों को सील किये जाने जैसी दण्डात्मक कार्यवाहियों के क्लिप (कभी-कभी "कार्रवाई कथनी से अधिक मायने रखती है" जैसे कड़े कैप्शन के साथ) शामिल होते हैं। इनमें से एक वीडियो, जिसमें उन्होंने एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान को सील किया है, वायरल हो जाता है। इसे कुछ लोगों की प्रशंसा मिलती है, परंतु इस बात की आलोचना भी होती है कि प्रक्रियात्मक निष्पक्षता स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई गई।

सहकर्मी दबे स्वर में बताते हैं कि इस प्रकार सत्ता के सार्वजनिक प्रदर्शन से विश्वास की बजाय भय का वातावरण बन सकता है। दुकानदार एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को बताते हैं कि वे SDM कार्यालय जाने में हिचकते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी सामान्य शिकायतें भी रिकॉर्ड होकर ऑनलाइन पोस्ट हो सकती हैं। एक स्थानीय विधायक की अनौपचारिक शिकायत में SDM के आचरण को 'मनमानी' और प्रचार से प्रेरित बताया गया है। एक गुमनाम याचिका भी आपके कार्यालय तक पहुँचती है जिसमें सीलिंग कार्यवाही में अपर्याप्त सूचना का आरोप लगाया गया है, हालाँकि आधिकारिक रिकॉर्ड में इसका पालन न होने की बात दर्ज है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

आप समझते हैं कि इस मुद्दे में कोई स्पष्ट कानूनी उल्लंघन शामिल नहीं है, बल्कि इसमें सूक्ष्म नैतिक दुविधाएँ, पारदर्शिता एवं भय-सृजन की सीमा, सोशल मीडिया का जिम्मेदार उपयोग, प्रवर्तन के दौरान व्यक्तियों की गरिमा और युवा अधिकारियों के लिये उत्साह व संस्थागत औचित्य के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता शामिल है।

ज़िलाधिकारी के रूप में आपको यह तय करना है कि इस स्थिति को किस प्रकार नियंत्रित किया जाये, जिससे प्रशासनिक सत्यनिष्ठा बनी रहे, एक प्रतिभाशाली अधिकारी का मनोबल क्षीण न हो तथा नागरिक स्वयं को अपमानित या अनजाने में सत्ता-दुरुपयोग का शिकार महसूस न करें।

प्रश्न

1. **इस मामले में निहित मूल नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये तथा लोक प्रशासन में उनकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिये।**
2. **क्या आपको लगता है कि SDM का सोशल मीडिया उपयोग यद्यपि विधिक है, फिर भी इससे नैतिक चिंताएँ उत्पन्न होती हैं? लोक सेवा, मर्यादा तथा व्यक्तियों की गरिमा के सिद्धांतों के आधार पर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये।**
3. **ज़िलाधिकारी के रूप में आप इस स्थिति को निष्पक्ष, संतुलित तथा रचनात्मक ढंग से निपटने के लिये क्या कदम उठाएँगे? इस दिशा में अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय सुझाइये।**
4. **सोशल मीडिया के प्रयोग के लिये ऐसे दिशा-निर्देश या आचार-संहिता प्रस्तावित कीजिये जो पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नैतिक संयम तीनों के बीच संतुलन बनाये रखें।**

परिचय:

यह मामला लोक प्रशासन में उभरती एक नैतिक चुनौती को उजागर करता है, जो लोक सेवकों द्वारा सत्ता प्रयोग में सोशल मीडिया के उपयोग से संबंधित है। **पारदर्शिता और जनभागीदारी वांछनीय** हैं, लेकिन **प्रवर्तन कार्रवाइयों का अत्यधिक सार्वजनिक प्रदर्शन धमकी, गरिमा का हनन एवं जनविश्वास की हानि** का जोखिम उत्पन्न करता है। दुविधा **दृश्यता और संयम के बीच संतुलन** बनाने में तथा **व्यक्तिगत उत्साह एवं संस्थागत मर्यादा के बीच संतुलन** स्थापित करने में निहित है।

इसमें शामिल हितधारक:

- **ज़िला कलेक्टर (स्वयं):** प्रशासनिक शुचिता और संस्थागत संस्कृति के लिये जिम्मेदार।
- **SDM (राघव):** एक युवा, उत्साही अधिकारी जो प्रभाव और लोकप्रियता हासिल करना चाहता है।
- **नागरिक और दुकानदार:** प्रवर्तन कार्रवाइयों के विषय और जनता की धारणा।
- **कनिष्ठ कर्मचारी:** वे अधीनस्थ कर्मचारी जिनकी गरिमा और मनोबल प्रभावित हो सकता है।
- **राजनीतिक कार्यपालिका (विधायक):** आचरण और जन आक्रोश को लेकर चिंतित।
- **मीडिया और सोशल मीडिया दर्शक:** प्रशासनिक कार्यों के प्रवर्तक।
- **एक संस्था के रूप में ज़िला प्रशासन:** प्रतिष्ठा, विश्वास और वैधता।

1. इस मामले में निहित मूल नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये तथा लोक प्रशासन में उनकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिये।

- **पारदर्शिता बनाम धमकी:** प्रशासनिक कार्रवाइयों को साझा करने से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है, लेकिन निरंतर औचक निरीक्षण और दंडात्मक कार्रवाइयों को प्रदर्शित करने से विश्वास के बजाय भय उत्पन्न हो सकता है।
  - लोक प्रशासन को सुलभ और नागरिक-हितैषी रहना चाहिये, न कि दमनकारी।
- **अधिकार के प्रयोग में औचित्य:** अधिकार का सार्वजनिक प्रदर्शन, विशेष रूप से तनावपूर्ण अधीनस्थों के सशक्त कैप्शन और दृश्यों के साथ, शासन को तमाशा में बदलने का जोखिम उत्पन्न करता है।
  - यह सरकारी कर्मचारियों से अपेक्षित **शिष्टाचार के सिद्धांत का उल्लंघन** करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **व्यक्तियों की गरिमा:** दुकानों को सील करने या चिंतित कर्मचारियों को दिखाने वाले वायरल वीडियो व्यक्तियों को अपमानित कर सकते हैं।
  - यह **कांट के उस सिद्धांत के विपरीत** है, जिसमें **लोगों को प्रचार के साधन के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं में एक लक्ष्य के रूप में माना जाना चाहिये।**
- **व्यक्तिगत ब्रांडिंग बनाम संस्थागत तटस्थता:** व्यक्तिगत कार्यों का अत्यधिक प्रदर्शन **संस्थागत चरित्र को कमज़ोर** करता है और वेबरियन प्रशासनिक तटस्थता को कमज़ोर करता है, जहाँ अधिकार पद से प्राप्त होता है, न कि व्यक्तित्व से।
- **प्रक्रियात्मक निष्पक्षता बनाम जनमानस:** भले ही विधिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया हो, न्याय का दिखना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। उच्चाधिकारपूर्ण व्यवहार की धारणा प्रशासन के प्रति जनविश्वास को क्षीण करती है।

2. क्या SDM का सोशल मीडिया उपयोग यद्यपि विधिक है, फिर भी इससे नैतिक चिंताएँ उत्पन्न होती हैं? लोक सेवा, मर्यादा तथा व्यक्तियों की गरिमा के सिद्धांतों के आधार पर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये।

SDM का आचरण विधिक रूप से अनुमेय होने के बावजूद नैतिक चिंताएँ उत्पन्न करता है।

लोक सेवा नैतिकता के परिप्रेक्ष्य से:

- **मर्यादा:** प्रवर्तन कार्रवाइयों का उत्सवपूर्ण या आक्रामक प्रस्तुतीकरण सार्वजनिक पद से अपेक्षित संयम का उल्लंघन करता है।
- **गरिमा:** नागरिक और कर्मचारी अधिकार-संपन्न व्यक्तियों के बजाय सत्ता के अधीन व्यक्तियों के रूप में दिखाई देते हैं।
- **वस्तुनिष्ठता:** कार्रवाइयों का चयनात्मक प्रस्तुतीकरण वास्तविकता को विकृत कर सकता है और भय-आधारित अनुपालन को बढ़ावा दे सकता है।
- **करुणा:** नागरिक SDM के कार्यालय जाने में हिचकिचाते हैं, जिससे **विश्वास और अभिगम्यता में बाधा** आती है।

नोलन के '**सत्यनिष्ठा सिद्धांत**' के अनुसार, **सार्वजनिक शक्ति का उपयोग व्यक्तिगत प्रसिद्धि के लिये नहीं किया जाना चाहिये।** **गांधीजी** के आदर्श वाक्य के अनुसार, यदि सबसे कमज़ोर नागरिक सशक्त महसूस करने के बजाय भयभीत महसूस करता है, तो यह आचरण नैतिक कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इस प्रकार, यह आचरण **विधिक होते हुए भी नैतिक रूप से समस्याग्रस्त** है।

3. ज़िलाधिकारी के रूप में आप इस स्थिति को निष्पक्ष, संतुलित तथा रचनात्मक ढंग से निपटने के लिये क्या कदम उठाएँगे? इस दिशा में अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय सुझाइये।

अल्पकालिक उपाय

- **गोपनीय परामर्श**
  - SDM के साथ व्यक्तिगत रूप से संवाद करना चाहिये, उनकी उत्सुकता की सराहना करते हुए उन्हें भय-आधारित दृश्यता के अनपेक्षित परिणामों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिये। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नैतिक नेतृत्व को दर्शाता है।
- **सोशल मीडिया के उपयोग पर तत्काल सलाह**
  - SDM को निर्देश दिया जाना चाहिये कि वे दंडात्मक कार्रवाइयों, अधीनस्थों या नागरिकों की तस्वीरें एवं आपत्तिजनक कैप्शन पोस्ट करने से बचें; इसके बजाय सूचनात्मक और सेवा-उन्मुख संचार को प्रोत्साहित करें।
- **प्रक्रियात्मक पारदर्शिता को सुदृढ़ करना**
  - भविष्य की सभी प्रवर्तन कार्रवाइयों में नोटिस, सुनवाई और अनुपालन प्रक्रियाओं का स्पष्ट अभिलेखीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिये, जिससे प्राकृतिक न्याय एवं जनविश्वास सुदृढ़ हो।

दीर्घकालिक उपाय

- **ज़िला स्तरीय सोशल मीडिया दिशानिर्देश:**
  - आधिकारिक सोशल मीडिया उपयोग हेतु स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOP) तैयार की जानी चाहिये तथा प्रवर्तन संचार के लिये पर्सनल हैंडल के स्थान पर संस्थागत खातों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- **क्षमता निर्माण और मार्गदर्शन:**
  - विशेषत: युवा अधिकारियों के लिये नैतिक संप्रेषण, शक्ति-संयम और नागरिक-केंद्रित शासन पर कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **मौन प्रभावशीलता की संस्कृति को प्रोत्साहन:**
  - संस्थागत विश्वसनीयता को सुदृढ़ करने के लिये दिखावे या लोकप्रियता के बजाय परिणामों और सेवा वितरण को पुरस्कृत किया जाना चाहिये।

4. सोशल मीडिया के प्रयोग के लिये ऐसे दिशा-निर्देश या आचार-संहिता प्रस्तावित कीजिये जो पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नैतिक संयम तीनों के बीच संतुलन बनाये रखें।

मूलभूत सिद्धांत

- **जनसेवा सर्वोपरि:** आधिकारिक सोशल मीडिया के उपयोग में जनहित और जनसेवा को प्राथमिकता दी जानी चाहिये तथा इसका उपयोग व्यक्तिगत लोकप्रियता, ब्रांडिंग या आत्म-प्रचार के लिये नहीं किया जाना चाहिये।
- **गरिमा और सम्मान:** यह सलाह दी जाती है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी नागरिकों, अधीनस्थों और हितधारकों के साथ कथित उल्लंघनों की परवाह किये बिना गरिमा एवं सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए।
- **व्यक्तिगत दृश्यता पर संस्थागत सर्वोच्चता:** प्रशासनिक कार्यों को व्यक्तिगत अधिकारियों के बजाय संस्था के कार्यों के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये, क्योंकि अत्यधिक व्यक्तिगत दृश्यता संस्थागत विश्वास को कम कर सकती है।

आधिकारिक सोशल मीडिया उपयोग के सुझाए गए उद्देश्य

- **सूचनात्मक, न कि प्रदर्शनात्मक:** सोशल मीडिया संचार को आदर्श रूप से नीतिगत जागरूकता, सेवा वितरण संबंधी अपडेट, नागरिक सुविधा तंत्र और परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, न कि प्रदर्शनात्मक या बल-केंद्रित कार्यों पर।
- **परिणाम-आधारित संचार:** अधिकारियों को दंडात्मक क्षणों या अचानक की गई कार्रवाइयों को उजागर करने के बजाय, प्राप्त अनुपालन, सार्वजनिक लाभों और उठाए गए सुधारात्मक उपायों पर ज़ोर देने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

विषयवस्तु पर सुझाए गए प्रतिबंध

- **प्रत्यक्ष या सनसनीखेज प्रवर्तन से परहेज़:** यह सलाह दी जाती है कि औचक निरीक्षण, छापेमारी, तोड़फोड़ या सीलिंग अभियान का सीधा प्रसारण या नाटकीय प्रस्तुति नहीं किया जाना चाहिये। यदि कार्रवाई से संबंधित दृश्य साझा किये जाते हैं, तो उन्हें घटना के बाद का, गुमनाम और उचित संदर्भ के साथ साझा किया जाना चाहिये।
- **पहचान की सुरक्षा और निर्दोषता का सिद्धांत:** जब तक विधिक रूप से अनिवार्य न हो, चेहरे, नाम, दुकान के बोर्ड या अन्य पहचान चिह्नों को प्रकट करने से बचना चाहिये। उचित विधिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले प्रयुक्त भाषा से अपराध का संकेत नहीं मिलना चाहिये।
- **अधीनस्थों के भय-प्रदर्शन से परहेज़:** ऐसे कंटेंट के प्रस्तुतीकरण से परहेज़ करना चाहिये, जिसमें कनिष्ठ कर्मचारी भय, मौन या अपमान की स्थिति में दिखें। नेतृत्व के संचार से व्यावसायिकता और आत्मविश्वास झलकना चाहिये, न कि दबाव।

निष्कर्ष:

डिजिटल युग में **संयम के बिना प्रवर्धित अधिकार अनजाने में भय का रूप ले सकता है।** नैतिक शासन के लिये **पारदर्शिता और करुणा** तथा **दृश्यता और विनम्रता के बीच संतुलन** आवश्यक है। ज़िला कलेक्टर, दंडात्मक कार्रवाई के बजाय रचनात्मक मार्गदर्शन द्वारा संस्थागत अखंडता को बनाए रखते हुए एक होनहार अधिकारी का विकास करते हैं। **वास्तविक लोक सेवा ऑनलाइन प्रशंसा में नहीं बल्कि सतत जनविश्वास में निहित होती है।**

प्रश्न : रमेश वर्मा एक खनिज-समृद्ध लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े ज़िले में ज़िला खनन अधिकारी (DMO) के रूप में नियुक्त हैं। यह क्षेत्र लंबे समय से अवैध रेत एवं पत्थर खनन की समस्या से जूझ रहा है, जिस पर स्थानीय ठेकेदारों का नियंत्रण है और जिन्हें सुदृढ़ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इन गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय क्षति, राज्य के राजस्व की हानि तथा ग्रामीणों से जुड़े बार-बार होने वाले दुर्घटनात्मक हादसे सामने आते रहे हैं। कार्यभार सँभालने के शीघ्र बाद ही रमेश ने पाया कि बार-बार की गई शिकायतों के बावजूद रात के समय अवैध खनन खुलेआम जारी हैं। जब उन्होंने औचक निरीक्षण के आदेश दिये और वाहनों को ज़ब्त किया तो उन्हें एक स्थानीय विधायक का फोन आया, जिसने सामाजिक शांति और रोज़गार बनाए रखने के हित में

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

'Go slow' रहने की सलाह दी। अनौपचारिक रूप से रमेश को वरिष्ठ सहकर्मियों द्वारा यह भी बताया गया कि जो अधिकारी पहले सख़्ती से कार्रवाई करते थे, उनका कुछ ही महीनों में स्थानांतरण कर दिया गया।

समय के साथ एक स्पष्ट सॉंठगॉंठ का मामला उजागर हुआ। जिसमें स्थानीय राजनेता खनन संचालकों को संरक्षण देते थे, पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने से बचती थी और आपराधिक समूह उन ग्रामीणों को डराने-धमकाने का काम करते थे, जो इन गतिविधियों का विरोध करते थे। इसके बदले अवैध खनन संचालक चुनावी अभियानों के लिये धन उपलब्ध कराते थे तथा विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को नियमित रिश्वत देते थे। ज़िला कार्यालयों में खनन उल्लंघनों से संबंधित फाइलों को जानबूझकर विलंबित रखा जाता था या उनके प्रावधानों को कमज़ोर कर दिया जाता था।

एक शाम एक गंभीर दुर्घटना घटी, जब अत्यधिक भार से लदा एक खनन ट्रक ग्रामीणों के एक समूह को कुचलता हुआ निकल गया, जिससे दो लोगों की मृत्यु हो गई। जनाक्रोश भड़क उठा और मीडिया का ध्यान प्रशासन की विफलता पर केंद्रित हो गया। राजनीतिक नेताओं ने इसे 'अनैतिक तत्त्वों' का कृत्य बताकर टालने की कोशिश की और रमेश पर दबाव डाला कि वे यह प्रमाणित करें कि ट्रक वैध रूप से संचालित हो रहा था।

अब रमेश एक गंभीर नैतिक दुविधा का सामना कर रहे हैं। यदि वह सच्चाई दर्ज करते हैं और कड़ी कार्रवाई आरंभ करते हैं तो उन्हें राजनीतिक दबाव, व्यक्तिगत खतरों एवं संभावित स्थानांतरण का जोखिम उठाना पड़ सकता है। यदि वह समझौता करते हैं तो वह राजनीतिक-प्रशासनिक-आपराधिक गठजोड़ का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे विधि के शासन, पर्यावरण संरक्षण और जन-विश्वास को गहरी क्षति पहुँचेगी।

एक लोक सेवक के रूप में रमेश को यह निर्णय लेना है कि वह ऐसे वातावरण में, जहाँ संस्थागत समर्थन कमज़ोर प्रतीत होता है और निहित स्वार्थ गहराई तक जमे हुए हैं, सत्यनिष्ठा, वैधता एवं उत्तरदायित्व को किस प्रकार बनाए रखे।

1. उपर्युक्त प्रकरण में निहित नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये।
2. राजनीतिक-प्रशासनिक-आपराधिक गठजोड़ जनहित, पर्यावरणीय प्रशासन एवं सार्वजनिक संस्थानों की विश्वसनीयता को किस प्रकार प्रभावित करता है?
3. इस मामले में सर्वाधिक नैतिक रूप से उपयुक्त कार्य-पथ क्या होना चाहिये? तात्कालिक प्रशासनिक कदमों तथा दीर्घकालिक संस्थागत सुधारों दोनों का सुझाव दीजिये, ताकि इस प्रकार के राजनीतिक-प्रशासनिक-आपराधिक गठजोड़ की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

शामिल हितधारक

- **रमेश वर्मा (ज़िला खनन अधिकारी)** – कानून लागू करने और जनहित की रक्षा करने का नैतिक दायित्व।
- **स्थानीय ग्रामीण** - पर्यावरण के क्षरण, दुर्घटनाओं और आजीविका के नुकसान के शिकार।
- **अवैध खनन ठेकेदार/आपराधिक समूह** - लाभ के लालच में इस गठजोड़ से लाभान्वित होने वाले लोग।
- **राजनीतिक प्रतिनिधि** – चुनावी और वित्तीय लाभ के लिये अवैध गतिविधियों के संरक्षक।
- **पुलिस और ज़िला प्रशासन** – ये प्रवर्तन एजेंसियाँ हैं जिनकी निष्क्रियता शासन व्यवस्था को कमज़ोर करती है।
- **राज्य सरकार और राजकोष** को राजस्व हानि और प्रतिष्ठा को नुकसान उठाना पड़ता है।
- **पर्यावरण और भावी पीढ़ियाँ**– अवैध खनन की दीर्घकालिक पारिस्थितिक लागतें।

1. उपर्युक्त प्रकरण में निहित नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये।

- **नैतिकता और स्वार्थ के बीच संघर्ष:** रमेश को व्यक्तिगत/कॅरियर की सुरक्षा और नैतिक सार्वजनिक सेवा के बीच दुविधा का सामना करना पड़ता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **सत्ता का दुरुपयोग और राजनीतिक हस्तक्षेप:** झूठे रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिये दबाव डालना राजनीतिक सत्ता के दुरुपयोग को दर्शाता है।
- **विधि के शासन का उल्लंघन:** चयनात्मक प्रवर्तन, पुलिस की निष्क्रियता और लंबित मामलों से वैधता एवं विधि के समक्ष समता कमज़ोर होती है।
- **भ्रष्टाचार और संस्थागत गठजोड़:** रिश्वतखोरी, धमकी एवं राजनीतिक वित्तपोषण एक गहन राजनीतिक-प्रशासनिक-आपराधिक गठजोड़ को दर्शाते हैं।
- **पर्यावरण संबंधी नैतिकता और मानव जीवन की उपेक्षा:** अवैध खनन के कारण पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुँचती है और जानलेवा दुर्घटनाएँ होती हैं, जिससे सतत विकास के मूल सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन होता है।

2. राजनीतिक-प्रशासनिक-आपराधिक गठजोड़ जनहित, पर्यावरणीय प्रशासन एवं सार्वजनिक संस्थानों की विश्वसनीयता को किस प्रकार प्रभावित करता है?

जनहित पर प्रभाव

- **राज्य के राजस्व में हानि:** अवैध खनन के कारण रॉयल्टी, पर्यावरण क्षतिपूर्ति और करों की वसूली नहीं हो पाती, जिससे राज्य को बड़े पैमाने पर राजस्व हानि होती है। यदि ये संसाधन उपलब्ध होते तो इन्हें पिछड़े ज़िलों में **कल्याणकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा तथा आधारभूत संरचना** के विकास में लगाया जा सकता था।
  - रात के समय लगातार होने वाला अवैध खनन सार्वजनिक संसाधनों के निजी हाथों में व्यवस्थित रूप से होने वाले अपव्यय को दर्शाता है।
- **ग्रामीणों के जीवन और सुरक्षा को खतरा:** अनियमित खनन के कारण वाहनों पर अत्यधिक भार, असुरक्षित सड़कें और परित्यक्त खदानें उत्पन्न होती हैं, जिससे स्थानीय समुदायों को सीधा खतरा होता है। सुरक्षा मानकों के अभाव के कारण दुर्घटनाएँ लगातार होती रहती हैं।
  - अधिक भार से लदे खनन ट्रक के कारण हुई घातक दुर्घटना में ग्रामीणों की मौत नियामकीय विफलता का प्रत्यक्ष परिणाम है।
- **गरीबों का हाशिये पर जाना:** ग्रामीण, दिहाड़ी मज़दूर और जनजातीय समुदायों के पास राजनीतिक समर्थन नहीं होता है तथा उन्हें प्राय: चुप रहने के लिये धमकाया जाता है। उनकी शिकायतों को नज़रअंदाज़ किया जाता है, जिससे सामाजिक अन्याय और बढ़ जाता है।
  - विरोध कर रहे ग्रामीणों को आपराधिक गिरोहों द्वारा डराया-धमकाया जाना इस बात को उजागर करता है कि सत्ता की असमानता किस तरह सबसे कमज़ोर वर्गों को कुचल देती है।

पर्यावरण शासन पर प्रभाव

- **पारिस्थितिक क्षरण:** रेत और पत्थर के अवैध खनन से नदी तल का क्षरण, भूजल स्तर में गिरावट, मृदा की अस्थिरता तथा जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विनाश होता है। ये प्रभाव प्राय: अपरिवर्तनीय होते हैं।
  - अत्यधिक रेत खनन से नदी तटों की मज़बूती घटती है, जिससे मानसून के समय बाढ़ की आशंका बढ़ जाती है।
- **पर्यावरण कानूनों का हनन:** जब प्रवर्तन एजेंसियाँ उल्लंघनकर्त्ताओं के साथ मिलीभगत करती हैं तो पर्यावरण नियम केवल कागज़ों पर ही रह जाते हैं। मंज़ूरी, निरीक्षण और दंड सुरक्षा उपायों के बजाय केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताएँ बनकर रह जाते हैं।
  - उल्लंघन संबंधी फाइलों को जानबूझकर कमज़ोर करना, सतत खनन नीतियों के उद्देश्य को विफल कर देता है।

सार्वजनिक संस्थानों की विश्वसनीयता पर प्रभाव

- **पक्षपातपूर्ण प्रशासन की धारणा:** पुलिस और अधिकारी राजनीतिक रूप से जुड़े अपराधियों के प्रति पक्षपाती प्रतीत होते हैं, जिससे निष्पक्षता का सिद्धांत प्रभावित होता है। विधि प्रवर्तन सार्वभौमिक होने के बजाय चयनात्मक हो जाता है।
- **जनविश्वास का क्षरण:** जब अवैध कर्मों के लिये व्यक्ति या संस्था को दंडित नहीं किया जाता है, तो नागरिक लोकतांत्रिक संस्थाओं पर से विश्वास खो देते हैं। इससे संशय, अधिकारियों के साथ सहयोग में कमी और लोकतांत्रिक उदासीनता उत्पन्न होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **भय और मौन की संस्कृति:** ईमानदार अधिकारी, कार्यकर्त्ता और नागरिक प्रतिशोध से डरते हैं, जिससे **संस्थानों के भीतर भ्रष्टाचार एवं नैतिक पतन सामान्य** हो जाता है।
  - पूर्व अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने के स्थान पर केवल उनका तबादला किया जाना यह धारणा मज़बूत करता है कि ईमानदारी को प्रोत्साहन नहीं, बल्कि दंड मिलता है।

3. इस मामले में सर्वाधिक नैतिक रूप से उपयुक्त कार्य-पथ क्या होना चाहिये? तात्कालिक प्रशासनिक कदमों तथा दीर्घकालिक संस्थागत सुधारों दोनों का सुझाव दीजिये, ताकि इस प्रकार के राजनीतिक-प्रशासनिक-आपराधिक गठजोड़ की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

रमेश वर्मा के लिये **सबसे नैतिक कार्यप्रणाली में व्यक्तिगत साहस और संस्थागत विवेक के बीच संतुलन** बनाए रखना आवश्यक है, जिससे **सत्य, वैधता एवं जन कल्याण सुनिश्चित** हो सके, साथ ही अनावश्यक जोखिमों को कम किया जा सके।

तत्काल प्रशासनिक कदम

- **सत्य और विधि के शासन का पालन करना:** रमेश को झूठे अभिलेखों को प्रमाणित करने से इनकार करना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि दुर्घटना एवं अवैध खनन से संबंधित तथ्यों को सटीक रूप से प्रलेखित किया जाए। सत्यनिष्ठा सार्वजनिक सेवा में एक अप्रतिबंधित नैतिक मूल्य है।
  - फर्ज़ी प्रमाण पत्र न केवल अपराधियों को बचाएगा बल्कि रमेश को आपराधिक लापरवाही और नैतिक दुराचार में भी फँसा देगा।
- **सटीक आधिकारिक रिकॉर्ड बनाए रखना:** उचित दस्तावेज़ीकरण पारदर्शिता सुनिश्चित करता है तथा एक संस्थागत प्रमाण बनाता है, जो भविष्य में जाँच एवं जवाबदेही को सक्षम कर सकता है।
  - ज़ब्ती के सही रिकॉर्ड, निरीक्षण रिपोर्ट और दुर्घटना के विवरण अवैध संचालकों के खिलाफ मामले को ठोस बनाते हैं।
- **संस्थागत सुरक्षा उपायों का पालन करना:** रमेश को राजनीतिक दबाव की औपचारिक रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों, सतर्कता अधिकारियों या विभागीय प्रमुखों को देनी चाहिये। **लिखित निर्देश प्राप्त करने** से मौखिक दबाव से बचाव होता है तथा ज़िम्मेदारी उच्च अधिकारियों तक पहुँचती है।
  - लिखित आदेश ईमानदार अधिकारियों के लिये नैतिक और विधिक सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं।
- **बहु-एजेंसी समन्वय:** अवैध खनन एक बहुआयामी समस्या है जिसमें पर्यावरण, पुलिस व्यवस्था, राजस्व और न्यायपालिका शामिल है। समन्वित कार्रवाई से व्यक्तिगत असुरक्षा कम होती है साथ ही प्रभावशीलता बढ़ती है।
  - पुलिस और पर्यावरण अधिकारियों के साथ संयुक्त छापेमारी से किसी एक अधिकारी के राजनीतिक रूप से अलग-थलग पड़ने की संभावना कम हो जाती है।
- **पीड़ित-केंद्रित प्रतिक्रिया:** नैतिक शासन व्यवस्था में **मानवीय जीवन को प्रशासनिक प्रक्रियाओं से ऊपर रखना** अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, पीड़ितों के परिवारों को तुरंत राहत, मुआवज़ा और कानूनी सहायता उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
  - समय पर मुआवज़ा देने से जनता का विश्वास पुनर्स्थापित होता है और प्रशासन में करुणा का संकेत मिलता है।

दीर्घकालिक संस्थागत सुधार

- **स्वतंत्र निगरानी तंत्र:** GPS ट्रैकिंग, ड्रोन और उपग्रह इमेजरी जैसी तकनीक का उपयोग करने वाले स्वायत्त खनन नियामकों के निर्माण से मानवीय मनमानी और भ्रष्टाचार को कम करने में सहायता मिल सकती है।
  - **डिजिटल निगरानी** से अवैध गतिविधियों का पता लगाना और उनमें पारदर्शिता लाना संभव हो जाता है।
- **नैतिक अधिकारियों के लिये संरक्षण:** सिविल सेवकों के बीच नैतिक साहस को प्रोत्साहित करने के लिये निश्चित कार्यकाल, मुखबिरों के संरक्षण कानून और गवाहों की सुरक्षा आवश्यक है।
  - जब संस्थागत रूप से सत्यनिष्ठा की रक्षा की जाती है, तो अधिकारियों द्वारा नैतिक रूप से कार्य करने की संभावना अधिक होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **पुलिस और राजनीतिक सुधार:** पुलिस व्यवस्था में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने से निष्पक्ष कानून प्रवर्तन सुनिश्चित होता है तथा विधि का शासन पुनर्स्थापित होता है।
  - स्वतंत्र पुलिस नेतृत्व शक्तिशाली अपराधियों के खिलाफ प्रवर्तन को बेहतर बनाता है।
- **सामुदायिक भागीदारी:** सामाजिक अंकेक्षण, स्थानीय सतर्कता समितियाँ और नागरिक रिपोर्टिंग मंच ग्रामीणों को सशक्त बनाते हैं तथा भय को कम करते हैं।
  - जब समुदाय निगरानीकर्त्ता बन जाते हैं तो अवैध गतिविधियों को छिपाना कठिन हो जाता है।

निष्कर्ष:

सत्यनिष्ठ और प्रभावी शासन का आकलन शक्ति-प्रदर्शन के बजाय अर्जित सार्वजनिक विश्वास के आधार पर किया जाता है। नैतिक नेतृत्व की पहचान अत्यधिक चुनौतियों के बीच भी **ईमानदारी, साहस और संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता** से होती है। यद्यपि व्यक्तिगत नैतिकता महत्त्वपूर्ण है, फिर भी स्थायी सुधारों के लिये राजनीति, प्रशासनिक एवं संगठित अपराध के बीच के अपवित्र गठजोड़ को तोड़ने पर केंद्रित प्रणालीगत बदलावों की आवश्यकता है, ताकि सार्वजनिक विश्वास को पुनर्स्थापित किया जा सके।

प्रश्न : अनन्या शर्मा एक बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन में उप-प्रबंधक हैं, जो अवसंरचना विकास के लिये उत्तरदायी है। संगठन की तकनीकी प्रतिष्ठा सुदृढ़ है, परंतु कार्य-संस्कृति विषाक्त बनी हुई है। वरिष्ठ अधिकारी बैठकों में अधीनस्थों को प्राय: डाँटते- फटकारते हैं, कनिष्ठों के कार्य का श्रेय स्वयं ले लेते हैं और असहमति वाले विचारों को हतोत्साहित करते हैं। बिना किसी मान्यता के लंबी कार्य-अवधि सामान्य बात हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप मनोबल में गिरावट और कर्मचारियों का उच्च पलायन देखने को मिलता है।

अनन्या देखती हैं कि प्रतिभाशाली युवा अधिकारी अपमान के भय से नवीन विचार साझा करने में हिचकिचाते हैं। विशेष रूप से महिला कर्मचारी अपनी चिंताएँ उठाने में असहज महसूस करती हैं, क्योंकि वरिष्ठ पुरुष अधिकारियों द्वारा नियंत्रित अनौपचारिक नेटवर्क निर्णय-निर्माण पर हावी है। यद्यपि प्रत्यक्ष उत्पीड़न नहीं है, फिर भी कार्य-पर्यावरण मनोवैज्ञानिक रूप से असुरक्षित और हतोत्साहित करने वाला है।

हाल ही में एक सक्षम कनिष्ठ अधिकारी रवि से परियोजना-फाइल में एक छोटी-सी प्रक्रियागत त्रुटि हो गई। रचनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय एक वरिष्ठ अधिकारी ने बैठक में उसे सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई। अत्यधिक निराश होकर रवि ने 'व्यक्तिगत कारणों' का हवाला देते हुए स्थानांतरण के लिये आवेदन कर दिया। ऐसी घटनाएँ अब सामान्य हो गई हैं, जिससे उत्पादकता और टीम-एकजुटता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

मध्यम-स्तरीय अधिकारी होने के नाते अनन्या को अपनी टीम का सम्मान प्राप्त है, परंतु वरिष्ठ अधिकारियों पर उनका अधिकार सीमित है। उनका मानना है कि ऐसी विषाक्त कार्य-संस्कृति न केवल कर्मचारियों के कल्याण को क्षति पहुँचाती है, बल्कि दक्षता, नवोन्मेष और सार्वजनिक सेवा-प्रदाय को भी प्रभावित करती है।

अनन्या अब एक दुविधा में हैं: क्या वह अपने कॅरियर की प्रगति की रक्षा के लिये मौन रहे या कार्यस्थल की संस्कृति में सुधार लाने, गरिमा को बढ़ावा देने और संगठन के भीतर नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिये औपचारिक या अनौपचारिक रूप से कदम उठाए।

1. **उपर्युक्त प्रकरण में कार्यस्थल की संस्कृति से संबंधित प्रमुख नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये। ऐसे मुद्दे कर्मचारियों के मनोबल, उत्पादकता और संगठनात्मक प्रभावशीलता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?**
2. **विषाक्त कार्यस्थल प्रथाओं से निपटने में एक मध्यम-स्तरीय अधिकारी के रूप में अनन्या किन नैतिक दुविधाओं का सामना करती हैं? उनके लिये उपलब्ध संभावित समाधानों पर चर्चा कीजिये तथा उनके गुण-दोष स्पष्ट कीजिये।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

3. नैतिक नेतृत्व और सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति किस प्रकार बेहतर शासन एवं कर्मचारी-कल्याण में योगदान दे सकती है? सार्वजनिक संस्थानों में एक स्वस्थ और समावेशी कार्य-पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिये उपाय सुझाइये।

इसमें शामिल हितधारक

- **अनन्या शर्मा (उप प्रबंधक)** - मध्य स्तर की अधिकारी जो नैतिक और व्यावसायिक दुविधाओं का सामना कर रही हैं।
- **कनिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी (रवि सहित)** - विषाक्त कार्यसंस्कृति, अपमान और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की कमी के प्रत्यक्ष प्रभाव में हैं।
- **वरिष्ठ अधिकारी/प्रबंधन** - वे व्यक्ति जो अपने व्यवहार के माध्यम से अधिकार का प्रयोग करते हैं और कार्यस्थल की संस्कृति का निर्माण करते हैं।
- **महिला कर्मचारी** – अनौपचारिक शक्ति संरचनाओं और समावेशी स्थानों की कमी के कारण विशेष रूप से प्रभावित होती हैं।
- **संगठन/सार्वजनिक संस्था** - जिसकी कार्यकुशलता, विश्वसनीयता और सेवा वितरण क्षमता प्रभावित होती है।
- **नागरिक/जनता** - सार्वजनिक सेवा वितरण की कम दक्षता और निम्न गुणवत्ता से प्रभावित अप्रत्यक्ष हितधारक।

1. उपर्युक्त प्रकरण में कार्यस्थल की संस्कृति से संबंधित प्रमुख नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये। ऐसे मुद्दे कर्मचारियों के मनोबल, उत्पादकता और संगठनात्मक प्रभावशीलता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?

संलग्न नैतिक मुद्दे

- **अधिकार का दुरुपयोग:** वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थों को अपमानित करने और असहमति को हतोत्साहित करने हेतु अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, जिससे गरिमा और सम्मान के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है।
- **सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभाव:** सार्वजनिक रूप से फटकार लगाना तथा कर्मचारियों के कल्याण की उपेक्षा करना भावनात्मक असंवेदनशीलता और दुर्बल नेतृत्व नैतिकता को दर्शाता है।
- **नैतिक अभिव्यक्ति और नवाचार का दमन:** उपहास का भय ईमानदार प्रतिक्रिया, रचनात्मकता और नैतिक प्रकटीकरण को हतोत्साहित करता है।
- **लैंगिक असंवेदनशीलता और अपवर्जन:** अनौपचारिक पुरुष-प्रधान संरचनाएँ महिलाओं को हाशिये पर धकेलती हैं और समान भागीदारी को सीमित करती हैं।
- **व्यावसायिक नैतिकता का क्षरण:** श्रेय लेना और दोष दूसरों पर डालना निष्पक्षता, विश्वास और सत्यनिष्ठा को कमज़ोर करता है।

मनोबल, उत्पादकता और संगठनात्मक प्रभावशीलता पर प्रभाव

- **मनोबल में कमी:** भय, अपमान और प्रशंसा के अभाव वाले वातावरण में कार्य करने से कर्मचारियों की प्रेरणा क्रमशः घटती जाती है। समय के साथ, इससे संगठन के प्रति उनका जुड़ाव और प्रतिबद्धता कमजोर हो जाती है।
- **उत्पादकता में कमी:** हतोत्साहित कार्यबल में पहल करने या कुशलतापूर्वक कार्य करने की संभावना कम हो जाती है। कर्मचारी उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के बजाए केवल न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कार्य करते हैं, जिससे अंततः समग्र उत्पादकता कम हो जाती है।
- **उच्च कर्मचारी स्थानांतरण और प्रतिभा हानि:** आलोचना या अपमान के भय से कर्मचारी नए विचार साझा करने या सुधार सुझाने से कतराते हैं। इससे रचनात्मकता दब जाती है और संस्थानों की **विकास, अनुकूलन और सेवा-वितरण में सुधार** की क्षमता बाधित होती है।
- **नवाचार और रचनात्मकता में कमी:** जब कर्मचारी आलोचना या अपमान के भय से काम लेते हैं, तो वे नए विचार साझा करने या सुधार के सुझाव देने से बचते हैं। इससे रचनात्मकता दब जाती है और संस्थानों का विकास, अनुकूलन या सेवा वितरण में सुधार बाधित होता है।
- **सार्वजनिक सेवा वितरण का क्षरण:** निम्न मनोबल और कम प्रेरणा सीधे तौर पर सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

करती है। विलंब, अक्षमता और अल्प प्रत्युत्तरशीलता सामान्य हो जाती है, जिसका अंतिम दुष्प्रभाव **प्रभावी शासन पर निर्भर नागरिकों** पर पड़ता है।

2. विषाक्त कार्यस्थल प्रथाओं से निपटने में एक मध्यम-स्तरीय अधिकारी के रूप में अनन्या किन नैतिक दुविधाओं का सामना करती हैं? उनके लिये उपलब्ध संभावित समाधानों पर चर्चा कीजिये तथा उनके गुण-दोष स्पष्ट कीजिये।

A. अनन्या द्वारा अनुभव की गई प्रमुख नैतिक दुविधाएँ

- **सत्यनिष्ठा बनाम कॅरियर सुरक्षा: सत्यनिष्ठा बनाम कॅरियर सुरक्षा:** अनन्या के समक्ष न्याय, गरिमा और निष्पक्षता जैसे नैतिक मूल्यों को बनाए रखने और अपनी कॅरियर उन्नति की सुरक्षा के बीच संघर्ष का सामना करना पड़ता है।
  - विषाक्त प्रथाओं के विरुद्ध बोलने से प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है, जबकि मौन धारण करने से व्यक्तिगत सुरक्षा बनी रहती है, किंतु नैतिक सत्यनिष्ठा से समझौता होता है।
- **संगठन के प्रति दायित्व बनाम सहकर्मियों के प्रति दायित्व:** यद्यपि वह संस्था के प्रति निष्ठावान है, किंतु दूसरी ओर उनका उन सहकर्मियों के प्रति भी नैतिक उत्तरदायित्व है जिन्हें अपमानित और हतोत्साहित किया जा रहा है।
  - सहकर्मियों के प्रति सहानुभूति के साथ संस्थागत निष्ठा को संतुलित करना एक गंभीर नैतिक चुनौती है।
- **अनुरूपता बनाम नैतिक साहस:** प्रचलित संगठनात्मक संस्कृति मौन और अनुरूपता को प्रोत्साहित करती है। इसके विपरीत अनैतिक आचरण के विरुद्ध खड़े होने के लिये नैतिक साहस की आवश्यकता होती है, जो सामाजिक अलगाव, पेशेवर विरोध या कैरियर में अवरोध का कारण बन सकता है।
- **अल्पकालिक स्थिरता बनाम दीर्घकालिक संगठनात्मक हित:** विषाक्त व्यवहार की उपेक्षा करने से अस्थायी सामंजस्य तो बना रह सकता है, लेकिन यह दीर्घकालिक संगठनात्मक प्रभावशीलता, विश्वास और मनोबल को क्षति पहुँचाता है।
  - इसके विपरीत, नैतिक हस्तक्षेप अल्पकालिक असुविधा उत्पन्न कर सकता है, परंतु सतत और उत्तरदायी शासन की आधारशिला रखता है।
- **व्यक्तिगत मूल्य बनाम संस्थागत संस्कृति:** अनन्या के सामने यह विकल्प है कि वह एक दोषपूर्ण व्यवस्था के अनुरूप स्वयं को ढाल ले या उसमें सुधार हेतु प्रयास करे, भले ही संस्थागत मानदंड असहमति और जवाबदेही को हतोत्साहित करते हों।

B. संभावित समाधान

- **निष्क्रिय अनुपालन (यथास्थिति बनाए रखना):** अनन्या अपने कॅरियर की रक्षा करने और टकराव से बचने के लिये मौन रहना चुन सकती है।
  - *गुण:* व्यक्तिगत स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
  - *दोष:* यह अन्याय को बढ़ावा देता है, आत्मसम्मान को क्षीण करता है और संगठनात्मक पतन में योगदान देता है।
- **अनौपचारिक और प्रेरक सहभागिता:** वह वरिष्ठ अधिकारियों से निजी स्तर पर संवाद स्थापित कर सकती है, सम्मानजनक व्यवहार को प्रोत्साहित कर सकती है तथा कनिष्ठों का मार्गदर्शन करते हुए सकारात्मक सूक्ष्म-कार्य संस्कृति विकसित कर सकती है।
  - *गुण:* टकराव रहित और व्यावहारिक; क्रमिक परिवर्तन की संभावना।
  - *दोष:* यदि शीर्ष नेतृत्व उदासीन रहे तो प्रभाव सीमित रह सकता है।
- **औपचारिक संस्थागत हस्तक्षेप:** मानव संसाधन प्रकोष्ठ, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र अथवा नैतिकता समितियों जैसे औपचारिक माध्यमों से मुद्दों को उठाया जा सकता है।
  - *गुण:* नियम आधारित और पारदर्शी तथा दस्तावेज़ी जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
  - *दोष:* संस्थागत संरक्षण कमजोर होने पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया या उत्पीड़न का जोखिम।
- **नैतिक उदाहरण द्वारा नेतृत्व करना:** अपने अधीनस्थों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार, सहभागिता को बढ़ावा और योग्यता-आधारित प्रोत्साहन के माध्यम से अनन्या नैतिक नेतृत्व का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है।
  - *गुण:* अपने प्रभाव क्षेत्र में विश्वास का निर्माण और नैतिक मानकों की स्थापना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- *दोष:* परिवर्तन की गति धीमी हो सकती है और प्रभाव तत्काल टीम तक सीमित रह सकता है।

- **सामूहिक एवं संरचनात्मक समाधान:** संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करने के लिये सहकर्मी सहायता, गुमनाम प्रतिक्रिया प्रणाली और कार्यस्थल संवेदीकरण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
  - *लाभ:* सतत् और कम टकरावकारी तथा यह ध्यान व्यक्तियों से हटाकर प्रणालियों पर केंद्रित करता है।
  - *दोष:* इसके लिये संस्थागत इच्छाशक्ति और परिणाम परिलक्षित होने हेतु समय की आवश्यकता होती है।

संतुलित और चरणबद्ध रणनीति दृष्टिकोण:

- सर्वप्रथम, नैतिक आचरण का स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना और अनौपचारिक मार्गदर्शन के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव डालना।
- वरिष्ठ अधिकारियों से निजी एवं रचनात्मक संवाद स्थापित कर संगठनात्मक परिणामों और सार्वजनिक सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करना।
- तथ्यों, संवैधानिक मूल्यों और सामूहिक समर्थन के आधार पर संस्थागत तंत्रों के माध्यम से क्रमिक सुधार की दिशा में प्रयास करना।

यह दृष्टिकोण **व्यावहारिक बुद्धिमत्ता (phronesis)** को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें **नैतिक साहस** और **विवेक** का संतुलन होता है, साथ ही **सिविल सेवा के प्रमुख मूल्यों**, जैसे सहानुभूति, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही और **सार्वजनिक हित के प्रति प्रतिबद्धता** को बनाए रखता है।

3. नैतिक नेतृत्व और सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति किस प्रकार बेहतर शासन एवं कर्मचारी-कल्याण में योगदान दे सकती है? सार्वजनिक संस्थानों में एक स्वस्थ और समावेशी कार्य-पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिये उपाय सुझाइये।

नैतिक नेतृत्व और एक सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति कुशल, मानवीय एवं जवाबदेह संस्थानों के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ये कर्मचारियों के व्यवहार, आपसी संवाद और कर्त्तव्यों के निर्वहन को दिशा प्रदान करते हैं, जिससे अंततः सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

नैतिक नेतृत्व का योगदान

- **विश्वास, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठता को प्रोत्साहित करना:** नैतिक नेता सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता से कार्य करते हैं, जिससे कर्मचारियों के बीच विश्वास बढ़ता है। जब नेता निर्णय-निर्माण में निष्पक्ष और अपने कार्यों में पारदर्शी होते हैं, तो कर्मचारी स्वयं को सम्मानित और मूल्यवान महसूस करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मनोबल और प्रतिबद्धता में वृद्धि होती है।
- **मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित कार्य वातावरण का निर्माण:** नैतिक नेतृत्व यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी अपमान या दंड के भय के बिना विचार व्यक्त कर सकें, चिंताएँ साझा कर सकें और अपनी त्रुटियों को स्वीकार कर सकें।ऐसी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा खुले संचार और नवाचार को प्रोत्साहित करती है।
- **जवाबदेही और दायित्व को सुदृढ़ करना:** नैतिक आचरण का पालन करने वाले नेता स्पष्ट अपेक्षाएँ निर्धारित करते हैं और अपने निर्णयों के प्रति जवाबदेह होते हैं, जिससे संगठन के सभी स्तरों पर साझा जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।
- **अधिकार की नैतिक वैधता का संवर्द्धन:** निष्ठापूर्वक कार्य करने वाले नेताओं को केवल औपचारिक शक्ति ही नहीं, बल्कि नैतिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। इससे कर्मचारी संगठनात्मक निर्देशों और लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध और प्रेरित रहते हैं।

स्वस्थ और समावेशी कार्य संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उपाय

- **स्पष्ट आचार संहिता:** व्यवहार, सम्मान और व्यावसायिकता से संबंधित स्पष्ट नियम कर्मचारियों के लिये अपेक्षाओं को स्पष्ट करते हैं। उत्पीड़न, भेदभाव और दुर्व्यवहार के प्रति शून्य सहिष्णुता कार्यस्थल पर गरिमा को सुदृढ़ करती है।
- **नैतिकता एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता में प्रशिक्षण:** नियमित प्रशिक्षण कर्मचारियों को सहानुभूति, आत्म-जागरूकता और संघर्ष समाधान कौशल विकसित करने में सक्षम बनाता है, जिससे स्वस्थ पारस्परिक संबंध और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न होती है।
- **प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र:** गोपनीय और सुलभ शिकायत प्रणाली कर्मचारियों को प्रतिशोध के भय के बिना मुद्दे उठाने हेतु प्रोत्साहित करती है, जिससे संगठन में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **उदाहरणात्मक नेतृत्व:** वरिष्ठ अधिकारियों को अपने आचरण के माध्यम से नैतिक व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये। जब नेता निष्पक्षता, विनम्रता और सम्मान का प्रदर्शन करते हैं, तो यह अन्य कर्मचारियों के लिये मानक स्थापित करता है।
- **सकारात्मक प्रतिपुष्टि प्रणालियाँ:** उत्कृष्ट प्रदर्शन और नैतिक आचरण को मान्यता देने से कर्मचारी प्रेरित होते हैं और पूरे संगठन में सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहन मिलता है।

निष्कर्ष:

नैतिक नेतृत्व और सकारात्मक कार्यस्थल संस्कृति **प्रभावी तथा जन-केंद्रित शासन** के लिये अनिवार्य हैं। ये कर्मचारियों के बीच विश्वास, प्रेरणा और जवाबदेही को प्रोत्साहित करते हैं। इन मूल्यों के बिना, संस्थानों में अक्षमता, मनोबल में कमी और जनता के विश्वास में कमी का खतरा रहता है।

सैद्धांतिक प्रश्न

प्रश्न : भावनाएँ नैतिक तर्कशीलता में अवरोध नहीं होतीं; बल्कि मूल संसाधन होती हैं। लोक सेवाओं में निर्णयन के परिप्रेक्ष्य में इस कथन का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- सार्वजनिक सेवा में तर्क और भावना के बारे में संक्षेप में बताते हुए उत्तर दीजिये।
- नैतिक तर्क के मूल संसाधन के रूप में भावनाओं का गहन अध्ययन प्रस्तुत कीजिये।
- सार्वजनिक सेवा निर्णय लेने में अनुप्रयोग पर प्रकाश डालिये तथा संक्षेप में कठिनाई: मूल संसाधन बनाम परिणाम के मुद्दे पर चर्चा कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

परंपरागत रूप से लोक प्रशासन ने **वेबर की तर्कसंगतता के सिद्धांत का समर्थन** किया है, जिसमें **भावनाओं को पूर्वाग्रह के रूप में देखा जाता है, जो निर्णय को प्रभावित करते हैं।** हालाँकि, यह कथन एक प्रतिमान परिवर्तन का सुझाव देता है: ***भावनाएँ तर्क की शत्रु नहीं बल्कि नैतिकता की नींव हैं।***

- सार्वजनिक सेवा में, जबकि **तर्क** यह निर्धारित करता है कि **किसी कार्य को किस प्रकार निष्पादित किया जाए, भावना** (विशेष रूप से भावनात्मक बुद्धिमत्ता) **प्राय: यह निर्धारित करती है कि वह कार्य क्यों महत्त्वपूर्ण है।**

मुख्य भाग:

नैतिक तर्क के लिये भावनाएँ मूल संसाधन के रूप में

- **नैतिक मुद्दों के लिये संकेतक (रडार के रूप में भावनाएँ):** **सहानुभूति और करुणा** जैसी भावनाएँ किसी लोक सेवक को दूसरों के कष्ट के प्रति सचेत करती हैं।
  - **उदाहरण:** कोई ज़िला कलेक्टर (DC) भूमि अधिग्रहण कानूनों का कड़ाई से पालन कर सकता है, लेकिन विस्थापन से उत्पन्न पीड़ा को समझने की क्षमता सहानुभूति से ही आती है, जो उसे न्यूनतम विधिक प्रावधानों से आगे बढ़कर बेहतर पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिये प्रेरित करती है।
- **न्याय के लिये उत्प्रेरक के रूप में नैतिक आक्रोश:** अन्याय के विरुद्ध आक्रोश या क्षोभ जैसी भावनाएँ नैतिक दृढ़ता को ऊर्जा प्रदान करती हैं।
  - **उदाहरण:** सती प्रथा या अस्पृश्यता जैसी कुप्रथाओं के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया ने ही सुधारकों तथा बाद में प्रशासनिक तंत्र को इनके विरुद्ध कठोर कानून बनाने और लागू करने के लिये प्रेरित किया।
- **अंतरात्मा का संरक्षक (अपराधबोध और अभिमान):** भावी अपराधबोध भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक होता है। लज्जा का भय या आत्मसम्मान की आकांक्षा (आंतरिक भावनात्मक अवस्थाएँ) प्राय: रिश्वत के विरुद्ध बाह्य निगरानी से भी अधिक प्रभावी प्रतिरोधक सिद्ध होती है।

लोक सेवा में निर्णय-निर्माण में अनुप्रयोग

जब तर्क के साथ भावनाओं का समन्वय किया जाता है, तब **प्रशासनिक प्रक्रियाएँ 'सुशासन' में परिवर्तित** हो जाती हैं।

- **प्रशासन के 'आयरन केज' का मानवीकरण:** नियम प्राय: कठोर होते हैं। भावनाएँ अधिकारी को विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग लोकहित में करने की क्षमता प्रदान करती हैं (कानून की भावना बनाम कानून का अक्षर)।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **उदाहरण:** किसी पेंशन योजना में एक वृद्ध महिला के पास एक दस्तावेज़ की कमी है। एक विशुद्ध तर्क पर आधारित व्यवस्था उसे अस्वीकृत कर देगी, जबकि भावनाओं को 'मूल संसाधन' मानने वाला अधिकारी उसकी विवशता को समझकर प्रक्रियात्मक विकल्प खोज सकता है।

- **संकट प्रबंधन:** आपदा प्रबंधन में जहाँ लॉजिस्टिक योजना तर्कसंगत होती है, वहीं जीवन बचाने की तात्कालिकता और संवेदनशीलता मानव जीवन को दिये गए भावनात्मक मूल्य से उत्पन्न होती है।
  - **उदाहरण:** कोविड-19 महामारी के दौरान जिन अधिकारियों ने अपने कर्त्तव्य से बढ़कर काम किया, वे केवल नौकरी के विवरण से प्रेरित नहीं थे, बल्कि एकजुटता और करुणा से प्रेरित थे।

- **गांधीजी का आदर्श वाक्य:** महात्मा गांधी की यह सलाह कि ***"सबसे गरीब व्यक्ति के चेहरे को याद करो"***, मूलत: नैतिक तर्क के आधार के रूप में भावना, विशेषत: **सहानुभूति का आह्वान** है।

ध्यान देने योग्य बात: मूल संसाधन बनाम तैयार उत्पाद

यद्यपि भावनाएँ नैतिकता का मूल संसाधन हैं, वे एकमात्र कारक नहीं हो सकतीं। कच्ची सामग्री को परिष्करण की आवश्यकता होती है।

- **अनियंत्रित भावनाएँ:** ये पक्षपात, भाई-भतीजावाद या आवेगपूर्ण निर्णयों को जन्म दे सकती हैं (जैसे– मित्रता के आधार पर अनुबंध देना, न कि योग्यता के आधार पर)।
- **संतुलन:** अरस्तू के अनुसार, कोई भी क्रोधित हो सकता है, लेकिन ***"उचित समय पर, उचित उद्देश्य के लिये और उचित ढंग से"*** क्रोधित होना ही सद्गुण है।

निष्कर्ष

निष्कर्षत:, बिना भावना का लोक सेवक एक यांत्रिक रोबोट के समान है और बिना तर्क का लोक सेवक अराजक। भावनाएँ मूल्यों (न्याय, करुणा, सत्यनिष्ठा) को प्रदान करती हैं, जबकि तर्क विधि को। लोक सेवक के लिये भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह परिष्करण संयंत्र है, जो **मानवीय भावनाओं के मूल संसाधन को नैतिक लोक सेवा के 'तैयार उत्पाद' में रूपांतरित करती है।**

प्रश्न : सत्यनिष्ठा का सार प्रलोभन का प्रतिरोध करने में कम और उन परिस्थितियों को समाप्त करने में अधिक निहित है, जो प्रलोभन उत्पन्न करती हैं। विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- 'सत्यनिष्ठा' की संक्षिप्त व्याख्या के साथ उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- 'प्रलोभन के प्रतिरोध करने' की सीमाओं के संदर्भ में तर्क दीजिये।
- फिर 'प्रलोभन की परिस्थितियों का उन्मूलन' करने के पक्ष में महत्त्वपूर्ण तर्कों को रेखांकित कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

परंपरागत रूप से, सत्यनिष्ठा को व्यक्तिगत सद्गुण के रूप में देखा जाता है। यह मानव मूल्यों में चरित्र की ऐसी परीक्षा है जिसमें व्यक्ति लोभ के विरुद्ध आंतरिक संघर्ष करता है। हालाँकि यह कथन **नैतिक वीरता की अपेक्षा प्रणालीगत सत्यनिष्ठा पर बल** देता है।

यह इंगित करता है कि भ्रष्टाचार का प्रतिरोध केवल व्यक्ति की इच्छाशक्ति पर छोड़ देना एक कमज़ोर रणनीति है। इसके विपरीत, शासन में वास्तविक सत्यनिष्ठा तब सुनिश्चित होती है जब ऐसी प्रणालियाँ स्थापित की जाती हैं जो भ्रष्टाचार के अवसर (प्रलोभन) को न्यूनतम कर दें और नैतिक आचरण को सबसे सहज मार्ग बना दें।

मुख्य भाग:

प्रलोभन का प्रतिरोध (व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा) की सीमाएँ:

यद्यपि व्यक्तिगत नैतिकता आवश्यक है, तथापि केवल 'प्रतिरोध' पर निर्भर रहने की कुछ अंतर्निहित कमियाँ हैं—

- **सीमित इच्छाशक्ति:** निरंतर आकर्षक अवसरों (जैसे– बड़े टेंडर, विवेकाधीन स्थानांतरण) के संपर्क में रहने से प्राय: ईमानदार अधिकारी भी नैतिक संवेदनहीनता का शिकार हो सकते हैं।
- **व्यक्तिपरकता:** स्पष्ट नियमों के अभाव में जिसे एक अधिकारी 'उपहार' समझता है, वही दूसरे के लिये 'रिश्वत' हो सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **व्यक्तित्व पर निर्भरता:** सुशासन संयोगवश 'अच्छे अधिकारी' की उपलब्धता पर निर्भर नहीं रह सकता; उसे व्यक्तिनिरपेक्ष होना चाहिये तथा **अच्छे अधिकारी की अनुपस्थिति में भी गलत निर्णय, भ्रष्टाचार या मनमानी को रोक सकने में सक्षम** होना चाहिये।

प्रलोभन की परिस्थितियों का उन्मूलन- संरचनात्मक दृष्टिकोण:

संरचनात्मक दृष्टिकोण: यह दृष्टिकोण **निवारक सतर्कता पर केंद्रित** है। यह 'फ्रॉड ट्रायंगल सिद्धांत' के अनुरूप है, जिसके अनुसार भ्रष्टाचार तब होता है जब तीन तत्व एक साथ आते हैं: **दबाव, तर्कसंगतता और अवसर।** परिस्थिति (अवसर) को समाप्त कर देने से अधिकारी की इच्छाशक्ति की परीक्षा लिये बिना ही सत्यनिष्ठा सुरक्षित की जा सकती है।

- **विवेकाधीन शक्तियों को कम करना:**
  - **स्थिति:** किसी कर अधिकारी के पास यह विवेकाधिकार होता है कि वह किस फाइल की जाँच करे, जिससे जबरन वसूली की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
  - **उन्मूलन:** आयकर में फेसलेस असेसमेंट। कंप्यूटर द्वारा मामलों का यादृच्छिक आवंटन होता है; **न अधिकारी करदाता को जानता है न करदाता अधिकारी को।** इस प्रकार **रिश्वतखोरी की संभावना संरचनात्मक रूप से समाप्त** हो जाती है।
- **मानव संपर्क को न्यूनतमकरण (डिजिटलीकरण) करना:**
  - **स्थिति:** किसी लाभार्थी को धनराशि जारी करवाने के लिये किसी लिपिक (क्लर्क) से व्यक्तिगत रूप से मिलना पड़ता है, जिससे **एक ऐसा 'जाँच-बिंदु' (checkpoint)** बन जाता है, जहाँ **रिश्वत की माँग या लेन-देन की संभावना** उत्पन्न हो जाती है।
  - **उन्मूलन:** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से धन सीधे कोषागार से बैंक खाते में जाता है। **'मध्यस्थता' की स्थिति ही समाप्त** हो जाती है।
- **पारदर्शिता और सूचना विषमता का उन्मूलन:**
  - **स्थिति यह है:** किसी फाइल की स्थिति केवल विभाग को ही ज्ञात होती है, जिसके कारण नागरिक को जानकारी के लिये भुगतान करना पड़ता है।
  - **उन्मूलन:** सूचना का अधिकार (RTI) और ई-ऑफिस प्रणालियाँ। जब फाइलों की गति ऑनलाइन दिखाई देती है तो पैसे के लिये फाइलों को दबाने/छिपाने का अवसर समाप्त हो जाता है।
- **मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOP):**
  - अस्पष्टता प्रलोभन को जन्म देती है। यदि प्रक्रियाएँ स्पष्ट, लिखित और संहिताबद्ध (SOPs) हों (जैसे– भूमि आवंटन या निविदा प्रक्रिया में) तो **अधिकारियों या निर्णयकर्त्ताओं के पास नियमों की मनमानी या स्वार्थपूर्ण व्याख्या** करने की गुंजाइश नहीं बचती।

निष्कर्ष:

यह कथन मूलत: **'व्यक्तियों का शासन' से 'विधि का शासन' की ओर बढ़ने की अनुशंसा** करता है। यद्यपि **लोक सेवकों को नैतिक प्रशिक्षण देकर उनकी नैतिक क्षमता को सुदृढ़ करना आवश्यक** है, ताकि वे प्रतिरोध कर सकें, पर **राज्य का प्राथमिक ध्यान संस्थागत संरचना** (भ्रष्टाचार को समाप्त करने की क्षमता) पर होना चाहिये, **ताकि प्रलोभन की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाए।** अंतत: **सर्वथा नैतिक प्रणाली** वह नहीं है जिसमें संत लोग निवास करते हों, बल्कि वह है **जहाँ एक आम आदमी के लिये भी भ्रष्ट होना कठिन हो।**

प्रश्न : "शुचिता किसी लोक सेवक के नैतिक मूल्यों को सुनिश्चित करती है, जबकि अभिरुचि उसकी कार्यकुशल उत्कृष्टता को निर्धारित करती है।" उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- परिचय में, संबंधित शब्दों को संक्षेप में परिभाषित कीजिये।
- मुख्य भाग में समझाइये कि किस प्रकार शुचिता नैतिक दिशा-निर्देशक के रूप में और अभिरुचि कार्यात्मक आवश्यकता के रूप में कार्य करती है।
- आगे यह बताइये कि उनके बीच तालमेल से शासन व्यवस्था कैसे बेहतर होती है।
- इसके बाद समझाइये कि नौकरशाही के लिए ये दोनों अपरिहार्य क्यों हैं।
- संवैधानिक दृष्टिकोण प्राप्त करने में उनके महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए निष्कर्ष लिखिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

शुचिता से आशय सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता तथा जवाबदेही जैसे नैतिक मूल्यों के प्रति दृढ़ और सतत प्रतिबद्धता से है। अभिरुचि से तात्पर्य उन क्षमताओं, कौशलों, अभिवृत्तियों तथा व्यवहारगत दक्षताओं के समुच्चय से है, जो किसी अधिकारी को अपने कर्त्तव्यों का प्रभावी निर्वहन करने में सक्षम बनाते हैं। इस प्रकार शुचिता नैतिक दिशा-सूचक प्रदान करती है, जबकि अभिरुचि कार्यात्मक उत्कृष्टता सुनिश्चित करती है।

- उदाहरण के लिये, एक ईमानदार ज़िला मजिस्ट्रेट जो अनुबंध आवंटन में राजनीतिक दबाव का प्रतिरोध करता है तथा सर्वश्रेष्ठ बोलीदाता के चयन हेतु डेटा-आधारित मूल्यांकन का उपयोग करता है, वह शासन में शुचिता और अभिरुचि के तालमेल को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है।

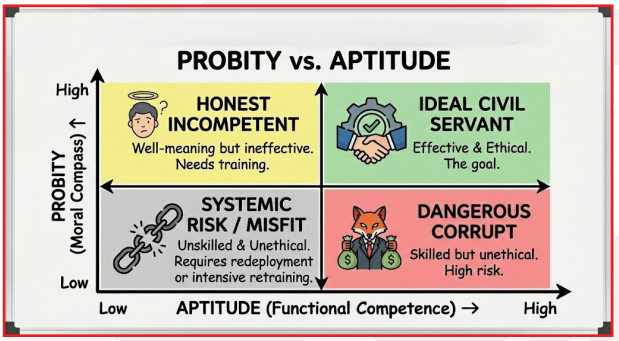

मुख्य भाग:

लोक सेवक के नैतिक दिशा-सूचक के रूप में शुचिता

- हितों के टकराव, पक्षपात अथवा स्वार्थी समूहों के दबाव से जुड़ी दुविधाओं में नैतिक निर्णय-निर्माण का मार्गदर्शन करती है।
- राजनीतिक परिवर्तन की परवाह किये बिना समता, न्याय और तटस्थता जैसे संवैधानिक मूल्यों के पालन को सुनिश्चित करती है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करती है, जिससे भ्रष्टाचार या सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की संभावनाएँ कम होती हैं।
- प्रशासन में जन-विश्वास का निर्माण करती है, जिससे लोकतांत्रिक शासन की वैधता सुदृढ़ होती है।
- **उदाहरण: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** को लागू करते समय अधिकारियों ने भ्रष्टाचार से लाभ उठाने वाले मध्यस्थों के स्थानीय दबाव का प्रतिरोध किया। इस प्रक्रिया में शुचिता ने निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई।

कार्यात्मक उत्कृष्टता के प्रेरक के रूप में अभिरुचि

- विश्लेषणात्मक अभिरुचि साक्ष्य-आधारित निर्णय-निर्माण, नीति-मूल्यांकन तथा संकट-प्रबंधन को सक्षम बनाती है।
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता अधिकारियों को जन-शिकायतों के प्रबंधन, टीम का मनोबल बनाए रखने तथा संघर्ष की स्थिति में संवाद और समन्वय स्थापित करने में सहायक होती है।
- नेतृत्व तथा प्रशासनिक कौशल विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और प्रभावी सेवा वितरण को सुनिश्चित करते हैं।
- संप्रेषण अभिरुचि जन-जागरूकता और व्यवहारगत परिवर्तन को बढ़ावा देती है, जो व्यापक जन-कार्यक्रमों के लिये अत्यंत आवश्यक है।
- **उदाहरण:** कोविड-19 महामारी के दौरान ज़िला मजिस्ट्रेटों ने डेटा विश्लेषण, समानुभूतिपूर्ण संप्रेषण तथा सुव्यवस्थित लॉजिस्टिक योजना का उपयोग कर कंटेनमेंट ज़ोनों का प्रभावी प्रबंधन किया।

शासन को सुदृढ़ बनाने में शुचिता और अभिरुचि का तालमेल

- नैतिक अभिप्राय और तकनीकी दक्षता का समन्वय सतत तथा नागरिक-केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करता है।
- शुचिता यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय निष्पक्ष हों, जबकि अभिरुचि यह सुनिश्चित करती है कि वे समयबद्ध तथा क्रियान्वयन योग्य हों।
- यह अधिकारियों को राजनीतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक जैसे बाह्य दबावों का प्रतिरोध करने में सक्षम बनाता है, साथ ही तथ्य-आधारित औचित्य प्रस्तुत करने की क्षमता भी प्रदान करता है।
- **उदाहरण:** मनरेगा भुगतानों में अनियमितताओं का पता लगाने वाला कोई लोक सेवक उन्हें उजागर करने के लिये शुचिता पर निर्भर करता है, जबकि लेखा-परीक्षण तंत्र के पुनर्रचना तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिये अभिरुचि की आवश्यकता होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नौकरशाही के लिये दोनों अपरिहार्य क्यों हैं ?

- अभिरुचि के बिना शुचिता नैतिक तो होती है, परंतु वह प्रशासनिक अक्षमता होती है।
- शुचिता के बिना अभिरुचि कुशल अधिकारियों द्वारा तंत्र के दुरुपयोग की स्थिति उत्पन्न करती है, जिससे भ्रष्टाचार अथवा पक्षपात को बढ़ावा मिलता है।
- दोनों गुणों का संतुलित समावेश नीतिगत हेरफेर को रोकता है, विधि के शासन को प्रोत्साहित करता है तथा दीर्घकालिक संस्थागत विश्वसनीयता को बनाए रखता है।
- **उदाहरण:** सार्वजनिक खरीद से जुड़े घोटाले प्राय: तब सामने आते हैं जब तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारी नैतिक शुचिता से विहीन होते हैं, जो शुचिता के बिना अभिरुचि के दुष्परिणामों को रेखांकित करता है।

निष्कर्ष:

भगवद्गीता में कहा गया है, **"योगस्थ: कुरु कर्माणि"**, अर्थात अपने कर्त्तव्यों का पालन धर्म और कौशल के साथ करो। यह आदर्श आधुनिक लोक-सेवा के मूल भाव को अभिव्यक्त करता है, जहाँ शुचिता नैतिक आधार प्रदान करती है और अभिरुचि प्रभावी कार्रवाई का साधन बनती है। दोनों का समन्वय ऐसे शासन को सुनिश्चित करता है जो सिद्धांतनिष्ठ, दक्ष तथा भारत की संवैधानिक दृष्टि के अनुरूप हो।

प्रश्न : "जीनोम इंजीनियरिंग में अभूतपूर्व प्रगति के बावजूद कृत्रिम मानव-जीनोम परियोजनाएँ नैतिक तथा जैव-सुरक्षा संबंधी चिंताओं से अब भी घिरी हुई हैं।" विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- जैव-प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति तथा उससे संबंधित नैतिक सरोकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- मुख्य भाग में इन प्रौद्योगिकियों से संबंधित प्रमुख नैतिक चिंताओं को लिखिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

बड़े पैमाने पर DNA संश्लेषण तथा CRISPR-आधारित जीन संपादन में हुई प्रगति अब मानव जीनोम के खंडों के पुनर्लेखन को संभव बनाती है और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट–राइट जैसी पहलें कृत्रिम मानव जीनोम की तकनीकी व्यवहार्यता को प्रदर्शित करती हैं। इससे वैश्विक स्तर पर गहन नैतिक तथा जैव-सुरक्षा संबंधी विमर्श प्रारंभ हुआ है। ये विमर्श अब ऐसे अनुसंधान की गति, दिशा और वैधता को निर्धारित करने वाले महत्त्वपूर्ण कारक बन चुके हैं।

मुख्या भाग:

- **नैतिक बाधाएँ**
  - **नैतिक और दार्शनिक मुद्दे:** मानव जीनोम का निर्माण या पुनर्लेखन मानव पहचान और गरिमा से जुड़े मौलिक प्रश्न उठाता है। कई लोग इसे "भगवान बनने का प्रयास" मानते हैं।
  - **पीढ़ियों के बीच सहमति:** यदि इसे जर्मलाइन (भ्रूण/गामीट) पर लागू किया जाता है, तो इससे वंशानुगत परिवर्तन होंगे। भविष्य की पीढ़ियाँ, जो स्थायी रूप से इन परिवर्तनों को सहन करेंगी, उनकी सहमति संभव नहीं है, जो जैव-नैतिकता के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है।
  - **डिज़ाइनर शिशुओं और असमानता का जोखिम:** जीनोम संश्लेषण का उपयोग शारीरिक, संज्ञानात्मक या व्यवहारिक लक्षणों के चयन जैसे संवर्द्धन के लिये किया जा सकता है। इससे सामाजिक असमानता गहराने, आनुवंशिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग बनाने और नए प्रकार के भेदभाव को उत्पन्न करने का जोखिम है।
  - **मानव आनुवंशिक विविधता का नुकसान:** कृत्रिम डिज़ाइन के माध्यम से कुछ लक्षणों को मानकीकृत करने से प्राकृतिक आनुवंशिक विविधता कम हो सकती है, जिससे रोगों के प्रति सहनशीलता घटती है और विकासात्मक प्रक्षेप बदल सकते हैं।
  - **सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक संवेदनशीलताएँ:** विभिन्न समाज मानव जीवन में संशोधन को लेकर अलग-अलग नैतिक दृष्टिकोण रखते हैं। इसलिये कृत्रिम जीनोम परियोजनाओं को सार्वभौमिक नैतिक वैधता नहीं प्राप्त होती है और ये भू-राजनीतिक एवं सामाजिक तनाव उत्पन्न कर सकती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **मानव संवर्द्धन की ढलान:** भले ही प्रारंभिक उद्देश्य चिकित्सीय हों, कृत्रिम जीनोम क्षमताएँ धीरे-धीरे बुद्धिमत्ता, रूप, व्यवहार आदि जैसे संवर्द्धन की दिशा में बढ़ सकती हैं, जिससे उपचार और मानव पुन:निर्माण के बीच की सीमा धुँधली हो जाती है।

- **जैव सुरक्षा संबंधी चिंताएँ**
  - **दोहरा उपयोग अनुसंधान जोखिम:** मानव जीनोम संश्लेषण में प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग हानिकारक जैविक एजेंट बनाने के लिये भी किया जा सकता है।
  - **अनियमित या निजी प्रयोग:** जैसे-जैसे DNA संश्लेषण सस्ता और सुलभ होता जा रहा है, निजी प्रयोगशालाएँ, DIY बायोलॉजी समूह या वाणिज्यिक संस्थाएँ उचित निगरानी के बिना प्रयोग कर सकती हैं।
  - **वैश्विक शासन में अंतराल:** वर्तमान वैश्विक मानक जैसे जैविक हथियार अभिसमय, WHO दिशा-निर्देश, या राष्ट्रीय जैव-सुरक्षा नियम जीन-संशोधित जीवों या जीन संपादन के लिये बनाए गए थे, न कि पूर्ण जीनोम संश्लेषण के लिये।
  - **अनपेक्षित जैविक परिणामों की संभावना:** कृत्रिम रूप से निर्मित मानव जीनोम अप्रत्याशित व्यवहार कर सकता है। किसी भी आकस्मिक उत्सर्जन या चिकित्सीय दुरुपयोग से अज्ञात स्वास्थ्य या पारिस्थितिक जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं।
  - **भू-राजनीतिक और सुरक्षा तनाव:** कुछ देशों में तीव्र प्रगति से तकनीकी प्रतिस्पर्द्धा शुरू हो सकती है।
    - राज्य कृत्रिम जीनोम की सफलता को रणनीतिक लाभ के रूप में देख सकते हैं, जिससे विश्वास की कमी और समान क्षमताएँ विकसित करने का दबाव बढ़ता है एवं वैश्विक जैव-सुरक्षा चिंता तीव्र होती है।

निष्कर्ष:

मानव पहचान, सहमति और असमानता से जुड़े नैतिक दुविधाओं के साथ-साथ गंभीर जैव-सुरक्षा जोखिम एवं शासन अंतराल इस बात पर ज़ोर देते हैं कि वैश्विक स्तर पर समन्वित मानकों की आवश्यकता है। भविष्य में, पारदर्शिता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मज़बूत नियामक ढाँचे द्वारा निर्देशित ज़िम्मेदार नवाचार आवश्यक होगा, ताकि ये परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियाँ जन-विश्वास तथा सामूहिक सुरक्षा के अनुरूप विकसित हों।

प्रश्न : अभिवृत्ति व्यक्तियों और संस्थानों के नैतिक व्यवहार को आकार देने में एक निर्णायक भूमिका निभाती है। लोक प्रशासन में नैतिक निर्णय-निर्माण पर अभिवृत्तियों के प्रभाव की विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- अभिवृत्ति को परिभाषित करते हुए उत्तर लेखन की शुरुआत कीजिये।
- व्यक्ति और संस्थानों के व्यवहार को आकार देने में अभिवृत्ति की भूमिका का विश्लेषण कीजिये।
- विश्लेषण कीजिये कि अभिवृत्तियाँ नैतिक निर्णय-निर्माण को किस प्रकार प्रभावित करती हैं।
- तदनुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय :

अभिवृत्ति से आशय **व्यक्तियों, परिस्थितियों अथवा संस्थानों के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल रूप में प्रतिक्रिया देने की सीखी हुई और अपेक्षाकृत स्थायी प्रवृत्ति** से है।

- लोक प्रशासन में, सिविल सेवकों और राजनीतिक कार्यपालकों की अभिवृत्तियाँ नैतिक आचरण को गहराई से प्रभावित करती हैं, क्योंकि वे **कर्त्तव्य की समझ, नियमों की व्याख्या तथा नैतिक दुविधाओं के प्रति प्रतिक्रिया** को दिशा देती हैं।
- **नैतिक शासन केवल कानूनों और आचार संहिताओं पर निर्भर नहीं** करता, बल्कि **उन्हें लागू करने वालों की अंतर्निहित अभिवृत्तियों पर भी आधारित** होता है।

मुख्य भाग:

नैतिक व्यवहार के निर्माण में अभिवृत्ति की भूमिका

- **व्यक्तियों के लिये**
  - **नैतिक संवेदनशीलता और नैतिक चेतना:** एक सकारात्मक नैतिक अभिवृत्ति व्यक्ति को सही-गलत के भेद और कार्यों के परिणामों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उदाहरण के लिये, सत्यनिष्ठा-समर्थक अभिवृत्ति वाला एक लोक सेवक व्यक्तिगत वित्तीय तनाव के बावजूद रिश्वत लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह सार्वजनिक विश्वास को होने वाली दीर्घकालिक क्षति को समझता है।

- **मूल्यों और आचरण में सामंजस्य:** अभिवृत्ति एक आंतरिक दिशासूचक की भाँति कार्य करती है जो दबाव की स्थिति में भी विश्वासों को आचरण एवं व्यवहार से जोड़ती है।
  - उदाहरण: **महात्मा गांधी की सत्यनिष्ठा-आधारित अभिवृत्ति** ने कारावास और राजनीतिक प्रतिकूलताओं के बावजूद उनके नैतिक आचरण को सुनिश्चित किया।
- **नैतिक दुविधाओं और प्रलोभनों के प्रति दृढ़ता:** नैतिक अभिवृत्ति नैतिक साहस विकसित करती है, जिससे व्यक्ति सामाजिक दबाव और निजी लाभ का प्रतिरोध कर पाता है।
  - उदाहरण: प्रतिशोध के भय के बावजूद एक कर्मचारी व्हिसलब्लोअर के रूप में कार्य करते हुए कंपनी के धोखाधड़ी का पर्दाफाश करता है।

संस्थानों के लिये

- **नैतिक संस्कृति और संगठनात्मक वातावरण:** संस्थागत अभिवृत्ति संगठन के भीतर मानदण्डों, प्रोत्साहनों और 'स्वीकार्य व्यवहार' को आकार देती है।
  - उदाहरण: **भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक स्वतंत्रता-प्रधान अभिवृत्ति** निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवैधानिक नैतिकता को सुदृढ़ करती है।
- **निर्णय-निर्माण और नीतिगत उन्मुखता:** संस्थागत नैतिक अभिवृत्ति यह निर्धारित करती है कि दक्षता को न्याय और उत्तरदायित्व के साथ प्राप्त किया जाये या नहीं।
  - उदाहरण: आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के प्रति **भारत के निर्वाचन आयोग की सख्त अभिवृत्ति** चुनावी निष्पक्षता को सुदृढ़ करती है।
- **जनविश्वास और वैधता:** नैतिक संस्थागत अभिवृत्ति विश्वसनीयता और नागरिक विश्वास को बढ़ाती है।
  - उदाहरण: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) **की लेखा-परीक्षणोन्मुख अभिवृत्ति** सार्वजनिक वित्त में शुचिता को प्रोत्साहित करती है।

नैतिक निर्णय-निर्माण पर अभिवृत्तियों का प्रभाव

- **लोक-सेवा और सत्ता के प्रति अभिवृत्ति:** सेवा-उन्मुख अभिवृत्ति **सत्यनिष्ठा, सहानुभूति और जवाबदेही** को बढ़ावा देती है, जबकि सत्ता-केंद्रित दृष्टिकोण अधिकार के दुरुपयोग को प्रोत्साहित करती है।
  - उदाहरण के लिये, **'सार्वजनिक न्यासी' मानसिकता वाला अधिकारी** कल्याणकारी योजनाओं का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करता है, जबकि **'शासक'** अभिवृत्ति वाला अधिकारी पक्षपात की मांग कर सकता है या मनमानी दिखा सकता है।
- **नियमों और प्रक्रियाओं के प्रति अभिवृत्ति:** नियमों का सम्मान करने वाली अभिवृत्ति **निष्पक्षता और निरंतरता** सुनिश्चित करती है, जबकि नियमों के प्रति लापरवाह या साधन-आधारित अभिवृत्ति चयनात्मक प्रवर्तन की ओर ले जाती है।
  - उदाहरण के लिये, **खरीद संबंधी मानदंडों का कड़ाई से पालन भ्रष्टाचार को रोकता है,** जबकि प्रक्रियाओं को बाधा के रूप में देखना अनुचित लाभ कमाने को बढ़ावा देता है।
- **नैतिकता बनाम सुविधा के प्रति अभिवृत्ति:** नैतिक निर्णय लेने के लिये प्राय: **नैतिक साहस की आवश्यकता** होती है। सुविधा-प्रेरित अभिवृत्ति के परिणामस्वरूप गलत कार्यों के सामने चुप्पी या समझौता हो सकता है।
  - उदाहरण के लिये, राजनीतिक दबाव के कारण अवैध खनन को नज़रअंदाज़ करना नैतिक प्रतिबद्धता के बजाय एक समझौतावादी अभिवृत्ति को दर्शाता है।
- **नागरिकों और कमज़ोर समूहों के प्रति अभिवृत्ति:** सहानुभूतिपूर्ण अभिवृत्ति समावेशी शासन को बढ़ावा देती है, जबकि उदासीनता अपवर्जन और अन्याय की स्थिति उत्पन्न करती है।
  - **आपदा राहत के दौरान ज़िला अधिकारियों की संवेदनशीलता** से समान सहायता सुनिश्चित होती है, सहानुभूति की कमी से संसाधनों पर अभिजात वर्ग का कब्ज़ा हो जाता है।
- **संस्थागत अभिवृत्ति और संगठनात्मक संस्कृति:** जब संस्थाएँ ईमानदारी और पारदर्शिता को पुरस्कृत करती हैं, तो नैतिक आचरण एक मानक बन जाता है। इसके विपरीत, भ्रष्टाचार के प्रति सहिष्णुता अनैतिक व्यवहार को संस्थागत रूप दे देती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उदाहरण के लिये, मज़बूत आंतरिक सतर्कता और नैतिक नेतृत्व वाले विभागों में कदाचार के मामले कम देखने को मिलते हैं।

निष्कर्ष:

अभिवृत्ति लोक प्रशासन के नैतिक दिशा-निर्देशक के रूप में कार्य करती है, जो यह तय करती है कि **विधि की व्याख्या किस प्रकार** होगी तथा **सत्ता का प्रयोग किस प्रकार** किया जायेगा। यद्यपि विधिक कार्यढाँचा शासन को संरचना प्रदान करता है, परंतु **संवैधानिक मूल्यों, सहानुभूति और सत्यनिष्ठा में निहित नैतिक अभिवृत्तियाँ ही शासन को वास्तविक नैतिकता में रूपांतरित करती हैं।** अत: **प्रशिक्षण, नेतृत्व के उदाहरण और संस्थागत सुधारों के माध्यम से अभिवृत्ति-निर्माण नैतिक लोक प्रशासन के लिये अनिवार्य** है।

प्रश्न : जवाबदेही और पारदर्शिता नैतिक शासन के आधारभूत मूल्य हैं। इनके नैतिक महत्त्व का विश्लेषण कीजिये तथा स्पष्ट कीजिये कि इन मूल्यों के अभाव में लोकतांत्रिक संस्थानों में जन-विश्वास किस प्रकार प्रभावित होता है? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- नैतिक शासन के आधारभूत मूल्यों की व्याख्या करते हुए उत्तर लेखन की शुरुआत कीजिये।
- मुख्य भाग में, जवाबदेही और पारदर्शिता के नैतिक महत्त्व पर प्रकाश डालिये।
- इन आधारभूत मूल्यों के अभाव के प्रभाव का विश्लेषण कीजिये तथा इन्हें सुदृढ़ करने के उपाय प्रस्तावित कीजिये।
- तदनुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

जवाबदेही और पारदर्शिता लोकतंत्र में **सत्ता के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने वाले मूलभूत नैतिक सिद्धांत** हैं। **जवाबदेही** का तात्पर्य है कि **सार्वजनिक अधिकारी अपने कार्यों के लिये उत्तरदायी हों**, जबकि **पारदर्शिता निर्णय-निर्माण में खुलापन तथा सूचना तक अभिगम्यता** सुनिश्चित करती है। दोनों मिलकर **विधि का शासन, न्याय और जन-संप्रभुता जैसे संवैधानिक मूल्यों को व्यवहार में क्रियान्वित** करते हैं तथा **नैतिक शासन की आधारशिला का निर्माण** करते हैं।

मुख्य भाग:

जवाबदेही और पारदर्शिता का नैतिक महत्त्व

- **सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम:** पारदर्शिता **निर्णयों को सार्वजनिक निरीक्षण के दायरे में लाती है,** जबकि जवाबदेही दण्ड और सुधारात्मक कार्रवाई के माध्यम से अधिकार के दुरुपयोग को रोकती है।
  - उदाहरण के लिये, लोक सेवकों द्वारा **संपत्ति की अनिवार्य घोषणाएँ अनुपातहीन संपत्ति के संचय को रोकने में सहायक** होती हैं।
- **निष्ठा और नैतिक आचरण का संवर्द्धन:** जब कार्य दृश्य और उत्तरदायी होते हैं, तब अधिकारी ईमानदारी और निष्पक्षता से कार्य करने के लिये अधिक प्रेरित होते हैं।
  - उदाहरण: पारदर्शी क्रय-प्रणाली पोर्टल सार्वजनिक व्यय में विवेकाधिकार और नैतिक अंतर्विरोधों को कम करते हैं।
- **सूचित सहभागिता का विस्तार:** पारदर्शिता नागरिकों को सूचित निर्णय लेने और शासन में अर्थपूर्ण सहभागिता करने में सशक्त बनाती है।
  - उदाहरण के लिये, बजटीय आँकड़ों तक अभिगम्यता नागरिक समाज को पक्षपाती नीतिगत प्राथमिकताओं पर प्रश्न उठाने में सक्षम बनाती है।
- **संस्थागत वैधता को सुदृढ़ करना:** अंकेक्षण, संसदीय निगरानी और सतर्कता संस्थाओं जैसे जवाबदेही तंत्र राज्य की नैतिक वैधता को सुदृढ़ करते हैं।
  - संवैधानिक निकायों की रिपोर्टें नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं।

जवाबदेही और पारदर्शिता के अभाव का जनविश्वास पर प्रभाव

- **विश्वसनीयता का क्षरण और विश्वास का संकट:** अपारदर्शी निर्णय-प्रक्रिया भ्रष्टाचार और पक्षपात के प्रति संदेह को जन्म देती है। नागरिक सार्वजनिक संस्थानों के उद्देश्यों पर अविश्वास करने लगते हैं।
- **भ्रष्टाचार और दंडमुक्ति का सामान्यीकरण:** जवाबदेही के अभाव में ऐसी संस्कृति विकसित होती है जिसमें कदाचार दण्डित नहीं होता, जिससे नैतिक मानक दुर्बल हो जाते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उदाहरण के लिये, घोटालों पर विलंबित कार्रवाई जाँच अभिकरणों में विश्वास को कम करती है।

- **विमुखता और लोकतांत्रिक उदासीनता:** जब लोगों को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है या उन्हें गुमराह किया जा रहा है, तो मतदाताओं की उदासीनता और संशय बढ़ जाता है, जिससे लोकतांत्रिक सहभागिता कमज़ोर हो जाती है।
- **विधि के शासन का क्षरण:** चयनात्मक जवाबदेही से 'विधि के शासन' के स्थान पर 'विवेकाधिकार द्वारा शासन' की धारणा बनती है, जो लोकतांत्रिक विश्वसनीयता को क्षति पहुँचाती है।

सार्वजनिक विश्वास बढ़ाने हेतु जवाबदेही और पारदर्शिता को सुदृढ़ करने के उपाय

- **कानूनी और संस्थागत निगरानी का सशक्तीकरण: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और भारत के लोकपाल** जैसे स्वतंत्र निकायों को पर्याप्त स्वायत्तता, कर्मचारियों की उपलब्धता तथा समयबद्ध प्रतिवेदन की व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिये ताकि सत्ता के दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।
- **सक्रिय प्रकटीकरण और ओपन डेटा: सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005** के अंतर्गत **सुओ मोटो प्रकटीकरण** को अनिवार्य किया जाना चाहिये तथा बजट, अनुबंध, प्रदर्शन डैशबोर्ड और लाभार्थी सूचियाँ मशीन-रीडेबल फॉर्मेट में प्रकाशित की जानी चाहिये, जिससे सूचना-विषमता कम हो।
- **डिजिटलीकरण और ई-गवर्नेंस सुधार:** एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म (ई-प्रोक्योरमेंट, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल) का उपयोग कर विवेकाधिकार को न्यूनतम किया जाना चाहिये, ऑडिट-ट्रेल तैयार किये जाने चाहिये तथा रियल-टाइम मॉनिटरिंग सक्षम किया जाना चाहिये, जिससे भ्रष्टाचार और विलंब पर नियंत्रण हो।
- **समयबद्ध शिकायत निवारण और अपील व्यवस्था:** वैधानिक समय-सीमाएँ, एस्केलेशन मैट्रिक्स और शिकायतों की सार्वजनिक ट्रैकिंग सुनिश्चित की जानी चाहिये, ताकि प्रशासनिक उदासीनता पर अंकुश लगे।
- **व्हिसलब्लोअर संरक्षण और नैतिक अवसंरचना:** मज़बूत व्हिसलब्लोअर सुरक्षा, आंतरिक सतर्कता इकाइयाँ और नैतिक समितियाँ क्रियान्वित की जानी चाहिये, जिससे प्रतिशोध के भय के बिना रिपोर्टिंग को प्रोत्साहन मिले।
- **पारदर्शी नियुक्तियाँ और स्थानांतरण:** नियुक्ति, पदस्थापन और स्थानांतरण हेतु नियम-आधारित तथा सार्वजनिक रूप से घोषित मानदंड अपनाये जाने चाहिये, ताकि मनमानी और संरक्षणवाद (वंशवाद) को रोका जा सके।
- **सामाजिक अंकेक्षण और नागरिक सहभागिता:** सामाजिक अंकेक्षण, जन-सुनवाई और सहभागी बजटिंग को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिये, जिससे शासन में सामुदायिक निगरानी सुनिश्चित हो।
- **क्षमता निर्माण और नैतिक नेतृत्व:** अधिकारियों को पारदर्शिता मानदंडों, हितों के अंतर्विरोध के प्रबंधन और अभिलेख प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये तथा नैतिक नेतृत्व एवं निष्ठा को मान्यता प्रणालियों के माध्यम से पुरस्कृत किया जाना चाहिये।
- **स्वतंत्र मूल्यांकन और सार्वजनिक संप्रेषण:** तृतीय-पक्ष मूल्यांकन कराये जाने चाहिये तथा उनके निष्कर्ष नागरिकों तक स्पष्ट रूप से पहुँचाये जाने चाहिये, जिससे फीडबैक-लूप पूर्ण हो और विश्वास सुदृढ़ हो।

निष्कर्ष:

जवाबदेही और पारदर्शिता मात्र प्रशासनिक उपागम नहीं, बल्कि वे **नैतिक अनिवार्यताएँ** हैं, जो लोकतांत्रिक विश्वास को बनाये रखती हैं। इनके अभाव में संस्थागत निष्ठा का क्षरण होता है तथा नागरिकों एवं राज्य के बीच दूरी बढ़ती है। अत: **सामाजिक अंकेक्षण, स्वतंत्र निगरानी, सक्रिय प्रकटीकरण और नैतिक नेतृत्व को सशक्त करना,** लोकतंत्र में विश्वास के पुनर्निर्माण तथा नैतिक शासन सुनिश्चित करने के लिये अनिवार्य है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : "प्रभावी नेतृत्व के लिये बौद्धिक क्षमता के साथ-साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है।" सार्वजनिक सेवा वितरण के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- अपने उत्तर की शुरुआत EI को परिभाषित करके कीजिये।
- मुख्य भाग में उपयुक्त उदाहरणों के साथ इसके महत्त्व पर तर्क दीजिये।
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सुधार के उपाय बताइये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) से तात्पर्य अपनी भावनाओं को समझने, प्रबंधित करने और नियंत्रित करने की क्षमता से है, साथ ही दूसरों की भावनाओं के प्रति समानुभूतिपूर्वक प्रतिक्रिया देने की क्षमता से भी है। लोक सेवा में, जहाँ नेतृत्व प्रत्यक्षत: शासन के परिणामों और नागरिकों के विश्वास को प्रभावित करता है, प्रभावी निर्णय लेने एवं मानवीय प्रशासन के लिये भावनात्मक बुद्धिमत्ता बौद्धिक क्षमता जितनी ही महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

मुख्य भाग:

प्रभावी और उत्तरदायी लोक नेतृत्व को बढ़ाने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका

- **नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा देना:** सरकारी कर्मचारी नियमित रूप से विविध और सुभेद्य जनसंख्या के साथ संपर्क में रहते हैं। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता **प्रशासकों को प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं से परे नागरिकों की ज़रूरतों, शिकायतों एवं भावनाओं को समझने में सक्षम बनाती है।**
  - ***उदाहरण:*** आपदा राहत या महामारी प्रतिक्रिया का दायित्व निभाने वाले ज़िला कलेक्टरों के लिये प्रशासनिक दक्षता के साथ-साथ लोक-व्यथा के प्रति समानुभूति और संवेदनशीलता भी अनिवार्य होती है।
- **दबाव में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता:** शासन में प्राय: परस्पर विरोधी हितों, सीमित जानकारी और लोक अन्वेक्षा जैसी जटिल परिस्थितियाँ शामिल होती हैं। भावनात्मक नियंत्रण **नेताओं को शांत रहने, आवेगपूर्ण निर्णयों से बचने और समानुभूति तथा निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।**
  - ***उदाहरण:*** कोविड-19 लॉकडाउन जैसे संकटों के दौरान, भावनात्मक रूप से जागरूक नेतृत्व ने लोक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और मानवीय विचारों के बीच संतुलन बनाने में मदद की।
- **विवाद समाधान और आम सहमति निर्माण:** लोक प्रशासन में प्राय: समुदायों, संस्थानों या राजनीतिक पक्षों के बीच अंत:क्रिया शामिल होती है। **उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले नेता असहमति को प्रबंधित करने, तनाव को कम करने और आम सहमति बनाने में सक्षम होते हैं।**
  - ***उदाहरण:*** सक्षम ज़िला मजिस्ट्रेट प्राय: भूमि अधिग्रहण या कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को दबाव के बजाय संवाद के माध्यम से हल करते हैं।
- **नैतिक नेतृत्व और जन विश्वास:** भावनात्मक बुद्धिमत्ता **सत्यनिष्ठा, करुणा और नैतिक निर्णय को मज़बूत करती है** —जो नैतिक शासन के प्रमुख गुण हैं। जो नेतृत्वकर्त्ता अपने निर्णयों के भावनात्मक प्रभाव को समझते हैं, उनके स्वेच्छापूर्वक कार्य करने या सत्ता का दुरुपयोग करने की संभावना कम होती है।
  - ***उदाहरण:*** कल्याणकारी योजनाओं की प्रदायगी में समानुभूति प्रदर्शित करने वाले सरकारी कर्मचारी राज्य संस्थानों में विश्वास बढ़ाते हैं।
- **नौकरशाही के भीतर अभिप्रेरणा और टीम प्रबंधन:** सार्वजनिक संगठन टीम वर्क और मनोबल पर निर्भर करते हैं। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नेता **अभिप्रेरित करते हैं, तनाव का प्रबंधन करते हैं और समावेशी कार्य के लिये वातावरण निर्मित करते हैं,** जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है।
  - ***उदाहरण:*** सफल ज़िला प्रशासन प्राय: केवल तकनीकी विशेषज्ञता के बजाय मज़बूत मानव-प्रबंधन कौशल को दर्शाता है।
- **जटिलता और परिवर्तन के अनुकूल होना:** तेज़ी से हो रहे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के इस युग में प्रशासकों को अनिश्चितता, जन दबाव और नीतिगत बदलावों से निपटना होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

EI शासन सुधारों के लिये आवश्यक लचीलापन, दृढ़ता और अनुकूल नेतृत्व को सक्षम बनाती है।

लोक सेवा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) में सुधार के उपाय

- **संस्थागत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** सिविल सेवा प्रशिक्षण (LBSNAA, राज्य ATI) में भावनात्मक बुद्धिमत्ता मॉड्यूल को नियमित रूप से शामिल करने से आत्म-जागरूकता, समानुभूति और पारस्परिक कौशल में वृद्धि हो सकती है। **केस-आधारित शिक्षण, भूमिका-निर्वाह और व्यावहारिक अनुकरण इसके अभिन्न अंग होने चाहिये।**
- **अनुभवात्मक अधिगम और क्षेत्र अनुभव: फील्ड पोस्टिंग, ज़मीनी स्तर पर अंत:क्रियाएँ और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम अधिकारियों को विविध सामाजिक वास्तविकताओं को समझने में मदद करते हैं,** जिससे वास्तविक जीवन की स्थितियों में समानुभूति और भावनात्मक विनियमन मज़बूत होता है।
- **मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि तंत्र:** वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संरचित मार्गदर्शन और **360-डिग्री प्रतिपुष्टि प्रणाली** सिविल सेवकों को व्यवहार, संचार शैली और नेतृत्व प्रभावशीलता पर विचार करने में मदद कर सकती है।
- **तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य सहायता: तनाव प्रबंधन, ध्यान और भावनात्मक लचीलेपन पर नियमित कार्यशालाएँ** बर्नआउट को रोक सकती हैं और दबाव में निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा सकती हैं।
- **नैतिकता और मूल्य-आधारित प्रशिक्षण: नैतिक तर्क, समानुभूति और भावनात्मक जागरूकता** को नैतिकता और सत्यनिष्ठा मॉड्यूल में एकीकृत करने से नैतिक निर्णय और करुणापूर्ण शासन को मज़बूती मिलती है।
- **प्रदर्शन मूल्यांकन को व्यावहारिक दक्षताओं से जोड़ना:** प्रदर्शन मूल्यांकन में टीम वर्क, जवाबदेही और नेतृत्व जैसी भावनात्मक बुद्धिमत्ता से संबंधित संकेतकों को शामिल करने से भावनात्मक रूप से बुद्धिमान आचरण को संस्थागत रूप दिया जा सकता है।

निष्कर्ष:

बौद्धिक क्षमता लोक सेवकों को विश्लेषणात्मक और तकनीकी दक्षता प्रदान करती है, जबकि भावनात्मक बुद्धिमत्ता उन्हें इस ज्ञान को समानुभूति, निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता के साथ लागू करने में सक्षम बनाती है। **लोक सेवा में, जहाँ निर्णय सीधे मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, प्रभावी नेतृत्व के लिये न केवल बौद्धिक उत्कृष्टता बल्कि भावनात्मक परिपक्वता भी आवश्यक है। बुद्धि लब्धि और भावनात्मक बुद्धिमत्ता मिलकर उत्तरदायी, नैतिक और जन-केंद्रित शासन की नींव बनाते हैं।**

प्रश्न : सुदृढ़ कॉरपोरेट प्रशासन किस प्रकार नैतिक व्यावसायिक आचरण तथा संगठनों की दीर्घकालिक संवहनीयता में योगदान देता है? उपयुक्त उदाहरणों सहित उत्तर स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- अपने उत्तर की शुरुआत सुदृढ़ कॉर्पोरेट प्रशासन के तत्त्वों को उज़ागर करते हुए कीजिये।
- यह किस प्रकार नैतिक व्यावसायिक आचरणों और दीर्घकालिक संवहनीयता में योगदान देता है, यह स्पष्ट कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

सुशासन से तात्पर्य नियमों, आचरणों और प्रक्रियाओं के एक ऐसे ढाँचे से है जिसके माध्यम से किसी निगम का संचालन और नियंत्रण किया जाता है।

- इसमें **पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता, नैतिक आचरण और हितधारकों के प्रति ज़िम्मेदारी** शामिल है।
- कॉर्पोरेट घोटालों, जलवायु जोखिमों और हितधारकों की बढ़ती अपेक्षाओं से चिह्नित इस युग में मज़बूत कॉर्पोरेट प्रशासन नैतिक व्यावसायिक आचरण और दीर्घकालिक संगठनात्मक संवहनीयता सुनिश्चित करने के लिये केंद्रीय बन गया है।

मुख्य भाग:

बेहतर व्यावसायिक प्रशासन नैतिक व्यावसायिक आचरणों को कैसे सुनिश्चित करता है:

- **निर्णय लेने में पारदर्शिता:** यह वित्तीय विवरणों, बोर्ड के निर्णयों और जोखिमों के पारदर्शी प्रकटीकरण को सुनिश्चित करता है,

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निवेशकों एवं हितधारकों को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है और संगठन में दीर्घकालिक विश्वास का निर्माण करता है।

- **प्रबंधन की जवाबदेही:** भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों का स्पष्ट आवंटन यह सुनिश्चित करता है कि प्रबंधन अपने कार्यों एवं प्रदर्शन के लिये जवाबदेह हो।
  - **प्रदर्शन मूल्यांकन, लेखापरीक्षा और बोर्ड की निगरानी** जैसी व्यवस्थाएँ सत्ता के केंद्रीकरण को रोकती हैं तथा **कुप्रबंधन के जोखिम को कम** करती हैं ।
- **शेयरधारकों और हितधारकों के हितों की सुरक्षा:** सुशासन **शेयरधारकों के हितों को कर्मचारियों, ग्राहकों, लेनदारों और समग्र रूप से समाज के हितों के साथ संतुलित** करता है।
  - यह अल्पसंख्यक शेयरधारकों की सुरक्षा, निष्पक्ष व्यवहार और न्यायसंगत निर्णय लेने को सुनिश्चित करता है, जिससे नियंत्रणकारी हितों के प्रभुत्व को रोका जा सके।
- **संचालन में नैतिक नेतृत्व और सत्यनिष्ठा:** नैतिक आचरण कॉर्पोरेट प्रशासन की नैतिक नींव का निर्माण करता है।
  - **आचार संहिता,** व्हिसलब्लोअर तंत्र और हितों के टकराव से संबंधित नीतियाँ प्रबंधन के सभी स्तरों पर ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक निर्णय लेने को बढ़ावा देती हैं।
- **प्रभावी बोर्ड संरचना और स्वतंत्रता: स्वतंत्र निदेशकों से युक्त** एक सुव्यवस्थित बोर्ड निष्पक्षता, **रणनीतिक निरीक्षण और जोखिम निगरानी** को बढ़ाता है।
  - स्वतंत्र निदेशक हितधारकों के हितों की रक्षा करने और निष्पक्ष शासन सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **नियामक अनुपालन और दीर्घकालिक मूल्य सृजन: SEBI** जैसी संस्थाओं द्वारा निर्धारित विधिक और नियामक ढाँचों और **OECD के कॉर्पोरेट प्रशासन सिद्धांतों** जैसे वैश्विक मानकों का पालन करने से अल्पकालिक लाभ को अधिकतम करने के बजाय संवहनीयता, निवेशक विश्वास और सतत दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित होता है।

यह संगठनों की दीर्घकालिक संवहनीयता कैसे सुनिश्चित करता है:

- **दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करता है:** सुदृढ़ कॉर्पोरेट प्रशासन **विवेकपूर्ण वित्तीय प्रथाओं, मज़बूत आंतरिक नियंत्रणों और जोखिम मूल्यांकन तंत्रों** को बढ़ावा देता है, जिससे कंपनियों को आर्थिक आघातों का सामना करने में मदद मिलती है।
  - ***उदाहरण:*** **HDFC बैंक** जैसी कंपनियों ने मज़बूत कॉर्पोरेट प्रशासन, प्रभावी जोखिम प्रबंधन और संरक्षणात्मक ऋण प्रथाओं के कारण वित्तीय संकटों के दौरान स्थिरता बनाए रखी।
- **निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है और पूंजी तक पहुँच सुनिश्चित करता है:** पारदर्शी शासन और जवाबदेही **सूचना विषमता और संभावित जोखिम को कम करके** दीर्घकालिक निवेशकों को आकर्षित करते हैं।
  - ***उदाहरण:*** मज़बूत शासन मानकों वाले निगम लगातार विदेशी संस्थागत निवेश को आकर्षित करते हैं, जैसा कि सुशासित भारतीय ब्लू-चिप कंपनियों में देखा गया है।
- **नैतिक आचरण तथा प्रतिष्ठात्मक स्थिरता को प्रोत्साहित करता है:** नैतिक शासन ढाँचे **धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार तथा प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने वाले कारकों को रोकते हैं, जो दीर्घकालिक मूल्य को क्षीण कर सकते हैं।**
  - ***उदाहरण:*** **टाटा समूह** की नैतिक आचार-संहिता ने एक शताब्दी से अधिक समय तक लोक-विश्वास को बनाए रखा है, जिससे संकटों के दौरान भी ब्रांड की विश्वसनीयता सुदृढ़ रही है।
- **अनुकूलन क्षमता और दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि को बढ़ाता है:** सुदृढ़ रूप से शासित संगठन **अल्पकालिक लाभ के स्थान पर दीर्घकालिक मूल्य सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे वे प्रौद्योगिकीय, नियामक तथा बाज़ारगत परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को अधिक प्रभावी ढंग से अनुकूलित कर पाते हैं।**
  - ***उदाहरण:*** ESG अनुपालन तथा नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों में प्रारंभिक निवेश करने वाली कंपनियों ने वैश्विक संवहनीयता संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त अर्जित की है।
- **प्रणालीगत विफलताओं तथा कॉर्पोरेट घोटालों की रोकथाम करता है:** प्रभावी बोर्ड पर्यवेक्षण, स्वतंत्र लेखा-परीक्षण तथा व्हिसल-ब्लोअर तंत्र उन शासन विफलताओं की संभावना को

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

कम करते हैं, जो संगठन के अस्तित्व के लिये खतरा उत्पन्न कर सकती हैं।

- ***उदाहरण:*** **सत्यम** जैसे निगमों का पतन इस बात को उजागर करता है कि कमज़ोर शासन व्यवस्था दीर्घकालिक संवहनीयता को कैसे क्षीण कर सकती है।

- **हितधारकों के विश्वास तथा सामाजिक वैधता को सुदृढ़ करता है:** शेयरधारकों, कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और समाज के हितों को संतुलित करके, कॉर्पोरेट प्रशासन समावेशी विकास और सामाजिक स्वीकृति को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष:

सुदृढ़ कॉर्पोरेट प्रशासन सतत व्यवसाय की नैतिक और संस्थागत आधार के रूप में कार्य करता है। **पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा ज़िम्मेदार नेतृत्व को प्रोत्साहित करते हुए यह सुनिश्चित करता है कि संगठन केवल लाभप्रदता का अनुसरण ही न करें, बल्कि सामाजिक विश्वास और दीर्घकालिक प्रत्यास्थता को भी बनाए रखें।** निरंतर अधिक जटिल और परस्पर संबद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था में मज़बूत कॉर्पोरेट प्रशासन केवल वांछनीय नहीं, बल्कि सतत और नैतिक व्यवसायिक वृद्धि के लिये अनिवार्य है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निबंध

प्रश्न : वास्तविक खोज-यात्रा का सार नए परिदृश्यों को ढूंढने में नहीं बल्कि नई दृष्टि विकसित करने में निहित है।

अपने निबंध को समृद्ध बनाने के लिये उद्धरण:

- **मार्सेल प्राउस्ट:** "खोज की वास्तविक यात्रा नए परिदृश्यों की तलाश में नहीं, बल्कि नई दृष्टि प्राप्त करने में निहित होती है।"
- **विलियम ब्लेक:** "एक रेत के कण में संपूर्ण विश्व और एक जंगली पुष्प में स्वर्ग को देखना, अनंत को अपनी हथेली में थामे रखते हुए एक क्षण में अनंतता को अनुभव करने के सामान है।"
- **अनेइस निन:** हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसे हम स्वयं हैं।

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **यथार्थ के आधार के रूप में धारणा:**
  - **इमैनुएल कांट के दर्शन** के अनुसार, मनुष्य संसार का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करता, बल्कि उसे अपनी मानसिक संरचनाओं के माध्यम से अनुभव करता है जिन्हें **'प्रत्यय'** कहा गया है। अत: दृष्टिकोण में परिवर्तन होते ही संसार का अनुभव भी परिवर्तित हो जाता है।
  - **वैज्ञानिक प्रतिमान परिवर्तन:** विज्ञान में **प्रगति प्राय: नए तथ्यों की खोज से नहीं**, बल्कि **पुराने आँकड़ों/तथ्यों को नए दृष्टिकोण से देखने से** होती है। उदाहरण के लिये, कोपरनिकस ने सौरमंडल को पृथ्वी-केंद्रित न मानकर सूर्य-केंद्रित रूप में देखा जिससे वैज्ञानिक समझ में क्रांतिकारी परिवर्तन आया।
- **सचेतनता और सराहना:**
  - **ज़ेन दर्शन:** जापान में विकसित बौद्ध दर्शन की महत्त्वपूर्ण शाखा **ज़ेन (Zen)** में 'शोशिन' अर्थात् 'नवीन चेतना' (प्रत्यक्ष अनुभव, आत्मिक बोध तथा चित्त की सजगता) की अवधारणा पर बल दिया गया है, जिसमें जीवन को खुले मन से और बिना किसी पूर्वाग्रह के देखा जाता है।
  - **थिच न्हात हान्ह:** उन्होंने सीख दिया कि चमत्कार पानी पर चलना नहीं है, बल्कि पूर्ण जागरूकता के साथ हरी-भरी धरती पर चलना है।
- **विपरीत परिस्थितियों की पुनर्व्याख्या:**
  - **स्टोइक दर्शन (मार्कस ऑरेलियस):** घटनाएँ तटस्थ होती हैं; उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण ही दुख का कारण बनता है। **नए दृष्टिकोण से हम बाधाओं को अवसरों के रूप में देख सकते हैं।**

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **प्रतिरोध की पुनर्परिभाषा (भारतीय स्वतंत्रता संग्राम):**
  - **गांधी का सत्याग्रह:** जहाँ अन्य लोग **बल** को केवल शारीरिक हिंसा के रूप में देखते थे (युद्ध का एक नया स्वरूप तलाशते हुए), वहीं गांधी ने नैतिक सत्य को एक शक्ति के रूप में देखा। इस **नए दृष्टिकोण** ने वैश्विक स्तर पर राजनीतिक विरोध के स्वरूप को बदल दिया।
- **संसाधन प्रबंधन और अर्थशास्त्र:**
  - **जनांकिकीय लाभांश:** माल्थस के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि एक आपदा (अधिक लोगों को भोजन देना) थी।
    - आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसे 'मानव पूंजी' के रूप में देखा अर्थात काम करने में सक्षम लोगों की संख्या और गुणवत्ता के रूप में समझा, जिससे **एशियाई टाइगर्स**—अर्थात् **दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर** की तीव्र आर्थिक संवृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ।
    - आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसे **मानव पूंजी (काम करने के लिये अधिक लोग) के रूप में नए नज़रिये से देखा,** जिससे **एशियाई टाइगर्स** (पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ जैसे: दक्षिण कोरिया, ताइवान,हांगकांग, सिंगापुर) के आर्थिक संवृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ।
  - **अपशिष्ट से संपदा: चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल** अपशिष्ट को एक ऐसी वस्तु के रूप में नहीं देखता जिसे फेंक दिया

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

जाए, बल्कि एक ऐसे संसाधन के रूप में देखता है जिसका उपयोग किया जा सकता है।

- **सामाजिक सुधार आंदोलन:**
  - **राजा राम मोहन रॉय:** उन्होंने किसी नए धर्म की खोज नहीं की, बल्कि प्राचीन ग्रंथों को तर्कसंगत दृष्टि से अध्ययन कर सती प्रथा का विरोध किया और स्त्रियों के अधिकारों की वकालत की।

समकालीन उदाहरण:

- **तकनीकी परिवर्तन:**
  - **दूरस्थ कार्य (कोविड के बाद):** कोविड-19 के बाद विश्व में दूरस्थ कार्यव्यवस्था ने कार्यालय को एक भौतिक स्थान के बजाय डिजिटल मंच के रूप में देखने की नई दृष्टि दी, जिससे कार्य-जीवन संतुलन की अवधारणा में व्यापक परिवर्तन आया।
  - **Uber/Airbnb:** Uber व Airbnb जैसी कंपनियों ने न तो नई गाड़ियाँ बनाईं और न ही नए होटल, बल्कि मौजूदा निष्क्रिय संसाधनों को नई दृष्टि से देखकर 'शेयरिंग इकोनॉमी' (साझा अर्थव्यवस्था) की नींव रखी।
- **दिव्यांग जनों के अधिकार:**
  - **दिव्यांग जनों का सामाजिक मॉडल:** दिव्यांगता का सामाजिक मॉडल दिव्यांगता को व्यक्ति की चिकित्सकीय कमी के रूप में नहीं, बल्कि **समाज की संरचनात्मक दोष** (रैंप की कमी, सुलभ तकनीक का अभाव) के रूप में देखता है। दृष्टिकोण में यह परिवर्तन समावेशिता की दिशा में निर्णायक कदम सिद्ध होता है।

प्रश्न : शक्ति का अर्थ तभी सार्थक बनता है जब वह दूसरों के सशक्तीकरण का माध्यम बने।

अपने निबंध को समृद्ध बनाने के लिये उद्धरण:

- **लाओ त्ज़ू:** "सर्वश्रेष्ठ नेता वह होता है जिसके अस्तित्व का लोगों को लगभग आभास भी नहीं होता। जब उसका कार्य पूर्ण हो जाता है और उद्देश्य सिद्ध हो जाता है, तब लोग कहते हैं — यह हमने स्वयं किया।"
- **अब्राहम लिंकन:** लगभग सभी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, किंतु यदि किसी व्यक्ति के चरित्र की परीक्षा लेनी हो, तो उसे शक्ति प्रदान कीजिये।"
- **रॉबर्ट जी. इंगरसोल:** "हम दूसरों को ऊपर उठाकर स्वयं ऊपर उठते हैं।"

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **सेवक नेतृत्व बनाम सत्तावादी नेतृत्व:**
  - रॉबर्ट ग्रीनलीफ द्वारा प्रतिपादित **'सेवक नेतृत्व' की अवधारणा** यह तर्क देती है कि नेतृत्व का प्राथमिक उद्देश्य सेवा है। सत्ता प्रतिष्ठा या वर्चस्व का साधन नहीं, बल्कि जनसेवा का उपकरण है।
- **ट्रस्टीशिप (न्यास) की अवधारणा:**
  - महात्मा गांधी द्वारा **प्रस्तावित 'ट्रस्टीशिप' (न्यास) का सिद्धांत** यह मानता है कि संपन्न और सत्ताधारी वर्ग अपने संसाधनों का स्वामी नहीं, बल्कि जनकल्याण हेतु उनका न्यासी होता है।
- **उबंटू दर्शन (अफ्रीकी मानवतावाद):**
  - **मैं इसलिये हूँ क्योंकि हम हैं।** इस दर्शन के अनुसार किसी व्यक्ति की सत्ता और मानवता समुदाय के सशक्तीकरण से अविभाज्य रूप से जुड़ी होती है।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **राजनीतिक सत्ता का रचनात्मक उपयोग:**
  - **नेल्सन मंडेला:** उन्होंने **रंगभेद के उत्पीड़कों के खिलाफ प्रतिशोध के लिये** सत्ता का उपयोग करने के बजाय, **सत्य और सुलह आयोग** के माध्यम से राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिये इसका उपयोग किया।
  - **नेल्सन मंडेला: रंगभेद नीति के उत्पीड़कों** के विरुद्ध प्रतिशोध की राजनीति अपनाने के स्थान पर, उन्होंने **सत्य और सुलह आयोग** के माध्यम से सत्ता का उपयोग राष्ट्र के सशक्तीकरण एवं नैतिक पुनर्निर्माण के लिये किया।
  - **सम्राट अशोक:** कलिंग युद्ध के पश्चात उन्होंने **सैन्य विजय (दिग्विजय) के मार्ग को त्यागकर नैतिक उत्थान (धर्मविजय) का पथ अपनाया** तथा कल्याणकारी नीतियों और नैतिक मूल्यों के माध्यम से प्रजा को सशक्त किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **स्वार्थपरक सत्ता की विफलताएँ:**
  - **अधिनायकवादी शासन (हिटलर):** एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण व्यापक जनसमूह के सशक्तीकरण के स्थान पर उनके दमन और विनाश का कारण बना।
  - **सामंतवाद:** यह ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सत्ता का उपयोग दासों को सशक्त करने के बजाय उनसे मूल्य-निष्कर्षण के लिये किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक जड़ता और अंततः विद्रोह उत्पन्न हुआ।

समकालीन उदाहरण:

- **शासन और कल्याण:**
  - **जन धन-आधार-मोबाइल (JAM Trinity):** राज्य ने अपनी प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग बैंकिंग सुविधाओं से वंचित आबादी को नियंत्रित करने के बजाय वित्तीय पहचान और प्रत्यक्ष लाभों के साथ सशक्त बनाने के लिये किया।
  - **सूचना का अधिकार (RTI):** सरकार द्वारा नागरिकों के साथ सत्ता का साझा किया जाना, जिससे वे सार्वजनिक प्राधिकारों को उत्तरदायी बनाने में सक्षम हो सके।
- **कॉर्पोरेट और सामाजिक क्षेत्र:**
  - **सूक्ष्म-वित्त (ग्रामीण बैंक):** मोहम्मद यूनुस ने बैंकिंग की शक्ति का उपयोग ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु किया, यह सिद्ध करते हुए कि ऋण एक मौलिक मानवीय आवश्यकता है।
  - **ओपन सोर्स आंदोलन: लिनक्स (Linux) या विकिपीडिया (Wikipedia)** जैसे मंचों के डेवलपर्स ने अपनी बौद्धिक शक्ति को पेटेंट के माध्यम से सीमित करने के बजाय सार्वजनिक रूप से साझा किया, जिससे समस्त समाज सशक्त हुआ।

प्रश्न : दक्षता की बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा के इस युग में, मानवता की सबसे बड़ी आवश्यकता करुणा है, पूर्णता नहीं।

अपने निबंध को समृद्ध बनाने के लिये उद्धरण:

- **स्वामी विवेकानंद:** बस वही लोग जीते हैं, जो दूसरों के लिये जीते हैं। बाकी सब जीवित से अधिक मृत हैं।
- **महात्मा गांधी:** किसी भी समाज की सच्ची पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमज़ोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है।

परिचय:

- समकालीन विश्व में **शासन, बाज़ार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गति, सटीकता एवं अनुकूलन** को प्राथमिकता दी जाती है।
  - जैसे-जैसे **प्रणालियाँ अधिक दक्ष** बनती जाती हैं, उनमें **मानवीय संवेदनशीलता का क्षरण** होता चला जाता है।
- यह कथन एक गहन **सत्य को रेखांकित करता** है कि दक्षता जहाँ **कार्यक्षमता को बढ़ाती** है, वहीं करुणा ही मानवता के **मूल स्वरूप को जीवित** रखती है।
  - जैसा कि अल्बर्ट श्वित्ज़र ने कहा था, "मानव जीवन का उद्देश्य सेवा करना, करुणा दिखाना और दूसरों की सहायता करने की इच्छा रखना है।"

दार्शनिक और सैद्धांतिक आयाम

- **साधनिक तर्कसंगतता की सीमाएँ:** मैक्स वेबर ने आगाह किया था कि जब समाज तर्क और नियम-कायदों में अत्यधिक उलझ जाता है, तो वह एक '**लौह पिंजरे**' के समान हो जाता है, जहाँ व्यवस्था की कुशलता के चक्कर में मानवीय भावनाएँ एवं स्वतंत्रता दम तोड़ देती हैं"।
  - प्रणालियों की पूर्णता त्रुटियों को घटा सकती है, परंतु वह नैतिक विवेक और मानवीय सहानुभूति का विकल्प नहीं बन सकती।
- **करुणा की नैतिकता: बौद्ध धर्म** नैतिक जीवन के केंद्र में ***करुणा*** **(दया)** को रखता है और कठोर नियमों का पालन करने की बजाय पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता को प्राथमिकता देता है।
  - अफ्रीकी **दर्शन उबंटू, जिसका अर्थ है- "मैं हूँ, क्योंकि हम हैं।",** व्यक्तिगत उत्कृष्टता के बजाय संबंधपरक मानवता पर ज़ोर देता है।
  - हन्ना एरेंड्ट ने तर्क दिया कि नैतिक पतन को तकनीकी दक्षता नहीं बल्कि नैतिक ज़िम्मेदारी रोकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **नैतिक वास्तविकता के रूप में मानवीय अपूर्णता**
  - हम विश्व को उसके **वास्तविक स्वरूप** में नहीं, बल्कि अपनी **व्यक्तिगत दृष्टि और अनुभवों** के रंग में देखते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि मानवीय चेतना और अनुभूतियों को किसी एक 'मानकीकृत साँचे' (Standardized Template) में नहीं ढाला जा सकता।
  - करुणा त्रुटियों को स्वीकार करती है, जबकि पूर्णता एकरूपता की मांग करती है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:

- **करुणा के बिना दक्षता**
  - 20वीं सदी की **सर्वसत्तावादी (Totalitarian) सत्ताओं** ने यह सिद्ध कर दिया कि जब प्रशासनिक कुशलता मानवीय संवेदनाओं से कट जाती है, तो वह विनाश का सबसे सटीक हथियार बन जाती है।
  - होलोकॉस्ट ने यह उजागर किया कि तकनीकी रूप से अत्यंत दक्ष और त्रुटिरहित प्रणालियाँ भी गहरे नैतिक विवेकहीनता के साथ साथ चल सकती हैं।
- **नैतिक प्रतिरोध के रूप में करुणा:**
  - महात्मा गांधी ने दक्ष हिंसा और दमन को अस्वीकार करते हुए यह प्रतिपादित किया कि मानवीय साधन न्यायपूर्ण उद्देश्यों से अविभाज्य होते हैं।
  - नेल्सन मंडेला ने राजनीतिक शक्ति का प्रयोग प्रतिशोध के लिये नहीं, बल्कि मेल-मिलाप के लिये किया और प्रशासनिक त्वरितता से ऊपर उपचार और सुलह को महत्त्व दिया।

शासन और सार्वजनिक नीति

- **कल्याण एवं प्रशासन**
  - नियमों से अत्यधिक बंधे कल्याणकारी तंत्र अक्सर प्रक्रियात्मक कठोरता के कारण सबसे कमज़ोर लोगों को बाहर कर देते हैं।
  - करुणापूर्ण शासन यांत्रिक अनुपालन लागू करने के बजाय नीतियों को वास्तविकताओं के अनुरूप ढालता है।
- **लोकतांत्रिक सशक्तीकरण**
  - सूचना का अधिकार अधिनियम सूचना को नियंत्रित करने के बजाय पारदर्शिता के साथ नागरिकों पर भरोसा करके करुणा को दर्शाता है।
  - JAM ट्रिनिटी की पहल से पता चलता है कि जब प्रशासनिक शक्ति को समावेशिता द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो यह दक्षता को मानवीय रूप दे सकती है।
- **संकट प्रबंधन**
  - आपदा राहत कार्यों में केवल आँकड़ों और समय-सीमा पर ध्यान केंद्रित करने से आघात एवं गरिमा की अनदेखी का खतरा रहता है।
  - मानवीय राहत कार्य में दक्षता के साथ-साथ देखभाल, संचार और सामुदायिक विश्वास को प्राथमिकता दी जाती है।

प्रौद्योगिकी और समकालीन समाज

- **एल्गोरिदमिक निर्णय-निर्माण:**
  - AI और स्वचालन उच्च सटीकता प्रदान करने का दावा करते हैं, लेकिन उनमें मानवीय सहानुभूति निहित नहीं होती।
  - संदर्भ और परिस्थितियों की समझ के अभाव में स्वचालित भर्ती, पुलिसिंग तथा ऋण प्रणालियाँ बहिष्करण की प्रवृत्तियों को और गहरा कर सकती हैं।
- **स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा**
  - मानकीकृत प्रोटोकॉल परिणामों में सुधार करते हैं, परंतु रोगी देखभाल और शिक्षण में करुणापूर्ण विवेक अनिवार्य बना रहता है।
  - पूर्णता-केंद्रित मापदंड अक्सर भावनात्मक श्रम और मानवीय जुड़ाव के महत्त्व को कम आँकते हैं।
- **कॉर्पोरेट संस्कृति:**
  - अति-दक्षता और उद्देश्य का ह्रास अंततः मानसिक रिक्तता, अपनों से अलगाव एवं जीवन के मूल उद्देश्य के विस्मरण का कारण बनती है। लाओ त्ज़ु के अनुसार, दयालुता केवल एक व्यवहार नहीं, बल्कि एक निर्माण प्रक्रिया है: शब्दों की कोमलता आपसी विश्वास की नींव रखती है, चिंतन की करुणा विचारों में गहराई लाती है और देने का भाव प्रेम को जीवंत करता है।

नैतिकत समन्वय: मानवीय दृष्टिकोण के साथ दक्षता

- **दक्षता मात्र एक उपकरण है, जबकि करुणा ही वह अंतिम मूल्य (Value) है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **जहाँ 'पूर्णता' (Perfection)** का लक्ष्य केवल त्रुटिरहित प्रणालियों का निर्माण करना है, वहीं **'करुणा'** का ध्येय एक **गरिमापूर्ण और मानवीय जीवन** सुनिश्चित करना है।
- वास्तविक और सतत प्रगति केवल तभी संभव है जब दक्षता का संचालन 'सहानुभूति' द्वारा हो, न कि भावनाशून्य अनुकूलन (Indifferent Optimization) द्वारा।

निष्कर्ष:

- मापदंडों और मशीनों के प्रभुत्व वाले इस युग में, करुणा ही मानवीय क्षमता का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू बनी हुई है।
- व्यवस्थाएँ मानवीय अपूर्णताओं को दूर करने में नहीं, बल्कि उन्हें समझदारी से स्वीकारने में निहित है।
- **जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने याद दिलाया, "जीवन का सबसे निरंतर और महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है: आप दूसरों के लिये क्या कर रहे हैं?"**

प्रश्न : न्याय सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिये, न कि जनमत पर।

अपने निबंध को समृद्ध बनाने के लिये उद्धरण:

- **प्लेटो:** "न्याय का अर्थ है अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करना।"
- **इमैनुअल कांट:** "कानून की दृष्टि में, एक व्यक्ति तब दोषी है जब वह दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है।"
- **महात्मा गांधी:** "अंतरात्मा के मामलों में, बहुमत के कानून का कोई स्थान नहीं है।"
- **जॉन रॉल्स:** "सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण 'न्याय' है, ठीक वैसे ही जैसे विचार प्रणालियों का प्रथम गुण 'सत्य' होता है।"

परिचय:

- न्याय किसी भी सभ्य समाज की नैतिक रीढ़ होता है, जो निष्पक्षता, अधिकारों और मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करता है। लोकतंत्र में जनमत का महत्त्व अवश्य है, किंतु वह प्राय: अस्थिर, भावनात्मक तथा पूर्वाग्रह या भ्रामक सूचना से प्रभावित होता है।
- यह कथन रेखांकित करता है कि न्याय की वैधता जन-समर्थन से नहीं, बल्कि स्थायी और सार्वकालिक सिद्धांतों से प्राप्त होती है।
- जैसा कि प्लेटो ने कहा है, "न्याय का अर्थ है अपने कार्य में लगे रहना और दूसरों के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करना।"

दार्शनिक और सैद्धांतिक आधार

- **विधि का शासन बनाम बहुमत का शासन**
  - कानून के शासन के लिये निरंतरता, पूर्वानुमेयता और विधि के समक्ष समानता की आवश्यकता होती है।
  - जनमत बहुमत की इच्छा को प्रतिबिंबित कर सकता है, लेकिन न्याय अलोकप्रिय अल्पसंख्यकों की भी रक्षा करता है।
- **प्राकृतिक न्याय और नैतिक सार्वभौमिकता**
  - जॉन रॉल्स जैसे विचारकों ने न्याय को निष्पक्षता के रूप में महत्त्व दिया, जो **सामाजिक दबावों** के बजाय निष्पक्ष सिद्धांतों पर आधारित है।
  - **इमैनुअल कांट** ने तर्क दिया कि नैतिक कार्यों का मार्गदर्शन कर्त्तव्य और सार्वभौमिक सिद्धांतों द्वारा किया जाना चाहिये, न कि परिणामों या लोकप्रियता द्वारा।
- **भारतीय दार्शनिक परिप्रेक्ष्य**
  - भारतीय चिंतन में धर्म क्षणिक सामाजिक स्वीकृति से परे नैतिक व्यवस्था और धार्मिक आचरण का प्रतिनिधित्व करता है।
  - जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, "अन्यायपूर्ण कानून स्वयं एक प्रकार की हिंसा है," उन्होंने स्वीकार्यता की अपेक्षा सिद्धांत पर ज़ोर दिया।

ऐतिहासिक उदाहरण: जब सिद्धांतों द्वारा जनमत को चुनौती दी गई

- **औपनिवेशिक और सामाजिक न्याय**
  - सती प्रथा और बाल विवाह के उन्मूलन को जनता के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन ये नैतिक रूप से आवश्यक सुधार थे।
  - राजा राम मोहन रॉय ने प्रचलित रीति-रिवाज़ों के विरुद्ध तर्कसंगत और नैतिक सिद्धांतों का समर्थन किया।
- **न्यायिक साहस**
  - अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का *ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन मामले* में दिया गया फैसला लोकप्रिय अलगाववादी

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भावना के खिलाफ गया लेकिन संवैधानिक समानता को बरकरार रखा।

- विश्व भर की अदालतों ने अक्सर जनता के आक्रोश के बावजूद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा की है।

- **भारतीय संवैधानिक अनुभव**
  - डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि यदि सार्वजनिक नैतिकता संवैधानिक नैतिकता से अलग हो जाती है तो लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता हैं।
  - मौलिक अधिकार बहुसंख्यक मत के अत्याचार के खिलाफ सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं।

न्याय, जनमत और लोकतंत्र

- **जनमत का महत्त्व**
  - लोकतांत्रिक भागीदारी और जवाबदेही के लिये जनमत अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  - हालाँकि यह नैतिक दिशा-निर्देशक नहीं है और गलत सूचना, भय या लोकलुभावनवाद से प्रभावित हो सकता है।
- **लोकलुभावन न्याय के खतरे**
  - मीडिया ट्रायल और भीड़ द्वारा न्याय करना निष्पक्ष प्रक्रिया एवं निर्दोषता की धारणा को कमज़ोर करता है।
  - त्वरित सार्वजनिक फैसले अक्सर सबूतों, आनुपातिकता और पुनर्वास की अनदेखी करते हैं।
- **संवैधानिक नैतिकता**
  - न्यायपालिका संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिये बाध्य है, भले ही वे अलोकप्रिय हों
  - जैसा कि न्यायमूर्ति HR खन्ना ने आपातकाल के दौरान प्रदर्शित किया, सिद्धांत आधारित न्याय के लिये व्यक्तिगत बलिदान की आवश्यकता हो सकती है।

समकालीन प्रासंगिकता

- **सोशल मीडिया और जनमत का दबाव**
  - वायरल आक्रोश संस्थानों पर जल्दबाज़ी या प्रतीकात्मक कार्रवाई करने का दबाव डाल सकता है।
  - रुझानों पर आधारित न्याय प्रणाली असंगत और मनमानी होने का जोखिम रखती है।
- **मानवाधिकार और अल्पसंख्यक संरक्षण**
  - LGBTQ+ अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निवारक हिरासत जैसे मुद्दों के लिये सैद्धांतिक न्यायनिर्णय की आवश्यकता होती है।
  - न्यायालय अक्सर अधिकारों की रक्षा के लिये बहुसंख्यकवाद विरोधी संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं।
- **वैश्विक परिप्रेक्ष्य**
  - अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है, न कि राष्ट्रीय लोकप्रियता पर
  - प्रतिशोधात्मक न्याय की मांगों के बावजूद नेल्सन मंडेला ने सुलह और विधि के शासन का समर्थन किया।

नैतिक समन्वय: अभिव्यक्ति और मूल्यों के बीच संतुलन

- जनमत शासन को दिशा प्रदान करता है: सिद्धांत न्याय का मार्गदर्शन करते हैं।
- न्याय को समाज की बात सुननी चाहिये, लेकिन उसके सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिये।
- स्थायित्वपूर्ण वैधता नैतिक संगति से उत्पन्न होती है, न कि जनमानस की स्वीकृति से।

निष्कर्ष: न्याय के नैतिक मूल सिद्धांतों को बनाए रखना

- इतिहास साक्षी है कि जनमत समय के साथ बदलता रहता है, किंतु अन्याय के दुष्परिणाम स्थायी होते हैं।
- सिद्धांतनिष्ठ न्याय पीढ़ियों तक स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा और समानता की रक्षा करता है।
- वास्तव में न्यायपूर्ण समाज वही है जहाँ सिद्धांत सर्वोच्च स्थान पर हों, चाहे उस क्षण वे अल्पमत में ही क्यों न हों।

प्रश्न : "जनता की इच्छा विधि को आकार दे सकती है, लेकिन यह न्याय की आधारशिला नहीं हो सकती।"

निबंध को समृद्ध करने वाले उद्धरण

- **महात्मा गांधी:** "अंतरात्मा के मामलों में, बहुमत की विधियों का कोई स्थान नहीं है।"

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **प्लेटो:** "न्याय का अर्थ है अपने कर्त्तव्य का पालन करना और दूसरों के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करना।"
- **जॉन रॉल्स:** "न्याय, सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण है, ठीक उसी प्रकार जैसे सत्य, विचार-प्रणालियों का।"

कथन का निर्वचन

- जनमत किसी निश्चित समय पर सामूहिक प्राथमिकताओं, भावनाओं और सामाजिक सहमति को दर्शाता है।
- हालाँकि न्याय निष्पक्षता, गरिमा, समानता और सत्य जैसे स्थायी नैतिक सिद्धांतों में निहित है।
- यद्यपि लोकतांत्रिक समाजों में जनमत को विधि निर्माण करने की अनुमति होती है, तथापि न्याय को बदलते बहुमत के बजाय नैतिक सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित रहना चाहिये।

दार्शनिक और नैतिक आधार

- **लोकमत और सिद्धांत के बीच अंतर**
  - लोकमत वर्णनात्मक होता है—यह इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि समाज क्या सोचता है।
  - न्याय एक मानक है—यह दर्शाता है कि समाज को किन मूल्यों को बनाए रखना चाहिये।
  - प्लेटो ने चेतावनी दी थी कि सत्य और सद्गुण का निर्धारण संख्याओं से नहीं, बल्कि तर्क के माध्यम से किया जाना चाहिये।
- **नैतिक सार्वभौमिकता**
  - **इमैनुएल कांट का तर्क था कि नैतिक कर्मों का मार्गदर्शन** सामाजिक स्वीकृति से नहीं, बल्कि **सार्वभौमिक सिद्धांतों द्वारा** होना चाहिये।
  - यदि नैतिकता भीड़ पर निर्भर होती, तो काल और संस्कृतियों के पार नैतिक सुसंगतता का पूर्णतः पतन हो जाता।
- **भारतीय नीतिपरक विचार**
  - **भारतीय दर्शन में *धर्म* की संकल्पना सुविधा या सर्वसम्मति से परे नैतिक धर्मिता का द्योतक** है।
  - स्वामी विवेकानंद ने कहा था, "सत्य किसी भी समाज, चाहे वह प्राचीन हो या आधुनिक, के प्रति सम्मान नहीं दिखाता।"

समकालीन प्रासंगिकता

- **मीडिया और त्वरित राय**
  - सोशल मीडिया आक्रोश एवं बहुसंख्यकवादी भावनाओं को और बढ़ा देता है।
  - प्रचलित विचारों से निर्देशित न्याय प्रणाली के आवेगी और असंगत होने का जोखिम रहता है।
- **हाशिये पर स्थित वर्गों की अभिव्यक्तियाँ**
  - लोकप्रियता प्रायः कमज़ोर समूहों को हाशिये पर स्थानांतरित कर देती है।
  - न्याय का अस्तित्व ठीक उसी उद्देश्य के लिये है जिससे संख्यात्मक शक्ति के अभाव में लोगों की रक्षा की जा सके।
- **शासन और नीति**
  - कल्याण, पुलिस व्यवस्था और सार्वजनिक नैतिकता पर होने वाले विमर्श समानुभूति-आधारित न्याय एवं लोकलुभावन मांगों के बीच तनाव को उजागर करती हैं।
  - नैतिक शासन के लिये निष्पक्षता की कीमत पर भीड़ को संतुष्ट करने के दबाव का विरोध करना आवश्यक है।

नैतिक संश्लेषण

- विधि का विकास लोकतांत्रिक सहभागिता के माध्यम से हो सकता है।
- न्याय का विकास नैतिक चिंतन के माध्यम से होना चाहिये।
- लोकप्रिय इच्छा न्याय को प्रेरित कर सकती है, लेकिन इसे परिभाषित नहीं कर सकती।
- डॉ. अंबेडकर की दृष्टि में, संवैधानिक नैतिकता के बिना लोकतंत्र केवल बाह्य प्रकट रूप बनकर रह जाता है, जिसके भीतर वास्तविकता का अभाव होता है।

निष्कर्ष

- लोकमत क्षणभंगुर होता है; न्याय शाश्वत होना चाहिये। समाज तभी प्रगति करता है जब सिद्धांत शक्ति और लोकप्रियता को नियंत्रित करते हैं।
  - अंतरात्मा में निहित न्याय मानव गरिमा की रक्षा पीढ़ियों तक करता है। साथ ही, **सत्यनिष्ठ न्याय प्रायः विपरीत मत से आरंभ होता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : "सत्यनिष्ठा का वास्तविक आरंभ उसी क्षण होता है, जब सुविधा का मार्ग समाप्त हो जाता है।"

निबंध को समृद्ध करने वाले उद्धरण

- **सी.एस. लुईस:** "सत्यनिष्ठा का तात्पर्य है सही काम करना, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं।"
- **स्वामी विवेकानंद:** "उठो, साहसी बनो, मज़बूत बनो।"
- **वॉरेन बफेट:** "लोगों को नियुक्त करने के लिये जब आप चयन करते हैं, तो तीन गुणों की तलाश करते हैं: सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता एवं ऊर्जा और यदि उनमें पहला गुण नहीं है, तो बाकी दोनों आपको नष्ट कर देंगे।"

परिचय: विचार की समझ

- विशेषकर दबाव की स्थिति में सत्यनिष्ठा मूल्यों, शब्दों और कार्यों का सामंजस्य है।
- सुविधा शॉर्टकट, आराम और समझौता प्रदान करती है।
- इस कथन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सत्यनिष्ठा सहजता में नहीं, बल्कि नैतिक प्रतिरोध में प्रकट होती है।
  - जैसा कि सी.एस. लुईस ने कहा था, "सत्यनिष्ठा का तात्पर्य है सही काम करना, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं।"

दार्शनिक और नीतिपरक आयाम

- **नैतिक स्थिरता के रूप में सत्यनिष्ठा:** नैतिकता कार्रवाई की मांग करती है, भले ही इसमें व्यक्तिगत हानि शामिल हो।
  - अरस्तू के अनुसार, सद्गुण परिस्थितियों के अनुरूप समायोजन नहीं, बल्कि आदत में परिणत सही कर्म है।
- **भारतीय दार्शनिक अंतर्दृष्टि**
  - **भगवद् गीता *निष्काम कर्म* पर ज़ोर देती है — परिणामों से आसक्ति रखे बिना अपने कर्त्तव्य का पालन करना।**
  - महात्मा गांधी ने सुविधाजनक समझौते के बजाय कष्ट सहना चुनकर सत्यनिष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया।
- **नैतिक विकल्प का मनोविज्ञान**
  - **सुविधा का मार्ग, लाभ या तात्कालिक सुगमता** को प्राथमिकता देता है, तब व्यक्ति नैतिक दुविधा को नैतिक प्रश्न के रूप में नहीं बल्कि एक **व्यावहारिक लाभ-हानि** के रूप में देखने लगता है।
  - सत्यनिष्ठा से विवेक को मार्गदर्शक शक्ति के रूप में पुनर्स्थापित किया जा सकता है।

विपरीत परिस्थितियों में सत्यनिष्ठा की परीक्षा

- **व्यक्तिगत स्तर**
  - सामाजिक अलगाव के बावजूद सत्य बोलना।
  - आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भ्रष्टाचार को अस्वीकार करना।
  - व्हिसलब्लोअर प्राय: भारी व्यक्तिगत कीमत पर ऐसा करते हैं।
- **नेतृत्व और सार्वजनिक जीवन**
  - नेतृत्वकर्त्ताओं पर सिद्धांतों के बजाय लोकप्रियता को प्राथमिकता देने का दबाव होता है।
  - अब्राहम लिंकन ने कहा था, "लगभग सभी लोग विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति के चरित्र की परीक्षा लेना चाहते हैं, तो उसे शक्ति प्रदान करें।"
- **संस्थागत सत्यनिष्ठा**
  - जब नैतिकता को दक्षता या लाभ के लिये त्याग दिया जाता है तो संगठनों की विश्वसनीयता कम हो जाती है।
  - विश्वास जितनी तीव्रता से निर्मित होता है, उससे कहीं अधिक तेज़ी से क्षरित हो जाता है।

सामाजिक और समकालीन संदर्भ

- **कार्यस्थल नैतिकता**
  - शॉर्टकट, डेटा में हेरफेर और नैतिक अनभिज्ञता का सामान्यीकरण।
  - सत्यनिष्ठा पर आधारित संस्थाएँ दीर्घकालिक वैधता बनाए रखती हैं।
- **प्रौद्योगिकी और आधुनिक जीवन**
  - गलत सूचना, साहित्यिक चोरी और डिजिटल गुमनामी की सुलभता नैतिक संयम की परीक्षा लेती है।
  - कम जवाबदेही वाले क्षेत्रों में नैतिक आचरण कठिन हो जाता है—लेकिन साथ ही साथ अधिक आवश्यक भी हो जाता है।
- **लोक विश्वास**
  - समाज विश्वास पर संचालित होते हैं, जो सुविधा पर नहीं बल्कि सत्यनिष्ठा पर आधारित होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- एक बार जब यह भंग हो जाता है, तो विश्वास को पुनः स्थापित करना कठिन होता है।

नैतिक संश्लेषण

- सुविधा प्रश्न करती है, "सबसे आसान क्या है?"
- सत्यनिष्ठा प्रश्न करती है, "सही क्या है?"
  - सत्यनिष्ठा के बिना प्रगति से नैतिकता के बिना दक्षता प्राप्त होती है।

निष्कर्ष

- **सत्यनिष्ठा परिस्थितिजन्य नहीं, बल्कि मूलभूत गुण है।** नैतिक चरित्र दबाव में लिये गए निर्णयों से आकार लेता है। सभ्यताएँ सुविधा के कारण नहीं, बल्कि अंतरात्मा के कारण कायम रहती हैं। **सत्यनिष्ठा, भले ही व्ययसाध्य हो, लेकिन शक्ति का सबसे सतत रूप बनी रहती है।**

प्रश्न : उठती हुई लहरें सभी नौकाओं को ऊपर उठाती हैं।

निबंध को समृद्ध करने वाले उद्धरण

- **महात्मा गांधी:** "किसी भी समाज की वास्तविक कसौटी इस बात से आँकी जा सकती है कि वह अपने सबसे कमज़ोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है।"
- **जॉन रॉल्स:** "सामाजिक तथा आर्थिक असमानताएँ इस प्रकार व्यवस्थित की जानी चाहिये कि वे सबसे कम लाभान्वित लोगों के लिये अधिकतम लाभकारी हों।"
- **अमर्त्य सेन:** "विकास का अर्थ उन वास्तविक स्वतंत्रताओं का विस्तार है, जिनका लोग उपभोग करते हैं।"

परिचय: रूपक की समझ

- "उठती हुई ज्वार (लहर) सभी नौकाओं को ऊपर उठा देती है", यह कथन इस विचार को व्यक्त करता है कि जब समग्र प्रगति होती है तो उससे सभी को लाभ होता है। यह धारणा इस विश्वास पर आधारित है कि **सामूहिक विकास— चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो या नैतिक**— समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों के व्यक्तियों को उन्नत कर सकता है।
  - हालाँकि, यह आशावाद इस मान्यता पर आधारित है कि विकास समावेशी और सुलभ है। समानता के बिना विकास की लहरें तो उठ सकती हैं, लेकिन कई नावें डूब जाएंगी या लंगर डाले ही रह जाएंगी। इस प्रकार यह कथन विकास की प्रकृति तथा उसके वितरण पर गहन चिंतन के लिये प्रेरित करता है।

दार्शनिक और नैतिक आयाम

- **सामूहिक प्रगति बनाम व्यक्तिगत उन्नति:** दार्शनिक दृष्टि से यह विचार सामुदायिक नैतिकता (Communitarian Ethics) के अनुरूप है, जो समाज को परस्पर निर्भर इकाई के रूप में देखती है।
  - अरस्तू के अनुसार, न्यायपूर्ण समाज के भीतर प्राप्त किया गया जीवन ही 'उत्तम जीवन' कहलाता है, जहाँ सामूहिक कल्याण व्यक्तिगत समृद्धि को संभव बनाता है।
- **विकास की नैतिक ज़िम्मेदारी:** न्याय के बिना विकास असमानताओं को और गहरा कर सकता है।
  - जॉन रॉल्स का न्याय-सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि सामाजिक तथा आर्थिक असमानताएँ तभी स्वीकार्य हैं, जब वे सबसे कमज़ोर वर्ग के हित में हों।
- **भारतीय नैतिक चिंतन:** गांधी द्वारा प्रतिपादित 'सर्वोदय' (सभी का कल्याण) की भारतीय अवधारणा यह मानती है कि वास्तविक प्रगति वही है, जो सबसे दुर्बल व्यक्ति का उत्थान करे।
  - करुणा से रहित आर्थिक या तकनीकी प्रगति में अपवर्जन का जोखिम निहित होता है।

ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य

- **स्वतंत्रता-उपरांत विकास:** भारत की आर्थिक योजना का उद्देश्य औद्योगीकरण और सामाजिक कल्याण के माध्यम से सामूहिक रूप से जीवन-स्तर का उत्थान करना था।
  - परंतु क्षेत्रीय असमानताओं ने यह स्पष्ट किया कि केवल विकास से साझा समृद्धि सुनिश्चित नहीं होती।
- **वैश्वीकरण और विकास:** आर्थिक उदारीकरण ने अपार संपत्ति सृजित की, किंतु इसके साथ ही देशों के भीतर तथा उनके बीच असमानताओं को भी बढ़ाया।
  - वैश्वीकरण के लाभ प्रायः कुशल वर्गों तक सीमित रहे, जबकि असंगठित श्रमिक अधिक असुरक्षित होते गए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **इतिहास से सबक:** औद्योगिक क्रांति ने कुल संपत्ति में वृद्धि की, परंतु इसके साथ शोषण भी बढ़ा, जब तक कि श्रम सुधारों और संस्थागत व्यवस्थाओं ने न्याय सुनिश्चित नहीं किया।
  - यह दर्शाता है कि विकास को नैतिक और संस्थागत ढाँचों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिये।

समकालीन प्रासंगिकता

- **समावेशी विकास:** वित्तीय समावेशन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और सामाजिक सुरक्षा जैसी नीतियाँ यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं कि विकास के लाभ समाज के उपेक्षित वर्ग तक भी पहुँचें।
  - सार्वभौमिक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी पहलें व्यक्तियों को विकास में सार्थक भागीदारी हेतु सक्षम बनाती हैं।
- **संधारणीयता और जलवायु न्याय:** जलवायु परिवर्तन यह उजागर करता है कि अनियंत्रित विकास का दुष्प्रभाव सबसे अधिक कमज़ोर वर्गों पर पड़ता है।
  - अत: 'उठती हुई लहर' को वास्तव में सभी नौकाओं को ऊपर उठाने के लिये पर्यावरणीय रूप से सतत होना आवश्यक है।
- **प्रौद्योगिकी और अवसर:** डिजिटल मंच अवसरों का लोकतंत्रीकरण कर सकते हैं, परंतु डिजिटल विभाजन अनेक लोगों को वंचित भी कर सकता है।
  - समावेशिता यह निर्धारित करती है कि तकनीकी प्रगति सशक्तीकरण का माध्यम बनेगी या ध्रुवीकरण का।

समालोचनात्मक चिंतन

- विकास स्वाभाविक रूप से समतामूलक नहीं होता।
- नैतिक शासन के बिना विकास असमानताओं को कम करने के बजाय उन्हें और गहरा कर देता है तथा सबसे कमज़ोर लोगों का जीवन पहले से अधिक असुरक्षित तथा कठिन बना देता है।
- वास्तविक प्रगति ऐसे तंत्रों के निर्माण में निहित है, जो सभी के लिये अभिगम्यता, गरिमा और अवसर सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष

"उठती हुई लहर सभी नौकाओं को ऊपर उठा सकती है" अर्थात् आर्थिक विकास से सभी को लाभ होता है— लेकिन यह तभी संभव है जब वह न्याय, समावेशन और उत्तरदायित्व से निर्देशित हो। आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय, नैतिक शासन और करुणापूर्ण नीति निर्माण भी आवश्यक है।

जैसा कि **महात्मा गांधी** ने हमें याद दिलाया था, ***"प्रगति का वास्तविक मापदंड यह नहीं है कि कोई राष्ट्र कितनी तेज़ी से विकास करता है, बल्कि यह है कि वह अपने सबसे कमज़ोर सदस्यों की कितनी अच्छी तरह देखभाल करता है।"*** केवल तभी समृद्धि चयनात्मक न होकर साझा बनती है।

प्रश्न : शिक्षा तथ्यों का केवल अधिग्रहण नहीं है, बल्कि यह मन को आत्मचिंतन हेतु प्रशिक्षित करने की सतत प्रक्रिया है।

निबंध को समृद्ध करने वाले उद्धरण

- **अल्बर्ट आइंस्टीन**- "शिक्षा तथ्यों का केवल अधिग्रहण नहीं है, बल्कि यह मन को आत्मचिंतन हेतु प्रशिक्षित करने की सतत प्रक्रिया है।"
- **जॉन डीवी**- "शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है; शिक्षा स्वयं जीवन है।"
- **रवीन्द्रनाथ टैगोर**- "सर्वोच्च शिक्षा वह है जो केवल हमें जानकारी ही नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सामंजस्यपूर्ण बनाती है।"

परिचय: शिक्षा के सार का अध्ययन

शिक्षा को प्राय: सूचना संचय, परीक्षा अंकों और प्रमाण-पत्रों तक सीमित कर दिया जाता है। हालाँकि, वास्तविक शिक्षा रटने और यांत्रिक अधिगम से कहीं बढ़कर है। इसका उद्देश्य तर्कशक्ति, जिज्ञासा, विवेक और स्वतंत्र चिंतन को विकसित करना है।

- शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मन में तथ्यों का संग्रहण करना नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों को आकार देना है जो समालोचनात्मक चिंतन, नैतिक तर्क और रचनात्मक समस्या-समाधान में सक्षम हों।

शिक्षा के दार्शनिक आधार

- **प्राचीन भारतीय परिप्रेक्ष्य: गुरुकुल प्रणाली** में रटंत विद्या के बजाय ***मनन*** **(चिंतन) और** ***निदिध्यासन*** **(गहन आत्मचिंतन)** पर बल दिया जाता था।
  - शिक्षा का उद्देश्य सूचना-संग्रह नहीं, बल्कि *ज्ञान* (Wisdom) और *चरित्र-निर्माण* था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **पश्चिमी दार्शनिक विचार:** सुकरात ने सत्य के मार्ग के रूप में प्रश्न पूछने का समर्थन किया, यह दावा करते हुए कि ज्ञान संदेह से शुरू होता है।
  - जॉन डीवी शिक्षा को तथ्यों के निष्क्रिय ग्रहण के बजाय चिंतन और पूछताछ की प्रक्रिया के रूप में देखते थे।
- **अधिगम का उद्देश्य:** वास्तविक शिक्षा केवल स्मरण करने की क्षमता विकसित करने के बजाय विश्लेषण करने, तर्क करने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है।
  - बिना समझ के ज्ञान से अनुरूपता उत्पन्न हो सकती है, जबकि चिंतन स्वतंत्रता को पोषित करता है।

शिक्षा और मानव विकास

- **समालोचनात्मक सोच विकसित करना:** एक विचारशील मन गलत सूचनाओं पर सवाल उठा सकता है, पूर्वाग्रहों को चुनौती दे सकता है और बदलाव के अनुकूल ढल सकता है।
  - तेज़ी से हो रहे तकनीकी विकास की दुनिया में स्थिर ज्ञान की तुलना में अनुकूलनशीलता अधिक महत्त्वपूर्ण है।
- **नैतिक एवं आचार संबंधी गठन:** शिक्षा समानुभूति, ज़िम्मेदारी और नैतिक तर्क को पोषित करके चरित्र का निर्माण करती है।
  - जैसा कि **स्वामी विवेकानंद** ने कहा था, ***"शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है।"***
- **रचनात्मकता और नवाचार:** नवाचार तब उभरता है जब व्यक्ति मान्यताओं पर प्रश्न उठाते हैं और विकल्पों की कल्पना करते हैं।
  - जिज्ञासा और प्रयोग को प्रोत्साहित करने वाले समाज, अनुरूपता लागू करने वाले समाजों की तुलना में तेज़ी से प्रगति करते हैं।

समकालीन प्रासंगिकता

- **सूचना अधिभार के युग में:** तथ्य तुरंत उपलब्ध हैं; उन्हें मूल्यांकन, व्याख्या और लागू करने की क्षमता दुर्लभ है।
  - समालोचनात्मक सोच व्यक्तियों को गलत सूचनाओं और डिजिटल हेरफेर से निपटने में सक्षम बनाती है।
- **शिक्षा और लोकतंत्र:** लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सार्थक भागीदारी के लिये विचारशील नागरिक होना आवश्यक है।
  - जब शिक्षा में तर्क की बजाय आज्ञापालन को प्राथमिकता दी जाती है तो **लोकतंत्र अप्रभावी** हो जाता है।
- **कार्यस्थल और भविष्य के कौशल:** स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने नियमित कार्यों के महत्त्व को कम कर दिया है।
  - भविष्य उन व्यक्तियों का है जो रचनात्मक, नैतिक और स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं।

वास्तविक शिक्षा हेतु चुनौतियाँ

- परीक्षाओं और रटंत याददाश्त पर अत्यधिक ज़ोर देना
- मानकीकृत परीक्षण जो प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करता है
- शिक्षा का व्यवसायीकरण, जो विकास के बजाय अंकों को प्राथमिकता देता है
  - इन प्रवृत्तियों से ऐसे कुशल श्रमिक उत्पन्न होने का खतरा है जिनमें ज्ञान या नैतिक दिशा-निर्देश की कमी होगी।

नैतिक और सामाजिक महत्त्व

- चिंतन को बढ़ावा देने वाली शिक्षा निष्क्रिय अनुयायियों के बजाय ज़िम्मेदार नागरिकों का निर्माण करती है।
- यह व्यक्तियों को अन्याय पर प्रश्न करने, हेरफेर का विरोध करने और विवेक के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है।
- इसलिये **शिक्षा मूल रूप से एक जागृति की प्रक्रिया होनी चाहिये।** मन का विस्तार करने, रचनात्मकता को पोषित करने और जीवन की गहन समझ विकसित करने का एक साधन होनी चाहिये।

निष्कर्ष

शिक्षा तथ्यों का संग्रहण नहीं, बल्कि बुद्धि और चरित्र का विकास है। जानकारी से भरे विश्व में **समालोचनात्मक, नैतिक और स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता ही अधिगम का वास्तविक मापदंड है।**

- शिक्षा का अंतिम **लक्ष्य चलता-फिरता विश्वकोश बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे विचारशील** व्यक्ति तैयार करना है, जो न्यायपूर्ण, नवोन्मेषी और करुणामय समाज को आकार देने में सक्षम हों।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2026 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME